GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

हरियाणा

2022-23

जारीकर्ता :

अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा

2023

प्रकाशन संख्या 1316
www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2022–23

जारीकर्ता:
अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकूला

विषयवस्तु

हरियाणा एक दृष्टि में (i-ii)

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति	
अध्याय–1	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1–11
अध्याय–2	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान	12–29
	विभागों/बोर्डों/निगमों की उपलब्धियां	
अध्याय–3	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	30–65
अध्याय–4	उद्योग, विद्युत, सड़कें तथा परिवहन	66–89
अध्याय–5	शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी	90–119
अध्याय–6	स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास	120–147
अध्याय–7	पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी विकास	148–161
अध्याय–8	सामाजिक क्षेत्र	162–184
	अनुलग्नक	185–190

हरियाणा एक दृष्टि में

मदें		अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
प्रशासनिक ढांचा		जनवरी, 2023	संख्या		
(क) मण्डल				6	
(ख) जिले				22	
(ग) उप–मण्डल				74	
(घ) तहसीलें				95	
(ड) उप–तहसीलें				49	
(च) खण्ड				143	
(छ) कस्बे		जनगणना, 2011		154	
(ज) गांव (गैर आबाद सहित)				6,841	
जनसंख्या		जनगणना, 2011			
(क) कुल			संख्या	2,53,51,462	1,21,08,54,977
(ख) पुरूष			संख्या	1,34,94,734	62,32,70,258
(ग) स्त्रियां			संख्या	1,18,56,728	58,75,84,719
(घ) ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत			संख्या	1,65,09,359 65.12	83,37,48,852 68.86
(ड) शहरी			संख्या	88,42,103	37,71,06,125
(च) जनसंख्या घनत्व			प्रति वर्ग कि.मी.	573	368
(छ) साक्षरता दर	पुरूष		प्रतिशत	84.1	80.9
	स्त्री			65.9	64.6
	कुल			75.6	74.0
(ज) लिंग अनुपात			हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879	943
स्वास्थ्य आंकडे					
(क) जन्म दर		2020	प्रति हजार		
(i) इक्टठी				19.9	19.5
(ii) ग्रामीण				21.2	21.1
(iii) शहरी				17.7	16.1
(ख) मृत्यु दर		2020	प्रति हजार		
(i) इक्टठी				6.1	6.0
(ii) ग्रामीण				6.5	6.4
(iii) शहरी				5.5	5.1

मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
(ग) बाल मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	2020	प्रति हजार		
(i) इक्टठी			28	28
(ii) ग्रामीण			31	31
(iii) शहरी			23	19
(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2018–20	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	110	97
भूमि उपयोग	2019–20			
(क) निवल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,570	1,39,902
(ख) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,047	71,456
(ग) कुल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	6,617	2,11,359
(घ) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र		प्रतिशत	85.35	51.08
चालू जोतें	कृषि गणना 2015–16			
(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या हजार	1,628	1,46,454
(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,609	1,57,817
(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.22	1.08
विद्युत			2021–22	2020–21
(क) स्थापित कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	12,202	3,82,151
(ख) उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	5,29,359	उपलब्ध नहीं
(ग) बेची गई विद्युत		गेगावाट	45,822	12,30,208
(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	73,82,836	32,31,16,041
राज्य आय (चालू कीमतों पर)	2021–22 (द्रुत अनुमान)			
(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		करोड़ रूपये	8,70,664.53	2,36,64,638
(ख) सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)		करोड़ रूपये	7,60,935.06	2,13,49,400
(ग) कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	1,48,566.32	39,80,067
(घ) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	2,33,734.98	61,26,168
(ड) सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन		करोड़ रूपये	3,78,633.76	1,12,43,165
(च) प्रति व्यक्ति आय		रूपये	2,64,835	1,50,007

***

हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा राज्य सम्पन्न संस्कृति और कृषि समृद्ध भूमि है। यह उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब व दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा राज्य है और इसे तीन तरफ से घेरता है। हरियाणा सेंट्रल पूल जो कि अधिशेष खाद्य अनाज की एक राष्ट्रीय भण्डार प्रणाली है, में काफी मात्रा में गेहूँ और चावल का योगदान देता है। हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी तेजी से प्रगति की है। हरियाणा के प्रमुख उद्योग मोटर वाहन, आई.टी., कृषि एवं पैट्रोकैमिकल है। ऑटो की बड़ी कम्पनियों और ऑटो पार्टस निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थान होने के कारण राज्य देश का सबसे बड़ा ऑटो मोबाइल केन्द्र है। पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी (आई.ओ.सी. एल.) दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। राज्य सरकार एक प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा का संरचनात्मक परिवर्तन कृषि राज्य से सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के साथ औद्योगिक राज्य के रूप में हो रहा है, राज्य ने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाया है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है जो देश के केवल 1.3 प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है इसके बावजूद राज्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष 2021–22 के द्रुत व वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार योगदान 3.9 प्रतिशत है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9,94,154.08 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जो वर्ष 2021–22 की 17.4 प्रतिशत की वृद्वि की तुलना में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2022–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,08,420.26 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। वर्ष 2021–22 में यह वृद्वि 11.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011–12) कीमतों पर **तालिका 1.1** में दिया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर **आकृति 1.1** में दी गई है।

1.3 राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष 2021–22 के दौरान 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। उद्योग क्षेत्र में 6.3 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2022–23 में 7.1 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष दर वर्ष वास्तविक वृद्धि दर **तालिका 1.2** तथा **आकृति 1.2** में दर्शाई गई है।

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों (फसलें, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा, इसके बाद सेवा क्षेत्र (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा है।

तालिका 1.1–हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011–12) भावों पर
2011–12	297538.52	297538.52
2012–13	347032.01	320911.91
2013–14	399268.12	347506.61
2014–15	437144.71	370534.51
2015–16	495504.11	413404.79
2016–17	561424.17	456709.11
2017–18	638832.08	482036.15
2018–19	698939.76	532996.04
2019–20	732194.51	544275.44
2020–21	741850.07	510306.11
2021–22 (द्रु:)	870664.53	568086.06
2022–23 (अग्र:)	994154.08	608420.26

द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.1– हरियाणा तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वृद्धि

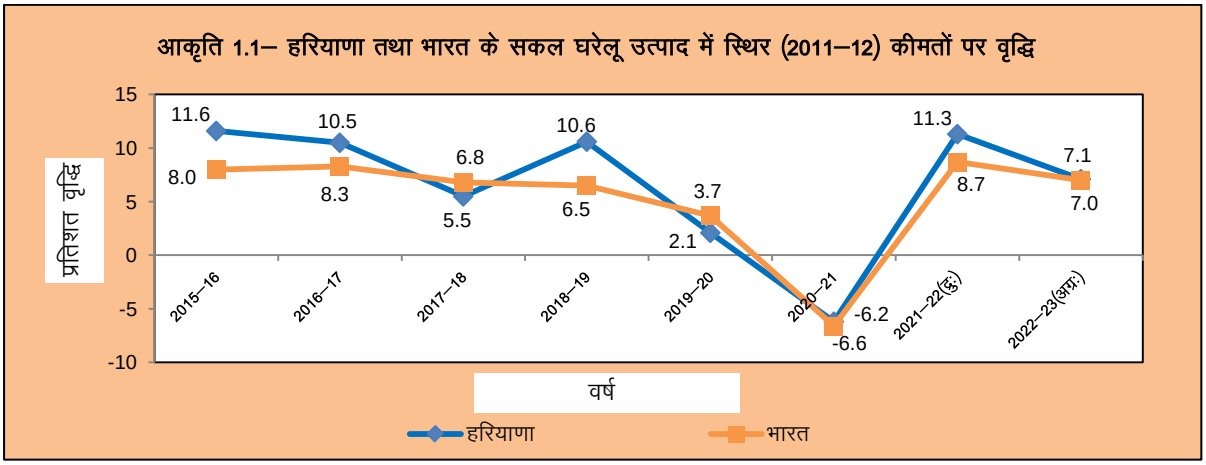

तालिका 1.2–सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	हरियाणा								अखिल भारत
	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (द्रु:)	2022–23 (अग्र:)	2022–23* (अग्र:)
कृषि एवं सहबद्ध	3.8	7.9	7.0	8.8	5.3	-0.7	1.6	5.3	3.5
उद्योग	11.4	12.9	3.6	13.0	-2.4	-2.0	11.8	6.3	4.1
सेवा	10.8	8.6	5.6	8.5	4.6	-9.0	12.4	8.4	9.1
सकल राज्य मूल्य वर्धन	9.7	9.9	5.2	10.0	2.4	-5.2	10.1	7.1	6.7

द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

* स्त्रोतः एन.एस.ओ., नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 6 जनवरी, 2023

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षो (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी कम हुई। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गई जबकि उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गई।

आकृति 1.2– हरियाणा के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वृद्धि

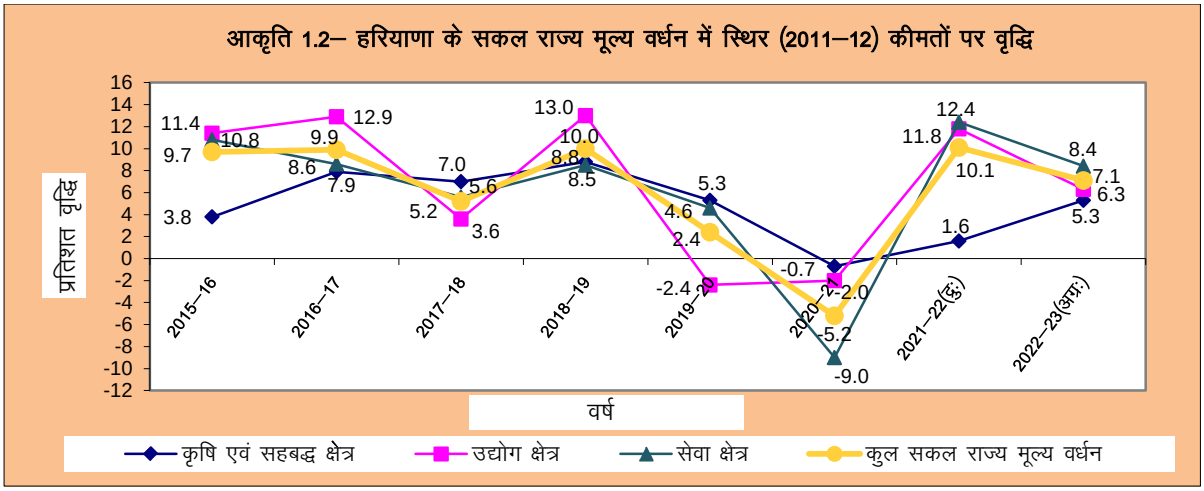

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्र में दर्ज उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप ज्यों की त्यों जारी रही, सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2022–23 में 49.4 प्रतिशत तक मजबूत हुई जिसके परिणामस्वरूप कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों (17.4 प्रतिशत) की हिस्सेदारी घट गई। सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2022–23 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान 33.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है। राज्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी **आकृति 1.3** में दर्शायी गई है।

प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

1.7 प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय का औसत है। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और इसकी वृद्धि दर को क्रमशः **तालिका 1.3 और आकृति 1.4** में दर्शाया गया है।

आकृति 1.3–वर्ष 2022–23 में राज्य अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना स्थिर (2011–12) कीमतों पर

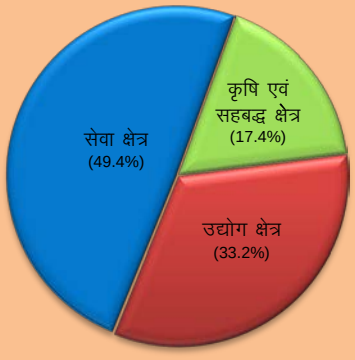

तालिका 1.3– प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	हरियाणा (रूपये)		अखिल भारत (रूपये)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011–12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011–12) भावों पर
2011–12	106085	106085	63462	63462
2012–13	121269	111780	70983	65538
2013–14	137770	119791	79118	68572
2014–15	147382	125032	86647	72805
2015–16	164963	137833	94797	77659
2016–17	184982	150259	104880	83003
2017–18	208437	156200	115224	87586
2018–19	223022	169604	125946	92133
2019–20	230563	170616	132115	94270
2020–21	229065	155756	126855	85110
2021–22 (द्रु:)	264835	172657	150007	91481
2022–23 (अग्र.)	296685	181961	170620*	96522*

द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान।

* स्त्रोतः एन.एस.ओ., नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 6 जनवरी, 2023।

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.4– प्रचलित कीमतों पर हरियाणा और अखिल भारत की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

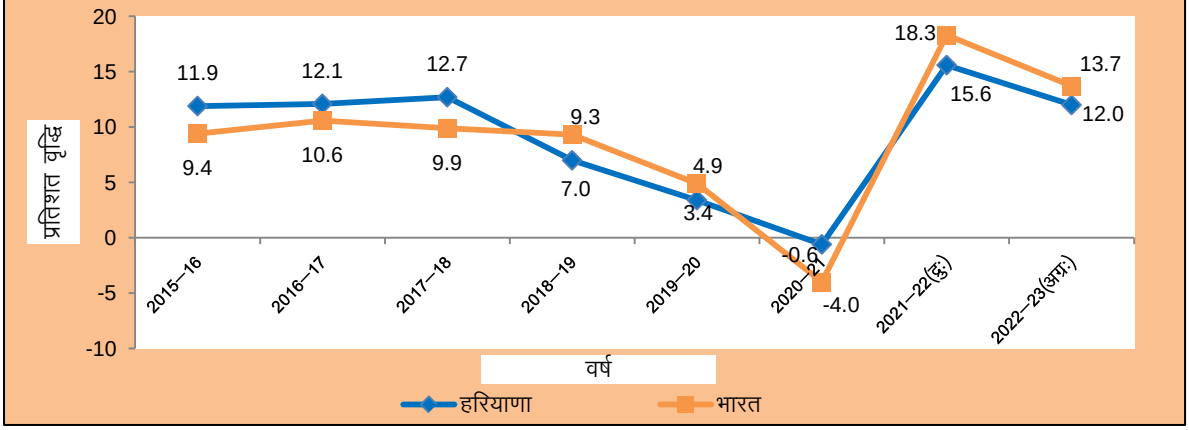

1.8 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) भावों पर वर्ष 2022–23 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,81,961 रूपये अनुमानित की गई है जो वर्ष 2021–22 में 10.9 प्रतिशत दर्ज की गई थी। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022–23 में इसके 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,96,685 रूपये होने की सम्भावना है जबकि वर्ष 2021–22 में 15.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी। अतः वर्ष 2022–23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों भावों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 1,70,620 रूपये और 96,522 रूपये की तुलना में अधिक रहने की सम्भावना है।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

1.9 कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जनसंख्या के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। राज्य में मजबूत बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सडकें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नहरों का जाल, मार्किट यार्ड का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में अति वांछनीय तरक्की हुई है। इन सुविधाओं के निर्माण के साथ–साथ कृषि अनुसंधान प्रोत्साहन एवं उत्कृष्ट विस्तार नेटवर्क द्वारा किसानों के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों से संबंधित जानकारी के प्रसारण से बेहतर परिणाम हासिल हुए हैं।

1.10 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि राज्य अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान बढा है जिसके कारण कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान घटा है। वर्ष 2022–23 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर (2011–12) कीमतों पर 17.4 प्रतिशत दर्ज किया गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर पर ज्यादा निर्भर रहा है। हालांकि हाल के अनुभवों से ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है, जो लम्बी विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण विकास में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का विकास एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा।

1.11 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में कृषि, वानिकी एवं लोगिंग व मत्स्य पालन उप–क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में फसलों की खेती व पशुपालन मुख्य घटक हैं, इनका कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग 92.6 प्रतिशत का योगदान है। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में

वानिकी और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5.1 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत है जिससे इन दो उप–क्षेत्रों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

1.12 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर विभिन्न वर्षों में दर्ज विकास दर के साथ **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है। वर्ष 2021–22 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में 1.6 प्रतिशत की कम वृद्वि दर्ज की गई थी। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन 5.3 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 92,861.74 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2022–23 में कृषि क्षेत्र जिसमें फसल एवं पशुपालन उपक्षेत्र शामिल है, का सकल राज्य मूल्य वर्धन 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 85,973.39 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया जबकि इसी वर्ष के दौरान वानिकी व लोगिंग और मत्स्य उप क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन क्रमशः 3.9 प्रतिशत तथा 21.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,787.75 करोड़ रूपये तथा 2,100.60 करोड़ रूपये दर्ज किया गया।

तालिका 1.4– कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) भावों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	**2011–12**	**2015–16**	**2016–17**	**2017–18**	**2018–19**	**2019–20**	**2020–21**	**2021–22 (द्रु:)**	**2022–23 (अग्र:)**
फसल व पशुपालन	59785.53	61034.66 (3.8)	67216.40 (10.1)	71349.75 (6.1)	77731.95 (8.9)	81578.98 (4.9)	80698.22 (-1.1)	81867.05 (1.4)	85973.39 (5.0)
वानिकी तथा लोंगिग	3894.90	3984.38 (2.2)	2871.82 (-27.9)	3372.29 (17.4)	3735.75 (10.8)	4286.89 (14.8)	4444.96 (3.7)	4607.05 (3.6)	4787.75 (3.9)
मत्स्य	858.43	1003.17 (11.4)	1178.37 (17.5)	1567.94 (33.1)	1537.34 (-2.0)	1558.17 (1.4)	1705.95 (9.5)	1725.78 (1.2)	2100.60 (21.7)
कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र	**64538.86**	**66022.21 (3.8)**	**71266.59 (7.9)**	**76289.98 (7.0)**	**83005.04 (8.8)**	**87424.05 (5.3)**	**86849.12 (-0.7)**	**88199.89 (1.6)**	**92861.74 (5.3)**

द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

तालिका 1.5– औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	**2011–12**	**2015–16**	**2016–17**	**2017–18**	**2018–19**	**2019–20**	**2020–21**	**2021–22 (द्रु:)**	**2022–23 (अग्र:)**
खनन व उत्खनन	118.82	695.23 (110.1)	1191.15 (71.3)	1089.03 (-8.6)	772.57 (-29.1)	1314.71 (70.2)	1209.73 (-8.0)	1163.18 (-3.8)	1233.15 (6.0)
विर्निमाण	53286.09	84936.38 (17.4)	97157.52 (14.4)	99031.41 (1.9)	114523.98 (15.6)	109266.45 (-4.6)	110110.58 (0.8)	123069.34 (11.8)	130200.60 (5.8)
बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं	3446.04	2960.61 (-9.4)	3561.64 (20.3)	4439.79 (24.7)	4230.47 (-4.7)	4715.88 (11.5)	4328.94 (-8.2)	4731.53 (9.3)	5147.91 (8.8)
निर्माण	29759.66	29581.79 (-1.9)	31522.08 (6.6)	33630.63 (6.7)	36652.32 (9.0)	37161.46 (1.4)	33744.60 (-9.2)	38016.55 (12.7)	40969.26 (7.8)
उद्योग	**86610.61**	**118174.01 (11.4)**	**133432.38 (12.9)**	**138190.85 (3.6)**	**156179.33 (13.0)**	**152458.50 (-2.4)**	**149393.85 (-2.0)**	**166980.61 (11.8)**	**177550.92 (6.3)**

द्रु: द्रुत अनुमान अग्र: अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.13 राज्य में फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन और उपज के सूचकांक वर्ष 2007–08 से 2021–22 तक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) दर्शाते हैं कि फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2020–21 में 97.48 था जो कि वर्ष 2021–22 में घट्कर 95.18 हो गया। कृषि उत्पादन सूचकांक 2020–21 में 115.43 था जो कि वर्ष 2021–22 में बढकर 123.71 होने का अनुमान है जबकि इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक वर्ष 2020–21 में 118.41 से बढकर वर्ष 2021–22 में 129.97 हो जाएगा। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2020–21 में 139.49 से बढकर वर्ष 2021–22 में 140.15 हो गया जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2020–21 में 23.91 से बढकर वर्ष 2021–22 में 88.50 होने का अनुमान है।

उद्योग क्षेत्र

1.14 विभिन्न वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का उप–क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर को स्थिर (2011–12) मूल्यों पर **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 के अनन्तिम अनुमानों में आंके गए 1,49,393.85 करोड़ रुपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन की तुलना में वर्ष 2021–22 के द्रुत अनुमानों में यह 1,66,980.61 करोड़ रुपये आंका गया जो वर्ष 2020–21 में 2 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 2021–22 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,77,550.92 करोड़ रूपये आंका गया जो पिछले वर्ष से 6.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

1.15 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2011–12 के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक **तालिका 1.6** में दी गई है।

1.16 आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2019–20 में 154.4 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 151.2 हो गया जिसमें –2.1 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2019–20 के 166.4 से घट्कर वर्ष 2020–21 में 158.1 हो गया जो गत वर्ष की तुलना में –4.9 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विद्युत क्षेत्र वर्ष 2019–20 में नकारात्मक वृद्धि –31.9 प्रतिशत दर्शाता है, जो कि वर्ष 2019–20 में 72 से घटकर वर्ष 2020–21 में 69.9 हो गया। जो कि गत वर्ष की तुलना में –2.9 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.6–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12=100)

औद्योगिक समूह	सूचकांक	
	2019–20	2020–21
विनिर्माण	166.4 (15.0)	158.1 (-4.9)
विद्युत	72.0 (-31.9)	69.9 (-2.9)
उपयोग आधारित वर्गीकरण		
क – प्राथमिक वस्तुएं उद्योग	85.4 (-23.6)	57-4 (-32.8)
ख – पूंजीगत वस्तुएं उद्योग	203.6 (25.3)	209.2 (2.8)
ग – मध्यवर्ती वस्तुएं उद्योग	139.5 (9.8)	173.8 (24.6)
घ – आधार संरचना, निर्माण उद्योग	126.7 (-13.2)	110.0 (-13.2)
ड – उपभोक्ता स्थिर वस्तुएं	163.0 (0.7)	151.6 (-7.0)
च – उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं	68.9 (7.3)	53.8 (-21.9)
औद्योगिक उत्पादन सामान्य सूचकांक	**154.4 (8.8)**	**151.2 (-2.1)**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.17 प्राथमिक वस्तु के उद्योगों जैसे आर्गन गैस, नाईट्रोजन लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड, यूरिया, बिटूमन, एल.पी.जी. सिलेण्डर ऑफ आयरन तथा स्टील, विद्युत इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2019–20 में 85.4 से घटकर वर्ष 2020–21 में 57.4 हो गया, जिसमें –32.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

1.18 पूंजीगत वस्तु के उद्योगों जैसे कनवेयर बैल्ट, दन्त चिकित्सा, मोटर, फैन, डायमंड टूल्स, कल्टीवेटर्स, स्पिरिंग पिन, एयर ब्रेक सेट, एक्सल, ट्रैकस, रेलवे/ट्रामवे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2019–20 में 203.6 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 209.2 हो गया, जिसमें 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

1.19 मध्यवर्ती वस्तु के उघोगों जैसे मड/मौलासिस वेस्ट, प्लाईवुड बोर्ड, एल्यूमिनियम इनगोट, कास्ट आयरन, मशीन सिकरू आयरन तथा स्टील, गियर केस एसेंमबली, मेडिकल सर्जीकल लैबोरेट्री स्टरलाईजर इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2019–20 में 139.5 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 173.8 हो

गया, जिसमें 24.6 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई है।

1.20 उपभोक्ता संरचनात्मक वस्तुओं जैसे पेंट, सीमेंट, पोर्टलैंड, केबल, इन्सूलेटिड पी.वी.सी., स्क्रेप कास्ट आयरन, सीमेंट, अन्य उत्पाद केबल, इन्सूलेटिड रबड़, सीरैमिक टाईल्स इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2019–20 में 126.7 से घटकर वर्ष 2020–21 में 110 हो गया, जिसमें –13.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

1.21 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे की कॉटन, कार्डिड या कौम्बड, कॉटन फैबरिक्स, फैबरिक्स, कॉटन कम्बल, गारमेन्टस कपडे, हैंडबैग, कृत्रिम फर, अन्य सपोर्टस फुटवियर, स्केटिंग बूट के अतिरिक्त, किताबें, रेक्सिन, आडियो सी.डी./डी.वी.डी. प्लेयर, रबड़ कपडा/सीट, कैमपिंग, पैन बाडी प्लास्टिक, स्टैपलर, हथकरघा/साजोसमान के फैन्सी आईटम इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2019–20 में 163 से घट़कर वर्ष 2020–21 में 151.6 हो गया, जोकि –7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।

1.22 उपभोक्ता अस्थिर वस्तुएं जैसे सूखी सब्जियां, दूध, बासमती चावल, चीनी, बिस्कुट, ब्लैक चाय, रैक्टीफाईड स्पिरिट, चबाने का तम्बाकू तथा पेय फिल्टर्स इत्यादि का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2019–20 में 68.9 से घटकर वर्ष 2020–21 में 53.8 हो गया, जोकि –21.9 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र

1.23 सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2022–23 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 49.4 प्रतिशत आंका गया है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का उच्च अंश राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह एक विकसित अर्थव्यवस्था को बुनियादी घटकों के नजदीक ले जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि एवं सहबद्ध और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से काफी तेज थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान सेवा क्षेत्र में औसत वार्षिक विकास दर 10.1 प्रतिशत थी जो कि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर (6.3 प्रतिशत) से ज्यादा थी।

1.24 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज करने के बाद, सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी हो गई। इस क्षेत्र ने 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 में क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत, 4.6 प्रतिशत और –9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2021–22 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र का वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2020–21 में 2,16,853.10 करोड़ रूपये के अनंतिम अनुमान के मुकाबले 12.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,43,835.30 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2021–22 की तुलना में 8.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2,64,212.93 करोड़ रूपये अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में दर्ज 8.4 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण से सम्बन्धित सेवाओं (18.1 प्रतिशत), वित्तीय सेवाओं, स्थावर सम्पदा तथा व्यवसायिक सेवाओं (8.8 प्रतिशत) क्षेत्रों में दर्ज वृद्धि के कारण सम्भव हुई है (**तालिका 1.7**)।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप–क्षेत्रों का विकास

व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट

1.25 वर्ष 2021–22 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2020–21 में इसकी 20.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों में इस उप–क्षेत्र की विकास दर 7.5 प्रतिशत होने की संभावना है।

परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धी सेवाएं

1.26 वर्ष 2021–22 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2020–21 में इसमें 17 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र की वृद्धि दर 18.1 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वित्तीय, स्थावर सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं

1.27 वर्ष 2020–21 के इन उप–क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर रही है जबकि वर्ष 2021–22 में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं

1.28 वर्ष 2020–21 के दौरान इस उप–क्षेत्र में दर्ज 5.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस उप–क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

1.29 राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का योगदान समय बीतने के साथ धीरे–धीरे बढ़ा है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान स्थिर (2011–12) कीमतों पर 2011–12 में 3.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था जो अब वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गया है (**आकृति 1.5**)। प्रचलित कीमतों पर, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का हिस्सा वर्ष 2022–23 में 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

तालिका 1.7– सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	**2011–12**	**2015–16**	**2016–17**	**2017–18**	**2018–19**	**2019–20**	**2020–21**	**2021–22 (द्रु:)**	**2022–23 (अग्र:)**
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	33107.42	50324.65 (16.8)	55986.73 (11.3)	62645.36 (11.9)	69277.80 (10.6)	74420.97 (7.4)	59092.67 (-20.6)	71039.28 (20.2)	76359.81 (7.5)
परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं	17276.89	24381.94 (6.3)	24631.92 (1.0)	24707.85 (0.3)	25412.16 (2.9)	25670.08 (1.0)	21306.43 (-17.0)	24286.19 (14.0)	28676.81 (18.1)
वित्तीय, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं	52584.59	81917.61 (10.7)	89570.59 (9.3)	90199.05 (0.7)	99480.81 (10.3)	102035.20 (2.6)	98481.97 (-3.5)	107425.75 (9.1)	116838.48 (8.8)
लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं	19956.26	26587.59 (5.2)	28722.72 (8.0)	32425.19 (12.9)	33571.24 (3.5)	36050.59 (7.4)	37972.04 (5.3)	41084.09 (8.2)	42337.83 (3.1)
कुल सेवाएं	**122925.16**	**183211.78 (10.8)**	**198911.97 (8.6)**	**209977.45 (5.6)**	**227742.02 (8.5)**	**238176.84 (4.6)**	**216853.10 (-9.0)**	**243835.30 (12.4)**	**264212.93 (8.4)**

द्रु: द्रुत अनुमान अग्र: अग्रिम अनुमान। * कोष्ठक में लिखे गए आँकडे पिछले साल से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

स्त्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.5– स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलु उत्पाद में हरियाणा का योगदान

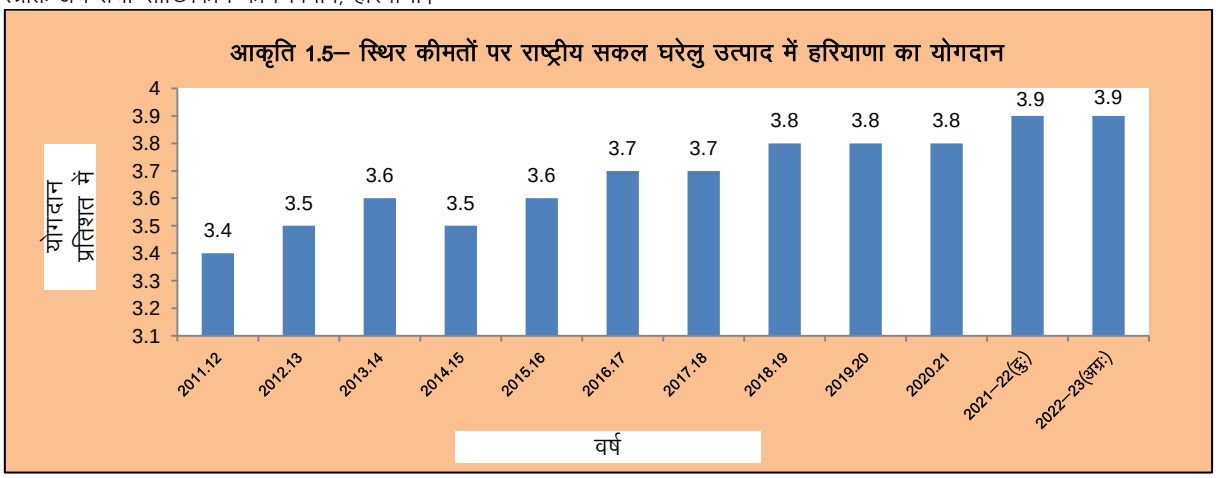

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.30 अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती हैं अर्थात अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादक क्षमता को दर्शाता है। अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान जैसे कि उद्योगों के उपयोग, संस्थानों के प्रकार एवं परिसम्पतियों के प्रकार तैयार करता है। प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2020–21 के दौरान 10,4865 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2019–20 के दौरान 98,953 करोड़ रूपये अनुमानित किये गये जिसमें 6 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गई। इसी तरह स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2020–21 में 50,061 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2019–20 में 47,922 करोड़ रूपये अनुमानित किये गये जिसमें 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्षवार **तालिका 1.8** में दर्शाये गये हैं।

प्राथमिक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.31 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर वर्ष 2019–20 में 16 प्रतिशत तथा वर्ष 2020–21 में 16 प्रतिशत ही रहा है।

तालिका 1.8–हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	सकल स्थाई पूंजी निर्माण	
	चालू भावों पर	स्थिर (2004–05) भावों पर
2012–13	53158	32041
2013–14	59134	33584
2014–15	65357	36158
2015–16	71116	38851
2016–17	78423	41463
2017–18	86061	44442
2018–19	94130	46101
2019–20	98953	47922
2020–21(अ:)	104865	50061

अ: अनन्तिम अनुमान

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

द्वितीयक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.32 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में द्वितीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2019–20 में 51.3 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2020–21 में घटकर 51 प्रतिशत हो गया है।

तृतीयक क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.33 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2019–20 में 32.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 33 प्रतिशत हो गया है।

कीमतों की स्थिति

1.34 राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, साप्ताहिक खुदरा भाव, पाक्षिक ग्रामीण भाव, साप्ताहिक कृषि वस्तुओं के थोक भाव तथा त्रैमासिक मकान किराये के आंकडों से सम्बन्धित नियमित सूचनाएं एकत्रित करता है व 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचंकाक, ग्रामीण खुदरा भाव सूचकांक तथा श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार करता है।

1.35 थोक मूल्य सूचकांकः राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है। यह वर्ष 2020–21 में 1,570.5 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 1,642.9 हो गया जोकि 4.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जबकि यह वृद्वि वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 5.1 एवं 4 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

तालिका 1.9– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक कृषि आधार वर्ष (1980–81=100)
2017–18	1384.9
2018–19	1437.3
2019–20	1510.5
2020–21	1570.5
2021–22	1642.9

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग,हरियाणा।

1.36 माहवार थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक को **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है। थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2021 में 1,645.1 से बढ़कर दिसम्बर, 2022 में 1,723.3 हो गया जो कि 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि अनाजों, कपास व अन्य फसलों के भावों में वृद्धि के कारण हुई।

1.37 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उद्देश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 23 गांवों से पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

तालिका 1.10–हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
दिसम्बर, 2021	1645.1
जनवरी, 2022	1640.2
फरवरी, 2022	1646.0
मार्च, 2022	1650.4
अप्रैल, 2022	1654.2
मई, 20202	1666.1
जून, 2022	1672.2
जुलाई, 2022	1677.3
अगस्त, 2022	1690.2
सितम्बर, 2022	1712.1
अक्तूबर, 2022	1722.4
नवम्बर, 2022	1727.3
दिसम्बर, 2022	1723.3

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग,हरियाणा।

1.38 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): खाद्य वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2020–21 में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 4.9 प्रतिशत रही तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2020–21 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 5.1 प्रतिशत रही। राज्य में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021-22 तक को **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11–हरियाणा में वर्षवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2017–18	787	733
2018–19	829	767
2019–20	889	811
2020–21	918	849
2021–22	963	892

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.39 राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के माहवार गति के अवलोकन के विवरण को दिसम्बर, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक **तालिका 1.12** में प्रस्तुत किया गया है यह सूचकांक दिसम्बर, 2021 में 885 था जो कि दिसम्बर, 2022 में बढ़कर 933 हो गया, जो कि 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.12–हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2021	885
जनवरी, 2022	883
फरवरी, 2022	882
मार्च, 2022	890
अप्रैल, 2022	905
मई, 20202	915
जून, 2022	919
जुलाई, 2022	920
अगस्त, 2022	927
सितम्बर, 2022	935
अक्तूबर, 2022	943
नवम्बर, 2022	946
दिसम्बर, 2022	933

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.40 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों

के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपुर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक सूचकांको के भारित औसत को ध्यान में रखकर आधार वर्ष 1982=100 के आधार पर संकलित किया गया है। जबकि वर्ष 2022 में यह नए आधार वर्ष 2016=100 के साथ छः केन्द्रों नामत, अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के आधार पर संकलित किया गया है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2018 से 2022 तक को **तालिका 1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.13–हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	सूचकांक
2018	1141
2019	1215
2020	1281
2021	1344
2022*	128.4

*आधार वर्ष 2016=100

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

1.41 राज्य में माहवार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति के आंकलन को दिसम्बर, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक को **तालिका 1.14** में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छः केन्द्रों नामत, अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के मासिक सूचकांको के भारित औसत को ध्यान में रखते हुए माह अगस्त, 2021 से नए आधार वर्ष 2016=100 के आधार पर संकलित किया गया है। यह सूचकांक दिसम्बर, 2021 में 124.1 था जो कि दिसम्बर, 2022 में बढ़कर 131 हो गया, जो कि 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1.14–हरियाणा में श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2021	124.1
जनवरी, 2022	123.9
फरवरी, 2022	123.8
मार्च, 2022	124.8
अप्रैल, 2022	126.7
मई, 20202	128.1
जून, 2022	128.6
जुलाई, 2022	128.8
अगस्त, 2022	129.7
सितम्बर, 2022	130.8
अक्तूबर, 2022	132.1
नवम्बर, 2022	132.3
दिसम्बर, 2022	131.0

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान

हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित हैं; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 राज्य के राजकोषीय मापदंड जैसे कि राजकोषीय घाटा और ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) अनुपात जोकि केन्द्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आता है, जो विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य अपने राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.99 प्रतिशत तक रखने में सक्षम रहा, जो केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी कम है। इस प्रकार वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 32.6 प्रतिशत के निर्धारित मानक से नीचे 24.98 प्रतिशत पर बनाये रखा गया है। वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.98 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है जो केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2019–20 से 2022–23 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2022–23 बजट अनुमानों के अनुसार, हरियाणा सरकार के व्यय 1,16,198.63 करोड़ रूपये के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ 1,06,424.70 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2021–22 (स.अ.), में 92,595.78 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 1,05,118.91 करोड़ रूपये था। वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 71,913.01 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 89,946.60 करोड़ रूपये था।

आकृति 2.1– राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

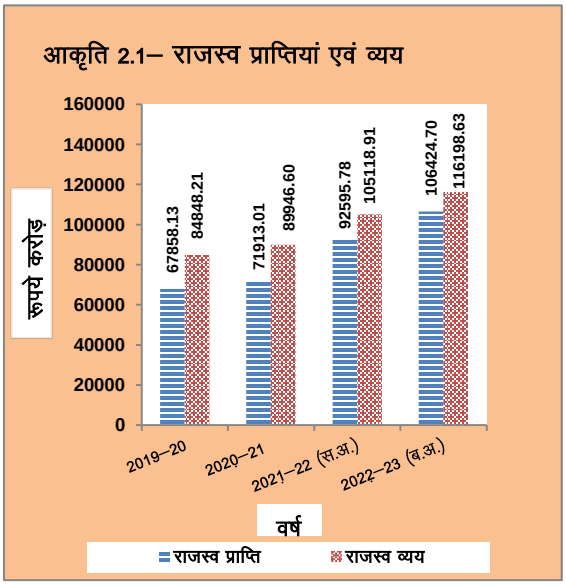

कुल कर

2.4 वर्ष 2019–20 से 2022–23 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है। कुल कर में (i) राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ. टी.आर.) तथा (ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा (एस.सी.टी.) शामिल है। राज्य का ओ.टी. आर. 2019–20 में 42,824.95 करोड़ रूपये से बढ़कर 2022–23 (ब.अ.) में 73,727.50 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य के एस. सी.टी. के 2019–20 में 7,111.53 करोड़ रूपये से बढ़कर 2022–23 (ब.अ.) में 8,925.98 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। कुल कर राजस्व जिसमें ओ.टी.आर. तथा एस.सी.टी. दोनों शामिल है, वर्ष 2019–20 में 49,936.48 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 82,653.48 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

स्वयं कर राजस्व

2.5 स्वयं कर में बिक्री कर से कर राजस्व में योगदान वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 14,099.50 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह 12,140 करोड़ रूपये था। वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में बिक्री कर में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर राजस्व में योगदान 32,825 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 32,359.10 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) से वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 1.44 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में योगदान 12,030 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स. अ.) में 8,710 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) से वर्ष 2022–23 में 38.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2022–23 (ब.अ) में 9,720.00 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में इस मद से 8,100 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.6 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 8,925.98 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 8,682.92 करोड़ रूपये थी जोकि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में 2.80 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

सहायता अनुदान

2.7 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 11,565.86 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है, जबकि इसी मद में वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह राशि 9,694.66 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2021–22 (स. अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 19.30 प्रतिशत की वृद्वि की सम्भावना है।

तालिका 2.1– राज्य की कर स्थिति **(करोड़ रूपये में)**

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर.)	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी (एस.सी.टी.)	कुल कर
2019–20	42824.95	7111.53	49936.48
2020–21	46265.80	6437.59	52703.39
2021–22 (स.अ.)	64991.61	8682.92	73674.53
2022–23 (ब.अ.)	73727.50	8925.98	82653.48

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.8 वर्ष 2019–20 से 2022–23 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2.2** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) उधार तथा अन्य ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 35,779.08 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह 32,626.89 करोड़ रूपये थी जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 9.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2.2–केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्त राशि
2019–20	10521.91
2020–21	12248.13
2021–22 (स.अ.)	9694.66
2022–23 (ब.अ.)	11565.86

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत व्यय

2.9 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 26,005.15 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 20,103.76 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.2)**।

2.10 कुल विकासात्मक व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं, में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 95,793.28 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह 84,016.02 करोड़ रूपये था, जोकि 14.02 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करता है।

2.11 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 46,410.50 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 41,206.65 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 12.63 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.12 राजस्व खाते में वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 12,523.13 करोड़ रूपये घाटे के विरूद्व वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 9,773.93 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा में 1,081.20 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है, जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 1,020.80 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आकृति 2.2– पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

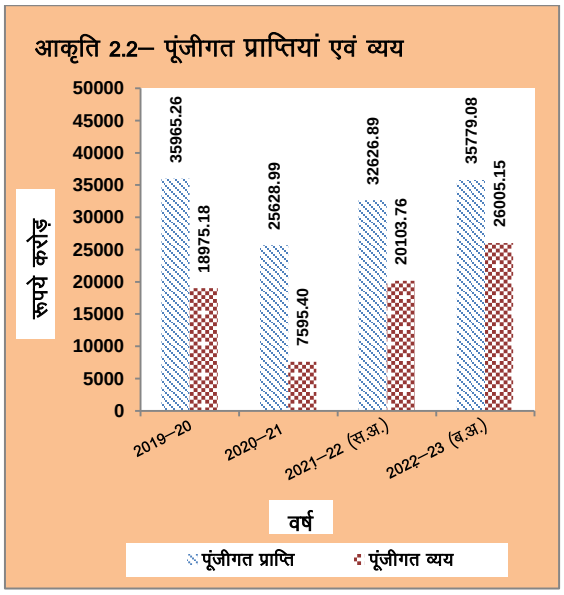

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.13 सरकार के बजट में आम तौर पर व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है, ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे चुनने, पुनः वर्गीकृत करने तथा पुनः श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.14 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2022–23 (ब.अ.) में कुल व्यय 1,35,455.95 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 1,20,384. 20 करोड़ रूपये था जोकि 12.52 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.15 राज्य सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 50,599.28 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 42,705.94 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2022–23 (ब.अ.) में वर्ष 2021–22 (स.अ.) से 18.48 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.16 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 21,252.15 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 13,717 करोड़ रूपये था। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजी हस्तान्तरण, कर्जे एवं अग्रिम तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती है।

संस्थागत वित्त

2.17 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों को अधिक महत्व देने के लिए बैंकिंग संस्थाओं को राजी करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करता है।

2.18 राज्य में सितम्बर, 2022 तक वाणिज्यक बैंकों (सी.बी.एस.) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की शाखाओं की कुल संख्या 4,918 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2022 तक बढकर 6,00,018 करोड़ रूपये हो गई। इस प्रकार राज्य सितम्बर, 2022 में अग्रिम ऋण की राशि भी को बढ़कर 4,31,933 करोड़ रूपये हो गई थी। ऋण–जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये क्रेडिट प्रवाह का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। राज्य में ऋण–जमा अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 66 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2022 में थोड़ा बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया है।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.19 चालू वर्ष 2022–23 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत 74,389 करोड़ रूपये के ऋण देने का लक्ष्य है। गत वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में सितम्बर, 2022 तक के लक्ष्य में 0.52 प्रतिशत की कमी की गई है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना की 2022–23 के अन्तर्गत सितम्बर, 2022 तक कुल उपलब्धि 82,751 करोड़ रूपये

रही जो कि 74,389 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 111 प्रतिशत था (**तालिका–2.3**)।

2.20 बैंकों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण देने का प्रदर्शन संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 45,093 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2022 तक 43,699 करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 97 प्रतिशत है। बैंकों ने इन उद्योगों के लिए 20,700 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 32,973 करोड़ रूपये के ऋण जारी किए गए जोकि लक्ष्य का 159 प्रतिशत है जोकि एक अद्वितीय उपलब्धि है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों ने 8,596 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 6,079 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 71 प्रतिशत है।

वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंकवार उपलब्धि

2.21 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2022–23 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2022 तक 74,761 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 65,170 करोड़ रूपये था, जोकि लक्ष्य का 114 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में इन बैंको द्वारा दिया गया ऋण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

2.22 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक 36,616 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत 32,784 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 5,361 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक 164 प्रतिशत, कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र में 99 प्रतिशत और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 65.5 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.23 सितम्बर, 2022 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 8,421 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 7,851 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 93 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.3– हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2022–23

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	45093.00	43699.00	97
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	20700.00	32973.00	159
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8596.00	6079.00	71
कुल	**74389.00**	**82751.00**	**111**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.4– हरियाणा में वर्ष 2022–23 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	37028.00	36616.00	99
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	19951.00	32784.00	164
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8191.00	5361.00	65.5
कुल	**65170.00**	**74761.00**	**114.72**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.5– हरियाणा में वर्ष 2022–23 में सहकारी बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	7659.00	7015.00	92
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	389.00	132.00	34
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	373.00	704.00	189
कुल	**8421.00**	**7851.00**	**93**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.6– वर्ष 2022–23 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	399.00	69.00	17
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	26.00	10.00	38
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	29.00	2.00	7
कुल	**455.00**	**81.00**	**18**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.7– वर्ष 2022–23 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	0.00	0.00	0
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	318.00	42.00	13
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	0.00	0.00	0
कुल	**318.00**	**42.00**	**13**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) ने सितम्बर, 2022 तक 455 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्व 81 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 18 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार प्रदर्शन **तालिका 2.6** में दी गई है।

लघु उद्योग विकास बैंक

2.25 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2022 तक 318 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्व केवल 42 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 13 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.7** में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.26 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 71 हो गई है। जिन्हें 2008 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मिलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. ने 01–04–2022 से 31–12–2022 तक 6,377.57 लाख रूपये के ऋण वितरित किये है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धियां **तालिका 2.8** में दर्शाई गई हैं।

2.28 बैंक ने 01–03–2019 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर पुनः निर्धारित कर 13 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 13.50 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने मुनाफा 1.75 प्रतिशत वार्षिक रखा जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा 2.45 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

तालिका 2.8–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की क्षेत्रवार उपलब्धियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र व स्कीम	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2022–23	अग्रिम ऋण (01–04–22 से 31–12–22 तक)
1	लघु सिंचाई	6000	1822.45
2	कृषि मशीनीकरण	400	54.75
3	भूमि विकास	2000	929.35
4	डेयरी विकास पशुगृह	1100	487.55
5	बागवानी/कृषिवानिक	1500	434.50
6	ग्रामीण आवास योजना	800	692.65
7	गैर कृषि क्षेत्र	1800	1539.82
8	भूमि खरीदने हेतु	500	140.00
9	ग्रामीण भण्डारण	200	34.00
10	अन्य	700	242.50
	कुल	**15000**	**6377.57**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.।

2.29 वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण अदा करने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 31–12–2009 तक 17,951 किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज माफी के रूप में 5.66 करोड़ रूपये के ब्याज में राहत प्रदान की गई है। इस योजना को 5 प्रतिशत ब्याज राहत के साथ आगे 31–03–2018 तक बढ़ा दिया गया था जिसमें 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में 01–01–2010 से 24–08–2014 तक प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में 25–08–2014 से ब्याज की दर सहमति से ब्याज में दिये जाने वाले फायदे को बढाकर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दिया था। इस योजना के तहत 25–08–2014 से 31–03–2022 तक लगभग 1,18,469 ऋणी किसानों को 95.82 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को 31–03–2023 तक बढा दिया है।

2.30 एक मुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.)–2022: यह एक मुश्त अदायगी योजना–2022 सरकार ने जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए गैर निष्पादित सम्पत्तियों को कम करने और बैंक के कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 03–08–2022 को एक मुश्त निपटान नीति–2022 शुरू की है, जो किन्हीं कारणों से अपने अतिदेय ऋण को चुकाने में सक्ष्म नहीं है। योजना की परिचालन अवधि 30 जून, 2023 तक होगी। इस योजना में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के उन ऋणी सदस्यों को शामिल किया जायेगा जिन्होंने 31 मार्च, 2022 तक किसी भी योजना के तहत ऋण लिया था तथा किन्हीं कारणों से अपने मूलधन और ब्याज की किश्तों का भुगतान नहीं कर सके। इस योजना के अन्तर्गत मृत कर्जारों को कानूनी उत्तराधिकारी/जमानतदार भी शामिल होंगे। यदि चूककर्ता ऋणी सदस्य 31–03–2022 को अपनी बकाया मूल राशि के साथ–साथ सम्पूर्ण अतिदेय ब्याज देयता का 50 प्रतिशत चुका देता है तो वह 50 प्रतिशत सम्पूर्ण अतिदेय ब्याज देयता की छूट प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि चूककर्ता ऋण सदस्य का कानूनी उत्तराधिकारी 31–03–2022 तक अपनी कुल मूल बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो वह सम्पूर्ण अतिदेय ब्याज देयता की शत–प्रतिशत छूट प्राप्त करने का पात्र होगा। इस योजना के अन्तर्गत 206.63 करोड़ रूप्ये की वसूली की जा चुकी है तथा दिनांक 30–08–2022 से 04–02–2023 तक 6,267 चूककर्ता ऋणियों को 93.94 करोड़ रूपये की ब्याज माफी (जो 82.52 करोड़ रूपये ब्याज माफी राज्य सरकार द्वारा वहन की गई तथा जुर्माना ब्याज माफी के 11.42 करोड़ रूपये बैंक द्वारा वहन किये जायेंगे)

2.31 राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं अनुदानः राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने एंव नाबार्ड के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 (01–04–2022 से 31–12–2022) के दौरान राज्य सरकार ने 56 करोड़ रूपये के ऋण और अनुदान सहायता प्रदान की है। वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9–राज्य सरकार द्वारा एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. लि. को वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
2017–18	150	100.00	250.00
2018–19	200	100.00	300.00
2019–20	100	100.00	200.00
2020–21	70	70.00	140.00
2021–22	75	84.25	159.25
2022–23 (01–04–2022 से 31–12–2022 तक)	**28**	**28**	**56.00**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.32 लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तरों पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है तथा जिला मुख्यालयों पर 19 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 584 शाखाएं हैं तथा 751 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जोकि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.80 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। राज्य में बैंक स्वयं या अपने सदस्यों की तरफ से विभिन्न उच्च वित्तपोषण एजैन्सियां जैसे आर.बी.आई./नाबार्ड, राज्य सरकार, एन.सी.डी.सी. इत्यादि से जमा को जुटा कर, फंडस को बढ़ाकर/उधार लेकर अपने सदस्यों को कृषि, विपणन एवं प्रसंस्करण, उपभोग, निर्माण, व्यापार, भवन, परिवहन, वितरण एवं स्टॉकिंग इत्यादि उद्देश्यों के लिये ऋण उपलब्ध अपने जमाकर्ताओं की 57 वर्षों से सेवा में रहा है। नवम्बर, 1966 में एक संभ्रात शुरूआत से हरको बैंक एक मजबूत वित्तीय संस्थान के रूप में क्रेडिट योग्यता के साथ विकसित हुआ है। जनवरी, 2023 तक बैंक की कार्यशील पूंजी 11,162.20 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.10**)। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की फसलवार तुलनात्मक स्थिति **तालिका 2.11** में दी गई है।

रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपोजिट गारंटी स्कीम

2.33 किसानों के हितों के लिए मार्च, 2022 तक 11.70 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा अपने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च, 2022 तक शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारन्टी देता है।

तालिका 2.10–हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1966–67	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	जनवरी, 2023
1	हिस्सा पूंजी	0.53	245.36	275.60	325.60	376.98	377.87
2	निजि कोष	0.82	949.84	1007.93	1144.76	1201.50	1235.49
3	अमानतें	1.16	2682.70	3632.82	3645.45	3824.67	4326.42
4	उधार राशि	0.47	4663.96	4382.39	4006.48	4674.04	5422.55
5	ऋण दिये	5.75	7313.05	9036.57	8384.11	7600.00	4180.31
6	बकाया ऋण	7.47	6748.65	6836.07	6334.95	7148.24	7165.09
7	लाभ/हानि	0.04	31.88	51.50	61.36	67.84	67.84
8	वसूली प्रतिशत	97.49	99.96	99.96	99.95	99.91	–
9	अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	–	0.05	0.09	0.09	0.09	–
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	–	0.05	0.09	0.09	0.09	–
11	कार्यशील पूंजी	8.60	8434.21	9159.86	8918.52	9847.28	11162.20

स्त्रोतः हरको बैंक।

तालिका 2.11– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार अग्रिम ऋण

(क) खरीफ फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2018	5121.00	271.30	5392.30	4978.87	245.00	5223.87
2019	5285.00	300.00	5585.00	4863.35	256.23	5184.58
2020	5619.19	323.11	5942.30	526.58	241.58	5468.16
2021	6189.67	365.42	6555.09	5860.85	239.55	6100.40
2022	6446.96	263.50	6710.46	6579.02	203.13	6782.15

(ख) रबी फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2018–19	5237.47	418.00	5655.47	5172.20	312.76	5484.96
2019–20	6723.86	406.61	7130.47	5326.77	332.51	5659.28
2020–21	6762.21	442.48	7204.69	5544.16	176.96	5721.12
2021–22	6930.20	419.46	7349.66	5663.64	131.83	5795.47
2022–23 (31–12–22)	7185.00	428.00	7613.00	4274.78	188.36	4463.14

स्त्रोतः हरको बैंक।

भारत सरकार की ब्याज राहत योजना

2.34 भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया और जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 01–04–2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में समय पर अदायगी करने वाले लगभग 5.83 लाख किसानों को 230.70 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

ब्याज राहत योजना–2014

2.35 राज्य द्वारा 4 प्रतिशत की दर से 01–09–2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त 3 प्रतिशत की ब्याज राहत भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान 5,25,784 किसानों को 128.90 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज 0 प्रतिशत (7 प्रतिशत–4 प्रतिशत–3 प्रतिशत) है। यह योजना अभी तक क्रियाशील है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.36 जिला सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कार्ड धारकों को मात्र 3.65 रूपये के अंशदान पर 50,000 रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.20 रूपये का अंशदान देना होगा तथा शेष 2.45 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2022–23 के लिए भी लागू रहेगी।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ते योजना

2.37 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पैंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। उक्त बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3.60 लाख पैंशनधारकों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और लाभार्थियों को इन बैंकों के माध्यम से पैंशन वितरित की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में पैक्स के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी पैंशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य में सहकारी बैंकों ने सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) तथा उपभोक्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाए

2.38 हरको बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान लागू कर दिया गया है। कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत बैंक शाखायें अपने ग्राहकों को आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. व एस.एम.एस. एलर्ट और डी.बी.टी. सेवायें प्रदान कर रही हैं। हरको बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रूपे डेबिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड (ए.टी. एम. कार्ड) भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ए.टी.एम. मशीने स्थापित की गई हैं। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सभी सक्रिय ऋणी सदस्यों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए रूपे किसान कार्ड भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहकों को माइक्रो ए.टी.एम. की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य के सभी 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स स्तर पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं। हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं तथा हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पैंशन योजना अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों हेतु एक मुश्त अदायगी योजना–2022

2.39 हरियाणा राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के उन सदस्यों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जो किन्ही कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में डिफाल्टर है, को राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अतिदेय ऋण की अदायगी हेतु एक मुश्त योजना लागू की गई थी। यह योजना 23–08–2022 से 30–11–2022 तक प्रभावी थी। इस योजना के अन्तर्गत अतिदेय राशि 70.25 करोड़ रूपये की वसूली 14,454 सदस्यों से 30 नवम्बर, 2022 तक की गई।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको हेतु एक मुश्त अदायगी योजना–2022

2.40 यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एन.पी.ए. को कम करना तथा ऐसे अतिदेय ऋणी सदस्यों को एक मुश्त अदायगी योजना का अवसर प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिदेय ऋणी सदस्यों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु योजना बनाई गई थी। यह योजना भी 04–04–2022 से 30–11–2022 तक प्रभावी थी। इस योजना के अन्तर्गत 2,176 ऋणी सदस्यों से 30 नवम्बर, 2022 तक 78.69 करोड रूपये की वसूली की गई।

कृषि अवसंरचना कोष (ए.आई.एफ.)

2.41 भारत सरकार ने किसानों और ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना कोष (योजना) बनाई है। यह योजना 2020–21 से 2022–23 तक प्रभावी रहेगी इस योजना के ऋण जारी करने की समय अवधि 6 वर्ष है तथा योजना के पहले चरण में वर्ष 2020–21 में 4,000 करोड़ रूपये के ऋण जारी किये जायेंगे जिसमें 96,000 करोड़ रूपये की शेष राशि को 4 वर्षों में जारी किया जायेगा। वर्ष 2021–22 में 16,000 करोड़ रूपये तथा 20,000 करोड़ रूपये वर्ष 2022–23 से 2025–26 में प्रत्येक वर्ष जारी किये जायेंगे। ऋण अदायगी की समय सीमा अवधि 2 साल के मोरिटेरियम अवधि के साथ–साथ 7 वर्ष तय की गई है।

2.42 हरको बैंक की अग्रिम एवं मुख्य ऋण योजनायें इस प्रकार हैः

1. ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण
2. उपभोक्ता ऋण
3. मध्यावधि ऋण योजना
4. फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण

5. व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण, गृह ऋण योजना इत्यादि
6. उद्यम ऋण योजना
7. छोटी सडक व पानी पहुंचाने वालों के लिए सहायता (एस.आर.डब्ल्यू.टी.ओ.)
8. कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना
9. मार्जिन मनी के लिए सुलभ ऋण सहायता स्कीम
10. अन्य प्रकार की समितियों के लिए ऋण
11. ई–रिक्शा हरको बैंक ग्रीन राईड।

खजाना एवं लेखा

2.43 वर्तमान में राज्य में 24 जिला स्तरीय खजाने तथा 81 उप खजाने कार्य कर रहे हैं जो कि संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियाँ तथा अदायगियों के खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। खजाना एवं लेखा विभाग अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए.एस.) काडर का नोडल विभाग है तथा इसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हैं। विभाग का लेखा प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला समय–2 पर राज्य सरकार के विभागों, बोर्डो एवं निगमों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 9,700 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य की संचयनिधि से निकासी व जमा का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.ए.एस.)

2.44 यह सॉफ्टवेयर प्रणाली दिनांक 01–04–2010 से कार्यान्वित की गई है जो सफलता पूर्वक चल रही है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाईन किए जा रहे हैं। अब सभी डी.डी.ओ/विभाग, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही खर्चो का वहन कर सकते हैं। जिसकी वजह से व्यय को व्यवस्थित किया गया है।

ई–बिलिंग

2.45 ई–बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में कार्यान्वित किया गया है। बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप डी.डी.ओ. एवं खजाना स्तर पर कार्यालयी कार्यों की कुशलता में सुधार हुआ है। इस प्रणाली से अक्टूबर, 2022 तक सभी डी.डी.ओ. द्वारा लगभग 10.53 लाख बिल तैयार किए गये। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अब भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे तौर पर जमा किया जाता है। नकद व्यवहार निषेध किये गये हैं। सभी डी.डी.ओ. को ऑन लाईन ई–टी.डी.एस. रिर्टन चार्टड एकाउटेंट की मदद के बिना ई–बिलिंग प्रणाली के माध्यम से भरने की सुविधा प्रदान की है। प्रधान महालेखाकर (ए.एण्डई.) हरियाणा के अनुमोदन उपरान्त 13–08–2020 से राज्य में वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउॅचर शुरू हो चुके है।

ई–ग्रास

2.46 राजकीय प्राप्ति प्रणाली (ई–ग्रास) सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई–चालान सृजित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार ने नामतः तीन बैंकों स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और आई.डी.बी.आई. बैंक के साथ पैमेंट एग्रीगेटर सेवा (पैमेंट गेटवे) लागू की है और प्रत्येक एग्रीगेटर के साथ लगभग 56 बैंको को संबद्ध किया गया है। राज्य सरकार ने ई–पेमेंट और ई–रिसिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई–कुबेर को इस्तेमाल करने

का भी निर्णय लिया है। इन दो प्रणालियों का एकीकरण प्रक्रियाधीन है।

ऑनलाईन खजाना सूचना प्रणाली (ओटिस)

2.47 सभी खजानों और उप–खजानों में 01–07–2013 से वैब ओटिस लागू किया गया और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी तीनों हितधारकों नामतः खजानों/उप–खजानों, खजाना बैंक शाखाओं तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय का इस प्रणाली के साथ एकीकरण किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से खजानों के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दो बार प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

ई–पोस्ट

2.48 विभिन्न विभागों द्वारा मांगे जाने वाले नये पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में ई–पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया। सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है। सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के पदों की संख्या को ई–पोस्ट में डाल दिया गया है।

ई–पैंशन

2.49 ई–पैंशन प्रणाली को 1–10–2012 से लागू किया गया है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। सभी पैंशन धारक जिनके पी. पी.ओ. 01–10–2012 के बाद प्राप्त हुए हैं, अपने सम्बंधित बैंक खातों में हर महीने की पहली तारीख को पैंशन वितरण शैल (पी.डी.सी.) द्वारा ई–पैंशन प्रणाली के प्रयोग से एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 1.40 लाख पैंशनर, पैंशन वितरण शैल/खजानों/उप–खजानों से अपनी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) के प्रस्तुत करने के बाद अब पैंशनधारक वर्ष में एक बार नवम्बर माह में किसी भी खजाना/उप–खजाना में जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकृत करवा सकते हैं।

ई–स्टैंपिंग

2.50 हरियाणा में ई–स्टैंपिंग प्रणाली को दिनांक 01–03–2017 से लागू किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रूपये से अधिक कीमत का (गैर–न्यायिक) स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 5,37,611 लाख रूपये के कुल 28,31,249 स्टाम्प पेपर जारी किये गये।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.)

2.51 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण इत्यादि के बारे मे सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। यह प्रणाली जून, 2016 से लागू की गई है। इस प्रणाली को ई–सैलरी से जोड़ दिया गया है। अवकाश का अपडेशन तथा ए.सी.पी. के मामले भी एच.आर.एम.एस. के माध्यम से किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानातंरण के मामलों को भी इस प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। अब सरकार द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली को राज्य के बोर्डों/निगमों आदि में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.)

2.52 भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बजट और व्यय के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना तथा निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। राज्य सरकार ने भी राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सरकार ने राज्य खजानों/उप–खजानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से एकीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार के साथ व्यय की भागीदारी की जा रही है व सभी हितधारकों के लिए लोक

वित्त प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2021–22 से राज्य द्वारा सिंगल नोडल एजैंसी/खाता (एस.एन.ए.) मॉडल शुरू किया जा चुका है।

आबकारी व कराधान

2.53 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम राज्य में 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में हरियाणा राज्य देशभर में अग्रणी है। वस्तु एवं सेवा कर के राष्ट्रीय समग्र संग्रहण में हरियाणा का योगदान लगभग 6 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य का कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 35,389.63 करोड़ रूपये (मुआवजा उपकर सहित) किया है और वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक वस्तु एवं सेवा कर के कुल संग्रहण में 17.42 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर हासिल की है। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022–23 (31 जनवरी, 2023 तक) में कुल 27,876 करोड़ रूपये का वस्तु एवं सेवा कर एकीकृत किया जोकि वित्तीय वर्ष 2021–22 की इसी अवधि के दौरान एकत्रित 9,592.91 करोड़ रूपये वस्तु एवं सेवा कर की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य का वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण का वर्षवार विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12– राज्य में वस्तु एवं सेवा कर की वर्षवार संग्रहण स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	एस.जी.एस.टी. का नकद संग्रह	प्रोविजनल आई.जी.एस.टी. सैटेलमेंट	ऍडाक आई.जी.एस.टी.	शुद्व एस.जी.एस.टी. संग्रहण	एस.जी.एस.टी. मुआवजा उपकर	मुआवजा उपकर ऋण के रूप में	जी.एस.टी. के तहत राज्य का कुल संग्रहण
2017–18	8537.13	1641.63	667.00	10845.76	1199.00	0.00	12044.76
2018–19	12689.55	3876.65	2476.10	19042.30	2820.00	0.00	21862.30
2019–20	13921.97	4933.34	627.93	19483.24	5453.43	0.00	24936.67
2020–21	11959.24	6117.18	3013.15	21089.57	5065.82	4352.01	30507.40
2021–22	15115.60	8470.54	1501.02	25087.16	2908.68	7393.79	35389.63
2022–23 (31–01–2023 तक)	14981.39	10016.39	931.00	25928.78	1947.22	0.00	27876.00

स्त्रोतः आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा।

मॉडल–II प्रणाली में परिवर्तन

2.54 राज्य ने हाल ही में 1 जुलाई, 2021 को वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए मॉडल–I मोड से मॉडल–II मोड को लागू कर दिया है। नई प्रणाली में परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी अधिकारी अब जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित बी.ओ.–वैब पोर्टल पर काम कर रहे है। वस्तु एवं सेवा कर के इस मॉडल–II मोड के माध्यम से अब अधिकारियों को कई नई कार्यात्मकता उपलब्ध करवाई गई है और आवेदनों की प्राप्ति और प्रसंस्करण के मध्य लगने वाले समय अन्तराल को भी समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जी.एस.टी.एन. से डेटा सीधे इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली प्रभावी निगरानी के लिए डी.ई.टी.सी., जे.ई.टी. सी.एस. इत्यादि के पास उपलब्ध एम.आई.एस. रिपोर्ट के साथ अधिक पारदर्शी है। उपरोक्त के अतिरिक्त करदाता एवं अधिकारियों की क्यूरिज के लिए जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रबन्धित एक राष्ट्रीय काल सेंन्टर की भी उपलब्धता है।

जी.एस.टी. इंटेलिजेंस, ऑडिट और स्कूटिनी मैनुअल

2.55 बिना बिल के माल/सेवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने 23–03–2021 को हरियाणा राज्य जी.एस.टी. इंटेलिजेंस यूनिट (एच.एस.जी.एस.टी.–आई.यू.) की स्थापना की। एच.एस.जी.एस.टी.–आई.यू. ने कुल 741 मामले सौंपे हैं और 31–12–2022 तक नकद और आई.टी.सी. सहित 357.94 करोड़ रूपये की राशि बसूल की गई है। हाल ही में विभाग ने करदाताओं के आडिट के लिए राज्य में जी.एस.टी. आडिट शुरू किया है। विभाग ने 10–05–2022 को हरियाणा जी.एस.टी. स्कूटिनी मैनुअल लागू किया है,

जिसमें जी.एस.टी. रिटर्न की जांच के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रकिया शामिल है। यह मैनुअल जी.एस.टी. रिटर्न की जांच के लिए किसी भी राज्य द्वारा जारी किये गये सबसे व्यापक स्कूटिनी मैनुअल में से एक है।

हरियाणा जी.एस.टी. कोष

2.56 विभाग ने 08–02–2022 को करदाताओं, कर पेशेवरों एवं केन्द्र व राज्य के कर अधिकारियों से व्यापक प्रतिकिया प्राप्त करने के बाद हरियाणा जी.एस.टी. कोष लागू किया है जो जी.एस.टी. अधिनियम और नियमों का एक ई–भण्डार है। यह एकमात्र पोर्टल है जो अधिनियम के विभिन्न वर्गों को नियमों और प्रपत्रों की मैपिंग प्रदान करता है।

टी.आई.ओ.एल. अवार्ड

2.57 हरियाणा को टी.आई.ओ.एल. नालेज फाउडेशन द्वारा सुधारवादी राज्य श्रेणी के तहत वर्ष 2022 के लिए स्वर्ण श्रेणी पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए रजत श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आबकारी राजस्व

2.58 आबकारी राजस्व का संग्रहणः (1) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, (2) औषधीय एवं शौचालय की तैयारी (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 (31–03–2017 तक), (3) द नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सबसटैंस अधिनियम, 1985 (31–03–2017 तक), (4) पंजाब शराब आयात परिवहन और कब्जे आदेश 1932 (01–04–2017 से), (5) पंजाब शराब, परमिट एवं पास अधिनियम, 1932 (01–04–2017 से) के तहत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में आबकारी राजस्व का कुल लक्ष्य 9,200 करोड़ था जिसमें से 8,501 करोड़ रूपये की वसूली हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आबकारी राजस्व संग्रहण का संशोधित कुल लक्ष्य 9,700 करोड़ रूपये है जिसमें से 31–01–2023 तक 8,170 करोड़ रूपये वसूल किये गये हैं जो कुल संग्रहण का 85 प्रतिशत है।

2.59 विभाग ने सभी डिस्टलरीज/ बोटलिंग प्लांट और ब्रेवरीज में सी.सी.टी.वी. लगाने की बडी पहल की है जो आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय से सीधे जुडे सभी डिस्टलरीज की रीयल टाईम फूटेज 24X7 सकिय रहेंगी और डिस्टलरीज में फलो मीटर लगाने की प्रकिया चल रही है जो निर्मित एल्कोहल की वास्तविक मात्रा को मापेगा जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जायेगा। राज्य के लिए लाइसैंस शुल्क में 329 करोड़ (2,163 करोड़ से 2,492 करोड़) की वृद्वि हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में लाईसैंस शुल्क में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है।

बिक्री कर

2.60 सरकार ने दिनांक 04–11–2021 से डीजल और पैट्रोल पर वैट की दर क्रमशः 16.40 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से 18.20 प्रतिशत कर दी है। सरकार ने क्षेत्रीय संयोजन योजना को बढावा देने के लिए 23–11–2021 को एवियेशन ट्रबाईन फ्यूल पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी है।

कम्प्यूट्रीकरण

2.61 भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गर्वनैंस योजना के तहत विभाग का चयन वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना के माध्यम से विभागीय गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूट्रीकरण के लिए किया गया था। परियोजना का उद्धेश्य शासन के लिए एक नागरिक केन्द्रित पारदर्शी वातावरण बनाना है। मैसर्ज अर्न्स्ट एवं यंग एल.एल.पी. को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मैसर्ज विप्रो लि. को स्सिटम इन्टीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से विभाग की सभी प्रमुख गतिविधियों को कम्प्यूट्रीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से आबकारी दुकानों की आन–लाईन टेंडरिंग शुरू कर दी गई है। राज्य में शराब की दुकानों का आबंटन आन–लाईन ई–टेडरिंग के माध्यम से किया जाता है। आबकारी के लिए सभी परमिट और पास आन–लाईन जारी किये जाते है। राज्य में कठिनाई रहित व्यापार के लिए पंजीकरण, करों का भुगतान, रिटर्न फाईलिंग और रिफंड को आन–लाईन कर दिया गया है।

वित्तीय समावेश स्कीमें

2.62 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वर्तमान जटिल भुगतान प्रकिया को सुलभ करने हेतू आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 2013 से भारत सरकार का उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। डी.बी.टी. दिए जाने वाले लाभों को सही लोगों तक उचित समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करने का एक अच्छा प्रयास है। डी.बी.टी. में दिए जाने वाले सरकारी लाभ जैसे कोई भुगतान, ईंधन अनुदान, खाद्यान अनुदान इत्यादि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने, त्वरित भुगतान करने, लाभों का रिसाव रोकने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ाने का एक सहरानीय कदम है। डी.बी.टी. की सीधे और समयबद्ध हस्तांतरण प्रणाली सरकार को आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत बैंक खातों में लाभ पहुँचाने के लिए सक्षम करती है। आधार नम्बर या बायोमैट्रीक इनपुट अपने आप में अनूठा है जो सरकार के डाटा बेस में डुप्लीकेट/फर्जी लाभार्थियों को रोकता है। राज्य डी.बी.टी. पोर्टल सितम्बर, 2017 से कार्यरत है। राज्य के विभागों द्वारा राज्य और केन्द्र प्रायोजित (हिस्सा आधारित) योजनाओं के लाभार्थियों एवं उनसे सम्बन्धित लेनदेन के डाटा को डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। 30–11–2022 तक, 142 राज्य/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड की गई हैं इन 142 योजनाओं में से 84 राज्य योजनाएं और 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। अप्रैल, 2022 से नवम्बर, 2022 तक 3,50,20,468 लेन देन के माध्यम से कुल 1,39,76,423 लाभार्थी लाभान्वित हुए और कुल 8437.91 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये हैं।

स्टैंड अप इंडिया

2.63 यह योजना अप्रैल, 2016 से शुरू की गई है। इस योजना का उद्धेश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिये ऋण लेने और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए समय–समय पर मिलने वाली अन्य आवश्यक सहायता को प्राप्त करने में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर आधारित है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक ऋण 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी को दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत 01–04–2022 से 30–09–2022 तक राज्य में 300 उद्यमियों (123 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और 177 महिलाओं) के लिए 61.83 करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किये गये।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

2.64 इस योजना को 28 अगस्त, 2014 को शुरू किया गया था। राज्य में सितम्बर, 2022 तक 88.83 लाख बैंक खाते खोले गए और 71.71 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं जो खोले गए कुल खातों का 81 प्रतिशत है (**तालिका 2.14**)।

तालिका 2.14–पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत खोले गए खाते, आधार सिडींग और जारी किए गए रूपे कार्ड

विवरण	30–09–2022 तक
खोले गए बैंक खाते	8882958
आधार सिडींग	7904160
जारी किए गए रूपे कार्ड	7171493

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2.65 सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुर्नवित एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के छोटे सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के कारोबार में लगे हुए वित्तीय मध्यस्थों जैसे बैंक, एन.बी.एफ.सी. और एम.एफ.आई. इत्यादि को विकसित और पुर्नवित प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को एक नई वित्तीय इकाई के रूप मे शुरू की गई है। उसी दिन जिन उद्यमों के पास कोषों की कमी है उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने और सस्ती दर पर ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना "फंड दा अनफन्डीड" लागू की गई। यह महसूस किया गया कि बहुत सी ऐसी इकाईयाँ जो वर्तमान में औपचारिक ऋण से

बाहर हैं उनको मिशन मोड पर बैंक वित्त के लिए एक विशेष बढ़ावा देने की जरूरत है। यह खण्ड मुख्य रूप से उन विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए गैर कृषि उद्योगों के लिए है जिनकी ऋण आवश्यकताएँ 10 लाख रूपये से कम है। मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरूण में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा योजना प्रभाव होगा कि ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत राशि शिशु वर्ग इकाईयों में तथा बाकी राशि किशोर व तरूण वर्ग की इकाईयों को जाएगी। राज्य में मुद्रा ऋण की प्रगति **तालिका 2.15** में दर्शाई गई है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2.66 यह स्कीम एक साल के लिए है जिसे साल दर साल नवीनीकरण करवाना होता है। दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता के लिए 2 लाख रूपये बीमा की पेशकश करती है। यह स्कीम 9 मई, 2015 को शुरू हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों व अन्य सामान्य कम्पनियों के माध्यम से प्रस्तावित/प्रशासित की जा रही है। 18 से 70 वर्ष आयु समूह के सभी बचत बैंक खाताधारक अपने आप को साल दर साल नवीनीकरण आधारित 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम की बजाय 20 रूपये वार्षिक प्रीमियम से इस स्कीम में सम्मिलित कर सकते हैं। 31–03–2022 तक बैंकों द्वारा 52,00,822 व्यक्तियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है और 30–09–2022 तक यह संख्या बढ़कर 56,88,719 हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 30–09–2022 तक 10,067 लाख रूपये के कुल 5,044 दर्ज दावों में से 8,015 लाख रूपये के 4,017 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

2.67 यह स्कीम 1 जून, 2015 से लागू हुई है। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनियां जो समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ टाईअप कर लिया है के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम की बजाय 436 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर अपने आप को इस योजना के लाभ उठाने के लिए नामांकन करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत, इसके प्रत्येक सदस्य को किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर यह 2 लाख रूपये भुगतान किए जाएंगें। 31–03–2022 तक बैंकों ने 19,38,870 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत दर्ज किया है और 30–09–2022 तक यह संख्या बढ़कर 21,82,860 हो गई है।

अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.)

2.68 गरीब मजदूरों की बुढ़ापा आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृति तक बचत करने में सक्षम बनाने व इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को स्वैच्छा से दीर्घावधि जोखिम को कम करने व सेवानिवृति पर स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2015 से अटल पैंशन योजना लागू की गई है। सभी बैंक खाता धारक जो भारत के नागरिक हैं और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वे अटल पैंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अटल पैंशन योजना के तहत 1,000 रूपये से 5,000 रूपये तक मासिक पैंशन की गारंटी ग्राहकों को उनके भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है। यदि ग्राहक 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये के बीच में मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिमास 42 रूपये से 210 रूपये तक मासिक प्रीमियम अदा करना होगा। इसी प्रकार 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम 291 रूपये से 1,454 रूपये के बीच रहेगा। 31–3–2022 तक बैंकों ने 8,13,417 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत शामिल किया है जो 30–09–2022 तक बढ़कर 9,33,331 हो गई है।

तालिका 2.15– पी.एम.एम.वाई. के तहत खातों की संख्या व जारी की गई राशि

योजना	ऋण सीमा रूपये में	01–04–2022 से 30–09–2022 तक	
		खातों की कुलसंख्या	जारी की गई राशि (लाख रूपयें)
शिशु	50000 तक	125863	36483.53
किशोर	50001–500000	53188	84774.02
तरूण	500001–1000000	11500	76571.54
कुल		**190551**	**197830.00**

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एस.जे.एच.आई.एफ.एम.)

2.69 हरियाणा राज्य स्तर पर ऑउटपुट– ऑउटकम फ्रेमवर्क को अपनाने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान अपनी स्थापना के प्रथम चरण से ही खुले और पारदर्शी ऑउटपुट–ऑउटकम फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है जिससे केवल कल्याणकारी व्यय के लिए लेखाकंन की बजाये नागरिक कल्याण सुनिश्चित किया जाएं।

2.70 स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान राज्य की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मुख्य धारा में लाने और 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर परिव्यय के साथ–साथ संरचित सैमिनारों/ कार्यशालाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमताओं को उन्नत करने में सभी विभागों और हितधारकों की मदद कर रहा है। यह बजट आंबटन रिपोर्ट, राज्य संकेतक ढांचें की तैयारी, जिला संकेतक ढांचे, एस.डी.जी. जिला सूचकांक जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

2.71 राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीवनतम संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) द्वारा प्रदान किये गये आय के सत्यापित डाटा का उपयोग लाभों के वितरण के लिए किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी 6,000 की बीमा राशि से केंद्र सरकार की 5 योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे, जिसका उपयोग उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा स्कीम में नांमाकित होने के उपरान्त विभिन्न योजनाओं के प्रीमीयम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उक्त एस.ओ.पी. के अनुसार राज्य सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, के 2,82,439 लाभार्थियों को 3.53 करोड़ रूपये तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के 26,079 लाभार्थियों को 2.56 करोड़ रूपये के प्रीमीयम का भुगतान किया है।

आंकाक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम

2.72 इस कार्यक्रम की घोषणा नीति आयोग द्वारा जनवरी, 2018 में की गई थी जिसका उद्देश्य मुलभूत सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के 115 पिछड़े जिलों (भारत की कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत) को तेजी से बदलना और उनका उत्थान करना है। हरियाणा राज्य का नूँह (मेवात) जिला इन आंकाक्षी जिलों में से एक है।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं बुनियादी ढ़ाँचे से संबंधित 6 प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। मार्च, 2018 में जारी बेसलाईन रैंकिंग के अनुसार भारत के इन आंकाक्षी जिलों में हरियाणा नूँह (मेवात) जिला सबसे निचले स्थान पर था। नूँह (मेवात) जिले में जनवरी, 2019 में समग्र रैंक तीसरा और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में पहला रैंक हासिल किया। दिसम्बर, 2021 में नूँह ने समग्र चौथा रैंक और बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में पहला रैंक हासिल किया। हाल ही में दिसम्बर, 2022 में जिला नूंह (मेवात) ने लाईफ टाईम उच्चतम प्रथम ओवरऑल रैंक की है तथा स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

2.73 नूँह (मेवात) जिले में मार्च, 2018 से समग्र रूप में 27 प्रतिशत और स्वास्थ्य और पोषण में 19 प्रतिशत, कृषि एवं जल संसाधन में 15 प्रतिशत, शिक्षा में 45 प्रतिशत वित्तीय समावेशन में 34 प्रतिशत, कौशल विकास एवं मूलभूत बुनियादी ढ़ाँचें में 19 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

2.74 नीति आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएंः

- नीति आयोग ने मेवात जिले को 2019 में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में प्रथत रैंक और जनवरी, 2020 में मुलभूत बुनियादे ढ़ाँचें में अच्छा रैंक हासिल करने उपरांत 4.51 करोड़ रूपये की राशि जून, 2021 में स्वस्थ मेवात के तहत आँगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाने और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए तथा 1.49 करोड़ रूपये खुशहाल मेवात के तहत उपकेन्द्रों में बिजली और चिकित्सा के बुनियादी ढ़ाँचें को मजबूत करने हेतु स्वीकृत किये गये।
- जिला नूँह (मेवात) को नीति आयोग ने जून, 2021 में कौशल विकास के तहत भारतीय सेना में भर्ती हाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 25.90 लाख रूपये और फरवरी, 2021 में शिक्षा क्षेत्र में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए शिक्षा के तहत स्मार्ट कक्षाओं के लिए 2.74 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
- जिला नूँह (मेवात) ने दिसम्बर, 2021 फरवरी, 2022 तथा मार्च, 2022 में चौथी, नौंवीं और तीसरी रैंक हासिल करने के लिए भारत सरकार से क्रमशः 2 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आंबटन प्राप्त करने का पात्र हो गया था।

***

विभागों / बोर्डों / निगमों की उपलब्धियां

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

मजबूत बुनियादी सुविधाओं कृषि अनुसंधान तथा बेहतरीन कृषि के तरीकों सम्बन्धी जानकारियों का किसानों में उत्कृष्ट प्रसारण होने से कृषि पैदावार में ठोस परिणाम मिले तथा जिससे राज्य एक खाद्य अधिशेष राज्य बन गया है। राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में एक लैंड लॉक राज्य है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसम्बर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 3.1 व 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1– जनवरी से जून, 2022 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला–वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	148.9	41.1	25.6	42.7	0.0	25.0	0.0	11.1	31.6	17.8	42.9	75.5
भिवानी	34.7	11.4	2.3	9.6	0.0	6.4	0.0	2.9	18.2	6.6	34.0	28.5
चरखी दादरी	51.3	16.5	9.0	10.7	0.0	12.3	0.0	1.1	33.7	10.2	40.3	35.0
फरीदाबाद	73.9	20.5	15.8	17.1	0.0	12.9	0.0	10.1	62.0	8.7	37.6	52.8
फतेहाबाद	35.0	13.0	12.0	12.4	0.0	11.5	0.3	6.1	33.1	8.2	62.7	30.4
गुरूग्राम	97.0	14.2	14.1	13.2	0.0	8.1	0.0	4.7	70.8	7.7	44.1	36.4
हिसार	50.2	15.6	5.5	13.7	0.0	11.8	2.4	7.1	30.2	11.5	62.9	35.1
झज्जर	78.5	10.9	9.1	10.3	0.0	6.1	0.0	3.5	27.2	6.8	38.4	28.3
जींद	71.9	14.9	21.9	13.8	0.0	8.2	0.7	4.2	36.3	11.0	112.4	31.3
कैथल	75.9	20.6	24.1	17.6	0.0	13.3	0.6	8.6	39.9	10.2	41.4	34.6
करनाल	77.6	33.9	26.8	24.8	0.0	18.1	0.0	9.3	30.4	10.2	29.8	51.1
कुरूक्षेत्र	112.3	30.2	47.2	28.7	0.0	17.7	0.0	10.0	71.3	9.5	67.0	55.0
महेन्द्रगढ़	55.6	9.0	4.7	10.1	0.0	7.0	0.3	5.3	10.8	18.7	34.6	37.0
(नूंह) मेवात	89.2	13.3	8.6	12.4	0.0	9.8	0.0	4.8	24.4	9.9	48.4	40.0
पलवल	58.6	12.5	14.8	11.2	0.0	8.9	0.0	4.5	18.6	8.0	45.0	38.6
पंचकूला	166.2	51.2	39.2	38.2	0.0	30.3	0.6	3.2	38.2	25.3	92.8	62.7
पानीपत	89.8	23.5	20.0	19.3	0.0	13.5	0.0	8.7	34.4	10.7	27.3	47.7
रेवाड़ी	73.0	9.5	10.9	11.1	0.0	6.9	1.6	2.9	23.2	8.0	79.8	31.2
रोहतक	51.8	16.6	7.6	14.8	0.0	11.4	0.0	6.8	26.5	10.1	41.7	38.5
सिरसा	47.6	11.4	4.9	10.6	0.0	9.4	0.0	4.4	8.1	7.7	44.1	29.5
सोनीपत	98.7	21.3	17.3	15.9	0.0	12.4	0.0	5.3	38.7	10.7	26.7	42.7
यमुनानगर	168.6	42.4	44.9	36.6	0.0	19.9	0.4	8.6	45.5	18.6	44.3	80.3

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्त्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.2–जुलाई से दिसम्बर, 2022 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला–वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	197.9	259.7	29.0	238.5	220.1	156.0	30.6	25.5	0.0	6.0	0.0	16.5
भिवानी	42.0	111.3	55.8	104.6	53.0	63.9	10.0	9.6	0.0	2.8	0.0	3.5
चरखी दादरी	216.7	168.1	86.3	191.8	90.3	94.5	37.3	35.6	0.0	1.6	0.0	3.3
फरीदाबाद	50.1	192.7	88.4	167.3	239.9	123.6	121.5	23.7	0.0	2.4	0.0	6.6
फतेहाबाद	238.7	101.4	67.0	94.9	229.1	62.3	15.3	10.2	0.0	1.4	0.0	6.3
गुरूग्राम	179.4	167.6	73.9	158.0	263.3	103.6	91.2	18.1	0.0	2.2	0.0	4.8
हिसार	239.9	114.2	68.8	115.6	122.3	71.8	2.1	13.2	3.0	3.1	0.0	6.1
झज्जर	321.6	117.2	63.0	119.0	195.2	71.4	38.8	11.9	0.0	2.4	0.0	3.4
जींद	274.7	149.2	50.1	169.8	72.8	97.6	6.0	13.1	0.0	3.8	0.0	6.0
कैथल	55.6	130.5	59.7	127.4	96.7	91.6	5.0	12.8	0.0	2.0	0.0	6.5
करनाल	262.8	204.3	79.1	235.7	163.1	131.2	8.9	28.9	0.0	4.4	0.0	9.9
कुरूक्षेत्र	56.8	186.1	31.3	165.4	194.2	122.2	21.8	17.8	0.0	3.7	0.0	10.9
महेन्द्रगढ़	88.8	149.7	68.3	186.9	135.5	85.8	53.2	28.1	0.0	1.2	0.0	5.3
(नूंह) मेवात	182.2	164.0	78.8	176.0	209.6	104.8	129.6	19.0	0.0	2.7	0.0	5.4
पलवल	12.6	163.7	95.0	153.3	124.8	108.1	155.4	18.4	0.0	1.8	0.0	4.8
पंचकूला	344.0	296.8	166.2	350.1	162.4	167.6	50.2	29.9	0.0	12.5	0.0	8.3
पानीपत	107.4	176.9	100.8	180.4	162.0	112.9	19.6	18.3	0.0	3.4	0.0	8.3
रेवाड़ी	29.0	128.6	48.4	146.3	149.4	84.0	55.9	13.0	0.6	2.8	0.0	3.5
रोहतक	272.9	145.9	38.7	137.0	96.9	97.9	12.9	12.7	0.0	2.2	0.0	6.1
सिरसा	135.4	88.7	62.4	80.7	21.4	59.6	0.0	8.4	0.0	2.1	0.0	6.4
सोनीपत	221.8	160.0	104.2	160.7	147.5	100.1	25.7	16.4	0.0	2.8	0.0	7.3
यमुनानगर	277.1	258.4	93.1	255.2	214.6	157.7	37.3	27.1	0.0	5.3	0.0	12.4

वाः वास्तविक, साः सामान्य, स्त्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.3 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

("000" हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966–67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970–71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980–81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990–91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000–01	2355	1054	4340	143	555	420	6115
2005–06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2010–11	2504	1243	4702	85	493	521	6499
2015–16	2576	1353	4451	93	615	526	6502
2019–20	2534	1559	4708	96	723	660	6617
2020–21	2564	1528	4796	99	740	672	6618*
2021–22	2305	1530	4474	108	636	911	6620*

*: अनन्तिम स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र **तालिका 3.3 व आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र 66.20 लाख हैक्टेयर है। वर्ष 2021–22 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 57.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2021–22 में गेहूं के अधीन क्षेत्र 23.05 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2021–22 के दौरान चावल के अधीन 15.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार–चढ़ाव रहा है।

आकृति 3.1– हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

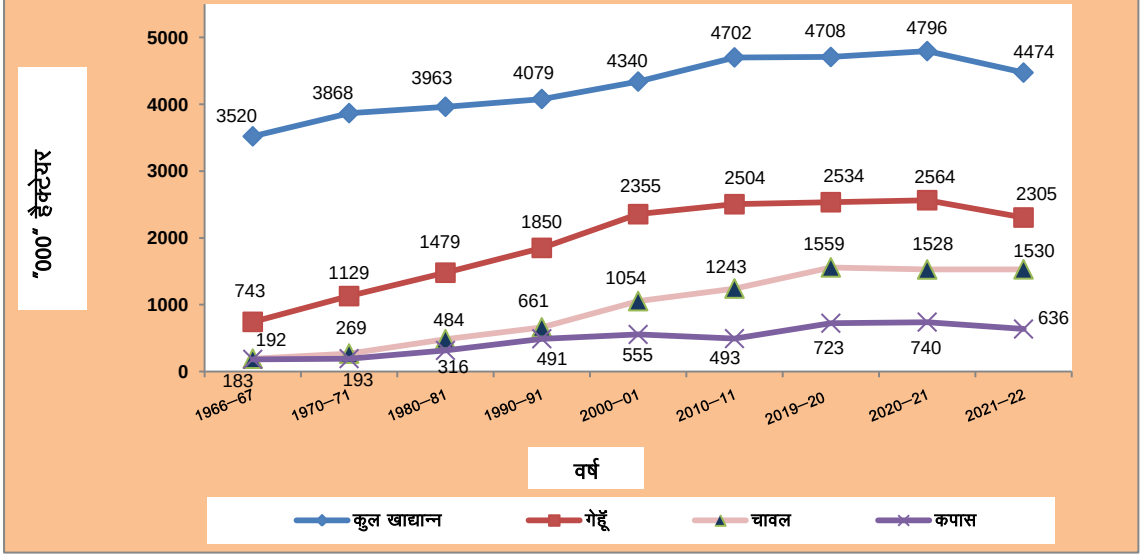

आकृति 3.2– हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

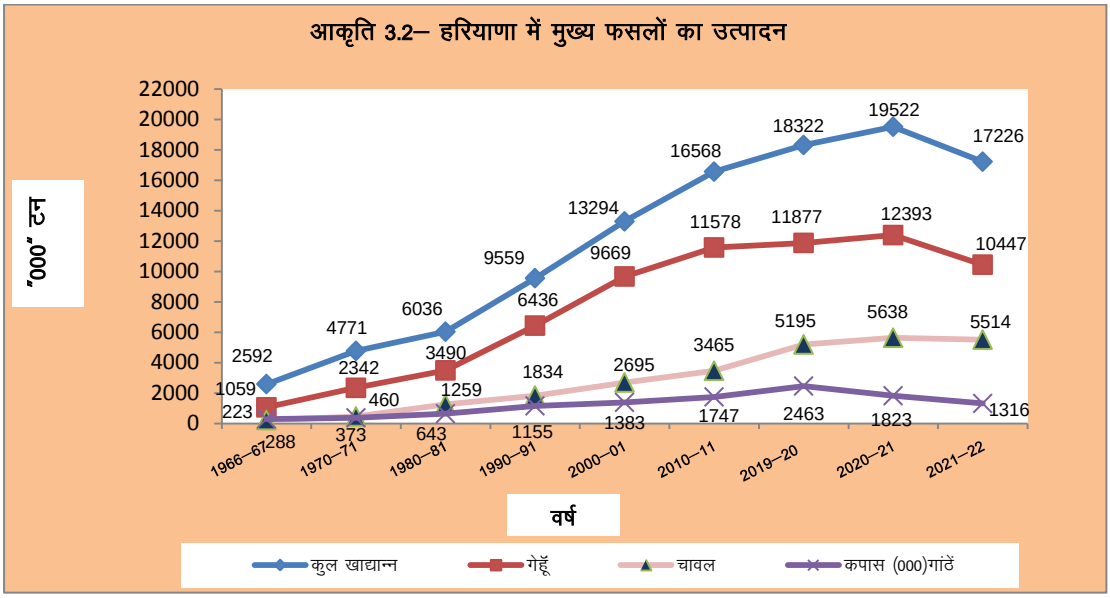

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन **तालिका 3.4 व आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 172.26 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि छह गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 55.14 लाख टन था। इसी प्रकार वर्ष 2021–22 में गेहूं का उत्पादन 104.47 लाख टन था। वर्ष 2021–22 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 17.20 लाख टन तथा 88.23 लाख टन था। वर्ष 2021–22 में कपास का उत्पादन 13.16 लाख गांठें हुआ। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से होता है।

मुख्य फसलों की पैदावार

3.5 वर्ष 2021–22 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,533 व 3,605 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2022–23 में गेहूं तथा चावल की औसत अनुमानितउपज क्रमशः 4,684 तथा 3,561 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 3.5)।**

तालिका 3.4–मुख्य फसलों का उत्पादन

('000' टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास ('000' गांठे)	तिलहन
1966-67	1059	223	2592	5100	288	92
1970-71	2342	460	4771	7070	373	99
1980-81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990-91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000-01	9669	2695	13294	8170	1383	571
2005-06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010-11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2015-16	11350	4142	16332	6992	995	841
2019-20	11877	5195	18322	7730	2463	1175
2020-21	12393	5638	19522	8532	1823	1349
2021-22	10447	5514	17226	8823	1316	1720

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.5– हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000-01	4106	2557	2708	1901
2005-06	3844	3051	2619	2102
2010-11	4624	2788	2988	2339
2011-12	5183	3044	3177	2393
2015-16	4406	3061	3034	2400
2016-17	4842	3214	3200	2494
2017-18	4847	3432	3368	2576
2018-19	4924	3118	3534	2638
2019-20	4687	3332	3440	2722
2020-21	4834	3691	3464*	2713*
2021-22	4533	3605	-	-

* अनन्तिम स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.6– वर्ष 2022–23 में मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	औसत उपज (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)
चावल	1250	5000	4000
ज्वार	50	30	600
मक्की	35	98	2800
बाजरा	500	1000	2000
खरीफ दालें	100	100	1000
कुल खरीफ खाद्यान्न	**1935**	**6228**	**3219**
गेहूं	2550	12495	4900
चना	60	96	1600
जौ	15	50	3350
रबी दालें	10	12	1200
कुल रबी खाद्यान्न	**2635**	**12653**	**4802**
व्यवसायिक फसलें:			
गन्ना	120	10440	87000
कपास (गांठे)*	700	2200	535
खरीफ तेल बीज	25	22.5	900
रबी तेल बीज	650	1365	2100
सूरजमुखी	15	30	2000

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्र.।

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2022–23 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 3.6** में दर्शाये गये हैं।

3.7 फसल विविधिकरण

●**मेरा पानी, मेरी विरासत योजना (एम.पी.एम. वी.)**–हरियाणा सरकार ने, खरीफ–2020 के दौरान धान की फसल (पानी की खपत वाली फसल) में मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों जैसे वैकल्पिक कम पानी की खपत वाली फसलों द्वारा विविधता लाने के लिए "मेरा पानी मेरी विरासत" की एक अनूठी पहल शुरू की थी। एम.पी.एम.वी. के तहत, उन किसानों को 7,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, जिन्होंने अपनी धान की फसल को वैकल्पिक फसलों के साथ बदल दिया है। खरीफ–2021 में इस योजना को अतिरिक्त वैकल्पिक फसलों जैसे खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली), खरीफ प्याज, खरीफ दलहन (मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन), चारा फसलों के साथ और मजबूत किया गया। खरीफ–2021 में, नई पहल इस योजना में परती भूमि को शामिल करने की थी। खरीफ–2021 (खेत खाली फिर भी खुशहाली) में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए धान के स्थान पर अपनी भूमि परती रखने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि की अनुमति दी गई। खरीफ–2021के दौरान बाजरा की फसल को वैकल्पिक फसलों के दायरे से हटा दिया गया। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण लगभग 25,600 हैक्टेयर और 20,752 हैक्टेयर क्षेत्र का धान से अन्य वैकल्पिक फसलों में विविधकरण किया गया और राज्य सरकार ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान क्रमशः 45 करोड़ रुपये और 31 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। वैकल्पिक फसलों के दायरे में कृषि–वानिकी (पोप्लर और नीलगिरी) को शामिल करके इस योजना को खरीफ–2022 में और मजबूत किया गया। खरीफ–2022 के दौरान 40,000 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 37,956 हैक्टेयर क्षेत्र का पंजीकरण किया गया और 23,554 हैक्टेयर क्षेत्र का पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया है।

- **दलहन और तिलहन फसलों के संवर्धन के लिए योजना**–कृषि विभाग ने राज्य में बाजरा के स्थान पर दलहन (मूंग, अरहर और उड़द) और तिलहन (अरंडी, मूंगफली और तिल) को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। खरीफ–2021 सीजन के दौरान किसानों ने दलहन (मूंग, अरहर और उड़द) के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया और सत्यापन के बाद दलहन और तिलहन लगाने के लिए किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। खरीफ–2021 के दौरान 21,951 किसानों के 34,555 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया है, जिसके लिए प्रोत्साहन के रूप में किसानों को 13.82 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खरीफ–2022 के दौरान, बाजरा विविधीकरण, दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने की योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति एकड़ के प्रोत्साहन के साथ 6,346 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया है। यह योजना 7 जिलों भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर और मेवात में लागू की गई है। लाभार्थियों को अनुमानित 2.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)

3.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा राज्य में खरीफ–2016 से लागू की जा रही है। योजना के अर्न्तगत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग को कवर किया जा रहा है और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को कवर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खरीफ–2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत संशोधन किया है। इस योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक किया, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने योजना को खरीफ– 2020 से रबी–2022–23 तक लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत किसान का प्रीमियम रबी के लिए 1.50 प्रतिशत खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत और कपास की फसल के लिए 5 प्रतिशत होगा। योजना में खड़ी फसल में जलभराव (धान फसल को छोड़कर) ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोखिमों को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के 14 दिनों तक चक्रवात, चक्रवाती बारिश व बेमौसमी वर्षा के परिणामस्वरूप कटी व फैली हुई खेत में पड़ी पक्की फसल को हुए नुकसान का भी बीमा शामिल किया गया है। पी.एम.एफ.बी.वाई.योजना की प्रगति रिपोर्ट **तालिका 3.7** में दी गई है।

तालिका 3.7– प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत फसली सीजनवार प्रगति

(रूपये लाख में)

सीजन	कुल कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसानों की संख्या	एकत्रित प्रीमियम			कुल प्रीमियम	दावा राशि
			किसान का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	केन्द्र सरकार का हिस्सा		
खरीफ–2016	738795	150881	12735.62	8332.42	4616.37	25684.41	23423.05
रबी–2016–17	597298	62606	6994.67	1892.81	1892.81	10780.29	5702.64
खरीफ–2017	632421	242699	12486.66	11435.53	6181.92	30104.11	80499.83
रबी–2017–18	691246	77433	8125.68	3378.77	3378.77	14883.22	8624.74
खरीफ–2018	722953	322574	13908.27	26084.97	18099.62	58092.86	79729.23
रबी–2018–19	774947	80721	10236.94	8526.07	8526.07	27289.08	12705.24
खरीफ–2019	820585	247995	16743.15	39950.81	28969.97	85663.92	59256.17
रबी–2019–20	890453	321220	10162.66	13156.30	13156.30	36475.23	34339.17
खरीफ–2020	887258	342672	26470.94	34953.32	34943.47	96367.73	99530.35
रबी–2020–21	757035	106810	7985.11	13213.26	13202.41	34400.78	15614.96
खरीफ–2021	746606	419933	24249.02	31925.03	31925.00	88099.05	138881.15
रबी–2021–22	733674	72412	7606.53	13639.77	13632.14	34878.44	8396.32
कुल	**8993271**	**2447956**	**157705.25**	**206489.06**	**178524.85**	**542719.12**	**566702.85**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19–02–2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में पोषक तत्वों की कमी के समाधान के उद्देश्य से और मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में दो वर्षों के काल चक्र मेंसभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने है। यह योजना राज्य में अप्रैल, 2015 से शुरू की गई थी। वर्ष 2019–20 में तीसरे चक्र के दौरान एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर गांवों का चयन करके 22 जिलों में 122 ब्लॉकों से 122 गांवों में से मिट्टी के नमूने लिए गए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25,605 मृदा नमूने एकत्र किए गए, उनका परीक्षण किया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों में वितरित किए गए हैं। "हर खेत–स्वस्थ खेत" अभियान के चरण–I (वर्ष 2021–22) और चरण–II (वर्ष 2022–23) के दौरान 98 ब्लॉकों से दिनांक 09–11–2022 तक कुल 29.10 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान शेष 42 ब्लॉकों से मिट्टी के नमूनों का एकत्रण और परीक्षण किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

3.10 यह योजना हरियाणा में वर्ष 2007–08 से शुरू की गई थी। वर्ष 2018 में इस योजना को आर.के.वी.वाई.–रफतार कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के रूप मे एक नया रूप दिया गया। आर.के.वी.वाई.–रफ्तार का उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि–व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य है–(i) कृषि बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए गुणवता इनपुट, भण्डारण, बाजार सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना और किसानों को सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाना (ii) राज्यों को स्थानीय/किसानों की जरूरतों के अनुसार योजना बनानी और निष्पादित करने के लिए स्वायतता, लचीलापन प्रदान करना (iii) मूल्य श्रृंखला सवंर्धन से जुड़े उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो किसानों को उनकी आय बढ़ाने के साथ–साथ उत्पादन/उत्पाद को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा (iv) अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फूलों की खेती आदि पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना (v) कई उपयोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भाग लेना (vi) कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जो उन्हें कृषि करने के लिए आकृर्षित करें।

3.11 हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंव उपयोजना के लिए 200 करोड़ रुपये सामान्य आर.के.वी.वाई. और 30 करोड़ रुपये आर.के.वी. वाई.–एस.सी.एस.पी. के लिए प्रावधान किया है। जिसके विरूद्ध योग्य मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए 248.95 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

3.12 भारत सरकार ने रबी–2007–08 से राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत दो फसलें गहूं और दालों को शामिल किया गया है। उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है, जो अधिक संभाव्यता लेकिन कम उत्पादक वाले हैं। राज्य के सात जिलों अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, रोहतक और झज्जर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ के तहत कवर किया गया है। वर्ष 2010–11 से सभी जिलों को एन.एफ.एस. एम.–दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3.13 भारत सरकार ने चल रही मुख्य योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज व ओ.एस. तथा ओ.पी. नाम की दो योजनाओं को शामिल किया। भारत सरकार ने दो नये जिलों पंचकूला व सिरसा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज में शामिल किया है तथा दो जिलों नारनौल व रिवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज योजना से बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में 9 जिलों भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, रिवाड़ी तथा रोहतक को शामिल किया गया है। शामिल नई योजनाओं ओ.एस. व ओ.पी. को वर्ष 2018–19 से समस्त राज्य में क्रियान्वित किया जायेगा। एन.एफ.एस. एम.–वाणिज्यिक फसल के तहत गन्ने के साथ दलहन की इंटरक्रापिंग को बढ़ावा देने के लिए नयी उपयोजना को जोड़ा गया था और अब इस योजना को एन.एफ.एस.एम.–दलहन में मिला दिया गया है।

3.14 एन.एफ.एस.एम. योजना के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए 4,476.27 लाख रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी है। प्रमाणित बीजों का वितरण, क्लस्टर प्रदर्शन, सूक्ष्म पोषक तत्व, फार्म मशीनरी, एकीकृत कीट प्रबंधन, संयंत्र और मृदा संरक्षण प्रबंधन जैसे घटकों में सब्सिडी के रूप में व्यय किया जाएगा। वर्ष 2022–23 के दौरान 09–11–2022 तक सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग के 1,980.33 लाख रूपये में से 289.80 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया है।

जल भराव और लवणीय भूमि सुधार घोषणा

3.15 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने जल भराव और लवणीय भूमि के सुधार की घोषणा की है, जिसे पहले ही 2021–22 और उसके बाद से कार्यान्वयन के लिए लिया जा चुका है। एक वेब पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 27–12–2021 को विकसित और लॉन्च किया गया है ताकि किसानों द्वारा जलभराव वाली लवणीय भूमि के सुधार की इच्छा जताने वाले किसान भूमि सुधार करवा सकें और अब तक 4,355 किसानों ने पोर्टल पर 25,426 एकड़ भूमि के सुधार में अपनी रुचि दिखाई है। हरियाणा में वर्ष 1996 में जल भराव और लवणीय मिट्टी का सुधार कार्य शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, पिछले 24 वर्षों में 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राज्य की केवल 28,100 एकड़ भूमि का सब–सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक के माध्यम से सुधार किया गया था। चालू वर्ष के दौरान 5,581.08 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ 25,000 एकड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 2,861.99 लाख रुपये के व्यय के साथ सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक के माध्यम से 19,802 एकड़ भूमि मे सुधार किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री–किसान योजना

3.16 प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रूपये प्रति किस्त के आधार पर प्रदान की जा रही है।

मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.)

3.17 मेरी फसल मेरा ब्योरा, राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें किसान एम.एस.पी. पर अपनी फसलों को बेचने और कृषि और अन्य सम्बंधित विभागों के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, जो सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकमात्र सिंगल विंडो मंच है। खरीफ–2022 में लगभग 7.88 लाख किसानों ने एम.एफ.एम.बी. पोर्टल पर 52.91 लाख एकड़ से अधिक भूमि का पंजीकरण कराया है।

फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.)

3.18 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना के नामतः "पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेषों के इन–सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण का प्रचार" के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों के लिए मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो कि मंहगी और परष्कृित मशीनों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान की जाती हैं। कुल 72,777 मशीनें (6,775 सी.एच.सी. के तहत 31,446 मशीनरी +41,331 व्यक्तिगत) सब्सिडी पर प्रदान की गई हैं। योजना के तहत, विभिन्न सूचना शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए धन प्रदान किया जाता है।

डायरेक्ट सीडड राइस

3.19 डायरेक्ट सीडड राइस, पानी और मिट्टी के संसाधनों की बचत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन संरक्षण तकनीक है। राज्य में डी.एस.आर. तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए डी.एस.आर. तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डी.एस.आर. योजना राज्य के 12 धान उत्पादक जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक में लागू की गई है। खरीफ–2022 के दौरान 4,000 रुपये प्रति एकड़ के डी.एस.आर. प्रोत्साहन के लिए लगभग 72,890 एकड़ का सत्यापन किया गया है। प्रभारी (पी.एम.यू.) के माध्यम से डी.एस.आर. लाभार्थियों को संवितरण के लिए 29.16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

प्राकृतिक खेती

3.20 राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 के बजट प्रावधान के साथ खेती की लागत को कम करके रासायनिक मुक्त कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने एवं खेती को स्थायी आजीविका विकल्प बनाने के लिए जून, 2022 में राज्य में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की है। इसी तरह प्राकृतिक खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में और राशि आवंटित किए जाने की संभावना है।

कपास की खेती को बढ़ावा देना

3.21 राज्य में योजना का उद्देश्य क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करना है और इस प्रकार राज्य में कपास उगाने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना सभी कपास उत्पादक जिलों में लागू की गई थी। राज्य में फसल के तहत क्षेत्र आम तौर पर 5.50 लाख हैक्टेयर से 7.50 लाख हैक्टेयर (वर्ष दर वर्ष) के बीच भिन्न होता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए 5,000 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एस.)

3.22 भारत में गन्ना वाणिज्यिक रूप से दो जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है, अर्थात् उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना उगाने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। लंबी फसल वृद्धि अवधि के कारण देश में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर उच्च बना हुआ है। गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में "गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एस.)" योजना लागू की जा रही है योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैंः–

- राज्य में गन्ने के क्षेत्र, उत्पादकता, उत्पादन में वांछित वृद्धि प्राप्त करना एवं राज्य में गन्ने का सुधार।
- गन्ना उत्पादकों की आय और गन्ना की स्थिरता में वृद्धि करना।
- सूचना और सामग्री के सहयोगात्मक आदान–प्रदान के लिए चीनी मिलों, अनुसंधान केंद्रों और अन्य संगठनों के साथ संबंध विकसित करना।
- गन्ना उत्पादकों को सूचना/प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।
- गन्ना बिजाई के अन्य तरीकों को बढ़ावा देना।

- गन्ने की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
- गन्ने की किस्मों का प्रजाति संतुलन बनाए रखना।
- गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को सब्सिडी प्रदान करना।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

3.23 सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। फसलो को बाढ, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी–तूफान और कीट हमलों के प्रकोप आदि से होने वाले नुकसान के मुआवजे का दायरा भी बढाया गया है। सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 12,000 रूपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रति एकड़ की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जिला हिसार की तहसील खेड़ी जालब व जिला जींद की तहसील अलेवा को भारी वर्षा/जल भराव तथा कीट हमलों से फसल खरीफ, 2021 में हुए नुकसान हेतु 6,500 रूपये प्रति एकड़ की दर से विशेष पैकेज के रूप में 22.62 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। भारी वर्षा/जल भराव से फसल खरीफ, 2022 में हुए नुकसान हेतु सरकार द्वारा उपायुक्त अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, नूहं, रिवाड़ी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत व झज्जर को 109.65 करोड रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। ओलावृष्टि से फसल रबी 2022 में हुए नुकसान हेतु सरकार द्वारा उपायुक्त भिवानी व चरखी दादरी को 41.77 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन राहत

3.24 सरकार द्वारा कोविड–19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रूपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है तदानुसार, अभी तक 12,088 लाभार्थियों को 60.44 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है।

चकबन्दी

3.25 हरियाणा राज्य में चकबन्दी कार्य पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा विखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत किया जाता है। विभाग का मुख्य उददेश्य बे–तरतीब बिखरे पड़े छोटे–2 भूखण्डों को एकत्रित करके बड़े और उचित आकार देना है, ताकि किसानों के प्लाटों की संख्या कम हो सके। समेकित बड़े प्लाट आर्थिक दृष्टि से भी उचित होते हैं, जिनका प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जा सकता है और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायता मिलती है। 104 गांवों में बीघे–बिस्वे को कनाल–मरलों में परिवर्तित करने का कार्य हरसक व एन.आई.सी. के तालमेल से शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष बचे 6,981 गांव, जिनका क्षेत्रफल 1,06,95,380 एकड़ है, चकबन्दी के लिये योग्य हैं। 6,921 गांवों, जिनका क्षेत्रफल 1,05,11,059 एकड़ है अर्थात 97.5 प्रतिशत का चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्त वर्ष 2022–23 में शेष बचे 59 गांवों में चकबन्दी कार्य चल रहा है। हाल ही में 7 गांवों की चकबन्दी का कार्य पूर्ण किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 में बजट के लिए 15.37 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।

शिवालिक विकास एजैन्सी, अम्बाला

3.26 शिवालिक विकास एजैन्सी के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र के विकास को मध्यनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना दिनांक 24–03–1993 को की गई। इस बोर्ड के विकास कार्यों/परियोजनाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय द्वारा लागू व स्थापित करने तथा शिवालिक क्षेत्र के समग्र विकास हेतू शिवालिक

विकास एजैन्सी, अम्बाला एक कार्यकारी शाखा है। शिवालिक विकास एजैन्सी, शिवालिक विकास बोर्ड की देखरेख में विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं। यह एजैन्सी प्रत्येक वर्ष शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनाती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर इस एजैन्सी का ध्यान केंद्रित हैं जैसे कि जल संचयन, मिट्टी संरक्षण के उपायों, वनीकरण, जल आपूर्ति में सुधार, पशुपालन, स्वास्थ्य देखभाल आदि विभिन्न विकास कार्यो के माध्यम से वाटरशेड प्रबंधन करना। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में कार्यों और परियोजनाओं को लागू किया जा रहा हैं। वर्ष 2022–23 के अंतर्गत सरकार द्वारा 1,380 लाख रूपये का बजट (जिसमें 1,200 लाख रूपये सामान्य घटक के लिए तथा 180 लाख रूपये एस.सी.एस.पी. घटक के लिए) स्वीकृत किया गया है, जिसमें से अब तक 276 लाख रूपये (240 लाख रूपये सामान्य घटक के लिए तथा 36 लाख रूपये ए.सी.एस.पी. घटक के लिए) सरकार से पहली किश्त के रूप में प्राप्त हुए है। जल संचयन प्रबन्धन परियोजनाओं एवं अन्य जनोपयोगी कार्य/परियोजनाओं के लिए वार्षिक कार्य योजना 2022–23 स्वीकृत की गई है।

मेवात विकास एजैन्सी नूहं

3.27 मेवात विकास बोर्ड का गठन क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया। मेवात विकास एजैन्सी (एम.डी.ए.) का उद्देश्य क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को तेज करना व क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लाभप्रद विकासात्मक गतिविधियों को लागू करना है। एम.डी.ए. की गतिविधियॉ का फोक्स बहुसांस्कृतिक रहा है। क्षेत्र के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए एम.डी.ए. ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक कार्यो, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं गैर कृषि प्रशिक्षण, खेल, सामुदायिक विकास, कृषि, पशुपालन और सांस्कृतिक विकास आदि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए चल रही गतिविधियों के तहत राशि खर्च की है। वर्ष 2022–23 में हरियाणा सरकार द्वारा मेवात विकास एजैन्सी नूहॅ को चालू योजनाओं के अर्न्तगत 1,425 लाख रूपये (1,325 लाख रूपये सामान्य एवं 100 लाख रूपये एस.सी.एस. पी. मद) की राशि स्वीकृत की है।

पुर्नवास एंव पुर्नस्थापन नीति

3.28 यह नीति राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिकों तथा भूमि विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन हेतु दिनांक 9–11–2010 को बनाई गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं:–(क) इस नीति के तहत भू–स्वामियों को 33 वर्षों तक 21,000 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी के रूप में दिए जाते हैं, जो कि भूमि मालिक को उसकी अभिग्रहित की जाने वाली भूमि के साधारण मुआवज़े के अतिरिक्त हैं। इस वार्षिकी की राशि में 750 रूपये प्रतिवर्ष प्रति एकड़ निश्चित राशि की बढ़ोतरी होती है। विशेष आर्थिक ज़ोन, टैक्नोलोजी शहर तथा टैक्नोलोजी पार्क के लिए यह वार्षिकी निजी विकासकर्ताओं द्वारा 42,000 रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष तक दी जाती है तथा वार्षिकी की राशि में 1,500 रूपये प्रतिवर्ष प्रति एकड की बढ़ोतरी की जाती है। (ख) भू–स्वामियों को इस नीति के तहत उनके स्वंय कब्ज़े वाली रिहायशी भूमि/मकान अभिग्रहण होने पर रिहायशी प्लाट/कर्मशियल बूथ–साईट/औद्योगिक प्लाट आवंटित किये जाते हैं। (ग) भू–स्वामियों को इस नीति के तहत उनकी अभिग्रहण भूमि के बदले नौकरी, बिजली का कनैक्शन दिया जाता है और स्टैम्प ड्यूटी एंव रजिस्ट्रेशन खर्चे से छूट दी जाती है।

भूमि खरीद नीति

3.29 राज्य सरकार ने विकास परियोजना के लिए स्वेच्छा से सरकार को जमीन की खरीद पर एक नीति बनाई है। इस नीति का उद्वेश्य किसानों को विपत्ति की

स्थिति में भूमि को बेचने से बचाने तथा हरियाणा राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए साईट चिन्हित करने के निर्णय में भूस्वामियों को शामिल करना है। यह नीति दो लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है अर्थात् (क) जो किसान विपत्ति की स्थिति में भूमि बेचने का विचार कर रहा है, उसे संभावित खरीदार के रूप में सरकार के पास आने का आश्वासन दिया जाएगा, यदि सरकार को अपनी परियोजना के लिए आवश्यकता है, (ख) उस स्थिति जिसमें कुछ भूमि मालिक एक विशेष परियोजना के लाभों के बारे में इतने उत्सुक हैं कि वे इसके लिए सरकार को अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, सरकार यह पता लगा सकती है।

लघु सचिवालय और संबद्ध भवनों का निर्माण

3.30 राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए राज्य में जिला मुख्यालयों पर संयुक्त कार्यालय भवनों जैसे लघु सचिवालयों/उपमण्डल/तहसील/उप–तहसील कम्पलैक्स का निर्माण किया है। अधिकांश जिलों में भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2023–24 के लिए अनुमानित बजट अनुमान 14,000 लाख रूपये रखा गया है। कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्यालय और आवासीय भवन प्रदान करने व जनता की सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक ई–दिशा केन्द्र प्रदान करना लक्ष्य है।

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

3.31 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के अधीन की गई थी तथा दिनांक 06–04–1976 को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन आफ सोसाईटिज एक्ट–1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था। दिनांक 01–09–1976 को इस संस्था ने अपना स्वंतत्र कार्य शुरू कर दिया था। संस्था का मुख्यालय पंचकुला में तथा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है।

3.32 इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई जातियों के बीज को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है फसलवार निर्धारित मानकों का विवरण केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दिया हुआ है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, हैफेड, एच.एल. आर.डी.सी., उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ. एफ.डी.सी., कृभको एवं अन्य व्यक्तिगत बीज उत्पादकों द्वारा आफर किया जाता है। इन बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा दिये गये क्षेत्र का निरीक्षण संस्था द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.33 यद्यपि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अपनी गतिविधियों द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है, तथापि राज्य की बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा प्रमाणीकरण के लिये आफर किया गया क्षेत्र ही संस्था के कार्य का लक्ष्य बन जाता है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विभिन्न फसलों का किया गया निरीक्षण एवं प्रमाणित बीज की मात्रा के साथ आय एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

3.34 वर्ष 2022–23 में विभिन्न उत्पादक संस्थाओं/उत्पादकों द्वारा 263.50 हजार एकड क्षेत्र प्रमाणीकरण के लिए आफर किये जाने की सम्भावना है जिससे हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का 34 लाख क्विंटल बीज प्रमाणीकरण किये जाने का अनुमान है। वर्ष 2022–23 में अनुमानित आय 1,850.26

लाख व व्यय लगभग 1,780.40 लाख होने की सम्भावना है।

3.35 राज्य में 301 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे है जिन पर प्रमाणीकरण हेतु बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। बीजों के संसाधन के उपरान्त प्रत्येक लोट से बीज का एक नमूना लेकर उसे कृषि विभाग के अधीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल, सिरसा तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधीन पंचकूला एवं रोहतक स्थित प्रयोगशाला में आवश्यक जांच के लिये भेजा जाता है, तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लोट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है तो उसको नियमानुसार प्रमाणित कर दिया जाता है।

तालिका 3.8– लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण।

वर्ष	लक्ष्य				उपलब्धियां			
	भौतिक		वितीय		भौतिक		वितीय	
	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2017-18	258.75	3300.00	1472.65	1456.75	237.07	2878.95	1169.11	834.64
2018-19	259.50	3325.00	1559.65	1458.35	226.95	2980.74	1058.87	772.85
2019-20	260.00	3350.00	1575.20	1560.20	271.27	3593.02	1191.97	774.63
2020-21	262.50	3375.00	1737.33	1704.27	255.40	3183.19	1242.16	820.51
2021-22	263.00	3395.00	1801.38	1754.67	177.88	2065.24	1067.13	828.05
2022-23 (लक्ष्य)	263.50	3400.00	1850.26	1780.40	-	-	-	-

स्त्रोतः हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड

3.36 हरियाणा बीज विकास निगम किसानो के कल्याण के लिए कार्य करता है और निगम का मुख्य उद्धेश्य किसानों को नाममात्र लाभ पर गुणात्मक बीज प्रदान करना है। हरियाणा बीज विकास निगम एक मूल्य नियंत्रक के रूप में भी काम करता है ताकि राज्य में बीज की कीमतों पर रोक लगा सके।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.37 किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम के पास मिनी बैंकों और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम जैसी संस्थागत एजैंसियों के बिक्री केन्द्र के अतिरिक्त 79 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। इसके अतिरिक्त निगम अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करवाने के लिए खरपतवारनाशक, कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां भी अपने बीज बिक्री केन्द्रों से किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से उपलब्ध करा रहा है, जो कि हरियाणा के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। निगम विभिन्न राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों, थोक बीज खरीददारों और वितरकों को राज्य के बाहर बीज की आपूर्ति भी करवाता है।

3.38 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को रियायती दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान निगम ने 32,973 क्विंटल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे धान, दलहन, ज्वार, बाजरा इत्यादि किसानों को उपलब्ध करवाए। खरीफ–2022 में बिक्री सीजन के दौरान 28,399.68 क्विंटल ढैंचा बीज का 80

प्रतिशत अनुदान राशि के तहत फसल विविधिकरण को बढावा देना (राज्य योजना) और फसल विविधिकरण कार्यक्रम (आर.के.वी. वाई) के तहत वितरित किया। चालू रबी 2022–23 में बिक्री सीजन के दौरान 1,71,721 क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध 1,70,281 क्विंटल बीज सभी फसलों (गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, जई एवं बरसीम आदि) के बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन एवं तिलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी.) राज्य कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना के तहत बिक्री की है।

3.39 निगम ने वर्ष 2021–22 के दौरान खरीफ मौसम में 41,129 क्विटंल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, ग्वार, बाजरा, ढैंचा इत्यादि रबी मौसम में 1,83,521 क्विंटल गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन आदि के बीजो को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (रफतार), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी) योजना के तहत किसानों को उपलब्ध करवाये हैं। वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक प्रमाणित बीजों की बिक्री की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9– हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल में)

मौसम	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
खरीफ	51312	35769	41129	32986
रबी	289342	257156	183521	170281

स्त्रोतः हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.40 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम (एच.एल.आर.डी.सी.) लिमिटिड को कंपनी अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। निगम का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है। निगम के हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारयणगढ़ और हनुमानगढ़ में सात प्रंबधकीय कार्यालय है, जहां से जिप्सम की खरीद की जाती है और जिप्सम और कृषि के अन्य इनपुट किसानों को इसकी बिक्री केद्रों/डीलर नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। निगम नारायणगढ़ और पानीपत में पैट्रोल पंप और नारायणगढ़, हिसार और फरीदाबाद में गैंस एजैसियों का प्रंबधन भी कर रहा है, जहां से एच.एस.डी., एम.एस. और एल. पी.जी. गैंस किसानों/उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है। 1974 में निगम की स्थापना के बाद से हरियाणा राज्य में 31–01–2023 तक लगभग 4,11,442 हैक्टेयर (10,28,605 एकड़) भूमि का सुधार किया है। भारत सरकार के नवीनतम सर्वेक्षण 2010 के अनुसार राज्य में 1.84 लाख हैक्टेयर क्षारीय भूमि का सुधार होना शेष है।

3.41 निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है–(1) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अतंर्गत सॉडिक मिट्टी में सुधार और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जिप्सम की व्यवस्था और वितरण के सम्बध में योजनाएं लागू करना। (2) अपने स्वंय के आउटलेट तथा सरकारी विभाग क काउटंर के माध्यम से कृषि इनपुट का वितरण। (3) गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम। (4) पैट्रोल पम्प और गैंस एजैसियों का संचालन करना।

बागवानी

3.42 पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है। भारत में हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ अग्रणी राज्य है। राज्य में अधिकतर सभी तरह के फल सब्जी, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जाते हैं। बागवानी फसलों के कुल क्षेत्र के 80 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फल, मसाले व फूल इत्यादि हैं। वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 का बागवानी बजट 46,950.75 लाख रूपये से बढ़कर 82,441 लाख रूपये हो गया है। निरंतर आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति

आय में वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण के कारण फलों और सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों कीं खपत में बदलाव आ रहा है। हरियाणा में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए फसल विविधीकरण अति आवश्यक है जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आय का स्तर बढ़ाया जा सके।

विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रम

3.43 विभाग द्वारा चलाई जा रही 18 योजनाओं में से 14 राज्य योजना, 4 केन्द्रीय योजना (हिस्सा आधारित) हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.44 राज्य में 4.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 6.46 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 67.07 लाख मीट्रिक टन था।

फल की खेती

3.45 वर्ष 2021–22 में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 73,075 हैक्टेयर था जिसमें 12.64 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2022–23 में 14.21 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 82,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.10)**

सब्जी की खेती

3.46 वर्ष 2021–22 में सब्जी की खेती के अन्तर्गत 53.41 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 3,29,440 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में 66.83 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 3,63,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.11)**।

मसाले

3.47 वर्ष 2021–22 में मसाला फसलों के अन्तर्गत 0.73 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 8,586 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में 0.84 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 9,500 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.12)**।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.48 वर्ष 2021–22 में औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खेती के अन्तर्गत 354.7 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 305.9 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में 663 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 500 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.13)**।

फूलों की खेती

3.49 वर्ष 2021–22 में फूलों की खेती के अन्तर्गत 0.17 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 1,692 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में खुले क्षेत्र के फूल 0.27 लाख मीट्रिक टन व कट फलावर 550.31 लाख संख्या उत्पादन के साथ 1,802 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.14)**।

संरक्षित तथा वर्टिकल खेती पर ध्यान

3.50 रोग रहित पौधशाला उगाने, गैर मौसमी व कीटनाशक अवशेष रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार द्वारा संरक्षित खेती और वर्टीकल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सामान्य जाति के किसानों को 65 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये वर्ष 2021–22 में 2,085 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस स्टैंकिंग, 1,393 हैक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित संरचनाएं, 1,791 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक टनल व 4,772 हैक्टेयर क्षेत्र को मलचिंग से कवर किया गया है। इसकी श्रेणी अनुसार प्रगति **तालिका 3.15** में दर्शायी गई है।

मशरूम

3.51 वर्ष 2021–22 में खुम्ब का उत्पादन 10,745 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया। वर्ष 2022–23 में 10,770 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

समुदायिक तालाब

3.52 वर्ष 2021–22 में एम.आई.डी.एच. योजना के अर्न्तगत 45 सामुदायिक/कृषि तालाब तथा 25 व्यक्तिगत तालाब बनाये गए जिन पर क्रमशः 845.51 लाख रूपये एवं 10.51 लाख रूपये खर्च हुये।

तालिका 3.10– फलों की फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	लक्ष्य 2021–22		उपलब्धियां 2021–22		लक्ष्य 2022–23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
नींबू वर्गीय फसलें	25035	602367	24398	570883	26322	651571
आम	9827	114406	9647	108770	9784	114178
अमरूद	15540	271181	15594	238514	18970	291341
चीकू	1929	22164	1810	21828	1835	22346
आंवला	2390	16529	2175	17092	2200	15851
अन्य	27279	372323	19451	306633	22889	325923
कुल	**82000**	**1398970**	**73075**	**1263720**	**82000**	**1421210**

तालिका 3.11– सब्जी फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	लक्ष्य 2021–22		उपलब्धियां 2021–22		लक्ष्य 2022–23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
आलू	34690	910680	29543	781505	32497	859656
टमाटर	24565	528193	20938	343440	23032	504365
प्याज	27080	686530	24871	489456	27358	692328
बेल वाली सब्जी	64047	930197	49451	657908	54640	874354
फूल गोभी	32690	672160	28852	583612	31737	684616
पत्ते वाली सब्जी	41715	528770	39429	451087	43372	604869
मटर	9420	124405	8149	118939	8964	137350
बैंगन	11570	207060	8630	146153	9492	204194
अन्य	139241	2149060	119577	1768857	131908	2121703
कुल	**385018**	**6737055**	**329440**	**5340957**	**363000**	**6683435**

तालिका 3.12– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालों के नाम	लक्ष्य 2021–22		उपलब्धियां 2021–22		लक्ष्य 2022–23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
अदरक	250	5000	82	880	90	1620
लहसुन	4360	43600	3415	39908	3791	44298
मैथी	1280	3186	1525	8754	1679	9746
अन्य	4110	41900	3563	23855	3940	28656
कुल	**10000**	**93686**	**8585**	**73397**	**9500**	**84320**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.13– औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के नाम	लक्ष्य 2021–22		उपलब्धियां 2021–22		लक्ष्य 2022–23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
एलोवेरा	145	130.5	101	1578	249	4458
स्टीविया	0	0	6.4	4	16	95
अरन्डी	0	0	0	0	0	0
अन्य	155	207	198.5	1965	235.2	2077
कुल	**300**	**337.5**	**305.9**	**3547**	**500.2**	**6630**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.14– फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	लक्ष्य 2021–22			उपलब्धियां 2021–22			लक्ष्य 2022–23		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)
ग्लोयो–लियस	65	0	16.25	25	0	6.5	28	0	46.2
गेंदा	2175	32625	0	1301	16794	0	1388	24984	0
गुलाब	92.5	960	59.62	55.8	266	40.77	63	316	43.52
अन्य	367.5	272	103.12	310.66	151.5	75.32	323	2050	460.59
कुल	**2700**	**33857**	**178.99**	**1692.46**	**17211.5**	**122.59**	**1802**	**27350**	**550.31**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.15– श्रेणी अनुसार संरक्षित/वर्टिकल खेती की प्रगति

श्रेणी	उपलब्धियां 2021–22	लक्ष्य 2022–23
	भौतिक (है0)	भौतिक (है0)
पोली हाऊस/नेट हाऊस	1393.00	141.10
उच्च मूल्य वाली सब्जियां	275.60	0
कम सुरंग	1791.00	220.00
मलचिंग	4772.00	1580.00
बॉस स्टैकिंग	2270.35	787.80
कुल	**10501.95**	**2728.90**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मेरा पानी मेरी विरासत

3.53 वर्ष 2020–21 में फल, सब्जियों और मसालों में विविधीकरण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों को लक्षित करके एक नया कार्यक्रम मेरा पानी मेरी विरासत शुरू किया गया है जिसके तहत वर्ष 2021–22 में 9,764 एकड़ क्षेत्र के लिये पंजीकरण किया गया था। वर्ष 2022–23 में समग्र दृष्टिकोण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को लक्षित करके बगीचों, सब्जियों और मसालों में विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह विविधीकरण कार्यक्रम एकीकृत कृषि प्रणालियों, वर्टीकल खेती, उच्च तकनीक बागवानी से प्रभावित होगा। वर्ष 2022–23 में 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना

3.54 हरियाणा ने नई किस्मों और प्रौद्योगिकियों के विकास हेतू विविधीकरण आवश्यक्ताओं और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करनाल में एक पूर्ण विकसित बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर और एल.ओ.आई

3.55 सरकार ने बागवानी में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है और कृषि योग्यता परिषद के साथ एम.ओ.यू के तहत 32 योग्यता पैक और 265 रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग शुरू किए गए हैं।

किसान उत्पादक संगठन का गठन (एफ.पी.ओ.)

3.56 सरकार ने बागवानी उत्पादों के सामूहिक विपणन को बढ़ावा देने के लिऐ 92,288 किसानों को सीधे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित करते हुए 683 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है। इन किसानो को तकनीकी, मौसम तथा विपणन जानकारी के सीधे हस्तांतरण के लिए किसान पोर्टल के साथ जोड़ा जायेगा।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.)

3.57 हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं, जैसे ओलावृष्टि, अधिक तापमान/गरम हवा, ठंढ, तेज हवा, आग व सूखा इत्यादि कारणों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई

करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरूआत 01–01–2021 को की गई है। इस योजना को भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.) के अतिरिक्त लागू किया गया है, जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक राज्य योजना है। इस योजना से किसान की आय का स्तर बढेगा एवं उनका बागवानी फसलों के प्रति रूझान भी बढेगा।

पहल

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

3.58 सरकार ने सिरसा और करनाल में बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं 3.90 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की है। दोनों प्रयोगशाालाओं में बागवानी और कृषि उपज, मिटटी और पानी के नमूनों में अवशेष सामग्री के विश्लेषण की सुविधा है।

3.59 मधुमक्खी पालन

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशनः मधुमक्खी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जुलाई, 2020 में एक नई केन्द्रीय योजना "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन" की शुरूआत की है।
- हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021ः सरकार ने हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 लागू की है और 2030 तक शहद उत्पादन को 4,500 मीट्रिक टन से लगभग दोगुना से ज्यादा 15,000 मीट्रिक टन करने के उद्देश्य से एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र, कुरूक्षेत्र की स्थापना की है।
- शहद व्यापार केन्द्रः मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने और शहद व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा ने वर्ष 2022 में 3 करोड़ रूपये की लागत से शहद के व्यापार, गुणवक्ता परख और भंडारण के लिए शहद व्यापार केन्द्र की स्थापना की है।

नए केन्द्रों की स्थापना

3.60 हरियाणा सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता केंन्द्र व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है। 11 उत्कृष्ठता केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और तीन उत्कृष्ठता केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी.सी.डी.पी.)

3.61 नई योजना अर्थात फसल समूह विकास कार्यक्रम नाम से 510.36 करोड़ रूपये बजट के साथ एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर में विपणन ढांचा और फसल प्रबंधन सुविधाओं जैसे पैक हाउस, प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग–छंटनी सुविधा, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा इनपुट और गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि सुविधाएं बागवानी उत्पादन के प्रभावी विपणन के लिए दी जाएंगी। इसलिए इसके लिए 33 केन्द्र बनाए गए हैं।

भावान्तर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.)

3.62 सरकार द्वारा यह योजना दिनांक 01–01–2018 में शुरू की गई है ताकि किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह भारत में एक अनूठी योजना है। यह योजना किसानों को विविधीकरण और बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना की सफलता को देखते हुए अब 21 बागवानी फसलों को योजना में शामिल किया गया है। **(तालिका 3.16)**

तालिका 3.16–भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की संख्या

वर्ष	किसान नामांकित (संख्या)	नामांकित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रोत्साहन भुगतान राशि (रूपये लाख में)
2017–18	4435	10789	12.08
2018–19	17970	66351	940.49
2019–20	36991	84830	82.65
2020–21	30170	54120	0.00
2021–22	56089	120466	377.00

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

3.63 सूचना प्रोद्यौगिकी

- विभाग बागवानी किसानों से जुड़ने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, यू ट्युब और कू ऐप) का उपयोग कर रहा है। बागवानी विभाग हजारों किसानों में विकास ला रहा है और इसके लिये विकास नीतियों, अनुदान, प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी, नये शोध, एफ.पी.ओ. के गठन, वेबिनार, सेमिनार, अधिकारियों के दौरे, वेज एक्सपो और अन्य विभागीय गतिविधियों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। उद्यान विभाग से संबंधित सूचनाओं के प्रचार–प्रसार में ये चैनल बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
- जैसा कि अब विभाग के पास सभी विभागीय योजनाओं/सब्सिडी के लिये केवल एक होर्टनैट पोर्टल है। वर्ष 2022–23 के लिये अब तक लगभग 20,000 आवेदन होर्टनैट पोर्टल पर प्राप्त हो चुके है।
- मुख्यालय के साथ–साथ विभाग के जिला कार्यालयों में ई–आफिस का कार्यान्वयन।
- उद्यान विभाग की वेबसाईट पर विभाग की सभी 14 सेवाओं को "खुशहाल बागवानी" नाम से एक छत्र एंव सम्पर्क बिन्दु के रूप में जोड़ा गया है।
- विभाग ने नर्सरी/केन्द्रों से सब्जियों की पौध, आलू के बीज और फलों के पौधों की आनलाईन बुकिंग के लिये एक होटसेलनेट पोर्टल/वेबसाईट विकसित किया है।
- लाभार्थी यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा आनलाईन भुगतान कर सकता है।
- विभाग ने किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिये समर्पित टोल फ्री नंबर के साथ 02–11–2021 को बागवानी निदेशालय में एक 'बागवानी हेल्पलाईन सैंटर' स्थापित किया गया है।

सिंचाई

3.64 हरियाणा उतर भारत में छोटा सा भू–भाग वाला राज्य है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.4 प्रतिशत भू–भाग है। कम वर्षा (300 मिलीमीटर से 1,100 मिलीमीटर) जैसी बाधाओं के साथ सीमित जल संसाधन होने के कारण अन्तर्राज्यीय नदी समझौतों पर निर्भर है, 40 प्रतिशत भू–जल खारा होने के कारण राज्य को कृषि (अर्थ व्यवस्था की रीढ की हड्डी) के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने और 2.5 करोड़ से अधिक लोगो को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र, उद्योग आदि की आने वाली बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य विशाल कार्य का सामना करता है। हरियाणा ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु सिचांई नहरों और पेयजल योजनाओं का एक व्यापक नैटर्वक विकसित किया है और नेशनल फूड बास्केट में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभर कर आया है और 100 प्रतिशत गांवो को पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ **तालिका 3.17** में दी गई है।

3.65 राज्य में नहर और जल निकासी नेटवर्क के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा (आई.डब्ल्यूआर.डी.) की है जिसमें राज्य में सिंचाई, पीने, तालाब भरने, औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति शामिल है। हरियाणा ने एक व्यापक नहरों का जाल विकसित किया है जिसमें 1,521 चैनल हैं जिनकी लम्बाई 14,125 कि. मी. है। भाखड़ा प्रणाली में कुल 521 नहरें हैं जिनकी कुल लम्बाई 5,867 कि. मी. है, यमुना प्रणाली की कुल 472 नहरें हैं जोकि 4,311 कि. मी. लम्बी हैं और उठान प्रणाली की कुल 528 नहरें हैं जिनकी लम्बाई 3,947 कि. मी. है। इसके अतिरिक्त जल

निकासी के लिए राज्य में 5,150 कि. मी. लम्बे लगभग 800 ड्रेनज का एक विशाल जाल है। राज्य का नेटवर्क पुराना है और सिस्टम के लगातार चलने के कारण वाहक चैनलों की क्षमता कम हो गई है इसलिए नहरों का पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

विभाग के उद्देश्य

3.66 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा का लक्ष्य एक कार्य योजना का खाका तैयार करना है जो कार्य शैली को बदल देगा और भविष्य की चुनौतियों के लिए विभाग को सुसज्जित करेगा और जन संसाधनों के व्यापक, एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए योजनाओं के प्रमुख मुद्दों पर योजनाकारों और उपभोगकर्ताओं दोनों का ध्यान आकर्षित करेगा व तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाउ होगा।

विभाग की उपलब्धियां

भूजल सैल की मुख्य गतिविधियां

3.67 भूजल सैल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष में दो बार वॉटर टेबल की गहराई व भूजल की गुणवत्ता की निगरानी, विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार करना अर्थात वॉटर टेबल की गहराई का मानचित्र, भूजल गुणवत्ता मानचित्र, इतिहास, दशकीय और मौसमी उतार–चढ़ाव का मानचित्र, वॉटर टेबल के मानचित्र की रूपरेखा इत्यादि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, चण्डीगढ़ के साथ संयुक्त रूप से गतिशील भूजल संसाधन अनुमान रिपोर्ट तैयार करना, भूजल को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करने के लिए सरकारी भवन के रूफटॉप पर वर्षा जल संचयन संरचना (आर.टी.आर.डब्ल्यू.एच. एस.) का निर्माण करना व भूजल की निगरानी के लिए पीजोमीटर की स्थापना करना।

सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण कार्य

3.68 राज्य में बाढ़ के प्रकोप और जल जमाव की प्राकृतिक आपदा से राज्य को बचाने के लिए, हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक के दौरान 466.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 323 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त 231.87 करोड़ रूपये की लागत वाली प्रगतिशील 168 योजनाओं को भी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अभी तक वितीय वर्ष 2022–23 के दौरान इन योजनाओं पर 250 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके है तथा 491 और 217 योजनाएं पूरी की जा चुकी है।

अन्तिम छोर पर आपूर्ति

3.69 100 प्रतिशत टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने टेलों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक अभियान शुरू किया। चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाकर 100 प्रतिशत टेलों तक पानी पहुंचाने के लिए पुलिस बल (सिंचाई एवं बिजली के लिए विशेष) को शामिल कर व्यापक कदम उठाए गए जिसके लिए एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। 2022 के मानसून सत्र में, जे.एल.एन. फीडर में अधिकतम 2,800 क्यूसिक पानी, लोहारू फीडर में 975 क्यूसिक, महेन्द्रगढ़ नहर में 1,000 क्यूसिक तथा जे.एल.एन. नहर में 624 क्यूसिक पानी का निष्कासन किया गया।

नाबार्ड परियोजनाएं

3.70 207 एस.टी.पी. में से 35 एस.टी.पी. पर पहले चरण में काम करने का प्रस्ताव किया गया है और इसके लिए नाबार्ड द्वारा 490.53 करोड़ रूपये की राशि वाली एक परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत मंजूर की गई है जोकि 31–03–2024 तक पूरी कर ली जाएगी।

रिचार्जिंग कुए

3.71 डार्क जॉन में खेतों में एकत्रित हुऐ बारिश के पानी से भू–जल की पूर्ण भरपाई के लिए, ''मेरा पानी मेरी विरासत'' के तहत 40 करोड़ रुपये की लागत वाले 1,000 रिचार्ज कुओं के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना से हर साल लगभग 8,000 एकड़ जलमग्न भूमि लाभान्वित होगी। 839 रिचार्ज कुओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 98 रिर्चाजिंग कुओं का कार्य प्रगति पर है। अब तक 30.55 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। इस कार्य के 31–03–2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

तालिका 3.17– योजना–वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत	
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय
2019–20	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	195	52764.76	168	44593.65	86	85
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	223	8339.56	160	5169.16	72	62
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	14	3981.69	8	1671.23	57	42
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	39801089	8173.85	39524564	7811.00	99	95
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	9579066	1472.78	40519316	1379.72	42	94
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	96	51.00	85	48.10	88	94
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	32000	10500	32219	10275	100	98
2020–21	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	262	211792.09	191	24519.91	72.90	11.58
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	176	2707.07	150	1149.47	85.23	42.46
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	13	1440.15	9	325.59	69.23	22.61
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35914268.6	7907.19	32712378.3	6658.97	91.08	84.21
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	8266164.95	1559.92	8250154.46	1433.41	99.81	91.89
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	227	26622.07	110	5347.87	48.46	20.08
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	11000	6750	8160	5975	74.18	88.58
2021–22	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	113	61761.5	78	38727.99	69.02	62.70
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	141	2699.31	95	1236.66	67.37	45.81
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	7	3659.28	5	1927.06	71.42	52.66
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	30952509.84	11505.11	25633402.23	7409.20	82.81	64.40
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	10871391.23	3180.75	10788615.48	2881.15	99.23	90.58
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	346	54645	215	26000	62	41
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	18.75	10510.00	14.46	8777.50	77.12	83.52
	8. पी.एम.के.एस.वाई.-पी.डी.एम.सी. के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई	100000	47533.00	34800	10468.49	34.80	22.02

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा।

वर्षा जल संचयन

3.72 विभाग द्वारा 131 रेन वाटर हारवेस्टिंग ढांचे लगाये गये, जिससे 286 सरकारी भवनों को जल संचय की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसका कुल क्षेत्र 585 एकड़ है।

3.73 पश्चिमी जमुना नहर प्रणाली की वाहक क्षमता बढ़ाना

- आर.डी. 68220 (हमीदा हैड) से आर.डी. 190950 (इंद्री हैड) तक पश्चिमी जमुना नहर मेन लाईन लॉअर की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 120.19 करोड़ रूपये है, इसमें से 101.48 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है
- डब्ल्यू.जे.सी. मेन ब्रांच की आर.डी. 0–154000 की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 202.10 करोड़ रूपये है, इसमें से 185.98 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है। आवर्धन नहर का कार्य 380 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है।
- पी.डी. ब्रांच की आर.डी. 0–145250 की क्षमता बढ़ाने के लिए 304 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पुनर्वास के कार्य नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। आर. डी. 0 से 145250 तक के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। कार्य शुरू हो चुका है।

अटल भूजल योजना

3.74 अटल भूजल का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले स्थायी भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करना है जिसे पैमाने पर ले जाया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित राज्यों में जल संकट वाले चुनिंदा क्षेत्रों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है।

नहर नेटवर्क का आधुनिकीकरण

3.75 नहर नेटवर्क के आधुनिकीकरण के तहत वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान लगभग 283 चैनलों के पुनर्वास का कार्य 1,023.54 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से मुख्यतया किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 201 नए पुलों का निर्माण 446 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

3.76 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भारत सरकार की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पूरे भारत में 49 कार्यान्वयन एजैंसियों द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। एन.एच.पी. का उद्देश्य जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। वर्ष 2016 से 2024 के दौरान इस परियोजना के लिए हरियाणा को बजट के रूप में 50 करोड़ रूपये दिये गये हैं।

आदि बद्री बांध व सोम्ब सरस्वती बैराज

3.77 हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नदी में पानी छोड़ने के लिए सरस्वती नदी पुनरोद्वार तथा धरोहर विकास परियोजना (प्रथम चरण) के लिए 388.16 करोड रूपये अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। केन्दीय भूजल बोर्ड के माध्मय से इस परियोजना के बनने से संभावित भूजल पुनर्भरण क्षमता का आंकलन करवाया गया है। जिसमें यह पुष्टि की गई है कि इस परियोजना के तहत भूजल पुनर्भरण की अच्छी सम्भावना है। इस परियोजना के 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मेवात और गुरूग्राम क्षेत्र में जल आपूर्ति

3.78 मेवात और गुरूग्राम क्षेत्र को पीने का पानी प्रदान करने के लिए, हरियाणा सरकार ने गुड़गांव जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लम्बी पाईप–लाईन के माध्यम से 200 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण 600 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से करने का निर्णय लिया है, जो गुरूग्राम जल आपूर्ति नहर से बादली के पास के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के रास्ते पर चल रही है। आगे गुरूग्राम क्षेत्र और मेवात नहर फीडर की भविष्य में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुड़गांव जल सेवाएं चैनल की मौजूदा क्षमता 175 क्यूसेक को 475 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए पुनर्वास का कार्य 1,600 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

नदी के ऊपर भण्डारण बांध

3.79 हरियाणा सरकार यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों गिरि और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्सेपर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण के लिए सख्ती से कार्य कर रही है। लखवार, किशाउ एवं रेणुकाजी बांध के पूरा होने पर हरियाणा को कुल जमा पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा रेणुका जी बांध की निवेश मंजूरी के बाद, राज्य सरकार ने ऊपरी यमुना नदी समिति को प्रारंभिक धन के रूप में 63.57 करोड़ रुपये जमा करवा दिए हैं।

हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण (एच.पी.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एम.ए.)

3.80 तालाबों और जलाशयों के विकास का कार्य भी बडे पैमाने पर शुरू किया गया है। पूरे प्रदेश में लगभग 19,388 तालाबों की जियो मैपिंग की जा चुकी है और चरणबद्व तरीके से इन तालाबों का जीर्णोद्वारा किया जा रहा है। अमृत सरोवर के तहत 1,273 तालाबों को प्राथमिकता पर लिया गया है, जिनमें से 208 का कार्य पूरा हो चुका है और 493 का कार्य प्रगति पर है।

राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एस.एस.ए.पी.)

3.81 राष्ट्रीय जल मिशन के तहत सुरक्षा, निरंतर विकास और जल संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई योजना एस.एस.ए.पी. का कार्यभार हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान को सौंपा गया है। हरियाणा के विभिन्न विभागों से राज्य विशिष्ट कार्य योजना से सम्बन्धित अधिकतर आंकडे प्राप्त किए जा चुके हैं।

सतलुज यमुना लिंक

3.82 राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई जो कि पिछले 12 वर्षों से लंबित थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–11–2016 को निर्णय लिया गया तथा यह राय दी गई थी कि पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमैंन्ट एक्ट असंवैधानिक है। तदानुसार हरियाणा सरकार ने माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को बाद में कार्यवाही की इच्छा जताई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 9–07–2019 को अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के साथ तीन बैठकें की गई लेकिन कुछ भी ठोस निर्णय नहीं निकला। पंजाब सरकार ने दिनांक 23–01–2020 को सभी दलों की बैठक बुलाई जहां सर्वसम्मति से यह फैंसला लिया गया कि भारत सरकार सुनिश्चित करें कि पंजाब का पानी रावी, ब्यास और सतलुज बेसिन से गैर बेसिन क्षेत्रों में स्थानातंरित नहीं किया जाए जोकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने दिनांक 07–02–2020 को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र लिख कर यह सूचित किया कि पंजाब असंवैधानिक व गैरकानूनी तरीके अपना कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। हाल ही में मामले की सुनवाई दिनांक 06–09–2022 को हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि पंजाब तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री इसी माह आपस में बैठक करें तथा 4 महीने का समय दिया और कहा कि प्रगति रिपोर्ट दी जाए। दिनांक 14–10–2022 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चण्डीगढ़ में बैठक हुई किन्तु मुख्यमंत्री पंजाब ने एस.वाई. एल. को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। परिणामस्वरूप दिनांक 04–01–2023 को माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इन्कार कर दिया और एस.वाई.एल. नहर के निर्माण से इन्कार कर दिया।

3.83 मिकाडा से सम्बन्धित मुख्य उपलब्धियां

- काडा का मुख्य कार्य खेतों की सिंचाई हेतू पक्के जलमार्गो का निर्माण करना था। दिसम्बर, 2020 में सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) का नाम बदलकर

सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) कर दिया गया। मार्च, 2021 तक सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम "प्रति बूंद अधिक फसल" पी.एम.के.एस.वाई. योजना बागवानी और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई थी। अब पी. डी.एम.सी. स्कीम के अर्न्तगत सूक्ष्म सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने के लिए अप्रैल, 2021 से मिकाडा को अधिकृत किया गया है। हरियाणा राज्य में मिकाडा द्वारा पी.एम. के.एस.वाई योजना के निम्नलिखित घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा है:

क) टपका सिंचाई प्रणाली
ख) लघु फव्वारा प्रणाली
ग) पोर्टेबल फव्वारा प्रणाली
घ) सूक्ष्म सिंचाई के लिए खेत में पानी के तालाब
ड) नहरी जल मार्गो का एकीकरण (पाईप और सिविल निर्माण), फार्म तालाब, सौर ऊर्जा पम्प व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली।

- किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना नाबार्ड–एम.आई.एफ. के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 189.46 करोड़ रुपये है जो कि 22,555 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाएगी।
- एक अन्य परियोजना नाबार्ड–एम.आई.एफ. के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 399.97 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत 57,353 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया जाना प्रस्तावित है।
- मिकाडा द्वारा खालो के निर्माण/विस्तार/पुनर्वास के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए खाल के चक्क का कम से कम 30 प्रतिशत क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अर्न्तगत लाने की आवश्यकता है। बजट घोषणा 2022–23 मे माननीय मुखमंत्री ने एक वर्ष की अवधि के लिए खालों की मुरम्मत/पुनर्वास के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई की मौजूदा शर्त मे छूट दी है, जहाँ इस तरह की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता अत्यधिक क्षति के कारण है व जलमार्ग के पुनर्वास के लिए संरचनात्मक आवश्यकता है।
- उपरोक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मिकाडा, हरियाणा ने लगभग 500 जलमार्गो की पहचान की है जिनके लिए पुनर्वास की आवश्यकता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 मे लगभग 1,30,000 एकड क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 250 जलमार्गो का पुनर्वास किया जाएगा। इसलिए, चालू वित्त वर्ष 2022–23 के अनुपूरक बजट 2022–23 मे उक्त कार्य के निष्पादन के लिए 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रवधान किया गया है।
- सरकार के निर्णय के अनुसार, मिकाडा ने हरियाणा के विभिन्न जिलो में 1,546 कच्चे जलमार्गो की पहचान की है, जो कि अगले तीन वर्षो में नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI के तहत पक्के किये जाने प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल 946.52 करोड रूपये (वर्ष 2022–23 में बनाए गए 200 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट के साथ) के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से आर.के.वी.वाई.–पी.डी.एम.सी. घटक के तहत लगभग 2.5 लाख एकड. क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए 606.42 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के लिए लगभग 4,000 ऑन–फार्म पानी के टैंक (सामुदायिक या व्यक्तिगत) के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी।

वन

3.84 हरियाणा देश के उन राज्यों में से एक है जहां देश में सबसे कम वन क्षेत्र है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका लगभग 81 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अधीन है। वन और वृक्षों के आच्छादन के तहत अपने क्षेत्र का केवल 7.16 प्रतिशत होने के साथ, वन विभाग का प्रयास राज्य में जैव–विविधता, पारिस्थितिक स्थिरता और पर्यावरणीय सेवाओं के संरक्षण के लिए वन और वृक्षों के आच्छादन को बनाए रखना और बढ़ाना है। मनुष्यों को सेवाएं प्रदान करने में जंगलों और पेड़ों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वे कार्बन प्रच्छादन और जलवायु सुधार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करते हैं।

3.85 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरु किए गए स्कूली बच्चों के वृक्षारोपण अभियान और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरु किए गए जल शक्ति अभियान के कार्यान्वयन की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2022–23 के दौरान वन भूमि, पंचायत भूमि, संस्थागत् भूमि, कृषक भूमि आदि पर पौधरोपण कर 1.79 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

3.86 कई हाईवे और एक्सप्रैस–वे हरियाणा राज्य से होकर गुजर रहे हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान अम्बाला से नारनौल तक गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152-डी के किनारे 500 आर.के.एम. का वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस हाईवे के किनारे करीब 1.25 लाख पौधे रोपे गए हैं। इसके अलावा, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इन सड़कों पर मौजूद टोल प्लाज़ा के दोनों किनारों पर देशी प्रजातियों के घने वृक्षारोपण किए गए हैं। पर्यावरण विभाग, हरियाणा ने राज्य में लगभग 24 प्रदूषण हॉट स्पॉट की पहचान की है। इन हॉट स्पॉट को हरा–भरा बनाने के लिए इन पर सजावटी और प्रदूषण निवारक पौधे लगाए गए हैं।

3.87 वनीकरण योजनाओं को बेहतर योजना के उद्देश्य से कृषि क्षेत्रों और वन क्षेत्रों के बाहर अन्य क्षेत्रों में हमारे वृक्ष संपदा को जानना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य में हरित आवरण की सटीक सीमा का अनुमान लगाने के लिए सभी गांवों और शहरी केंद्रों में वृक्षों की गणना की गई है। वृक्ष गणना के परिणामों के आधार पर राज्य को हरा–भरा बनाने के लिए ग्राम स्तर पर व्यापक वनरोपण योजना बनाई जाएगी।

3.88 जोहड़ (तालाब) ग्रामीण भारत में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन और समृद्धि के केंद्र में हैं। वास्तव में, ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा होने के कारण, गाँव तालाबों के आसपास बसे होते हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 2,200 ग्राम जोहड़ के साथ बरगद, पीपल, नीम, पिलखन जैसे दीर्घायु छायादार एवं बहुउद्देश्यीय वृक्षों का रोपण किया गया है।

3.89 राज्य का शिवालिक क्षेत्र प्राचीन काल से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव–विविधता के लिए जाना जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए कालका (पंचकुला जिला) से कलेसर (यमुनानगर जिला) तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल स्थापित किया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ लोग प्रकृति का आनंद ले सकें और प्रकृति में भागीदार बनकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।

3.90 कोविड समय ने हमें पेड़ों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑक्सीजन के महत्व को दिखाया। इस महत्व की स्मृति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य में 34 ऑक्सी–वन विकसित किए गए हैं जहां लोग प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं।

पशुपालन एवं डेयरी

3.91 पशुपालन एंव डेयरी विभाग राज्य के 71.26 लाख पशुधन संख्या को 2,857 पशु संस्थाओं (राजकीय पशु चिकित्सालय एंव राजकीय पशु चिकित्सा औषद्यालयों) की सुविकसित सरंचना के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को निःशुल्क पशु स्वास्थ्य एंव पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

3.92 हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.10 प्रतिशत है लेकिन 112.84 लाख टन दूध का योगदान है जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.37 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदन दूध की उपलब्धता 1,063 ग्राम है जबकि राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम के मुकाबले में देश में तीसरे स्थान पर है।

3.93 वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः 11.49 लाख गायों और 27.22 लाख भैंसों और वर्ष 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) के दौरान 5.36 लाख गायों तथा 10.99 लाख भैंसों का उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः 4.12 लाख गायों और 10.85 लाख भैसों के बच्चें और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) के दौरान 1.98 लाख गायों 5.03 लाख भैंसों के बच्चे पैदा हुए है।

3.94 विभाग ने वर्ष 2021–22 के दौरान 129.32 लाख और वर्ष 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) के दौरान 48.75 लाख पशुओं को कृमिरहित किया गया जिससे पशुओं में कृमि को कम करने और समग्र उत्पादन में वृद्वि करने में मदद मिलती है। विभाग समाज के अर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को उनके परिवारों के पोषण और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कम लागत वाली नस्ल के 10 दिन आयु के 50 चूजे मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना चला रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 938 और 508 इकाईयां स्थापित की गई हैं और वर्ष 2022–23 के दौरान अभी तक आावंटित बजट 50 लाख रूपये में से 22.46 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया।

3.95 राज्य में अनूसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1,500 (दो/तीन दुधारू पशु) डेयरी और 100 (10 मादा +1 नर) सुअर पालन इकाईयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 1,501 लाभ प्राप्तकर्ताओं (1,471 पशु डेयरी + 30 सूअर पालन इकाईयां) व वर्ष 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में 368 लाभ प्राप्तकर्ताओं (364 पशु डेयरी+4 सूअर पालन इकाईयां) को लाभावित्त किया गया है। इस वर्ष के दौरान अभी तक आंवटित बजट 27 करोड़ रूपये में से 11.13 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

3.96 राज्य में अनुसुचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इकाई लागत पर 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके (15 मादा +1 नर) भेड़ व बकरी की 800 इकाईयां स्थापित की जानी है। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 312 एवं 113 लाभान्वित हुए है।

3.97 बेरोजगार युवाओं को 4 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में स्वरोजगाार हेतु सहायता प्रदान की जाती है तथा 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 890 और 191 इकाईयां स्थापित की गई है, राज्य में हरियाणा, साहीवाल, बेलाही और गिर देशी नस्ल की गायों को संरक्षण और बढ़ावा देने के अधिक दूध देने वाली गायों के मालिको को 5,000 रूपये से 20,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23

(30 सितम्बर, 2022 तक) क्रमशः 2,005 और 536 पशुओं की पहचान की गई है। राज्य में अधिक उत्पादन देने वाले मुर्राह जर्मप्लाजम को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए, अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 15,000 रूपये से 30,000 तक रूपये की नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 1,048 और 234 पशुओं की पहचान की जा चुकी है।

3.98 पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य के सम्पूर्ण पशुधन मुंहखुर (एफ.एम.डी.) गलघोटूं (एच.एस.), के संयुक्त व स्वाइन फीवर, शीप पोक्स, पी.पी.आर., एंअरोटॉक्सिामिया इत्यादि रोगो के लिए संपूर्ण पशुधन पशुपालकों के घर द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 67.42 लाख तथा 80.47 लाख (17.36 लाख एल.एस.डी. को मिलाकर) पशुपालकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।

3.99 सरकार राज्य के बेसहारा मांवेशियों के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है और विभाग ने राज्य के विभिन्न गौशालाओं में 50,000 बेसहारा मवेशियों के पुनर्वास में सहायता की है तथा कम फसल क्षति के कारण किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है और निम्न कोटि के जर्मप्लाजम के प्रसार की रोकथाम भी हुई है।

3.100 हरियाणा राज्य में वित्त वर्ष 2021–22 में कियान्वित प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के अन्तर्गत विभाग की चार योजनाएं सम्मिलित है और इन चार योजनाओं में अब तक 14,162 पशुपालक लाभावित्त हुये हैं। विभाग ने वर्ष 2021–22 में बेसहारा पशुओं के पुनर्वास में सहायता के लिए गौशालाओं को 8.35 करोड़ रूपये चारा अनुदान के रूप में प्रदान किये है। विभाग ने पशुओं के कल्याण के लिए राज्य में 22 एस.पी.सी.ए. स्थापित किए हैं।

3.101 राज्य के पशुपालकों को सैक्स सोर्टिड सीमन 200 रूपये प्रति डोज की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो देश में सबसे कम है। अब तक 2.45 लाख वीर्य की खुराक का उपयोग किया गया है 35,556 पशु गर्भित पाए गए है और 11,897 बच्चे पैदा हुए है जिनमें से 10,743 (90.30 प्रतिशत) मादा बच्चे है।

3.102 पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न बैंको द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (पी.के.सी.सी.) प्रदान करने का प्रावधान हैं। विभाग ने बैंक को 4.55 लाख आवेदन प्रायोजित किए है। इनमें से कुल 1.32 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए है। अब तक 88,915 पी.के.सी.सी. कार्ड बैंको द्वारा पशुपालकों को वितरित किए गए हैं।

3.103 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक की अवधि में राज्य ने 5.43 लाख गायों और भैंसों की पहचान यूनीक आईडेंटिफिकेशन टैग के साथ की है और इन पशुओं को आई.एन.ए.पी.एच. पोर्टल में पंजीकृत किया है। पशुपालन में इच्छुक राज्य के बेरोजगार युवाओं को डेयरी, भेड़, बकरी सूअर और मुर्गी पालन में 11 दिनों का अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 एंव 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 2,381 व 152 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

3.104 सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021–22 के तहत पंचकूला और सोनीपत में बी.एस.एल.–II प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ए.एस.सी.ए.डी. योजना के अन्तर्गत 1.50 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की है जिससे ये प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। इसके अलावा लुवास, हिसार में एक बी.एस.एल.–II प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है।

3.105 भारत सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना–मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और

सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत पीपीपी मोड में प्रत्येक ब्लाक में 200 मोबाईल पशु चिकित्सा इकाइयों को शुरू कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है और वर्ष 2022–23 में 70 मोबाईल वैन की खरीद हेतू 1,120 लाख रूपये केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है।

3.106 वर्ष 2021–22 में नस्ल सुधार के लिए बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रो की स्थापना की गई है। इस संदर्भ में डी.यू.वी.ए. एस.यू. मथुरा द्वारा 30 पशु चिकित्सकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है तथा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा 4,000 वीर्य खुराक की खरीद की गई है। इस उद्येश्य के लिए ऊन श्रेणीकरण एंव विपणन केंद्र, लोहारू में भेड़ और बकरी कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

मत्स्य

3.107 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। सहायक व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन राज्य के मत्स्य पालकों में लोकप्रिय होता जा रहा है।

3.108 वर्ष 2021–22 के अर्न्तगत 19,100 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाकर 6,346.50 लाख मछली बीज संचय करते हुए 2,09,033.32 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022–23 के अर्न्तगत 21,650 हैक्टेयर जलक्षेत्र के आवंटित लक्ष्यों के विरूद्व 16,296.60 हैक्टेयर जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन ला कर 5,300 लाख मत्स्य बीज संचय के लक्ष्यों के विरूद्व 6,329.46 लाख मत्स्य बीज संचय करते हुये 2,10,500 मीट्रिक टन के लक्ष्यों के विरूद्व 1,65,898.65 लाख मत्स्य उत्पादन किया गया (माह जनवरी, 2023 तक)।

3.109 वर्ष 2014–15 में हरियाणा राज्य में पहली बार जिला झज्जर, रोहतक व हिसार के लवणीय क्षेत्र तथा मेवात एवं पलवल के जल भराव के क्षेत्र में अनुपयोगी लवणीय व जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नयी परियोजना का सृजन करके सफेद झींगा पालन एवं मत्स्य पालन शुरू किया गया। वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत 500 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा पालन के अधीन लाया गया। वर्ष 2022–23 में (माह जनवरी, 2023) में 1,000 हैक्टेयर जलक्षेत्र के विरूद्व 653.79 हैक्टेयर जलक्षेत्र झींगा पालन के अधीन लाकर 2,500 लाख झींगा बीज संचय के विरूद्व 1,640.73 लाख झींगा बीज संचित करते हुए 4,000 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्व 5,256.93 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन किया गया। वर्ष 2022–23 में औसत मत्स्य उत्पादकता 9,600 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 10,000 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष किया जायेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

3.110 गेहूं खरीद की समय अवधि दिनांक 01–04–2022 से 15–05–2022 तक थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रूपये प्रति क्विंटल थे। गेहूं की कुल 41.85 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई। सरसों खरीद के लिए 92 मण्डियां/खरीद केन्द्र, चने की खरीद के लिए 11 मण्डियां/खरीद केन्द्र, जौं खरीद के लिए 25 मण्डियां/खरीद केन्द्र तथा सूरजमुखी की खरीद के लिए 9 मण्डियां/खरीद खोले गए। सरसों, चना तथा जौं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खरीद नही हुई।

3.111 धान खरीद की समय अवधि दिनांक 01–10–2022 से 15–11–2022 तक निर्धारित की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए 210 मण्डियां/खरीद केन्द्र खोले गए है। दिनांक 15–11–2022 तक

2,060 रूपये प्रति क्विटंल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 59.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। मूंग खरीद के लिए 38 मण्डियां/खरीद केन्द्र, मक्का की खरीद के लिए 19 मण्डियां/खरीद केन्द्र तथा मूंगफली की खरीद के लिए 7 मण्डियां/खरीद केन्द्र खोले गए है। पिछले दो वर्षों में रबी और खरीफ फसलों की खरीद **तालिका 3.18** में दी गई है।

भण्डार शाखा

3.112 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के पास 91.56 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड भण्डारण क्षमता है। जिसमें से खाद्य विभाग के पास भंडारण क्षमता 4.87 लाख मीट्रिक टन, हैफेड के पास 13.70 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग की 16.33 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा एग्रो की 1.79 लाख मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम के पास 8.75 लाख मीट्रिक टन, केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 4.55 लाख मीट्रिक टन, एच.एस. ए.एम.बी. के पास 4.18 लाख मीट्रिक टन, पी.ई. जी. स्कीम के 34.02 लाख मीट्रिक टन तथा 3. 37 लाख मीट्रिक टन क्षमता के निजी पार्टियों (अडानी ग्रुप) के स्टील साइलो है। राज्य सरकार भण्डारण के कारण होने वाली हानि को कम करने तथा कवर्ड भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के प्रति सतर्क है।

तालिका 3.18–रबी तथा खरीफ फसलों की खरीद

वर्ष	गेहूँ (लाख मीट्रिक टन)	चना (मीट्रिक टन)	सरसों (लाख मीट्रिक टन)	धान (लाख मीट्रिक टन)	मक्का (मीट्रिक टन)	सूरजमुखी (मीट्रिक टन)	मूँग (मीट्रिक टन)	बाजरा (मीट्रिक टन)
2021–22	84.93	7240	–	55.30	244.50	4012.70	1228.90	858.75
2022–23	41.85	565	–	59.37	–	2002.57	618.00	80381.65

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

3.113 हिसार में 40,656 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,695.26 लाख रूपये होगी। नाबार्ड इस राशि का 95 प्रतिशत (2,560.50 लाख रूपये) वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत प्रदान करेगा और इस राशि का राशि का 5 प्रतिशत यानी 134.76 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हरियाणा राज्य भण्डारण निगम नोडल ऐजेन्सी है। 17,556 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 23,100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। महुवाला (फतेहाबाद) में 2,380.19 लाख रूपये की लागत से 53,130 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण को माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 09–04–2020 को स्वीकृति प्रदान की थी। आर. आई.डी.एफ. योजना के तहत परियोजना का 95 प्रतिशत (2,261.17 लाख रूपये) नाबार्ड द्वारा और इस राशि का 5 प्रतिशत यानि (119.02 लाख रूपये) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नाबार्ड द्वारा 452.23 लाख रूपये की अदायगी कर दी गई है। हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 01–02–2023 को टैन्डर दिये गये हैं।

स्टील साईलो का निर्माण

3.114 भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य में 3 चरणों में 9.50 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए साइलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने रोहतक, जीन्द, पलवल, पानीपत, भट्टू, सोनीपत मे प्रत्येक 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के स्टील साइलों के निर्माण के लिए कुल 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के लिए निविदाएं आंमत्रित की है और काम वितरित किया है। हरियाणा राज्य को 6.50 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए स्टील साइलों का निर्माण करना है। उच्च स्तरीय समिति ने अंबाला (1,00,000 मीट्रिक टन), फरीदाबाद (50,000 मीट्रिक टन), भिवानी (50,000 मीट्रिक टन), रोहतक (50,000 मीट्रिक टन), जगाधरी (50,000 मीट्रिक टन), करनाल (75,000 मीट्रिक टन), तरावड़ी (75,000 मीट्रिक

टन), हांसी (50,000 मीट्रिक टन), उचाना (50,000 मीट्रिक टन) और कुरूक्षेत्र (1,00,000 मीट्रिक टन) के निर्माण हेतु पहले ही मंजूरी दे चुकी है। हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को स्टील साइलों के निर्माण के लिए नोडल एंजेसी घोषित किया गया है और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार ने पहले चरण में स्टील साइलों के निर्माण के लिए करनाल, पानीपत, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और पलवल (25,000 मीट्रिक टन प्रत्येक स्थान) में भूमि के अधिग्रहण का निर्देश दिया है।

फोर्टिफाईड आटा वितरण

3.115 कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रायोगिक परियोजना के आधार पर मार्च, 2018 से जिला अम्बाला के नारायणगढ तथा बराड़ा खण्ड में फोर्टिफाईड आटे का वितरण आरम्भ किया गया। फरवरी, 2019 से उक्त योजना को पूरे अम्बाला तथा करनाल जिले में लागू कर दिया गया था। अब राज्य के 5 जिलों नामतः अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक तथा यमुनानगर में फोर्टिफाईड आटा वितरित किया जाता है।

पी.डी.एस. के अंतर्गत चीनी का वितरण

3.116 राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से प्रति बी.पी.एल. परिवार को 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति मास की दर से चीनी वितरित की जा रही है। राज्य सरकार प्रति माह लगभग 2.50 करोड़ रूपये वहन कर रही है। राज्य में वर्तमान में कुल 9,716 राशन डिपो हैं।

अन्त्योदय आहार योजना के तहत सरसों के तेल का वितरण

3.117 राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जून, 2021 से सरसों के तेल के स्थान पर 11.41 लाख बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. परिवारों के बैंक खाते में 250 रूपये जमा किये जाने है। अप्रैल, 2022 तक 8,04,918 बी.पी. एल./ए.ए.वाई. परिवारों (किड, हरियाणा द्वारा) के खातों में 238.22 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई है। वितरित किए गए खाद्यान्न का विवरण **तालिका 3.19** में दिया गया है।

तालिका 3.19–खाद्यान्न का योजनावार वितरण

स्कीम	वस्तु	वितरण (2021–22)	वितरण 2022–23 (अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक)
एन.एफ.एस ए.–2013	गेंहू	466958	354440
	फोर्टिफाईड आटा	177331	132207
	बाजरा	71120	59259
पी.एम.जी. के.ए.वाई.	गेहूँ	622414	517967
	चीनी	11651	10170

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का एंड टू एंड कम्पुयट्रीकरण

3.118 टी.पी.डी.एस. ऑपरेशन के एंड–टू–एंड कंम्यूट्राइजेशन के तहत कॉनफेड फोकल प्वाइंटस सहित 9,633 उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) और 243 गोदामों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। एन. एफ.एस.ए. के तहत 30,39,008 परिवारों/राशन कार्ड और 1,21,57,526 सदस्यों/लाभार्थियों को डिजिटलीकरण किया गया है। कम से कम एक सदस्य के आधारी को राशन कार्ड से जोड़ा गया है और सदस्यों/लाभार्थियों की आधार सीडिंग परिवार आई.डी. डेटा बेस पर आधारित है। राज्य सरकार ने बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट (बी.ओ.ओ.) मॉडल में सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (पी.ओ. एस.) स्थापित करने का निर्णय लिया था। 1 नवंबर, 2016 को पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकान का स्वचालन शुरु किया गया था।

नामांकित एडीशन

3.119 यह देखा गया है कि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो उचित मूल्य की दुकानों पर जा कर राशन को एकत्र करने में असमर्थ हैं, जैसे कि कोढ़ी, बीमार और वरिष्ठ लाभार्थी। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थी हैं जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं जैसे कि वे लाभार्थी जो श्रम में लगे हुए हैं। ये लाभार्थी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन एकत्र करने में असमर्थ हैं। ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण

प्रणाली (ए.ई.पी.डी.एस.) में एक अपवाद संचालन प्रक्रिया प्रदान की गई है। इस तरह के लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण के बाद अपनी ओर से राशन लेने के लिए नामांकित कर सकते हैं। 0.43 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया गया है।

बेस्ट फिंगर डिटेक्शन

3.120 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की समस्याओं को हल करने के लिए जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं) बेस्ट फिंगर डिटेक्शन (बी.एफ.डी.) की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही फिंगर प्रिंट को पढ़ने में कठिनाई की समस्या का समाधान करने के लिए फ्यूजन की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें एक उंगली की पहचान पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में सिस्टम दूसरी उंगली के लिए संकेत देता है। फ्यूजन सफलता की दर लगभग 98 प्रतिशत है, जिसने इस तरह की समस्या को लगभग हल कर दिया है।

एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.पी.डी.एस.)

3.121 एन.एफ.एस.ए. के तहत पंजीकृत लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.–पी.डी.एस.) के एकीकृत प्रबंधन के तहत हर महीने किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से अपना हकदार अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आई.एम.–पी.डी.एस. और राज्य पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन अपडेट किया जाता है।

विधिक माप विज्ञान

3.122 भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम 2009 लागू किया गया है ताकि बाट एवं माप के मानक नियमित, प्रदत्त किए जा सके तथा अन्य ऐसे मामले विक्रय अथवा वितरण माप, तोल और संख्या में किया जाता है ताकि व्यापार अथवा वाणिज्य को विनिमित किया जा सके।

उपभोक्ता मामले

3.123 उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनमें जागरूकता लाने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र का विधिवत उद्घघाटन माननीय खाद्य मंत्री द्वारा दिनांक 27–09–2013 को किया गया। सशक्तीकरण और जागरूकता के अलावा हेल्पलाईन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान के बारे में भी मार्गदर्शन करती है जोकि 20, जुलाई, 2020 को लागू किया गया। हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण, मार्गदर्शन करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र सभी कार्यदिवसों में कार्यरत है। जनवरी, 2018 से दिनांक 31–10–2022 तक 34,668 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 34,177 (98.5 प्रतिशत) शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.124 हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नबम्वर, 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के गठन के साथ अस्तित्व में आया। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हैफेड का मिशन व्यवहारीय और कुशल सहायता प्रदान करके राज्य के किसानों के आर्थिक हितों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाना है। संघ के मुख्य उद्देश्य (i) कृषि उत्पादन और सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन और प्रंसस्करण के लिए व्यवस्था करना (ii) कृषि आदानों की आपूर्ति जैसे खाद, बीज व कृषि रसायनों की व्यवस्था करना तथा (iii) सम्बद्ध सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। हैफेड का पिछले 5 वर्षों का टर्नओवर व लाभ **तालिका 3.20** में दिए गए हैं।

3.125 हैफेड की प्रमुख उपलब्धियां

- **धान की खरीद**–खरीफ–2022–23 सीजन के दौरान हैफेड ने 19.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी

एजैन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 33 प्रतिशत है।

तालिका 3.20– हैफेड का बिक्री व लाभ

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	टर्नओवर	लाभ
2017–18	9352.70	76.29
2018–19	12307.00	41.46
2019–20	13482.02	61.98
2020–21	16608.62	152.95
2021–22	17727.94	207.13

स्त्रोतः हैफेड।

- **बाजरे व मक्का की खरीद–**खरीफ–2022 में हैफेड ने 803.82 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है।
- **गेहूं की खरीद–**रबी–2022 के दौरान हैफेड ने 17.82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 42.57 प्रतिशत है। हैफेड ने रबी–2021 के दौरान 36.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी।
- **सूरजमुखी की खरीद–**रबी–2021–22 तथा 2022–23 के दौरान हैफेड ने यूनतम समर्थन मूल्य पर 3,382 मीट्रिक टन और 1,888 मीट्रिक टन की सूरजमुखी की खरीद की है।
- **उर्वरकों की आपूर्ति–**हैफेड ने यूरिया और डी.ए.पी. समय पर उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई है। हैफेड ने वर्ष 2021–22 में 0.88 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.30 लाख मीट्रिक टन डी.ए. पी. की आपूर्ति की है। हैफेड द्वारा वर्ष 2022–23 (31–10–2022 तक) 0.54 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.46 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. बेचा गया है।
- **चीनी मिल असन्ध–**वर्ष 2021–22 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध ने 34.31 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है तथा 8.42 प्रतिशत चीनी की रिकवरी की है। वर्ष 2021–22 में चीनी मिल असन्ध का 155.84 करोड़ रूपये का कारोबार रहा।
- **प्रमाणित गेहूं बीज का विपणन–**हैफेड ने वर्ष 2022–23 (31–10–2022 तक) के दौरान 1,397.03 करोड़ रूपये के कारोबार तथा 56 करोड़ के लाभ के साथ 37,275.60 क्विंटल गेंहू के बीज की बिक्री की।
- **उपभोक्ता उत्पादों का विपणन–**हैफेड द्वारा वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 (31–12–2022) के दौरान क्रमशः 341.84 करोड़ रुपये (जिसमें 5.40 करोड रूपये निर्यात के शामिल हैं) तथा 356 करोड रूपये के उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री की गई।
- **निर्यात–**हैफेड ने 85,000 मीट्रिक टन बासमती चावल में से 20,000 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात का आदेश सुनिश्चित मैर्सस सलेह बाबाकर संस कम्पनी, रियाद, सउदी अरब के साथ किया है और शेष 65,000 मीट्रिक टन बासमती चावल प्रगति पर है जोकि जल्दी पूरा कर लिया जायेगा।

3.126 हैफेड की एक नई परियोजनाएं/पहल

- तेल मिलों नारनौल और रेवाड़ी का आधुनिकीकरण और नई रामपुरा (रेवाड़ी) में तेल मिल की स्थापना।
- जाटूसाना (रेवाडी) में नई आटा मिल की स्थापना और मौजूदा आटा मिल तरावड़ी का आधुनिकीकरण।
- तरावड़ी मे प्रति वर्ष 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले फोर्टिफाइड चावल कर्नेल यूनिट की स्थापना।
- हैफेड द्वारा बड़ौदा (सोनीपत), रानिया (सिरसा), लाडवा (कुरूक्षेत्र), ढांड (कैथल) और रादौर मे नई चावल मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
- हैफेड द्वारा रादौर (यमुनानगर) में हल्दी प्लांट की स्थापना
- हैफेड कॉम्लेक्स कैथल में 5 टन प्रति घंटा क्षमता के साथ आधुनिक बीज प्लांट लगाया जाएगा।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

3.127 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम 01–11–1967 को अस्तित्व में आया। यह संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य किसानों एजैंसियों, सार्वजनिक उद्यमों, व्यापारियों आदि को कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है और गोदामों में जमा माल के बदले क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना के समय, इसके पास अपने गोदामों की केवल 7,000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता थी। वर्तमान में 31–10–2022 तक निगम राज्य में 113 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिसमें से 107 स्वामित्व वाले और 6 गोदाम प्रबंधन के आधार पर राज्य भर में 18.44 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ हैं, जिसमें 18 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवरड गोदाम और 0.44 लाख मीट्रिक टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है। वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और इसका उपयोग **तालिका 3.21** में दिया गया है।

तालिका 3.21– वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और उपयोग

वर्ष	औसत भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	औसत उपयोगिता (मीट्रिक टन)	उपयोगिता की प्रतिशत्ता	गोदामों की संख्या
2017-18	1659545	1405766	85	111
2018-19	1968878	1910380	97	111
2019-20	2258607	2311621	102	111
2020-21	2182591	2061331	94	111
2021-22	2145345	1887626	88	112
2022-23 (31–10–2022 तक)	1859614	1165891	63	113

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो

3.128 निगम हरियाणा के आयातकों व निर्यातकों और पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्र में लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए रेवाड़ी में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.)–सह– कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी. एफ.एस.) संचालित कर रहा है। यद्यपि, आई. सी.डी.– सह–सी.एफ.एस. रेवाड़ी का संचालन कॉनकोर द्वारा 01–11–2008 से कोनकोर (भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी) के साथ एक रणनीतिक गठबंधन समझौते के तहत किया जा रहा था। अब 01–01–2021 से आई. सी.डी.–सह–सी.एफ.एस., रेवाड़ी का संचालन नए सामो यानि मैसर्स एस.सी.एम. एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इन्लैंड कंटेनर डिपो, रेवाड़ी 18–12–2009 से इलैक्ट्रानिक डेटा इंटर चेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली के माध्यम से दुनिया से ऑनलाईन जुड़ा हुआ है।

विस्तार सेवा योजनाएं

3.129 निगम दो विस्तार सेवा योजनाएं चला रहा है, जैसे कीटाणु शोधन विस्तार सेवा योजना (डी.ई.एस.एस.) और किसान विस्तार सेवा योजना (एफ.ई.एस.एस.)। किसान विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत निगम किसानों को कृषि उपज के वैज्ञानिक भण्डारण व कीटाणु शोधन उपायों के बारे में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। गोदाम के कर्मचारी वैज्ञानिक भंडारण के लाभों से किसानों को परिचित कराने और प्रमाणित करने के लिए आसपास के गांवों का दौरा करते है। वर्ष 2020–21 के दौरान 223 गांवों में 2,958 किसानों को शिक्षित किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने इस योजना के तहत 95 गाँवों को कवर किया और 31–03–2022 तक 1,015 किसानों को उनके खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित किया और लाभ के बारे में परिचित कराने के अलावा कीटाणुशोधन उपायों का भी

प्रदर्शन किया। कीटाणुरहित विस्तार योजना के अन्तर्गत किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों और अन्य लोगों के स्टॉक को उनके अपने घरों/गोदामों में कीटाणु रहित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, 1,155 लोगों ने इस योजना से लाभ उठाया और निगम ने इस योजना के तहत 14,58,340 लाख रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 5,56,805 रूपये कमाए। चालू वित वर्ष 2022–23 के दौरान निगम ने डी.ई. एस.एस. के तहत 15,75,000 रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 6,13,468 रूपये की राशि अर्जित की है और 30–09–2022 तक 680 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

वित्तीय उपलब्धियां

3.130 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निगम ने कर पूर्व 3,211 लाख रूपये का तथा कर पश्चात 3,144 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया है। निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए गेंहू, धान और बाजरा की खरीद के लिए राज्य एजैन्सियों में से एक है। अक्तूबर, 2014 से निगम बाजरा, मूंग, सरसों, सूरजमुखी तथा चना भी खरीदता है। गेंहू और धान के खरीद की 5 वर्षें की स्थिति **तालिका 3.22** में दी गई है।

तालिका 3.22– निगम की खरीद की स्थिति

(रूपये लाख में)

विवरण	गेंहू			धान		
	एचएसडब्ल्यूसी द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता	एचएसडब्ल्यूसी द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता
2018–19	15.60	87.26	17.88	7.96	58.65	13.57
2019–20	15.38	93.05	16.53	9.45	64.71	14.60
2020–21	12.97	74.00	17.56	8.64	56.06	15.43
2021–22	16.09	84.93	18.94	10.35	55.30	18.71
2022–23 (31–10–2022 तक)	6.92	41.80	16.50	9.18	–	–

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड

3.131 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना मार्किट कमेटियों की देख रेख के उद्वेश्य से 1 अगस्त, 1969 को की गई थी। इसकी स्थापना से अब तक अनाज की खरीद के लिए 114 मुख्य यार्ड, 172 सब यार्ड तथा 204 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 4,949 ग्रामीण सडकों का एक नेटवर्क भी बना रखा है, जिनकी लम्बाई 12,570 कि.मी. है जो कि गांवों के बीच और मंडियों तक जाती है, ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज को मंडियों तक लाने में सुविधा हो।

3.132 सरकार द्वारा एच.आर.डी.एफ. के तहत 5 करम चौडाई वाले रास्तों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 150 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्षवार नई लिंक सड़कों तथा विशेष मरम्मत की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण **तालिका 3.23** में दिया गया है।

3.133 नई पहल

- पिजौंर में सेब, फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण–हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिजौंर में 150 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। इस मंडी के निर्माण कार्य के 31–05–2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस मंडी में व्यापार आगामी सेब सीजन में शुरू होनें की सम्भावना है।

तालिका 3.23– नई लिंक रोड व विशेष मरम्मत के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष	विवरण	लक्ष्य		उपलब्धियां		स्वीकृत बजट (करोड़ रूपये में)	खर्च (करोड़ रूपये में)
		भौतिक (कि.मी. में)	वित्तीय (करोड़ रूपये में)	भौतिक (कि.मी. में)	वित्तीय (करोड़ रूपये में)		
2020-21	नई सम्पर्क सड़कें	280	100.00	683	190.89	100.00	190.89
	विशेष मरम्मत	560	83.25	724	139.76	83.25	139.76
2021-22	नई सम्पर्क सड़कें	400	176.75	430	140.88	176.75	140.88
	विशेष मरम्मत	600	90.00	998	216.00	90.00	216.00
2022-23 (31.12.22 तक)	नई सम्पर्क सड़कें	400	190.00	307	112.32	190.00	112.32
	विशेष मरम्मत	600	100.00	1160	195.16	100.00	195.16
2023-24	नई सम्पर्क सड़कें	400	190.00	-	-	-	-
	विशेष मरम्मत	600	100.00	-	-	-	-

स्त्रोतः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

- गुरूग्राम में फूल मंडी की स्थापना–इस मंडी के निर्माण हेतु जी.एम.डी.ए. की सैक्टर 52–ए गुरूग्राम में 8.26 एकड भूमि चिन्हित की गई है जोकि योजनाकार विभाग की विकास योजना 2031 के अर्न्तगत "ओपन स्पेश जोन" में आता है। भूमि को "ओपन स्पेश जोन" से मिक्स लेड यूज में बदलने हेतू प्रक्रिया जारी है।
- सेरसा में सूखे मेवों तथा मसाला मंडी की स्थापना– दिल्ली के भीड़भाड़ वाले व्यस्त खारी बावली बाजार से सूखे मेवों तथा मसालों को स्थानांत्रित करने के उद्देश्य से एच.एस.आई.आई.डी.सी. के साथ मिलकर सोनीपत में मसाला बाजार की स्थापना की जा रही है।
- भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर जिला सोनीपत का विकास–हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2007–08 व 2012–13 के दौरान गन्नौर (सोनीपत) में भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय बागवानी मंडी (आई.आई.एच.एम.) बनाने हेतु 544 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि लगभग 180 करोड़ रूपये की लागत से अधिकृत की गई। प्रस्तावित बागवानी मंडी में देश के फल व सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा व उनकी आय मे वृद्वि हेतु व्यापार की सभी विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगीं। यह मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर प्रस्तावित है जो अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है, तथा दिल्ली की बाहरी पूर्वी व पश्चिमी पैरीफ्रिल एक्सप्रेसवे से 25 किलोमीटर की दूरी पर है।

3.134 सिरसा में 57 एकड़ भूमि पर व ऐलनाबाद में 29 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त अनाज मंडी बनाने की प्रक्रिया जारी है। इन मंडियों के विकास कार्यो के आगामी वित्त वर्ष 2023–24 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

3.135 ई–नैम– राष्ट्रीय कृषि बाजार ई–नैम की परिकल्पना एक अखिल भारतीय इलैक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में की गई है, जो कृषि वस्तुओं के लिए एक वैश्विक बाजार मंच बनाने के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी. और अन्य मार्केट यार्ड को जोडना चाहता है। इस योजना में एक उपयुक्त सामान्य ई–मार्केट प्लेटफार्म की स्थापना करके ई–नैम के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है, जो ई–प्लेटफार्म में शामिल होने के इच्छुक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चयनित 585 विनियमित थोक बाजार में तैनात किया जा सकेगा। हरियाणा देश के उन 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों मे शामिल है जिन्होनें ई–नैम को लागू किया है। हरियाणा राज्य की 81 मंडियों को ई–नैम पोर्टल से वर्ष 2020 में जोडा जा चुका है तथा बकाया 27 मंडियों को ई–नैम पोर्टल से दिसम्बर, 2022 को जोड़ दिया गया है।

3.136 अटल किसान–मजदूर कैंटीन– हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों तथा मजदूरों को 10 रूपये में रियायती दर पर दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में अटल किसान–मजदूर कैंटीन स्थापित किए गए है। अन्य 15 मंडियों में भी इसी प्रकार की कैंटीन बनाने की प्रक्रिया जारी है।

***

4

उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन

औद्योगिकरण किसी भी देश या राज्य के तेजी से विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक राज्य में आर्थिक विकास को तेज करता है और इस तरह राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के योगदान को बढ़ाता है और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है। इस प्रक्रिया के प्रभाव से एक समाज पूर्व–औद्योगिक स्तर से औद्यागिक स्तर में परिवर्तित होता है। राज्य को पूर्व–प्रचलित निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने और गतिशील शासन प्रणाली द्वारा संतुलित, क्षेत्रीय और सतत विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरो का सृजन करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के एक व्यापक पैमाने को अपनाया है।

उद्योग और वाणिज्य

4.2 राज्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में राज्य के व्यवसाय के माहौल को मजबूत करना है, जिससे हरियाणा राज्य को पसंदीदा वैश्विक स्तर पर निवेश गंतव्य का स्थान बनाया जा सके। सरकार विनियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू करके इस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार उद्योग के भौगोलिक संवितरण के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर देने के साथ ग्रीन फील्ड निवेश द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए पथप्रदर्शक सुधारों और उपायों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

4.3 राज्य सरकार ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए "हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी–2020 (एच.ई.ई.पी.-2020)" को दिनांक 01–01–2021 से प्रभावी रूप से लागू किया है। यह नीति हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास, निर्यात विविधीकरण और लचीला आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों के लिए आजीविका के अवसरों को बढाने की परिकल्पना करती है। इस नीति का उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और राज्य में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना है। सरकार विनियामक बोझ को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए सुधारों को लागू करने पर लगातार काम कर रही है।

4.4 इसके अतिरिक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने हरियाणा में क्षेत्र के विकास के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया। विभाग ने हरियाणा कृषि–व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018, हरियाणा रसद, भंडारण और खुदरा नीति, 2019 और हरियाणा फार्मास्युटिकल नीति, 2019 जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक क्षेत्रीय नीतियां शुरू की हैं। ये नीतियां विभिन्न आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहनों की पेशकश कर रही हैं और निवेशक पर नियामक बोझ को कम करने के लिए कई उपाय कर रही हैं।

4.5 परिवहन क्षेत्र को डी–कार्बोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन एक आशाजनक वैश्विक रणनीति है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो वैश्विक ईवी30@30 अभियान का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30% नए इलैक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) निर्माण में अवसरों की खोज के लिए ऑटोमोटिव निर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत

का उपयोग करने की परिकल्पना करते हुए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022 लॉन्च की है। नीति राज्य में ई–मोबिलिटी के लिए एंड–टू–एंड पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर विशेष जोर देती है और राज्य के भीतर इलैक्ट्रिक वाहन निर्माण और अधिग्रहण लेने के लिए ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना करती है।

4.6 हरियाणा इलैक्ट्रिक वाहन नीति–2022 के उद्देश्य हैं– (i) राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना। (ii) एक व्यापक और सुलभ चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करके इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सस्ता और आसान बनाना। (iii) हरियाणा को इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.), ई.वी. के प्रमुख घटकों और ईवी के लिए बैटरी के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। (iv) राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। (v) विद्युत गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

4.7 नियमों को आसान बनाने के अलावा, हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपना रहा है। राज्य की ई.ओ.डी.बी. रणनीति को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है, अर्थात 'डिजाइन और विकास', 'कार्यान्वयन और उपयोग' और 'सुधार'। हरियाणा की 3 चरण की रणनीति का अंतिम उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। राज्य सरकार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य कर रही है। राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में 37 भाग लेने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में "टॉप अचीवर" का दर्जा हासिल किया। भारत सरकार द्वारा 13–10–2022 को जारी की गई लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) रैंकिंग में हरियाणा को "टॉप अचीवर" का दर्जा हासिल हुआ।

4.8 राज्य द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक 2 फरवरी, 2017 को सिंगल रूफ मैकेनिज्म, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर (एच.ई.पी.सी.) की स्थापना है। इंटरएक्टिव पोर्टल द्वारा समर्थित सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम को उद्यम संबंधी क्लीयरेंस/ऑनलाइन सेवाओं के प्रदान करने हेतु स्थापित की गई है। अब तक, इसने औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित 4 लाख सेवा से अधिक अनुरोधों को संसाधित किया है। पोर्टल अब 25 विभागों से 130+ औद्योगिक मंजूरी प्रदान करता है जैसे कि स्थापना के लिए सहमति, भवन योजनाओं की स्वीकृति, बिजली कनेक्शन, संचालन की सहमति, व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि अब समयबद्ध तरीके से एच.ई.पी.सी. के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सभी सेवाएं अधिकतम 30+15 दिनों की समय सीमा के भीतर वितरित की जाती हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत अपने वैधानिक समर्थन के कारण हरियाणा द्वारा विकसित सिंगल रूफ मैकेनिज्म अद्वितीय है। एच.ई.पी.सी. के निर्माण से अनुमोदन प्रक्रियाओं को चैनलाइज करने में मदद मिली है और निवेशकों के लिए कई स्पर्श बिंदु कम हो गए हैं। वित्त वर्ष 2022–23 में औसत निकासी समय 22 दिन से घटकर 12 दिन हो गया है। एच.ई.पी.सी. निवेशकों का मार्गदर्शन करने और प्रक्रिया, समयसीमा और औद्योगिक सेवाओं से संबंधित अन्य समान प्रश्नों के बारे में उनके प्रश्नों को हल करने के लिए हेल्पडेस्क संचालित करता है।

4.9 ईपीपी–2015 ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद की थी। राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बना रहा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित 495 समझौता ज्ञापनों में से 188 को 26,002.02 करोड़ रुपये के निवेश मूल्यांकन और 37,566 व्यक्तियों के रोजगार

सृजन के साथ कार्यान्वित किया गया है/ कार्यान्वित किया जा रहा है।

4.10 हाल के दिनों में (मार्च 2022 के बाद) एच.एस.आई.आई.डी.सी. इंडस्ट्रियल एस्टेट में कई बड़ी टिकट परियोजनाओं को जुटाया/ आवंटित किया गया है, जो न केवल राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि एम.एस.एम.ई. और सहायक इकाइयों को भी गति प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: (i) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कार निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आई.एम.टी. खरखौदा में 800 एकड़ भूमि पर परियोजना बनाई है और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,466 करोड रुपये के निवेश के साथ दोपहिया विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आई. एम.टी. खरखौदा में 100 एकड़ के क्षेत्र में परियोजना बनाई है। (ii) इंडस्ट्रियल एस्टेट (आई.ई.) पानीपत में पॉलिएस्टर चिप्स के निर्माण के लिए यूफ्लेक्स लिमिटेड परियोजना। (iii) 310 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश के साथ आईएमटी रोहतक में दूध और दूध उत्पादों को पैक करने के लिए स्वच्छ पॉलीफिल्म के निर्माण के लिए एक परियोजना। (iv) मैसर्स फैवेले ट्रांसपोर्ट रेल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आई.एम.टी. रोहतक में रेलवे/मेट्रो के लिए विभिन्न घटकों के निर्माण के लिए 201 करोड़ रुपये के निश्चित पूंजी निवेश के साथ परियोजना। (v) आई.एम.टी. रोहतक में फुटवियर क्लस्टर/पार्क स्थापित किया जा रहा है।

4.11 गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के परिणामस्वरूप, उद्योग कम पूंजी निवेश के साथ स्थापित हो जाते हैं और बाधाओं के बिना कार्य कर सकते हैं। ये बुनियादी सुविधाएं व्यवसायों और उद्योगों के विकास में सहायता करती हैं। इस संबंध में, राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। दिल्ली से सटे कुंडली, मानेसर और पलवल में 135 किलोमीटर का के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे विकसित किया गया है। इसके अलावा, एक वैश्विक अर्थशास्त्र गलियारा, जिसे एक्सप्रैस–वे के साथ विकसित करने का प्रस्ताव है, में 50 बिलियन अमरीकी डालर की निवेश क्षमता होने का अनुमान है।

4.12 हरियाणा सरकार खरखौदा (सोनीपत) के पास लगभग 3,300 एकड़ भूमि की अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 1,400 एकड़ की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) के विकास पर काम कर रही है। ये टाउनशिप गुरुग्राम–सोहना–अलवर राजमार्ग को जोड़ने वाले के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के आसपास होंगी, इस प्रकार विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ औद्योगिक गलियारे के विकास में मदद मिलेगी।

4.13 पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा के तहत लगभग 50,000 हेक्टेयर से प्रत्येक नए शहर/टाउनशिप को स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने की संकल्पना की जा रही है। यह तेजी से औद्योगिक और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पंचग्राम क्षेत्र की अवधारणा को 25–09–2018 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था और उपरोक्त अवधारणा को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद, दो शहरों, गुरुग्राम से सटे शहर 3 और फरीदाबाद से सटे शहर 5 को मास्टर प्लानिंग के लिए लिया गया था। कंसल्टेंसी फर्म ए.ई.सी.ओ.एम. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 08.03.2019 को गुरुग्राम से सटे सिटी 3 के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और कंसल्टेंसी फर्म एस.सी.पी. कंसल्टेंट्स (सिंगापुर) को 03–06–2019 को फरीदाबाद से सटे सिटी 5 के लिए मास्टरप्लान 2040 की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

4.14 राज्य सरकार दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना (डी.एम.आई.सी.) के सहयोग से 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में नारनौल, महेंद्रगढ़ में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (आई.एम.एल.एच.) विकसित कर रही है, जिसकी प्रस्तावित परियोजना लागत 700 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। स्रोत से परियोजना सीमा तक रेल, सड़क, बिजली और पानी की बाहरी कनेक्टिविटी से संबंधित कार्य चल रहा है। 31–07–2022 तक, 1,00,441.67 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 310 बड़ी औद्योगिक इकाईयां हैं जो 2,76,970 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं।

4.15 इसके अलावा, हरियाणा सरकार साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण और गैर–अनुरूप क्षेत्र में स्थित उद्योगों की मुख्य स्ट्रीमिंग के लिए एक औद्योगिक सर्वेक्षण (जी.पी.एस. आधारित) आयोजित कर रही है और चरण–I के तहत कवर किए गए 04 जिलों अर्थात यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद और रोहतक के औद्योगिक सर्वेक्षण डेटा चल रहे हैं।

4.16 प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। 1966–67 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ शुरू होकर, राज्य में आज वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 2,17,222 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है।

इकाइयों को प्रोत्साहन

4.17 उद्यम संवर्धन नीति–2015/ हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 के अनुसार बड़ी और मेगा इकाइयों और भंडारण इकाइयों को दिए गए प्रोत्साहनों में वैट/एस. जी.एस.टी. पर निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना आदि शामिल हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान मेगा, बृहत और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहनों पर व्यय का ब्यौरा **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1– मैगा वृहत तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रोत्साहन का खर्चा

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट आवंटन	संशोधित बजट आवंटन	किया गया व्यय
2017-18	150.00	67.20	66.98
2018-19	100.00	69.42	69.42
2019-20	100.00	100.00	99.99
2020-21	100.00	100.00	75.78
2021-22	100.00	50.00	29.98
2022-23 (30-09-22 तक)	100.00	98.80	37.03

स्त्रोतः उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, हरियाणा।

4.18 अन्य प्रमुख पहल

- **पी.एम. गति शक्ति**–हरियाणा सरकार ने राज्य में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए पी.एम. गति शक्ति को अपनाया है। हरियाणा ने परियोजना योजना के लिए आवश्यक अनिवार्य 28 डेटा परतों (तटीय विनियमन क्षेत्र परत हरियाणा के लिए लागू नहीं है) में से 27 अपलोड किए हैं। अनिवार्य परतों के अलावा, हरियाणा राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अतिरिक्त डेटा परतों को अपडेट कर रहा है। 09.12.2022 तक, पोर्टल पर 129 डेटा परतें अपलोड की गई हैं। राज्य ने ''पूंजी निवेश वित्त वर्ष 2022–23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना'' के तहत वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को 06 परियोजनाएं प्रस्तुत कीं, जिनमें से 03 परियोजनाओं को डी.पी.आई.आई.टी., भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की योजना गति शक्ति पोर्टल पर बनाई जा रही है।
- बी.आई.एस.ए.जी.–एन के सहयोग से, राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और महिला और बाल विकास विभाग सहित हरियाणा के विभिन्न विभागों के लिए पी.एम. गति शक्ति पोर्टल पर पांच मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए हैं। विभाग डेटा संग्रह और मानचित्रण बुनियादी ढांचे में इन अनुप्रयोगों का उपयोग कर रहे हैं।
- 2022–23 में पी. एम. गति शक्ति राज्य में बुनियादी ढांचे के विभागों के लिए योजना उपकरण बन गई है।

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.19 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 19–02–1969 की धारा 3(1) के तहत पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 के अधीन हुई। बोर्ड सामान्य रूप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्धेश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, व्यक्तियों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है, अन्य उद्धेश्य निम्न प्रकार से है–

- पात्र ऋणियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में सेवारत व इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास।
- खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.20 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालयख भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की उदघोषणा की गई है। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से एक मुश्त मार्जिन मनी असिस्टैंस (सब्सिडी) कार्यक्रम के साथ खादी व खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के तहत उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रूपये के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत की मार्जिन मनी (सब्सिडी) की दर ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत की दर प्रदान की जाती है और साथ ही अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से अपंग/भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा वर्ष 2021–22 में प्राप्त कुल लक्ष्यों 2,159.40 लाख रूपये में से 2,147.74 लाख रूपये (99.46 प्रतिशत) लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई और वर्ष 2022–23 में प्राप्त कुल लक्ष्यों 2,267.40 लाख रूपये में से दिनांक 31–01–2023 तक 1,496.07 लाख रूपये (65.98 प्रतिशत) लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर ली गई है।

4.21 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यालय, पंचकुला में हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड तथा खादी व ग्रामोद्योग आयोग की वित्तपोषित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक बिक्री केन्द्र 1 नवम्बर, 2018 को खोला गया तथा बोर्ड ने अपना दूसरा आउटलेट फरीदाबाद में दिनांक 21–01–2022 से शुरू किया। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिक्री केन्द्र खोलने बारे कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान हर खादी उत्पादों (पंचकूला तथा फरीदाबाद आउटलेट) की कुल बिक्री क्रमश 19.56 लाख रूपये तथा 90 लाख रूपये थी। वर्ष 2022–23 (31–10–2022 तक) के दौरान हर खादी उत्पादों की बिक्री (आउटलेट पंचकूला तथा फरीदाबाद) क्रमश 15.39 लाख रूपये तथा 1.14 लाख रूपये थी। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कन्वर्जेंस योजना के तहत हैफेड के आउटलेट के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की है। बोर्ड ने हर हित योजना के तहत हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटिड के आउटलेट के माध्यम से भी उत्पाद बेचने की व्यवस्था की है।

खान एवं भू–विज्ञान विभाग

4.22 खान एवं भू–विज्ञान विभाग राज्य में सतत विकास के सिद्वांतों का पालन करते हुए राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा के व्यवस्थित अन्वेषण व दोहन कार्य के लिये उत्तरदायी है। हरियाणा राज्य को किसी भी प्रमुख खनिजों के महत्वपूर्ण भण्डार के लिए नहीं जाना जाता है तथा इसके खनन कार्य मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि पत्थर, रेत, बजरी आदि जो निर्माण कार्य में प्रयोग होती है, तक ही सीमित है।

4.23 विभाग का भूवैज्ञानिक विंग कई तरह के कार्य की देखरेख कर रहा है जैसेः– i) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समन्वय से नए खनिज युक्त क्षेत्रों की जांच करने के लिए खनिज अन्वेषण कार्य ii) राज्य में लघु खनिजों की खाली खदानों की ग्राउड ट्रूथिंग, iii) खान क्षेत्र में उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए परिचालन खानों का आवधिक निरीक्षण iv) किसी भी आवश्यकता के मामले में सीमांकन कार्य।

4.24 खान एवम् भू–विज्ञान विभाग निम्न विधानों के अनुरूप प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैः–

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957–यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि देश में खनन के सतत विकास एवम् खनिज रियायत के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- खनिज रियायत नियम, 1960–केन्द्र सरकार द्वारा बड़े खनिजों के खनन के लिए रियायत दिये जाने के लिये बनाया गया है।
- हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 दिनांक 20–06–2012 को अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की धारा 15 और 23 सी के तहत राज्य के नियम बनाये गये हैं।
- हरियाणा खनिज (निहित अधिकार) अधिनियम, 1973
- हरियाणा विनियमन एवं क्रैशर नियन्त्रण अधिनियम, 1991 (आमतौर पर स्टोन क्रैशर अधिनियम, 1991 के रूप में सदंर्भित) और राज्य में आपरेटरों स्टोन क्रैशरों को विनियमित करने के लिये बनाए गए नियम।
- हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017

वर्ष 2022–23 के दौरान विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियां

4.25 लघु खनिज रियायत प्रदान करने हेतु जिस प्रक्रिया कि शुरूआत वित्त वर्ष 2014–15 में की गई थी, का अनुसरण वित्त वर्ष 2022–23 में भी किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार की नीति अनुसार खनिज अनुदान छोटे आकार की खनन ईकाईयों/खण्डों के तौर पर प्रदान करने की शुरूआत की गई ताकि खनन व्यापार में रूचि रखने वाले लघु व्यवसायी/व्यक्ति खनन कार्य में प्रवेश कर सकें जो किसी भी प्रकार की मिलीभगत या एकाधिकार को रोकता है। इस नीति का अनुसरण वित्त वर्ष 2022–23 में भी किया जा रहा है। कुल 128 लघु खनिज खदानों में से 68 के खनिज अनुदान प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किया गया हैं। गांव खानक, जिला भिवानी की एक पत्थर की खान एच.एस.आई.आई.डी.सी., हरियाणा सरकार के एक उपक्रम, को राज्य नियमों, 2012 में छूट देते हुए प्रदान की गई है। 68 खनिज अनुदानों में से 43 खदानें वर्तमान में जारी है, जबकि 60 खदानें खाली पड़ी हैं और इतनी ही खदानों की सत्यता की प्रक्रिया के बाद समय–समय पर नीलामी की जा रही है। जिलावार विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2– राज्य में खानों का जिलावार विवरण

संख्या	जिला	खानों की कुल संख्या	आबंटित खानों की कुल संख्या	वर्तमान में खाली/ खाली आबंटित खानों की कुल संख्या	खानों की संख्या जिनमें खनन कार्य जारी है।
1.	पंचकुला	18	07	11	05
2.	अंबाला	08	03	05	00
3.	यमुनानगर	30	16	14	14
4.	कुरूक्षेत्र	01	00	01	00
5.	करनाल	08	08	00	00
6.	पानीपत	03	01	02	00
7.	सोनीपत	14	04	10	04
8.	फरीदाबाद	04	04	00	00
9.	पलवल	07	02	05	00
10.	भिवानी	03	03	00	02
11.	चरखी दादरी	14	11	03	11
12.	हिसार	01(लुप्त)	00	01	00
13.	रेवाड़ी	01	00	01	00
14.	महेन्द्रगढ़ (रेत)	03	00	03	00
15.	महेन्द्रगढ़ (पत्थर)	13	09	04	07
	कुल	**128**	**68**	**60**	**43**

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

4.26 अवैध खनन

- राज्य में किसी भी खनिज का संगठित अवैध खनन नहीं है, हालांकि खनिज चोरी की छुटपुट घटनायें सामने आती है, जिन्हें कानून अनुसार सख्ती से निपटा जाता है। अवैध खनन मामलों की जांच के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में अवैध खनन रोकने/जांच तथा माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की अनुपालना हेतु संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य हैं।
- इन कार्यबलों को जिलों में अवैध खनन की किसी भी घटना के छिटपुट मामलों पर नियमित निगरानी रखने और उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौपी गई है। इसके अलावा इन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की जाती है।

4.27 खनिजों का अवैध परिवहन

- इस तरह की घटनायें जिनमें साथ लगते अन्य प्रदेशों से बिना वैध बिल/भार पर्ची खनिजों के परिवहन के मामले भी शामिल है, को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अवैध खनन में संलिप्त पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिर्पोट भी दर्ज की जाती है और आस–पास के राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना ए.पी.आई. सांझा करे ताकि उनके द्वारा जारी किए गए ई–रावणा को भी निरीक्षण दल द्वारा पुनः सत्यापित किया जा सके।
- खान एवं भू–विज्ञान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगरानी के अतिरक्त अन्य सभी सम्बन्धित विभाग जैसे वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन एवं पुलिस भी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठा रहे है। दिनांक 28–08–2019 से 31–10–2022 के दौरान अवैध खनन/खनिजों के अवैध परिवहन में जब्त गाड़ियों का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3– राज्य में जब्त किये गये वाहनों के मामलों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिलों के नाम	पकड़े गए वाहनों की संख्या (28–08–2019 से 31–10–2022 तक)
1	पानीपत एवं करनाल	406
2	फरीदाबाद/पलवल	910
3	सोनीपत	726
4	यमुनानगर	1437
5	गुरूग्राम एवं नूह	1232
6	महेन्द्रगढ़ एवं नारनौल	933
7	अम्बाला	435
8	हिसार एवं फतेहाबाद	59
9	सिरसा	121
10	रोहतक एवं झज्जर	304
11	पंचकुला	483
12	चरखी दादरी	374
13	कुरूक्षेत्र	281
14	रेवाड़ी	249
15	भिवानी	253
16	जीन्द	104
	कुल	**8307**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग,हरियाणा।

- राज्य में कानूनी स्त्रोतों से खनन के वैध प्रमाण के बिना पाए गए अवैध खनन/खनिजों/वाहनों की चोरी की स्थिति के मामले **तालिका 4.4** में दिए गए हैः

तालिका 4.4–अवैध खनन के मामले और वसूल किया गया जुर्माना

वर्ष	मामलों की संख्या	जुर्माना वसूल किया गया (लाख रूपये में)
2015–16	3912	838.55
2016–17	1963	435.34
2017–18	1748	480.73
2018–19	2009	484.08
2019–20	2020	20171.58
2020–21	3515	8277.69
2021–22	2192	2940.01
2022–23 (सितम्बर, 2022 तक)	469	67.48
कुल	**17828**	**33695.46**

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभग, हरियाणा।

- हरियाणा राज्य अवैध खनन को शून्य स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश के किसी भी भाग में कोई अवैध खनन ना हो, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह कहना तथात्मक रूप से गलत है कि राज्य में कोई भी खनन माफिया फल फूल रहा है।
- पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ई.आई.ए. की पर्यावरण आंकलन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के अनुसार पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से संचालन की सहमति लेने उपरांत ही खनन कार्यों की अनुमति दी जा रही हैं।

पत्थर की मांग व आपूर्ति

4.28 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित लम्बे मुकद्मेबाजी की वजह से जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम एवं नूंह की अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन कार्य बंद पड़ा है। यद्यपि जिला महेन्द्रगढ़, चरखीदादरी एवं भिवानी में पत्थर का खनन कार्य जारी है, परन्तु निर्माण

सामग्री खासकर पत्थर की कमी के मध्यनजर मांग साथ लगते राज्यों से पूरी की जा रही है। राज्य की पत्थर खादानें निजी एवं सार्वजनिक मांग का लगभग 60 से 65 प्रतिशत जरूरत ही पूरी कर पाती है। राज्य इस बात के सतत प्रयत्न कर रहा है कि और खनन क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू हो सके, ताकि निर्माण सामग्री की जरूरत राज्य की खदानों से ही पूरी हो सके।

राजस्व संग्रह

4.29 वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान खनिजों से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

तालिकाः 4.5–वर्षवार खनिज से राजस्व प्राप्तियां

संख्या	वर्ष	खनिज से राजस्व प्राप्ति (करोड़ रूपये में)
1	2005–06	153.34
2	2010–11	78.38
3	2015–16	265.42
4	2016–17	494.16
5	2017–18	712.87
6	2018–19	583.20
7	2019–20	702.24
8	2020–21	1019.94
9	2021–22	838.34
10	2022–23 (08–02–2023 तक)	657.18

स्त्रोतः खान एवं भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

मुख्य नीतिगत बदलाव किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित तथा विभाग की गतिविधियों पर इसका प्रभाव/सम्भावित प्रभाव

4.30 पहले विभाग लघु खनिज के रियायत खुली नीलामी द्वारा प्रदान करता था। परन्तु अब विभाग ने ई–नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जोकि अधिक पारदर्शी है। इस उद्देश्य के लिए खनन स्थल की ई–नीलामी के लिए बैंकिंग भागीदार पहले ही चुना जा चुका है। खनन स्थल की ई–नीलामी के लिए पोर्टल पहले ही बनाया जा चुका है।

नई पहल

4.31 विभाग को जिला महेद्रगढ़ के बखरीजा भूखंड संख्या 4 पत्थर खादान का ड्रोन सर्वे नक्शा प्राप्त हुआ, उसी समय विभाग ने टोटल स्टेशन का उपयोग कर उसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पत्थर खादान का सरफेस प्लान व सैक्शन बनाया। जब दोनों रिपोर्टस (ड्रोन मैप के साथ–साथ टोटल सर्वे स्टेशन मैप) की तुलना की गई तो पाया गया कि ड्रोन मैप सर्वे में त्रुटि थी, इसलिए अन्य खनन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे नहीं किया गया इसे आगे नहीं लिया गया। विभाग ने खनन क्षेत्रों के सीमाकंन और भूसंदर्भित मानचित्रण के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एच.ए.आर.एस.ए.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। कमांड एंड कान्टैक्ट सैंटर का एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है जिसमें एच.ए.आर.एस.ए.सी., एन. आई.सी., आई.टी. और विभाग के व्यक्ति संबंधित खनन स्थलों में ठेकेदारों की खनन गतिविधियों की निगरानी करेगें।

जिला खनिज प्रतिष्ठान

4.32 केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया। इन संशोधनों के अंतर्गत धारा 9(बी) जोड़ी गई, जिसके अनुसार खनन एवं इससे संबंधित कार्यो की वजह से प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हित के लिए कार्य करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना करना था।

तदानुसार हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम बनाऐ गए तथा इन्हें 19–12–2017 को अधिसूचित किया गया। राज्य नियम, 2012 के मौजूदा प्रावधानानुसार कार्यरत खदानों द्वारा 7.5 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि खान एवं खनिज पुर्नस्थापन और पुर्नवास फण्ड में जमा करवानी होती है, राज्य सरकार भी डैड रैंट, रायल्टी और कान्टैक्ट मनी के कारण सरकार द्वारा अपनी कमाई का 2.5 प्रतिशत हिस्सा इस फण्ड में प्रदान करती है। उक्त फंड का उपयोग मुख्य रूप से खनन एवं अन्य खनन सम्बधी कार्यो से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं लाभ के कार्य हेतु किया जाना है। खनन प्रभावित क्षेत्रों/जिलों में सम्बधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में डी.एम.एफ के सहयोग से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कियान्वित की जाती है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः

- खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यक्रम लागू करना जो केन्द्र सरकार की वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं की पूरक होगी।
- खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् खनन जिलों के लोगों पर पड़ने वाले पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक असर को कम करना; तथा
- खनन क्षेत्रों में खनन प्रभावित लोगों के दीर्घकालीन आजीविका सुनिश्चित करना।

ई–शासन

4.33 विभाग अपनी निम्नलिखित सेवाएं एच.ई.पी.सी. पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रहा है। हारट्रोन को निम्नलिखित सेवाओं के लिए विभागीय पोर्टल/आवेदन तैयार करने के लिए लगाया गया हैः–

- खनिज भण्डारण का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- स्टोन क्रैशर का लाईसैंस का अनुदान/नवीनीकरण
- ईंट मिट्टी की खुदाई का परमिट का अनुदान/नवीनीकरण
- साधारण मिट्टी की खुदाई के लिए परमिट
- खनिज के निपटान के लिए अनुमति प्रदान करना।

4.34 विभाग की सभी सेवाएं व्यापारिक हैं। जिस किसी आवेदक को इन सेवाओं की जरूरत है उसे सम्बन्धित सेवा के लिए फार्म सभी दस्तावेजों सहित भरना होता है। सभी आवेदन ऑनलाईन स्वीकार किए जाते हैं तथा उनका डिस्पोजल भी ऑनलाईन किया जाता है। जिसमें उनकी मारकिंग, दस्तावेजों की वेरिफिकेशन, नोटिंग, ड्राफटिंग, ऐतराज, रिमार्क व उनका स्वीकृति या मनाही शामिल है। प्रत्येक चीज ऑनलाईन है तथा बिना किसी कागज के प्रयोग के निपटाई जाती है। यह पोर्टल कर्मचारियों द्वारा दी गई, टिप्पणी समय व फाईल का इतिहास दर्ज रखता है।

4.35 इससे खनिज रियायत क्षेत्रों से बाहर जाने वाले उन सभी वाहनों का विनियमन हो सकेगा जो खनिज परिवहन में संलिप्त है तथा खनिज उत्पादकता का सही आकलन भी हो सकेगा। इससे इस बात की भी संभावनाएं बढ जाएंगी की खनन कार्य वैज्ञानिक तौर पर तथा पर्यावरण के अनुकूल हो और विभिन्न खानों बारे महत्वपूर्ण जानकारियां ई–मोड्यूल पर उपलब्ध होंगी। ई–शासन का प्रस्ताव हितधारकों की भूमिका, जिम्मेवारी एवं साधनों को साफ तौर पर परिभाषित करेगा। विभाग ने ई–शासन सिस्टम तैयार करने के लिए हरियाणा नॉलिज कारर्पोशन लिमिटड के साथ अनुबंध किया हुआ है। ई–रवाना सिस्टम राज्य के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है।

विभाग की संपूर्ण गतिविधियां तथा कार्यक्रम

4.36 विभाग की मुख्य नीति खनिज अनुदान पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग लोकहित के सतत विकास हेतु पर्यावरण रक्षित तरीके से करना है। राज्य की खनन क्षेत्र में प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से हैः–

- यह सुनिश्चित करना है कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से सतत विकास के

सिद्धांतो, अर्न्तपीढीय व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए;

- यह सुनिश्चित करना कि निमार्ण सामग्री विकास कार्यो के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हो;
- राज्य के लिए राजस्व का स्रोत; तथा
- स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांटों इत्यादि जैसे संबंधित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

विद्युत

4.37 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए, सस्ती कीमत की बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो उत्पादन क्षमता बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खानें भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमान पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर स्थापित सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर कर रहा है।

4.38 दिनांक 09–01–2023 को राज्य की कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता इस समय 13,522.85 मेगावाट है। इसमें 2,582.40 मेगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 846.14 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। वर्ष 2021–22 के दौरान इन स्रोतों से बिजली उपलब्धता 5,29,358.75 लाख किलोवाट थी। वर्ष 2021–22 के दौरान 4,58,223.04 लाख किलोवाट बिजली बेची गई। वर्ष–वार स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6– राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29.00	343.00	6010	5010.27
1970–71	29.00	486.00	12460	9030.00
1980–81	1074.00	1174.00	41480	33910.00
1990–91	1757.00	2229.50	90250	66410.00
2000–01	1780.00	3124.50	166017	154231.00
2010–11	4106.00	5997.83	296623	240125.00
2015–16	3611.37	11053.30	445111	322370.61
2020–21	3428.54	12241.41	495874	418352.00
2021–22	3428.54	12101.52	529359	458223.04
2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)	3428.54	13522.85	474234.33	409947.21

* यह राज्य की अपनी परियोजनाओं एवं संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी.,एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पीज. (आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं आदि) से बाहर हैं।

स्त्रोतः. एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.7–राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	कुल
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2015–16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170
2019–20	5391944	683042	111569	643588	27466	6857609
2020–21	5606807	717355	113773	650800	28649	7117384
2021–22	5810407	759112	118751	664882	29684	7382836
2022–23 (नवम्बर, 2022 तक)	5957505	789233	120772	679883	32202	7579595

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.8–राज्य में सैक्टर–वार बिजली की खपत

(लाख यूनिट)

सैक्टर	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)
औद्योगिक	137561.89	126728.19	164644.20	143589.65
घरेलू	110778.10	120029.69	133424.51	125231.68
कृषि	103072.89	100872.46	91075.54	77551.50
वाणिज्यिक	48759.15	40422.09	36330.25	35966.31
पब्लिक सर्विस (सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल घर)	13373.81	12909.51	13874.63	10227.47
रेलवेज	977.94	510.90	598.53	603.28
विविध	16421.9	16879.99	18275.38	16777.33
कुल	**430945.68**	**418352.83**	**458223.04**	**409947.21**

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

तालिका 4.9 राज्य में वर्ष–वार निवल लाभ

वित्त वर्ष	लाभ (रूपए करोड़ों में)
2012-13	-3649.25
2013-14	-3553.66
2014-15	-2116.73
2015-16	-815.62
2016-17	-193.05
2017-18	412.35
2018-19	280.94
2019-20	331.34
2020-21	636.67
2021-22	263.04

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन. लिमिटेड।

4.39 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर 2022–23 (नवम्बर 2022 तक) में 75,79,595 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 4.7** में दी गई है।

4.40 वर्ष 1967–68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2021–22 में 2,167 यूनिट हो गई है। 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 के अन्त तक डिस्कॉम में बिजली की खपत 4,09,947.21 लाख यूनिट (एल.यूज.) थी। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बिजली की अधिकतम खपत अर्थात 1,43,589.65 लाख यूनिट तथा घरेलू क्षेत्र में 1,25,231.68 लाख यूनिट थी। वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 5,500 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। क्षेत्र–वार बिजली की खपत **तालिका 4.8** में दी गई है।

4.41 वित्त वर्ष 2021–22 एवं वित्त वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान एच. पी.यू. द्वारा हासिल की गई मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

- ए.टी.एण्ड सी. लॉसिस में कमी–डिस्कॉमस द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से ए.टी. एण्ड सी. लॉसिस कम हुए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ए.टी.एण्डसी. लॉसिस 11.30 प्रतिशत तक कम हुए जो वित्त वर्ष 2015–16 में 30.02 प्रतिशत थी।
- इंटीग्रेटिड रेटिंग–वर्ष 2020–21 के 10वीं इंटीग्रेटिड रेटिंग में हरियाणा डिस्कॉमस उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ए व ए+ रेटिंग प्राप्त की है। सभी राज्य स्वामित्व वाली डिस्काम में हरियाणा राज्य गुजरात के बाद पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा।
- डिस्कॉमस का टर्नअराउंड– डिस्कॉमस ने वित्तीय टर्नअराउंड हासिल किया तथा 2017–18 से एक निवल लाभ दर्ज किया है। वर्ष–वार निवल लाभ **तालिका 4.9** में दिया गया है।
- म्हारा गांव जगमग गांव योजना–म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी, 2016 में 105 गांवों में 24X7 बिजली सप्लाई की जो दिसम्बर, 2022 में बढकर 5,694 गांवों तक पहुंच गई है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एच.वी.पी. एन.एल. (ट्रांसमिशन कंपनी) ने 04 नए सब स्टेशन चालू किए और 82 मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 347.51 करोड़ रूपए की लागत से 2,395 एम.वी.ए. की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता और 84.60 कि.मी. प्रसारण लाइनों को जोड़ा गया है।
- चालू वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से जनवरी, 2023 तक) के दौरान एच.वी.पी.एन.एल. ने 05 नए सब स्टेशन चालू किए और 36 मौजूदा सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 317.45 करोड़ रूपए की लागत से 1,887 एम.वी.ए. की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता और 112.11 कि.मी. प्रसारण लाइनों को जोड़ा गया है।
- जोड़ी गई क्षमता योजना (31–01–2023 तक) के अनुसार अगले 6 वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2027–28 तक ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एच.वी.पी.एन. एल. द्वारा 4,318.75 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत से 49 नए सब स्टेशन बनाने, मौजूदा 207 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्वि करने और 3,675.30 सर्किट किलोमीटर से अधिक प्रसारण लाइनों के बिछाने की योजना बनाई गई है।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, ट्रांसमिशन यूटिलिटी यानी एच.वी.पी.एन.एल. ने एच.ई. आर.सी. द्वारा निर्धारित 99.2 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता (टी.एस.ए.) 99.58 प्रतिशत (नवम्बर, 2022 तक) और 2.05 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लॉसिस (1.82 प्रतिशत (अक्टूबर, 2022 तक) के लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर को माननीय बिजली तथा नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्री, हरियाणा सरकार से 11–01–2022 को ऊर्जा संरक्षण में राज्य स्तरीय ''मैरिट का प्रमाण–पत्र'' मिला है।

- कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, मेडिकल सिस्टम की आवश्यकता अनुसार आम जनता के लिए ऑक्सीजन की अपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर.जी.टी.पी.पी., हिसार में वर्तमान हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट को ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट में बदलकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई थी।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पी.टी.पी.एस. पानीपत ने एच.ई.आर.सी. मानदण्डों की 2,500 किलो कैलोरी/किलोग्राम की स्टेशन हीट रेट के विरूद्ध 2,482 किलो कैलोरी/किलोग्राम की स्टेशन हीट रेट हासिल की है।
- डी.सी.आर.टी.पी.पी., यमुनानगर की 300 मेगावाट की यूनिट–I ने एच.पी.जी.सी.एल. की किसी भी यूनिट द्वारा लगातार चलने के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ते हुए 08–04–2022 से 16–11–2022 तक 222 दिन लगातार चलने का एक नया रिकार्ड बनाया है।
- जब वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भारत में कोयले की भारी कमी थी। तब एच.पी.जी.सी.एल. की यूनिटें लगातार चलती रही और पूरी क्षमता में बिजली उपलब्ध करवाई।
- पी.टी.पी.एस., पानीपत की 250 मेगावाट की यूनिट–8 दिनांक 11–04–2022 से 12–08–2022 तक 122 दिन लगातार चलती रही तथा 2013–14 के दौरान 94 दिनों के लगातार चलने के अपने पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया है।

मुख्य कदम

4.42 नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डिस्कॉमस द्वारा भी मुख्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मीटर रीडिंग एवं स्पॉट बिलिंग में ऑटोमेशन, लगभग 81 प्रतिशत राजस्व ऑनलाईन है (सितम्बर, 2022), नागरिकों की सेवाओं की ऑनलाईन डिलीवरी, 10 लाख स्मार्ट मीटरों को लगाना शुरू किया जिसमें से 5,52,119 मीटर करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा गुरूग्राम में 10–10–2022 तक स्थापित किए गए हैं तथा फीडबैक सैल का निर्माण।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सोलर वाटर पम्पिंग कार्यक्रम

4.43 हरियाणा मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है और राष्ट्रीय खाद्यान भण्डार में योगदान दे रहा है। अतः राज्य को अपने किसानो के लिए उचित सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है। किसानो की सिंचाई आवश्यकताओं की स्वच्छ ऊर्जा से पूर्ति के लिए और डीजल पम्पों को सोलर पम्पों से बदलने के लिये नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग पी.एम.–कुसुम स्कीम के तहत राज्य में सोलर पम्प प्रदान कर रहा है। हरियाणा, देश में इस स्कीम को कियान्वित करने वाले मुख्य राज्यो में से एक है, ये पम्प कृषि को न केवल स्वच्छ ऊर्जा से संचालित करेगें अपितु कृषि की लागत को भी कम करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होगे। वर्ष 2020–21 और 2021–22 में 37,000 सोलर पम्प लगाएं गए। इन 37,000 सोलर पम्पों से राज्य में लगभग 258 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित होगी तथा लगभग 232.2 मिलीयन यूनिट बिजली की सालाना बचत के साथ सालाना लगभग 1.87 लाख टन CO_2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। वर्ष 2022–23 में 50,000 सोलर पम्प 75 प्रतिशत (राज्य + केन्द्रीय) अनुदान के साथ लगाये जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 4,384 पम्प स्थापित किए जा चुके हैं तथा 19,582 पम्पों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

बायोमास पावर प्रोजैक्टस

4.44 हरियाणा सरकार ने 2022 तक 150 मेगावाट की बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं के लक्ष्य के साथ हरियाणा जैव–ऊर्जा नीति 2018 को अधिसूचित किया है कि राज्य के खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के चार धान प्रधान जिलों नामतः कुरूक्षेत्र (15 मेगावाट), कैथल (15 मेगावाट), जींद (9.90 मेगावाट) और फतेहाबाद (9.90 मेगावाट) मे 49.80 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आबंटित की हैं और इन परियोजाओ से लगभग 5.70 लाख टन पराली उपयोग में आएगी। कुरूक्षेत्र व कैथल में परियोजनाएं शुरू हो गई हैं और राज्य के ग्रिड बिजली की सप्लाई कर रहे है।

एल.ई.डी. आधारित सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम

4.45 विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने और राज्य में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए परम्परागत ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से विभाग एल.ई.डी. आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटिंग योजना लागू कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान 12 वाट के 5,000 एल. ई.डी. आधारित स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और 300 सोलर हाई मास्ट लाईट पर क्रमशः 4,000 रूपये और 20,000 रूपये प्रति प्रणाली सब्सिडी पर लगाने का प्रस्ताव है।

सोलर इन्वर्टर चार्जर प्रोग्राम

4.46 सौर ऊर्जा से मौजूदा इनवर्टर के बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए, बिजली की लंबी कटौती के दौरान बिजली की उपलब्धता, बिजली कटौती के दौरान बैक अप के रूप में सेवा करने के लिए, स्वच्छ और हरित ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए, विभाग सौर इनवर्टर चार्जर जिसमें सौर पैनल और इंटरफेस चार्ज कन्ट्रोलर शामिल है, को बढ़ावा दे रहा है जिसका उपयोग दिन के समय मौजूदा पांपरिक इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, सोलर इन्वर्टर चार्जर के दो मॉडल 320 वाट और 640 वाट पर क्रमशः 6,000 रूपये और 10,000 रूपये के अनुदान प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 560 सिस्टम लगाये गये। वर्ष 2022–23 में 17,200 सोलर इन्वर्टर चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। अब तक 2,559 सिस्टम लगाये जा चुके है।

गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाना

4.47 हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं में उनकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिये 80 प्रतिशत राज्य अनुदान (बिना बैटरी बैक) एव 85 प्रतिशत राज्य अनुदान (हाईब्रिड सोलर प्लांट बैटरी बैंक) के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। शेष राषि का वहन गौशाला तथा गौ–सेवा आयोग द्वारा किया जाना है। अब तक 331 सोलर पावर प्लांट कुल सौर ऊर्जा की संचयी क्षमता के साथ 2 मेगावाट के 330 गौशालाओं में लगाये गये है। वर्ष 2022–23 में 150 गौशालाओं में 900 किलो वाट के सौर उर्जा संयत्र लगाने का प्रस्ताव है।

वास्तुकला

4.48 वास्तुकला विभाग, हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अत्यधिक अल्पव्ययी, कलात्मक और आकर्षक शैली के सरकारी भवनों के वास्तुकला डिजाईन पर कार्य करने की हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है। यह विभाग एक सेवा विभाग होने के कारण राज्य की महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढ़ाचे की योजना व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुकला संबंधी सेवाएं प्रदान करता है एवं संबधित विभाग से प्रतिपुष्टी प्राप्त करके सभी परियोजनाओं में नवीन डिजाईन समाधानों को विकसित करने का प्रयास करता है। भवनों के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल डिजाईन बनाने में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित

हरियाणा भवन संहिता–2017 और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अपनाया जा रहा है।

4.49 विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि नव प्रशासकीय खण्ड, न्यायिक परिसर, नागरिक अस्पताल जिसमें सी. एच.सी., पी.एच.सी. तथा एस.एस.सी. भी शामिल है, बस अड्डे, नव लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियांत्रिक महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय खेल स्टेडियम, कार्यालय परिसर, स्मारक भवन जिसमें विभिन्न तीर्थ स्थल भी शामिल है, पर कार्य किया है। विभाग विभिन्न अन्य विभागों और निगमों के आउटसोंर्सिग/तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकारों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए विशाल विकास कार्यों में उनकी तकनीकी मत/इनपुट के उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों में भाग लेकर सहायता करता है।

सड़कें

4.50 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतू प्रमुख साधन है। भविष्य में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों/सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने पर जोर दिया गया है। **तालिका 4.10** राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क दिया गया है।

4.51 वर्ष 2022–23 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुनर्निर्माण, ऊंचा उठाने, सीमेंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वॉल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। अक्तूबर, 2022 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.10– राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं.	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31–03–2022 तक)	लम्बाई कि.मी. में (31–10–2022 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.–330 एन.एच.ए.आई. – 2753	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 330 एन.एच.ए.आई.– 2886
2	राज्य उच्च मार्ग	1676	1676
3	मुख्य जिला सड़कें	1375	1375
4	अन्य जिला सड़कें	24745	24996
	कुल	**30879**	**31263**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.11– सड़क सुधारं कार्यक्रमों के तहत प्रगति

(क) वित्तीय प्रगति **(रूपये करोड़ में)**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2022–23	खर्चा (अक्तूबर, 2022 तक)
1	प्लान– 5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित	2090.37	1448.67
2	नान प्लान–3054	467.51	226.40
3	केन्द्रीय सड़क कोष	150.00	9.76
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	60.00	44.24
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	0.00	0.00
6	डिपोजिट कार्य (सड़कें तथा पुलों के कार्य)	95.00	26.67
कुल		**2862.88**	**1755.74**

(ख) भौतिक प्रगति

क्र.सं.	मद	लम्बाई कि.मी. में (अक्तूबर, 2022 तक)
1	नई सड़कों का निर्माण	251
2	प्रिमिक्स कारपेट (राज्य सड़कें)	991
3	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	1319
4	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	159
5	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	139
6	पुर्ननिर्माण तथा ऊंचा उठाना	70
7	(क) चौड़ा (ख) मजबूत — राष्ट्रीय उच्च मार्ग	0.00 6.69

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.12– वर्ष 2022–23 के दौरान स्वीकृत हुए सड़क/पुल कार्य

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (अक्टूबर, 2022 तक)
1	प्लान–5054	87	249.85
2	नान प्लान–3054	134	357.64
3	नाबार्ड – सड़कें	52	373.61
4	केन्द्रीय सड़क कोष	0	0.00
5	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण–सड़कें	56	282.92
6	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	3	520
7	उपरगामी पुल/भूमिगत पुल (प्लान–5054)	9	152.37
8	पुल –प्लान –5054	13	67.74
	कुल	**354**	**2004.13**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.13– भवनों के मरम्मत तथा मूल कार्यों के लिए आबंटन

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	बजट आबंटन 2022–23	खर्चा 2022–23 (अक्तूबर, 2022 तक)
1	राजस्व भवन	113.75	112.26
2	पूंजीगत भवन	212.83	63.02
3	डिपोजिट भवन	500.00	258.21
	कुल	**826.58**	**433.49**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिका 4.14– पूर्ण और पूर्ण होने वाले रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों की प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2022–23 (अक्तूबर, 2022 तक)
1	ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	5 = (3 एच.एस.आर.डी.सी. + 2 पी.डब्ल्यू.डी. राज्य योजना) 33= (18 एच.एस.आर.डी.सी. + 9 पी.डब्ल्यू.डी. राज्य योजना + 6 एन.एच.)
2	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	5 = (1 नाबार्ड +4 पी.डब्ल्यू.डी.राज्य योजना) 17= (2नाबार्ड +13 पी.डब्ल्यू.डी. राज्य योजना + 2 एन.एच.)

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

मुख्य पहल

4.52 वर्ष 2022–23 के दौरान अनेक सड़कों/पुलों के कार्य स्वीकृत किये गए हैं। कार्य की स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा **तालिका 4.12** में दिया गया है। भवनों की मरम्मत, अनुरक्षण तथा मूल कार्यों हेतू आंबटन का विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है। विभाग द्वारा यात्रियों की देरी को कम करने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुलों की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 4.14** में दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

4.53 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 2 आर.ओ.बी. की परियोजनाएं 92.82 करोड़ रुपये की लागत से और 10 सड़क परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 177.33 कि.मी. है, एन.सी. आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत 747.80 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं। 18 आर.ओ. बी./आर.यू.बी. की परियोजनाएं राज्य हैड 5054 आर एंड बी (योजना) के तहत 586.20 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं।

4.54 डिपॉजिट हैड के तहत 3 भवन परियोजनाएं 691.26 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं, जिसमें सरकारी मैडिकल कालेज जींद का कार्य भी शामिल है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 663.86 करोड़ रुपये (524.23 करोड रुपये चरण–I और रुपये 139.63 करोड़ चरण–II) है। एजैंसी को 13–01–2021 को कार्य आवंटित किया गया था और इस कार्य पर दिनांक 30–11–2022 तक 125.89 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया जा चुका है। मैडिकल कालेज, जींद का कार्य प्रगति पर है और दिनांक 31–12–2023 को पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा एक सड़क परियोजना राज्य हैड 5054 आर एंड बी (योजना) (सड़कों) के तहत 296.67 करोड़ रुपये की लागत से हाल ही में स्वीकृत और आवंटित की गयी थी। 8 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य हैड में 232.24 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण होने की संभावना है।

4.55 हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) ने वर्ष 2022–23 में पहले ही 30–11–2022 तक 174.58 करोड़ रुपये की लागत का व्यय एन. सी.आर.पी.बी. सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत सड़क और पुल के कार्यों के लिए खर्च कर दिया है। राज्य हैड आर एंड बी (योजना) के तहत 60.26 करोड़ रुपये की लागत का और डिपॉजिट हैड के तहत भवन कार्यों के लिए 131.63 करोड़ रुपये की लागत का व्यय किया गया है।

4.56 इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023–24 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं आवंटित किए जाने की संभावना हैः (क) आर.ओ.बी. की 5 परियोजनाएं 417.18 करोड़ रुपये की लागत से और 3 सड़क की परियोजनाएं जिनकी कुल लम्बाई 50.74 कि.मी, 240.98 करोड़ रुपये की लागत से एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाने की संभावना है। (ख) 14 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. राज्य हैड के तहत 240.97 करोड़ रुपये की लागत से। (ग) नलहर (नूंह) में डेंटल कॉलेज 172.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत।

नाबार्ड योजना

4.57 वर्ष 2022–23 में नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.–XXVIII के अंतर्गत 373.61 करोड़ रूपये की लागत से 443.36 किलोमीटर की लंबाई वाली 52 सड़को की परियोजना को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 161.05 करोड़ रुपये की लागत से अक्टूबर, 2022 तक 215 कि.मी. लंबाई में सुधार किया गया है।

परिवहन

4.58 परिवहन विभाग, हरियाणा के 2 अंग है, जैसे कि वाणिज्यक अंग व नियामक अंग है।

वाणिज्यक अंग

4.59 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है।

4.60 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन सस्थाओं में से एक है। हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा 4,500 बसों का है। वर्तमान में (30–09–2022 तक) हरियाणा राज्य परिवहन के पास 2,581 बसें हैं जिसमें 562 बसे किलोमीटर योजना के तहत हैं, जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 8.95 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 5.59 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक और परिचालक का नॉरम 1:1.4 है।

4.61 हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि बसों की औसत आयु, स्टाफ व वाहन उत्पादकता, व इंधन की खपत इत्यादि और दुर्घटना दर सबसे कम रही है। हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13 तथा 2013–14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख रूपये का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। ए. एस.आर.टी.यू. द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008–09 के लिए मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए विजेता घोषित किया गया है।

4.62 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। विभाग का प्लान बजट वर्ष 2004–05 में 56 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021–22 में 231.55 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें से बस बेड़े के आधुनिकीकरण तथा अन्य ढ़ांचागत सुधारों के लिये वर्ष 2021–22 में 50.93 करोड रुपए खर्च किये गये। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 261.55 करोड रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से अप्रैल से सितम्बर, 2022 के दौरान 150.57 करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां **तालिका 4.15** में दी गई है।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

4.63 यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा 18 वॉल्वो/मरसडीज़ वातानुकुलित बसें खरीदी गई हैं। इस सेवा को चण्डीगढ–गुरूग्राम, दिल्ली–चण्डीगढ मार्ग पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा 150 मिनी बसें भी खरीदी गई हैं, जिनकी ए.एम.सी. 5 साल है। इसके साथ ही सरकार ने बी.एस.–6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 809 बसों की खरीद की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 10 साल की ए.एम.सी. वाली 1,000 पूरी तरह से निर्मित बसों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 125 मिनी बसों की खरीद के साथ ही 10 साल की ए.एम.सी. वाली 150 एच.वी.ए.सी. बसों की खरीद को भी मंजूरी दी है।

4.64 प्लान बजट वर्ष 2022–23 के दौरान बस बेड़े के अधिग्रहण के लिए वार्षिक योजना में 130 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जिसमें से 30–09–2022 तक 78.05 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लीज धारकों द्वारा प्रति किलोमीटर के आधार पर किलोमीटर स्कीम के तहत 562 साधारण बसें प्रदान की गई है।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

4.65 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 125 बस स्टैण्डों का निर्माण

किया हुआ है, जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा पी.पी.पी. मोड पर एन. आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में नए बस स्टैंड का निर्माण भी पी. पी.पी. मोड के तहत प्रस्तावित है। विभाग ने पुराने मौजूदा बस स्टैंडों के जीर्णोद्धार की पहल की है और इस उद्देश्य के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम को 17.50 करोड़ रुपये आवंटित और भुगतान किए गए।

4.66 विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2021–22 में 35.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 130 करोड रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 72.34 करोड रुपए 30–09–2022 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीरण

4.67 बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 1 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं।

सडक सुरक्षा

4.68 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा रोडवेज नए भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने और प्रमाणित करने के लिए 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है। अप्रैल से सितंबर, 2022 के दौरान 24,430 उम्मीदवारों को अपने कौशल में सुधार करने और आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारी वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए नए शुरू किए गए बैचो में महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। वार्षिक योजना 2022–23 के लिए 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 30–09–2022 तक 12.16 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं। अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कोरपोरेशन को नया रूप देना

4.69 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्लान बजट वर्ष 2022–23 के लिए 5 लाख रूपये अनुमोदित किये गये हैं।

कम्पयूट्रीकरण

4.70 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूट्रीकृत किया जा रहा है। वार्षिक योजना 2022–23 में 30–09–2022 तक कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं उससे संबंधित मदों की खरीद पर 50.46 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

4.71 तकनीकी का प्रयोग

- ड्राइवरों, कंडक्टरों, निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों और क्लर्कों के संवर्गों में ऑनलाइन स्थानान्तरण सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।
- 6 डिपों में पायलैट प्रौजेक्ट के बाद ई–टिकटिंग, आर.एफ.आई.डी. बस पास प्रणाली और जी.पी.एस. सिस्टम पूर्णतया लागू कर दिया गया है।
- गुणवत्ता, सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वच्छ और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करके राज्य में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से निर्भया फंड स्कीम के तहत भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर प्रयोजना अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के भीतर लागू कर दी जाएगी।
- विभाग ने प्रदूषक तत्वों के नकारात्मक प्रभावों से पर्यावरण की रक्षा के लिए शून्य उत्सर्जन इलैक्ट्रिक बसों को शुरू करने का निर्णय किया है। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर एक वर्ष के अन्दर 124 इलैक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी।

तालिका 4.15– पिछले 5 वर्षो के कार्यक्रम/योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(रूपये लाख में)

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां
2017–18	1) भूमि और भवन	13000.00	12846.04	98.82
	2) बेड़े का अधिग्रहण	12000.00	9571.99	79.77
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	3.83	3.83
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	18.99	37.98
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	121.61	60.80
2018–19	1) भूमि और भवन	11830.00	7978.46	67.44
	2) बेड़े का अधिग्रहण	2340.00	2216.52	94.72
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	8.32	8.32
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	30.09	60.18
	6) कम्प्यूटरीकरण	200.00	85.30	42.65
2019–20	1) भूमि और भवन	6500.00	5932.87	91.27
	2) बेड़े का अधिग्रहण	500.00	407.61	81.52
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	1.31	6.56
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	17.65	35.30
2020–21	1) भूमि और भवन	14500.00	6171.15	42.55
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	2547.32	25.47
	3) कार्यशाला सुविधायें	20.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	0.00	0.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	10.00	0.00	0.00
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	24.94	49.88
2021–22	1) भूमि और भवन	13000.00	3504.64	26.95
	2) बेड़े का अधिग्रहण	10000.00	1549.81	15.49
	3) कार्यशाला सुविधायें	100.00	0.00	0.00
	4) सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश– एच.आर.ई. सी. में अंश पूंजी	5.00	5.00	100.00
	5) ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल	50.00	33.96	67.92
	6) कम्प्यूटरीकरण	50.00	30.39	60.78

स्त्रोतः– परिवहन विभाग, हरियाणा।

मुफ्त/रियायती परिवहन सुविधायें

4.72 हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत सामाज के पात्र लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान कर रहा है, जैसे–

- 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा।
- रक्षा बंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों को 36 घण्टे मुफ्त यात्रा सुविधा।
- दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्रों को 10 एक तरफा मासिक किराये की यात्रा सुविधा तथा छात्राओं को दिनांक 01–01–2014 से 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष निवासियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
- हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- पैरालम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये

करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा।

- कैन्सर से पीड़ित मरीजों के साथ एक परिचर को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैन्सर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
- छात्राओं को अपने घरों से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और यात्रा की दूरी सीमा में 60 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की बढ़ौतरी कर दी गई है। छात्राओं/महिलाओं के लिए 173 मार्गों पर विशेष बस सेवा प्रारभ्भ की है।
- आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा वोल्वो बसों में पति/पत्नी को किराए में 75 प्रतिशत की छूट व विधवा/विधुर पीड़ित होने की अवस्था में एक सहायक सहित यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर पूर्व विधायकों के साथ आने वाले एक व्यक्ति को निःशुल्क यात्रा सुविधाप्रदान की गई है।

परिवहन विभाग की रैगुलेटरी विंग

4.73 परिवहन विभाग के नियामक शाखा (रैगुलेटरी विंग) को मोटर वाहन अधिनियम–1988, केन्द्रीय मोटर अधिनियम–1989, कैरिज बाई रोड एक्ट–2007 तथा हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम–2016 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वित्त वर्ष 2021–22 में 3,002.50 करोड़ रूपए की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया जिसके मुकाबले में 3,277.74 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त की जा चुकी है। चालू वित वर्ष 2022–23 में 4,450 करोड़ रूपये की राशि का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुकाबले में 30–11–2022 तक 2,696.87 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की गई।

चालक कौशल में सुधार

4.74 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक तथा कैथल में संचालित हैं। 9 और चालक कौशल खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 22 चालक प्रशिक्षण स्कूल पहले ही स्थापित किए हुए हैं तथा भारी वाहन ड्राईविंग की ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 247 ड्राईविंग ट्रेनिंग चालक स्कूल प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन) हेतू राज्य में चलाए जा रहे हैं।

मोटर वाहनों की सड़क पात्रता में सुधार

4.75 भारत सरकार द्वारा 14.40 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता से रोहतक में पूरी तरह से स्वचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य में बी.ओ.टी. के आधार पर राज्य में हिसार, अंबाला, करनाल, गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा रेवाड़ी में 6 और प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

4.76 नागरिक सेवाओं का वितरण

- रोड टैक्स का ई–भुगतानः परिवहन एवं गैर–परिवहन वाहनों के लिए सडक कर एवं शुल्क के भुगतान हेतु ई–ग्रास के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा राज्य के सभी बैंकों में उपलब्ध है।
- एस.एम.एस. सुविधाः नगरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करने की राशि और विभिन्न सेवाओं के लिए जमा किए गए कर/शूल्क की सूचना देते हुए एस. एम.एस. भेजे जाते हैं।
- डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशनः हरियाणा राज्य में सभी स्थानों पर पूर्ण निर्मित नए वाहनों हेतू

यह प्रणाली दिनांक 02–08–2021 से शुरू की गई है।

- पंजीकरण संख्या का क्रम रहित आबंटन: राज्य भर में पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण के कार्यालय में पंजीकरण संख्या का आबंटन कम्पयूट्रीकृत क्रम रहित आबंटन प्रणाली द्वारा शुरू किया जा चुका है, जिससे कार्यालय के कार्य में पारदर्शिता आएगी।
- सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में फीस व कर की प्राप्तियां कम्पयूटर से जारी की जाती हैं। राज्य भर में राष्ट्रीय 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर को लागू किया जा चुका है।

सड़क सुरक्षा उपाय और जागरूकता

4.77 पूंजी प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 21–09–2022 को आयोजित की गई, जिसमें राज्य में प्रत्येक जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिवों को 30 लाख रूपये, पुलिस विभाग को 16.90 करोड़ रूपये, स्थानीय निकाय विभाग को 5 करोड़ रूपये, शिक्षा विभाग को 2.94 करोड़ रूपये तथा परिवहन विभाग को 3.76 करोड़ रूपये आई.डी.टी.आर. के लिए सड़क सुरक्षा से संबधित कार्यो के लिए आंबटित किया गया।

प्रवर्तन

4.78 पूरे राज्य में ई–चालान और वाहन और सारथी वेब संस्करण–4 लागू किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए कुल 80,304 वाहनों का चालान किया गया तथा 212.38 करोड रूपए का शुल्क प्राप्त किया गया। चालू वित वर्ष 2022–23 में दिनांक 30–11–2022 तक मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 54,769 वाहनों का चालान किया गया तथा 154.07 करोड़ रूपये का शुल्क प्राप्त किया गया।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें (एच.एस.आर.पी.)

4.79 भारत सरकार द्वारा दिनांक 06–12–2018 की अधिसूचना के अनुसार 01–04–2019 के बाद से नए वाहनों पर संबधित डीलर के द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाई जा रही है। विभाग के हिदायतों अनुसार पुराने वाहनों पर भी मैसर्स लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एच. एस. आर. पी. लगाई जा रही है। आज तक कुल 47,54,993 वाहनों पर एच.एस.आर.पी. लगाई गई है।

वाहन का स्थान बताने वाला ट्रैकिंग डिवाईस

4.80 एम.ओ.आर.टी.एच.के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा राज्य में 01–01–2019 से पंजीकृत होने वाले सभी यात्री सेवा वाहनों के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाईस के फिटमेंट व इमरजैंसी बटन लागू करना आवश्यक किया गया है।

इलैक्ट्रिक वाहन नीति

4.81 उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 08–07–2022 को जारी राज्य की इलैक्ट्रिक वाहन नीति के तहत विभिन्न श्रेणी के वाहनों को मोटर वाहन कर एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

गुरूग्राम और फरीदाबाद में राज्य परिवहन उपक्रम

4.82 गुरूग्राम मैट्रोपोलिटन सिटी बस लिमिटेड (जी.एम.सी.बी.एल.) के साथ राज्य के सभी नगर निगमों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में सिटी बस सेवाओं के संचालन के लिए राज्य परिवहन उपक्रम (एस.टी.यू.) के रूप में कार्य करने की घोषणा की गई है।

वहन स्क्रैप–पेज नीति

4.83 इस नीति के तहत मोटर वाहन कर में देय कर के 10 प्रतिशत या जमा प्रमाण–पत्र के अनुसार स्क्रैप पेज मूल्य के 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। पंजीयन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का अनुदान भी शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।

नागरिक विमानन

4.84 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा की पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के दो फंलाईग प्रशिक्षण केन्द्र, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जहां लड़के तथा लड़कियों को फ्लांईग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसैंस (पी.पी.एल.), कमर्शियल पायलट लाईसैंस (सी.पी.एल.) तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग (आई.आर.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिनांक 01–04–2022 से 31–10–2022 तक कुल 69 लाईसैंस प्रशिक्षु में से 58 प्रशिक्षुओं को एस पी.एल. (11), सी.पी. एल. (12), सी.पी.एल(सी) (01), आई.आर. (09), आई.आर. (नवीनीकरण) (09), ए.एफ.आई.आर. (13) तथा एफ.आई.आर. (03) से पुरस्कृत किया गया।

***

5

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक हैं।

मौलिक शिक्षा

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नकद प्रोत्साहन योजना

5.2 इस योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में ऐसे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाने के साथ–साथ अनुसूचित जाति के परिवारों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक मार्ग प्रशस्त करना है। यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर को भी कम करती है और ऐसे परिवारों के विद्यार्थियों के कल्याण को दर्शाती है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में स्टेशनरी का सामान जैसे–ज्योमैट्री बाक्स, रंगीन पेंसिल, इत्यादि खरीदने के लिए वर्ष में एक बार नकद प्रोत्साहन राशि 740 रूपये से 1,250 रूपये तक विभिन्न दर से प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का सशोधित बजट 9,000 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 4,73,391 विद्यार्थियों के लिए 4,979.83 लाख रूपये खर्च राशि किये गये और वर्ष 2022–23 के सशोधित बजट 6,500 लाख रूपये में से अब तक 4,429.54 लाख रूपये 4,26,647 विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृति प्रदान करना

5.3 इस स्कीम के तहत मासिक भत्ता सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विद्यार्थियों के बैंक खातो में बैंक के माध्यम से सीधे वितरित किया जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को 12 मास के लिए मासिक वजीफा प्रदान किया जाता है और निम्न दरों पर 4 त्रैमासिक किश्तों में 1 से 5 कक्षा के छात्र को 150 रूपये एवमं छात्राओं को 225 रूपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते है तथा 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्र को 200 रूपये एवमं छात्राओं को 300 रूपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का सशोधित बजट 20,000 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 4,31,174 विद्यार्थियों के लिए 9,344.04 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है और वर्ष 2022–23 के दौरान कुल बजट 16,000 लाख रूपये में से अब तक 13,289.95 लाख रूपये 5,62,113 विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे बी.पी.एल. तथा बी.सी.–ए वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृति प्रदान करना

5.4 इस योजना का उद्धेश्य गरीबी रेखा के बी.पी.एल. और बी.सी.–ए वर्ग परिवारों के विद्यार्थियों को शैक्षिक मार्ग प्रदान करना है। साथ ही बी.पी.एल. और बी.सी.–ए वर्ग के कल्याण के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाना है। हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को मासिक छात्रवृति सभी बी.पी.एल. और बी.सी.–ए वर्ग को 12 महीने के लिए प्रदान की जाती है, जो

तिमाही किस्त पर वितरित की जाती है। सरकारी विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के छात्र को 75 रूपये एवमं छात्रा को 150 रूपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते है तथा 6 से 8वीं कक्षा के छात्र को 100 रूपये एवं छात्रा को 200 रूपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते है। इस योजना के तहत बी.पी.एल. के लिए वर्ष 2021–22 का सशोधित बजट 550 लाख रूपये है, जिसमें से अब तक 14,680 विद्यार्थियों के लिए 214.98 लाख रूपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022–23 के सशोधित बजट 500 लाख रूपये में से अब तक 304.64 लाख रूपये 21,946 बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का सशोधित बजट 7500 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 2,00,682 विद्यार्थियों के लिए 2,720.10 लाख रूपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022–23 के सशोधित बजट 5,000 लाख रूपये में से अब तक 4,407.30 लाख रूपये 3,16,405 बी.सी.–ए विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा छठी से आठवीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राजीव गांधी छात्रवृति योजना

5.5 इस स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के मेधावी छात्रो को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृति/प्रोत्साहन प्रदान किया जाता हैं इसके तहत कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 750 रूपये की दर से वर्ष में एक बार छात्रवृति के रूप में प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक मिले हों। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का सशोधित बजट 300 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 16,810 विद्यार्थियों के लिए 126.08 लाख रूपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022–23 के दौरान कुल बजट 190 लाख रूपये में से अब तक 104.74 लाख रूपये 13,965 विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा–6वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल प्रदान करना

5.6 इस स्कीम का उद्धेश्य हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति वर्ग के केवल उन विद्यार्थियों को साईकिल प्रदान करना हैं, जिनके गांव में (सरकारी मिडल स्कूल न हो) दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ता हो। स्कीम के दिशानिर्देशों अनुसार विद्यार्थी पहले साईकिल खरीदेगें। सम्बन्धित मुख्य अध्यापक/प्रिंसिपल द्वारा नए खरीदे गये साइकिल के बिलों का निरीक्षण और सत्यापन करने उपरान्त, बिल सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएगें। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा 2,800 रूपये वाली साइकिल का साईज (20 इंच), 3,000 रूपये वाली साईकिल का साईज (22 इंच) सम्बन्धित विद्यार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे जमा की जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का सशोधित बजट 460 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 11,689 विद्यार्थियों के लिए 339.06 लाख रूपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022–23 में कुल बजट प्रावधान 250 लाख रूपये रखा गया है।

कक्षा–6वीं से 8वीं में पढ़ रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति स्कीम

5.7 मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से हरियाणा राज्य में 6वीं से 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए विशुद्ध रूप से योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की उपलब्धता बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना का उद्धेश्य राज्य में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है, छात्रवृत्ति को प्रेरणादायी बनाना और विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, इसके

अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति में वृद्धि करना साथ ही उन्हें यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। इस योजना के तहत लगभग 4,500 विद्यार्थी शामिल हैं। मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के बाद पोर्टल पर खुलेंगे। स्कॉलरशिप के लिए 6वीं कक्षा में विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग विवरण **तालिका 5.1** में दर्शायी गई हैं। इस स्कीम के लिए वर्ष 2022–23 के लिए बजट प्रावधान 160 लाख रूपये रखा गया है।

तालिका 5.1–स्कॉलरशिप के लिए 6वीं कक्षा में विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्ट

कक्षा	छात्र चयन मापदण्ड	छात्रवृत्ति का विवरण	छात्रवृत्ति की संख्या	(प्रति वर्ष) राशि रूपयें में
कक्षा 6वीं	शॉर्ट लिस्टिंग 2 चरणों में होगी स्टेज I- कक्षा 5वीं में एस.ए.टी. स्कोर के आधार पर स्टेज II- स्टेज–I क्लियर करने वाले छात्र हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे और शीर्ष 1500 रैंकर्स को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।	जो छात्र छात्रवृत्ति परीक्षा में शीर्ष 1,500 विद्यार्थियों में रैंक प्राप्त करते हैं, वे इसे 3 साल के लिए प्राप्त करेंगे– 6वीं से 8वीं तक बशर्ते वे कक्षा 6वीं और 7वीं की सैट परीक्षा में लगातार 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगें।	सर्वोच्च 500 अगले 500 अगले 500	6000 3000 1500
कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं	निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी जो a. कक्षा छठी में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और b. छठी और सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।		सर्वोच्च 500 अगले 500 अगले 500 सर्वोच्च 500 अगले 500 अगले 500	6000 3000 1500 6000 3000 1500

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा, विभाग, हरियाणा।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान करना

5.8 इस योजना के तहत हरियाणा राज्य में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 3 जून, 2011 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 को बनाया और अधिसूचित किया। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 800 रूपये की दर से तथा कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 1,000 रूपये की दर से प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का कुल बजट 13,500 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 16,15,123 विद्यार्थियों के लिए 14,231.41 लाख रूपये खर्च राशि किये गये और वर्ष 2022–23 में कुल बजट प्रावधान 7,000 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 8,00,196 विद्यार्थियों के लिए 6,999.90 लाख रूपये खर्च राशि किये गये।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले सभी गैर–अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदान करना

5.9 मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ने वाले गैर–अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के तहत स्टेशनरी प्रदान करना है। कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 100 रूपये की दर से तथा कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 150 रूपये की दर से राशि

प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का कुल बजट 1,150 लाख रूपये है जिसमें से अब तक 6,44,391 विद्यार्थियों के लिए 789.38 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले सभी गैर–अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग प्रदान करना

5.10 मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से आठवीं तक में पढ़ने वाले गैर–अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के तहत स्कूल बैग प्रदान करना है। कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 120 रूपये की दर से तथा कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 150 रूपये की दर से राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 का कुल बजट 1,250 लाख रूपये है, जिसमें से अब तक 6,26,499 विद्यार्थियों के लिए 835.05 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

मिड–डे–मील योजना

5.11 प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम (एन.पी.एन.एस.–पी.ई.) जिसे 'मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के नाम से जाना जाता है, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को तैयार गर्म भोजन परोसा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में वृद्धि दर्ज करते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोषण स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के तहत मुफ्त अनाज (गेहूं/चावल), प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 100 ग्राम प्रति विद्यार्थी तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की दर से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे प्रतिदिन ताजा भोजन तैयार कर विद्यार्थियों को विद्यालय प्रांगण में ही परोसा जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए मध्याह्न भोजन योजना की बजट राशि 38,400 लाख रूपये हैं केंद्र प्रायोजित और राज्य योजना 60:40 के यूडीआईएसई के अनुसार कुल 14,424 राजकीय विद्यालय हैं, इस बजट राशि में 16,62,696 विद्यार्थी को शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा कुक–कम–हैल्पर का मानदेय 3,500 रूपये से बढाकर 7,000 रूपये दिनांक 25–05–2022 से लागू (600 रूपये केन्द्र का भाग व 6400 रूपये राज्य का भाग) कर दिया गया है। प्रति विद्यार्थी भोजन सामाग्री की लागत (भारत सरकार के नार्म्स अनुसार)– प्राथमिक के लिए 5.45 रूपये व अप्पर प्राइमरी के लिए 8.17 रूपये दिनांक 01–10–2022 से शुरू कर दी गई है।

तालिका 5.2–वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए बजट का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2021-22	1765000	43000	1765992	23968.39
2	2022-23	1765992	38400	1662696	29234.51

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा, विभाग, हरियाणा।

मिड–डे–मील मेन्यू में शामिल 20 व्यंजन

5.12 सभी विद्यालयों मुखियाओं को प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाले 20 व्यंजन और उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को न्यूनतम 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाले 20 व्यंजन वितरण करने के लिए कहा गया है।

सरकारी स्कूल

5.13 जिन स्कूलों की छात्र संख्या कम होने के कारण बन्द/मर्ज कर दिया गया था,

को पुनः खोलने हेतु आनॅलाईन पोर्टल का निर्माण करवाया गया है व 43 स्कूलों को पुनः खोला गया हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में गूंगे व बहरों के लिए कल्याण सोसायटी को सहायता प्राप्त अनुदान योजना के तहत 3 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। आर.टी.ई. एक्ट के तहत वर्ष 2022–23 के लिए (कार्यालय खर्च और अन्य चार्जिज) 70 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है तथा स्वीकृति जारी की गई। सहायता प्राप्त अनुदान, केन्द्रीय स्कीम के लिए स्वीकृति (शेयरिंग बैसिज) का बजट 500 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है तथा स्वीकृति जारी की गई। केन्द्रीय सहयता का बजट 145 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जाति के लिए बजट (शेयरिंग बेसिज) तथा स्वीकृति जारी की गई।

खेल

5.14 राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 11 व 14 आयु वर्ग के लिए वर्ष 2022–23 में 2 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई। खेल मैदान का विकास व खेल/मनोंरजन कार्य का बजट 50 लाख रूपये निर्धारित किया गया है तथा स्वीकृति जारी की गई। कक्षा 1 से 8वीं तक के विथार्द्धियों के लिए खेल किट व भोजन भत्ता की दरें संशोधित की गई। राष्ट्र/राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की संशोधित दरें **तालिका 5.3** में दी गई है।

तालिका 5.3– वर्ष 2021–22 के दौरान राष्ट्र और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का विवरण

खिलाडियों के लिए विवरण	राष्ट्र स्तरीय टूर्नामेंट		राज्य स्तरीय टूर्नामेंट	
	वर्तमान दरें (प्रतिदिन)	संशोधित दरें (प्रतिदिन)	वर्तमान दरें (प्रतिदिन)	संशोधित दरें (प्रतिदिन)
खिलाडियों हेतू भोजन भत्ता	200 रूपये	250 रूपये	125 रूपये	200 रूपये
खेल भत्ता (ट्रैक किट/खेल की साम्रगी किट)	1200 रूपये	2500 रूपये	700 रूपये	1500 रूपये
अधिकारियों हेतू भोजन भत्ता	200 रूपये	250 रूपये	125 रूपये	200 रूपये
अधिकारियों हेतू ट्रैक किट	1000 रूपये	2500 रूपये	700 रूपये	1500 रूपये

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा, विभाग, हरियाणा।

भवन निर्माण एवं रख–रखाव

5.15 भवन मरम्मत 96 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के भवन की मुरम्मत हेतू कुल 39.68 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति राजकीय प्राथमिक पाठशाला/माध्यमिक विद्यालयों के भवन मुरम्मत व रख रखाव एवं निर्माण हेतु राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी की गई।

5.16 स्कूल भवनों के निर्माण हेतू कुल राशि 19.73 करोड़ रूपये की स्वीकृति राजकीय प्राथमिक पाठशाला/माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् को जारी की गई।

5.17 1 से 5वीं (पूर्ण समय) कक्षा की सुविधाओं का विस्तार स्कूलों की सुंदरता के लिए मुख्यमंत्री स्कूल सौर्दंयकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में कुल राशि 1.64 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई।

समग्र शिक्षा

5.18 भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए समग्र शिक्षा के तहत 1,61,857.713 रुपये (लाखों में, स्पिल ओवर सहित) की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी है। विभिन्न गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुदान के सम्बंध में प्रगति का विवरण **तालिका 5.4** में दर्शाई गई है।

तालिका–5.4 नामांकन का विवरण, विद्यालयों की संख्या एवं दर अनुसार अनुदान

नामांकन	विद्यालयों की संख्या	दर (रुपये में)	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1 to 30	1,881	10,000	1,430.75
31 to 100	5,723	25,000	2,242.50,
101 to 250	4,485	50,000	1,712.25
251 to 1000	2,283	75,000	105.00
Above 1000	105	1,00,000	188.10
Total	14,477		5.678.60

स्तोत्रः– समग्र शिक्षा अभियान, हरियाणा।

उद्देश्य

5.19 गैर–कार्यात्मक स्कूल उपकरणों को बदलने के लिए और अन्य आवर्ती लागतों जैसे उपभोग्य सामग्रियों, खेल सामग्री, खेल, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए। स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना और स्वच्छता कार्य योजना के तहत गतिविधियां शुरू करना। कोविड–19 महामारी के कारण स्कूलों को सैनिटाइज करना और स्कूलों में आवश्यक सामान उपलब्ध कराना।

ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र अनुदान

5.20 इस स्कीम के अन्तर्गत गतिविधि के अनुसार ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र अनुदान **तालिका 5.5** में दी गई है।

तालिका– 5.5 ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र अनुदान

क्र.सं	गतिविधि एंवम **ब्लॉक संसाधन केंद्र**	भौतिक	लागत	जारी की गई राशि (रूपये लाख में)
1	बीआरसी आकस्मिकता अनुदान	119	0.50	59.50
2	बीआरसी बैठक/टीए अनुदान	119	0.30	35.70
3	बी.आर.सी टी.एल.ई/टी.एल.एम अनुदान	119	0.15	17.85
4	बी.आर.सी. रखरखाव अनुदान	119	0.15	17.85
क्लस्टर संसाधन केंद्र				
1	सी.आर.सी. आकस्मिक अनुदान	1,415	0.25	353.75
2	सी.आर.सी. बैठक/टीए	1,415	0.15	212.25
3	सी.आर.सी. टी.एल.एम. अनुदान	1,415	0.02	28.03
4	सी.आर.सी. रखरखाव अनुदान	1,415	0.10	141.50

स्तोत्रः– समग्र शिक्षा अभियान, हरियाणा।

वर्दी अनुदान

5.21 समग्र शिक्षा के तहत, पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति के लड़कों और बीपीएल लड़कों को वर्दी प्रदान करने के लिए प्रति छात्र 600 रुपये की दर से 7,138.22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परन्तु राज्य सरकार पहली से पांचवीं कक्षा के सभी छात्रों को 800 रुपये प्रति छात्र और कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए 1,000 रूपये प्रति छात्र की दर से अनुदान राशि प्रदान करती है। इस प्रकार समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत अनुदान राशि डीबीटी मोड में

सभी छात्रों को एक समान अनुदान प्रदान करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है।

स्कूल से बाहर के बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.)

5.22 वर्ष 2022–23 में, हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में 22,841 बच्चों (6–14 वर्ष की आयु के बीच) को स्कूल से बाहर के बच्चों के रूप में चिन्हित किया गया। इनमें से 3,360 बच्चों (6–7 वर्ष) को कक्षा 1 में सीधे स्कूलों में मुख्य धारा से जोड़ा गया और समग्र शिक्षा के तहत 19,481 ओ.ओ.एस.सी. (7–14 वर्ष) को उनकी आयु अनुसार कक्षा में नामांकित करने के पश्चात स्कूलों में मुख्य धारा में लाने से पहले विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान की गई है। शैक्षिक स्वयंसेवकों (स्कूली शिक्षकों के बराबर योग्यता वाले) का चयन राज्य स्तर पर आयोजित ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया है, जो इन बच्चों को 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण देने के बाद 3 महीने का अनुवर्ती सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। इस विशेष प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, इन बच्चों को आयु उपयुक्त कक्षा में मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। 16–19 वर्ष आयु वर्ग के ओओएससी के लिए, मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए माध्यमिक स्तर पर 5,955 ओ.ओ.एस.सी. (जो सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए थे) के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है। ये धनराशि जिलों को वितरित कर दी गई है और जिलों को शैक्षणिक सत्र 2022–23 के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ओपन स्कूल परीक्षा में बैठने के लिए इन बच्चों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सुविधा (पंचकुला के मोरनी और पिंजौर ब्लॉक और पूरे नूंह जिले के लिए)

5.23 इस गतिविधि के लिए पीएबी द्वारा बजट 343.26 लाख स्वीकृति दी गई जिसके अंतर्गत मेवात और पंचकुला जिले के 5,721 छात्र लाभार्थी लक्षित होगे तथा योजना की अवधि में 600 रूपये प्रति छात्र प्रति माह 10 महीने के लिए, कुल रूपये 6,000 प्रति बच्चा व्यय किया गया है और वर्तमान स्थिति डी.बी.टी. मोड (पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर) के माध्यम से भुगतान के लिए छात्रों की मैपिंग प्रक्रियाधीन है।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण)

5.24 इस स्कीम के अन्तर्गत, प्रोजैक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी) द्वारा कुल 610.95 लाख रुपये में से माध्यमिक स्कूलों के लिए 448.05 लाख रुपये का बजट और मौलिक स्तर के लिए 162.90 लाख का बजट अनुमोदित किया गया है जो कि 32 केजीबीवी सहित 4,047 सरकारी मौलिक और माध्यमिक विद्यालयों की 1,22,190 छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए अनुमोदित किया गया हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण

5.25 35,657 माध्यमिक शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 356.57 लाख रुपये के बजट की मंजूरी दी है।

शिक्षक संस्थान

5.26 भारत सरकार द्वारा 3,193.81 रुपये का बजट एस.सी.ई.आर.टी., डाइट और बी.आई.ई.टी. में टी.ई.आई. के वेतन और अन्य गतिविधियों के लिए मंजूर किया गया एवं समग्र शिक्षा द्वारा इसे शिक्षक शिक्षा संस्थान के लिए अनुमोदित किया गया।

लर्निंग कोडिंग और रोबोटिक्स

5.27 532 लाख रुपये का बजट हरियाणा राज्य के उन 266 सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं जहां पीजीटी, (कंप्यूटर साइंस) का पद भरा हुआ है और छात्रों की संख्या 500 या उससे अधिक हैं।

पठन प्रोत्साहन माह (कक्षा 6 से 12)

5.28 इस वर्ष के दौरान कक्षा 6–8 और 9–12 के छात्रों के लिए एक महीने के लिए पठन प्रोत्साहन माह आयोजित किया गया जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वर्तनी, विभिन्न विषयों पर वाद–विवाद जैसे विभिन्न दृष्टिकोण व तरीके शामिल हैं, शुरू किए गए। निम्नलिखित दो गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं–

- पठन संबंधी गतिविधियाँ–प्रथम सप्ताह– 21,83,400 रुपये की निधि मौलिक एवं 3,61,000 रुपये की राशि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिलों को जारी की गईं।
- स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं–तीन सप्ताह के लिए– 24,52,200 रुपये की राशि मौलिक और 27,03,240 रुपये की राशि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वितरित करने के लिए सभी जिलों को जारी की गई।

स्कूलों का ट्विनिंग कार्यक्रम (स्कूल पार्टनरशिप प्रोग्राम)

5.29 ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों के बच्चों व स्कूलों के बीच सार सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए 67.22 लाख रूपये की राशि 3361 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए, जिलों को जारी की गई।

नवनियुक्त बी.आर.पी. और ए.बी.आर.सी. का प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.30 4,09,620 रुपये की धनराशि 36 नव नियुक्त एबी.आर.सी. और बी.आर.पी. के शैक्षणिक समर्थन पर प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निदेशक, एस.सीई.आर.टी. को जारी किया गया।

बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग

5.31 पी.ए.बी. के अनुमोदन के अनुसार, 7.20 लाख रुपये की धनराशि स्कूलों में बाल अधिकारों के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए गतिविधियों के संबंध में सचिव, एस.सी.पी.सी.आर. को जारी की गई।

रोल मॉडल के साथ छात्राओं की सहभागिता

5.32 59.5 लाख रुपये की निधि 595 प्राथमिक विद्यालयों के लिए तथा 124.95 लाख रूपये की राशि 1,190 माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं की छात्राओं को आगे पढ़ने और अपने जीवन में एक लक्ष्य रखने हेतु प्रेरित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई।

जीवन कौशल विकास शिविर (शीतकालीन शिविर)

5.33 मंत्रालय द्वारा 20.9 लाख रुपये की राशि 209 मौलिक विद्यालयों के लिए और 14.7 लाख रुपये 201 माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षा 6 से 8 और 9वीं से 12वीं की छात्राओं के लिए जीवन कौशल विकास शिविर को विकसित करने के लिए शीतकालीन अवकाश में शिविर आयोजित करने की स्वीकृति दी गई है।

जिला नूंह में लड़कियों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल लर्निंग एक्सेल प्रोग्राम

5.34 इस स्कीम के अन्तर्गत 280.45 लाख रुपये की धनराशि प्रति विद्यालय 35,000 रूपये की दर से मौलिक स्तर और 82.55 लाख रूपये प्रति विद्यालय 65,000 रूपये की दर से समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार इक्विटी के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत डी.सी. नूंह, एम.डी.ए. को जारी की गई।

छात्र कल्याण कार्यक्रम

5.35 634.93 लाख रुपये की धनराशि 11,108 मौलिक स्कूलों के लिए तथा 192.11 लाख रूपये की राशि 3,361 माध्यमिक विद्यालयों के लिए सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के चार घटकों यानी हीमोग्लोबिन, वजन, ऊंचाई, दृश्य तीक्ष्णता और दंत स्थितियों पर परीक्षण/स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। 05–09–2022 को हरियाणा के माननीय राज्यपाल द्वारा सेहत कार्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्रों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को पकड़ने और डिजिटाइज करने और शिक्षकों के लिए मॉड्यूल के लिए सेहत ऐप विकसित किया गया है।

कक्षा 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए सीखने में वृद्धि/संवर्धन कार्यक्रम (उपचारात्मक शिक्षण)

5.36 उड़ान परियोजना एक सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रम है जो एक संरचित उपचारात्मक कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उनके सीखने के नुकसान को कवर करने के लिए सहायता

प्रदान करता है और इसे माननीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 8.31 लाख रुपये की राशि बेसलाइन सर्वेक्षण करने के लिए जिलों को जारी की गई। कक्षा 6 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम की सामग्री एससीईआरटी विषय विशेषज्ञों और समन्वयकों द्वारा विकसित की गई है। 4.95 लाख रुपये की निधि निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. को मेंटर ओरिएंटेशन वर्कशॉप आयोजित करने के लिए जारी की गई। 11.59 लाख रुपये की राशि निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. को सामग्री विकास और डिजाइनिंग के लिए जारी की गई।

हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति–2020

5.37 राज्य सरकार की प्रशिक्षण नीति के तहत एच.आई.पी.ए., हरियाणा द्वारा प्रशिक्षित मंत्री स्तरीय कर्मचारी, ए.बी.आर.सी. और बी.आर.पी., सहायक परियोजना समन्वयक, विशेष शिक्षक सहित 2,070 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये।

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रगति

5.38 वर्ष 2022–23 के दौरान 15 क्षेत्रों के 1,186 स्कूलों (वर्ष 2012–13 से लेकर वर्ष 2022–23 तक) में से 1,96,028 छात्रों को नामांकन व्यावसायिक शिक्षा हरियाणा में शामिल किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति

5.39 व्यावसायिक शिक्षक वर्तमान में हरियाणा में एन.एस.क्यू.एफ. के तहत काम कर रहे हैं। वर्तमान में कुल 2,033 व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत है। 147 व्यावसायिक शिक्षक एच.एस.एस.पी.पी. के माध्यम से सीधे और 2,033 वी.टी. पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वी.टी.पी.) के माध्यम से तैनात किए गए थे और अब उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (प्रकियाधीन) में लगाया जाना है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण उपकरण विवरण शैक्षणिक

5.40 सत्र 2022–23 में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में कुल 1,96,028 विद्यार्थियों का नामांकन है। राज्य के 1,074 विद्यालयों में 2,238 कौशल प्रयोगशालांए है जो उपकरणों और उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। सरकार में 09 क्षेत्रों में 50 इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन इन्क्यूबेशन सेंटरों में कुल 11,249 छात्रों ने 12 दिनों का प्रशिक्षण (प्रति दिन 06 घंटे) सफलतापूर्वक पूरा किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के 44,151 छात्रों को 5 कौशलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए टूलकिट वितरित किए गए हैं। स्किल हब पहल कार्यक्रम 8 सेक्टरों में 125 बैचों के साथ 120 चयनित स्कूलों में शुरू किया गया है। 3,515 स्कूल से बाहर के बच्चों को उनकी आजीविका के लिए प्रशिक्षित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022–23 में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार 110 स्कूलों से बढ़ाकर 1,074 स्कूलों में कर दिया गया और इन स्कूलों में 90,911 बच्चों को लाभ दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

5.41 36 के.जी.बी.वी. को शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.) द्वारा अनुमोदित किया गया है। कुल 36 में से 32 के.जी.बी.वी. कार्यात्मक हैं। 13 के.जी.बी.वी. कक्षा 6 से 12 के लिए कार्यात्मक हैं (इन्हें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड किया गया है। इन के.जी.बी.वी. में कुल नामांकन 3,690 है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रगति

5.42 पी.ए.बी. द्वारा 263 स्कूलों के लिए 5.26000 रुपये का कुल बजट (2,000 रूपये प्रति स्कूल) अनुमोदित है जिसके तहत कक्षा 9वीं–12वीं के लिए विज्ञान संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए, बी.आई.एस. के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में बी.आई.एस. क्लबों के संरक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, स्कूलों को प्रदान किया जाता है।

- वर्ष 2022–23 के लिए प्रारम्भिक स्तर के लिए 285.75 लाख रूपये और 336.1 लाख रूपये स्वीकृत किए गए। विभिन्न स्तर पर विज्ञान प्रर्दशनियों के अतंर्गत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के भाग के रूप में विज्ञान गतिविधियों, मॉडल, रोल प्ले/ड्रामा, पोस्टर मेकिंग आदि तैयार करने और स्कूल की विज्ञान प्रयोशालाओं के

लिए सामाग्री खरीदने के लिए धनराशि स्कूलों को हस्तांतरित की गई है।

- वर्ष 2022–23 में कक्षा 10वीं व 12वीं (विज्ञान स्ट्रीम) के विज्ञान विषय में अकादमिक रूप से मेधावी छात्रों के लिए राज्य के बाहर वैज्ञानिक महत्व वाले स्थान पर भ्रमण के लिए 11 लाख रुपये की राशि स्वीकृति दी गई है।
- 67.22 लाख रुपये का बजट 2,000 रुपये प्रति सेट की दर से. एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विज्ञान और गणित विषय में कक्षा 9वीं–10वीं के छात्रों के लिए विकसित की गई अनुकरणीय समस्याओं की पुस्तकों को उपलब्ध कराने में उपयोग किया जाता है।
- 44 लाख रुपये का बजट 880 स्कूलों के लिए (40 स्कूल प्रति जिला) उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख द्वारा निगरानी और सलाह के तहत अनुमोदित किए गए।
- 26.08 लाख रुपये का बजट 7 विज्ञान वैन के संचालन के लिए किया जाएगा जिसके तहत वैन को मॉडल, ईंधन लागत, चालकों के वेतन आदि से लैस करना शामिल है।
- विज्ञान प्रदर्शनियों के संचालन के लिए 22 लाख रुपये का कुल बजट (1 लाख प्रति जिला की दर से) 22 जिलों को प्रदान किया जाता है।
- 'ज्योतिर्गमय' कार्यक्रम का आयोजन 23 अगस्त, 2022 को रेड बिशप, सेक्टर–1, पंचकुला में श्री कंवर पाल, माननीय शिक्षा मंत्री, हरियाणा द्वारा किया गया जिसमें 263 छात्रों को इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धि प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया था, जो टेक–बी प्रोग्राम के तहत अर्न एंड लर्न कोर्स के लिए एचसीएल में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे।
- कक्षा 9वीं–12वीं के छात्रों के लिए एस्पीरेशनल जिलों के 10 स्कूलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए पीएबी द्वारा 100 लाख रुपये का बजट (10 लाख प्रति प्रयोगशाला) को मंजूरी दी गई है।
- कक्षा 9वीं–12वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 30 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
- राज्य ने कक्षा 9वीं–12वीं के छात्रों के लिए गुरुग्राम, मेवात, पंचकुला, फरीदाबाद के स्कूलों में सुमंगल फाउंडेशन से सी.एस. आर. फंडिंग के तहत 16 टिंकरिंग लैब स्थापित की हैं।

समावेशी शिक्षा

5.43 गृह आधारित भत्ता–55.98 लाख रुपये की राशि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से आठवीं कक्षा के 2,599 दिव्यांग छात्रों और 9वीं से 12वीं कक्षा के 240 दिव्यांग छात्रों को 10 महीने के लिए 200 प्रति दिव्यांग छात्र की दर से गृह आधारित भत्ता प्रदान करने हेतु सभी जिलों को जारी कर दी गई हैं।

- **पाठक भत्ता**–63.87 लाख रुपये की राशि पहली से आठवीं कक्षा के 1,472 दिव्यांग छात्रों और 9वीं से 12वीं कक्षा के 657 दिव्यांग छात्रों को 10 महीने के लिए 300 प्रति माह की दर से सभी जिलों के स्कूलों को पाठक भत्ता देने के लिए जारी कर की गई है।
- **एस्कॉर्ट भत्ता**–195.22 लाख रुपये की राशि पहली से आठवीं कक्षा के 7,445 दिव्यांग छात्रों और 9वीं से 12वीं कक्षा के 2,316 दिव्यांग छात्रों को 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से सभी जिलों के स्कूलों को एस्कॉर्ट अलाउंस देने के लिए जारी की गई है।
- **चिकित्सा मूल्यांकन शिविर**–सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एलिम्को, रेड क्रॉस और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से चिकित्सा मूल्यांकन शिविर आयोजित करवाने का कार्य सभी जिलों में पूरा कर लिया गया है।

- **ब्रेल किताबों का प्रावधान–**विभिन्न सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को ब्रेल किताबों के 114 सेट वितरित किए गए हैं।
- **बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों का प्रावधान–** कक्षा 1 से 12वीं तक के कम दृष्टि वाले दिव्यांग छात्रों के लिए बड़े प्रिंट वाली किताबों के 786 सेट की छपाई के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज (विकलांगता), देहरादून को 32.50 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई हैं।
- **सहायता और उपकरण प्रदान करना–** 2,463 दिव्यांग छात्रों (पहली से आठवीं कक्षा के लिए 2,113 और 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 350) चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों के दौरान डॉक्टरों द्वारा चिन्हित हुए दिव्यांग छात्रों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए एलिमो को 86.64 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
- **खेल और प्रदर्शन यात्रा–** पंचकूला में राज्य स्तरीय शीतकालीन साहसिक शिविर आयोजित करने के लिए 43.37 लाख रुपये की राशि नेशनल एडवेंचर क्लब, चंडीगढ़, हरियाणा पर्यटन और डीपीसी को हस्तांतरित की गई हैं।

माध्यमिक शिक्षा

पैंशन स्कीम

5.44 सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 212 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि नियम, 2001 के तहत दिनांक 11–05–1998 के दौरान सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्कीम के तहत मानदेय दिया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 100 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ था जो राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी मांग अनुसार वितरित कर दिया गया। इन स्कीमों के तहत 3,180 को पैंशन स्कीम एवं अबतक 84 कर्मचारियों को मानदेय लाभ (31–10–2022) दिया जा चुका है। जिसमें वित्त वर्ष के दौरान पैंशन के 37 एवं स्कीम के तहत करीब 35 सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके वांछित लाभ प्रदान किए।

राष्ट्रीय स्कूल खेल

5.45 राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्कूल खेल के लिए बजट प्रदान किया जाता है। स्कूल खेल का आयोजन ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 32 स्कूल खेल का आयोजन करवाया जाता है। यह खेल ओलंपिक स्तर, एशियाई स्तर, राष्ट्रमंडल स्तर और राज्य खेल नीति के तहत शामिल हैं।

राजकीय विद्यालयों में खेल उपकरणों की व्यवस्था व खेल मैदानों का विकास

5.46 राज्य सरकार द्वारा सरकारी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों मे खेल उपकरणों की खरीद और खेल के मैदान के विकास के लिए प्रत्येक जिले में संबंधित खेल के लिए प्रति वर्ष बजट उपलब्ध किया जाता है।

खेलकूद

5.47 वित्त वर्ष 2022–23 मे राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 150 लाख रूपये बजट दिया गया है। परंतु अभी तक स्कूल गेम्स फैडरशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताएं करवाने हेतू वर्ष 2022–23 मे खेल कैलेण्डर जारी नही किया गया है। अभी हरियाणा राज्य मे राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सुचारू रूप से करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खेल उपकरणो की खरीद तथा खेल के मैदानों के निर्माण हेतु वित्त वर्ष 2022–23 मे 200 लाख रूपये का बजट दिया गया है जिसमे से सरकारी उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 112.75 लाख रूपये खेल का सामान खरीदने व मैदानो के विकास हेतु जारी किए जा चुके हैं।

प्रशिक्षण योजना एवं निगरानी शाखा (टी.पी.एम.सी.)

5.48 वित्त विभाग के द्वारा वर्ष 2022–23, में सरकारी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों 93.95 करोड रूपये का बजट दिया गया है। एस.सी.ई.आर.टी. एवं डी.आई.ई.टी. के माध्यम से शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

आरोही सैल

5.49 योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन आरोही मॉडल स्कूलों को चलाने के लिए फंडिंग पैटर्न 75:25 केंद्र राज्य के अनुपात में था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

आई.सी.टी. स्कीम

5.50 योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,996 कंप्यूटर फैकल्टी और 2,184 लैब अटेंडेंट के पारिश्रमिक पर 31–10–2022 तक 30.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

आई.टी. सैल

5.51 विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 में 4,400 अतिथि शिक्षक सहित 35,000 कर्मचारी शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया गया है।

- वर्ष 2022–23 में साहसिक शिविर हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन माड्यूल विकसित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा योग्यता के आधार पर प्रतिभागियों का चयन किया गया है और टिक्कर ताल और मोरनी हिल्स में साहसिक शिविर के लिए लगभग 2,303 छात्रों और 151 अनुरक्षण शिक्षकों ने सफलतापूर्वक भाग लिया।
- विभाग द्वारा ऐसी समीतियों, व्यक्तियों, कम्पनियों एवं ट्रस्टों जोकि नये प्राइवेट स्कूल खोलने की अनुमति चाहते है तथा उनके द्वारा स्थापित प्राइवेट स्कूल जिनको पहले हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, को सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.सी. इत्यादि जैसे संस्थानों से मान्यता दिलवाना चाहते है और इससे अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते है, को ध्यान में रखते हुये आनलाईन मॉड्यूल को विकसित किया गया है। यह आनलाईन मॉड्यूल पूर्णयताः स्वसंचालित है।
- इसी तरह वर्ष 2022–23 के दौरान 8,579 नए आधार और 25,985 अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किए गए हैं।
- विभाग ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ए.सी.पी. (सुनिश्चित कैरियर प्रगति), सी.सी.एल. (चाइल्ड केयर लीव) आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए भी अपनाया है।
- चिराग योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2022–23 में ई.डब्ल्यू.एस. परिवारों के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक प्रवेश देने के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों से सहमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल 'सीट घोषणा पोर्टल' विकसित किया गया है। कुल 694 विद्यालयों ने सफलतापूर्वक इस पोर्टल पर अपनी सहमति दर्ज की और इनमें से 381 विद्यालयों को इस योजना के तहत पात्र घोषित किया है और इस पोर्टल के माध्यम से चिराग योजना के तहत 1,371 प्रवेश किए गए हैं।

5.52 कार्य शाखा

- **अनावर्ती (रख–रखाव/मरम्मत/निर्माण)–** इस स्कीम में वर्ष 2022–23 के लिये 9,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा रख–रखाव/मरम्मत/ निर्माण कार्यों के लिए स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अब तक 8,200 लाख रुपये की राशि द्वारा जारी की जा चुकी है।
- **मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण स्कीम–**इस स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर चयनित 1 उच्च माध्यमिक तथा 1 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को 50,000 हजार रूपये

दिए गये है। इन ब्लॉक स्तर पर चयनित स्कूलों में से एक उच्च माध्यमिक व एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चुनाव जिला स्तर पर किया जाता है जिन्हें क्रमशः 1 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाता है। इन जिला स्तर पर चयनित स्कूलों में से एक उच्च माध्यमिक व एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चुनाव किया जाता है। जिन्हें क्रमशः 5 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाता है। इस स्कीम में वर्ष 2022–23 के लिये 171 लाख रुपये की राशि स्कूलों को सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जा चुकी है।

- **खेल कला तथा संस्कृति**–इस स्कीम में वर्ष 2022–23 के लिये 15,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान करवाया गया है तथा हरियाणा विद्यालयों शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला को निर्माण हेतु 16,084.32 लाख रुपये की राशि स्वीकृति दी जा चुकी है।
- **संस्कृति–01–सामान्य शिक्षा**–इस स्कीम में वर्ष 2022–23 के लिये 15,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान करवाया गया है। स्कूल निर्माण कार्य हरियाणा विद्ययालय शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निष्पादित किया गया हैं।

5.53 शैक्षिक सैल

- **छात्र मूल्यांकन परीक्षण (सी.सी.ई.)**–नो–डिटेंशन पॉलिसी की कमियों को दूर करने के लिए 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए छात्र मूल्यांकन टैस्ट शुरू किए गए। 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लगभग 6,82,000 छात्रों के साथ सैट आयोजित किया जाता है। विधार्थियों को आनलाइॅन शिक्षा प्रदान करने एवं उनकी समीक्षा के लिए अवसर ऐप को विकसित किया गया है। इस स्कीम के तहत 31–10–2022 तक लगभग 360 लाख की राशि खर्च की गयी।
- **सुपर 100**–हरियाणा के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से उन छात्रों को आई.आई.टी./ जे.ई.ई./एन.ई.ई.टी आदि परीक्षाओं में निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना है। यह दो जिलों–पंचकूला और रेवाड़ी में क्रमशः 116 और 115 की छात्र शक्ति के साथ चलाया जा रहा है। इस वर्ष इसे 4 जिलों मे शुरू किया जाना है जिससे राजकीय विद्यालयों मे पढ़ रहे लगभग 750 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
- **स्वच्छ प्रांगण**–इस योजना का उद्देश्य स्कूल स्तर पर सभी इको क्लब प्रभारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके मौजूदा इको क्लबों को मजबूत करना है, संबंधित स्कूलों के प्रत्येक छात्र को वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से अपने परिवेश को हरा–भरा और स्वच्छ रखने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना है। रैलियों का आयोजन करना, छात्रों को त्योहारों और पर्यावरण दिवसों को इको–फ्रेंडली तरीके से मनाने के लिए प्रेरित करना। स्कूल स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में विभिन्न कार्यक्रम जैसे पोस्टर मेकिंग, जागरूकता रैलियां और प्रदूषण मुक्त दिवाली आदि आयोजित किए जाते हैं। बाला (बिल्डिंग एज लर्निंग एड) कार्यक्रम हरियाणा के विभिन्न स्कूलों में चल रहा है ताकि स्कूल की दीवारों, कक्षा की पेंटिंग के माध्यम से जिज्ञासा, अलग–अलग सोच को बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में स्वच्छ प्रांगण योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022–23 हेतु 700 लाख रूपये की राशि स्वीकृत है।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम**–हरियाणा की आने वाली पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन तंत्र को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों, लोक कला, विरासत और समाज के रीति–रिवाजों को मजबूत करने के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग नृत्य, नाटक, संगीत में स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों के लिए एक प्रणाली विकसित करना चाहता है और संगीत वाद्ययंत्र, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, भाट, बनरा जैसे विभिन्न अवसरों पर हरियाणवी गाने जो आमतौर पर समुदाय द्वारा गाए जाते हैं। हर साल सांस्कृतिक उत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम

जैसे लोक संगीत, लोक नृत्य, रागनी, सांझी मेकिंग, क्विज प्रतियोगिता, स्किट, लघु नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिता, मूर्तिकला आदि का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का समारोह 'बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम' के रूप में समारोह, गणतंत्र दिवस का समारोह राष्ट्र के सलाम दिव्यांग बेटी के नाम के रूप में, कला और ड्राइंग कार्यशालाओं का आयोजन, कला प्रदर्शनियों का आयोजन, कला संग्रहालयों, दीर्घाओं का दौरा, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित कलाकारों को आमंत्रित करना, प्रतिभाओं का आयोजन इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022–23 के लिए 400 लाख रूपये की राशि स्वीकृत है **(तालिका 5.6)**।

तालिका–5.6 योजनावार स्वीकृत बजट तथा व्यय का विवरण

(लाख रूपये में)

कं. स..	स्कीम का नाम	बजट की स्वीकृति	व्यय (31–10–2022 तक)
1	छात्र मूल्यांकन परीक्षण (सी.सी.ई)	500	360.73
2	साईंस प्रमोशन	5500	3.773.07
3.	संस्कृति प्रोग्राम	400	215.00
4.	सुगम शिक्षा	880	550.00
5.	स्वच्छ प्रांगण	700	328.00

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

6 से 12वीं कक्षाओं की छात्राों के लिए सैनिटरी नैपंकिन का प्रावधान

5.54 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं व किशोरियों में मासिक धर्म स्वास्थ्य संवर्धन करना है। हरियाणा राज्य के सरकारी विद्यालयों की लगभग 7.01 लाख लड़कियाँ इस योजना के अन्तर्गत शामिल होंगी। इन सभी को 6 पैड का पैकेट प्रतिमाह दिया जाएगा।

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

5.55 शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को महसूस करते हुए, राज्य में नियमित सरकारी स्कूलों के अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से 116 अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की है। राज्य भर में यह स्कूल, प्रत्येक ब्लॉक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, पहले से मौजूद 23 ऐसे संस्थानों के अलावा है। 139 'गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) से संबद्ध किया जा रहा है।

उच्चतर शिक्षा

5.56 हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सेवा योग्य बनाना, राज्य सरकार का एक प्रमुख रुझान है। राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली ने हाल के वर्षो में प्रभावशाली वृद्धि देखी है। यह प्रवृति अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहने के आसार है। उच्चत्तर शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा में क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने के लिए कई उपाय किये हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश, गुणवत्ता, निष्पक्षता और स्थिरता मार्गदर्शक सिद्वांत है, जिस पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित है। हरियाणा में उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण राज्य की मानव संसाधन क्षमता की निष्पक्षता और समावेशन के साथ पूर्ण रुप से महसूस करना है।

5.57 इस वर्ष के दौरान राजकीय महाविद्यालय कुराल, कदमा (भिवानी), पटौदी (गुरुग्रम), निगदु (करनाल) नामक 4 नये राजकीय महाविद्यालय शुरु किए गये है। कुल 177 राजकीय महाविद्यालयों में से 61 महाविद्यालय विशेष रुप से लड़कियों के लिए है। विभाग लड़कियों के लिए विशेष रुप से अधिक राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए

प्रतिबद्ध है ताकि उच्चतर शिक्षा अधिक से अधिक लड़कियों की पहुंच तक सुनिश्चित की जा सके। सरकारी सहायता प्राप्त 97 महाविद्यालय निजी तौर पर संचालित हैं, जिनमें से 35 कॉलेज लड़कियों के लिए है।

5.58 उच्चत्तर शिक्षा विभाग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लैंगिक संवेदनशील वातावरण बनाना चाहता हैं। हरियाणा सरकार ने सरकार स्वामित्व वालों और संचालित डिग्री कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के विस्तृत ढांचे के निर्माण में भारी संसाधनों का निवेश किया है साथ ही हमारे सामयिक और सक्रिय राज्य के हस्तक्षेप ने निजी क्षेत्र को हमारे भागीदार बनाने और सभी नागरिकों में शिक्षा फैलाने में सहयोग देने के लिए साझेदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। राज्य के सभी कोनों में सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई।

5.59 उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी राजकीय, अराजकीय एवं स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों में ऑनलाईन दाखिले किए गये। शैक्षणिक सत्र 2022–23 में 1,39,730 नए दाखिले किए गये। राजकीय महाविद्यालय के शैक्षणिक व गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार किया गया तथा इसे वैब पोर्टल पर अपलोड किया गया। राज्य सरकार का ध्यान डिग्री कॉलेजों मे पढ़ाई करने वाले छात्रो की नियुक्तियों में वृद्धि करने के लिए पूरी तरह केन्द्रित है। इसके अलावा विद्यार्थियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। राज्य सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्लेसमेंट सैल के लिए 30 लाख रुपये, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 6 करोड़ रुपये और आई.टी. योजना के लिए 12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

तकनीकी शिक्षा

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

5.60 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) सैक्टर–23, पंचकुला, कपड़ा मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापना की जा रही हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) पंचकुला हरियाणा में निर्माण कार्य माननीय केंद्रीय कपडा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा उदघाटन 12–07–2022 पूरा किया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) पंचकुला के निर्माण के लिए 114.29 करोड रूपये वित्त वर्ष 2021–22 में जारी किये गये है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.)

5.61 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गांव किलोहड, जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जिसकी अतिथि कक्षाएं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के परिसर में शैक्षिक सत्र 2014–15 से शुरू की गईं थी। शैक्षिक सत्र 2019–20 से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रथम वर्ष की कक्षाएं राजीव गांधी एजूकेशन सिटी सोनीपत में शुरू की गई है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए भूमि की कीमत की ऐवज में चौथी किश्त के रूप में 579.83 लाख रूपये ग्राम पंचायत, किलोहड (सोनीपत) को जारी किये गये। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आई.आई.आई.टी., सोनीपत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

असेवित/अल्सेवित जिलों में नये पॉलिटेक्निक की स्थापना

5.62 राज्य में 7 नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थानं एम.एच.आर.डी,.भारत सरकार की केन्द प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु 12.30 करोड़ रूपये (8 करोड रूपये भवन

निर्माण तथा 4.30 करोड रूपये साजो–सामान) की सहायता राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 114.29 करोड रूपये केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में प्रदान किये गये हैं तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं।

मौजूदा बहुतकनीकियों का उन्नयन/ आधुनिकीकरण (100 प्रतिशत सीएसएस)

5.63 12 सरकारी बहुतकनीकियों को एम.एच.आर.डी/एम.एस.डी.ई., भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा बहुतकनीकियों का अपग्रेडेशन नाम से कवर किया गया है, जिसमें 200 लाख रूपये (प्रति बहुतकनीकी)एम.एच.आर.डी. द्वारा बहुतकनीकियों की प्रयोगशाला एंव कार्यशाला को अपग्रेड करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों तथा कम्पयूटर सिस्टम आदि की खरीद के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया जाता हैं कि एम.एच.आर.डी. की समिति ने 12 बहुतकनीकियों के लिए 2,235 लाख रूपये (2014–15) अनुमोदित किये है। अब तक 1,481 लाख रूपये जारी किये है जिसमें से लगभग 1,150 लाख रूपये खर्च हो चुके है और बकाया राशि को मशीनों एंव उपकरणों की खरीद हेतू उपयोग किया जायेगा।

अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति

5.64 इस स्कीम के तहत राज्य सरकार की योजना कवर की गई है। लाईब्रेरी में पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदी जाती है और एस.सी. छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 में इस योजना के तहत 100 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कम्पयूटर लैब्स की स्थापना

5.65 वर्ष 2022–23 में इस योजना के तहत 50 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के आई.टी. कौशल में सुधार के लिए कम्पयूटर लैब स्थापित करने के लिए कम्पयूटर सिस्टम और सम्बन्धित वस्तुओं की खरीद की जाती है।

सरकारी बहुतकनीकियों का प्रत्यायन (स्वर्ण जयंती योजना)

5.66 23 मौजूदा सरकारी बहुतकनीकियों का प्रत्यायन स्वर्ण जयंती योजना के तहत वर्ष 2016–17 से चरणबद्व तरीकें से किया जा रहा है।

पॉलिटेक्निक योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास (सी.डी.टी.पी. योजना)

5.67 इस योजना में 16 सरकारी और सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों में 3 से 6 महीने की अवधि के विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ परिचालित है। यह 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। जब भी कौशल विकास और उदयमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जाता है, उसे सबंधित संस्थानो को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कौशल विकास और उदयमिता मंत्रालय (एम. एस.डी.ई.) द्वारा जारी किया जाने वाला अनुदान तय नहीं है। हर साल बजट प्रावधान अस्थायी रूप से किया जाता है। 2022–23 के दौरान लगभग 1,516 उम्मीदवारों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.)

5.68 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित और कार्यान्वित की जाती है। योजना का मुख्य उद्धेश्य अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से उनके पोस्ट मैट्रिक/माध्यमिक पाठयक्रमों को आगे बढ़ानें के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से आय 2.50 लाख रूपये (2013–14 से) और 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नही है, वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

छात्रवृत्ति में शामिल हैं (क) रख–रखाव भत्ता (ख) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ते (ग) सभी अनिवार्य गैर–वापसी योग्य शुल्क (घ) अध्ययन यात्रा (ड) थीसिस टाइपिंग/प्रिंटिंग शुल्क (ढ) पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से शिक्षा करने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता पाठयक्रम, (च) बुक बैंक इत्यादि।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

5.69 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (149 सहशिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 36 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 7 वित्तीय सहायता प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) तथा 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों के माध्यम से एक व दो वर्षीय सर्टिफिकेट व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से सरकारी व प्राईवेट आई. टी. आई. की संख्या बढ रही है।

5.70 वर्ष 2022–23 में 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 82,616 सीटों की क्षमता के साथ चल रहे है जिनमें 36 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केवल महिलाओं के लिए तथा शेष सहशिक्षा संस्थान है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सभी व्यवसायों में 30 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित है। 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 47,920 सीटों की क्षमता के साथ चलाये जा रहे है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। वर्षवार राजकीय तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या **तालिका 5.6** में दी गई है तथा बजट प्रावधान तथा खर्च की स्थिति **तालिका–5.7** में दी गई है।

तालिका–5.6 वर्ष वार राजकीय तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

शैक्षणिक सत्र	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	कुल
2018–19	167	242	409
2019–20	172	246	418
2020–21	172	242	414
2021–22	187	225	412
2022–23	192	225	417

स्त्रोत–कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका–5.7 विभाग के बजट प्रावधान तथा खर्च की स्थिति

वित्त वर्ष	कुल संशोधित बजट प्रावधान (रूपये लाख में)	ऑनलाईन खर्चा (रूपये लाख में)	खर्चा प्रतिशत
2018–19	50,283.30	40,809.91	81.16
2019–20	68,603.25	57,322.08	83.56
2020–21	56,445.76	52,944.81	93.80
2021–22	48,449.19	59,287.00	122.37
2022–23	87,049.79 (पहली सप्लीमेंटरी में 187.40 करोड़ रूपये का बजट मूल बजट प्रावधान में शामिल है)	25,240.14 (31.10.2022 तक)	29.00

स्त्रोत–कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

5.71 वित्त विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 में कुल बजट प्रावधान 1,117.97 करोड (मूल बजट 867.97 करोड रूपये तथा अनुपूरक बजट 250 करोड़ सहित) का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से 592.87 करोड़ रूपये चार्ज किए गए, परन्तु वित्त विभाग द्वारा संशोधित बजट प्रावधान 484.49 करोड़ किया गया, जोकि वित्त वर्ष के अंतिम दिन

आनलाईन किया गया। इसलिए वित्त वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा कुल खर्च की गई राशि संशोधित बजट प्रावधान से अधिक है।

सार्वजिनक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)

5.72 सार्वजिनक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) स्कीम के तहत, यह कार्यक्रम एक फलैगशिप स्कीम है जिसमें 1,396 सरकारी आई.टी.आई. को अपग्रेड करना है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये 57 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपग्रेडेशन हेतू 34 औद्योगिक भागीदारों द्वारा अंगीकृत किया गया है। 78 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसायटियों का गठन किया गया।

हरियाणा कौशल रोजगाार निगम

5.73 निगम कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिनांक 13–10–2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत किया गया है। दिसम्बर, 2022 तक अनुबन्ध आधार नीति के अन्तर्गत 1.1 लाख से अधिक को निगम द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किये गये है। एच.के.आर.एन.एल. की नीति, 2022 के अनुसार लगभग 96,800 कर्मचारी विभिन्न पदों पर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संगठनों में पहले ही कार्यग्रहण कर चुके है। हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड तैनात संविदा जनशक्ति के लिए ई.पी.एफ., ई.एस.एल. और एल.डब्ल्यू.एफ. सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ प्रदान करने के अपने लक्ष्य में अग्रणी रहा है। दिसम्बर, 2022 तक 75,000 से अधिक तैनात जनशक्ति को ई.पी.एफ. के दायरे में लाया गया है। ई.एस.एल. योजना के 75,000 पात्र लाभार्थियों में से 55,000 को ई.एस.आई. योजना के दायरे में लाया गया है।

5.74 विकास के मुख्य बिंदु

- एम.एम.ए.पी.यू.वाई.लाभार्थी 30,000 + (180,000 से कम आय)
- महिला जनशक्ति तैनात 27,000 + (कुल तैनाती का लगभग 30 प्रतिशत)
- अनुसूचित जाति लाभार्थी 29,000
- अनुसूचित जनजाति लाभार्थी 455
- अधिसूचित जनजाति 29
- पिछडा वर्ग (अ) लाभार्थी 380
- पिछडा वर्ग (ब) लाभार्थी 270
- ऑबोडैड इडेटिंग सगंठन 235 +
- मातृत्व अवकाश का भुगतान–लाभार्थी 250 +
- अब तक किया गया भुगतान (ईएनआर) 800 करोड़ +

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)

5.74 यह एक अनुदान–आधारित योजना है, जो युवाओं को रोजगार बढाने के लिए 350 से अधिक कार्य भूमिकाओं में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन प्रदान करती है। यह योजना हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा हरियाणा राज्य में लागू की जा रही है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का वर्षवार विवरण **तालिका 5.8** में दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना (एन.ए.पी.एस.)

5.75 भारत में शिक्षुता को आगे बढाने और सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना शुरू की गई। हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवधर्न योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न अभिनव पहल करके देश में एक अग्रणी भूमिका निभाई है और वर्ष 2017 में देश में राज्य जनसंख्या के प्रति लाख में 76 अप्रैंटिस के उच्चतम अनुपात की उपलब्धि पर भारत सरकार से चैंपियन ऑफ चेंज'' अवार्ड जीता है। वर्ष वार शिक्षुता की स्थिति का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका– 5.8 वर्ष 2022–23 के दौरान पी.एम.के.वी.वाई. की स्थिति

योजना का नाम	धटक का नाम	लक्ष्य	नमांकित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
युवाओं की स्कीलिंग, अप–स्कीलिंग का मूल्यांकन करने बारे। (सूर्या योजना)	लघु अवधि प्रशिक्षण (एस.टी.टी.)	38,830	33,865	25,985	19,022	6,101
	पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर.पी.एल)	75,200	255	255	48	शून्य
	भारी मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण (एच.एम.वी.डी.टी)	22,164	.....	.....	13,906	शून्य

स्त्रोत–कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका– 5.9 वर्षवार अप्रेंटिसशिप **की स्थिति**

वित्तीय वर्ष	नामांकित अप्रेंटिसशिप की संख्या	पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या
2016–17	17,701	1,868
2017–18	19,392	7,638
2018–19	23,831	1,511
2019–20	20,617	663
2020–21	24,571	1,244
2021–22	14,387	78
2022–23	10,806	1,071
कुल जोड़	1,31,305	14,073

स्त्रोत –कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डी.एस.टी.)

5.76 प्रशिक्षणाथिर्यो को उद्योग की प्रासंगिक व्यवहार का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा राज्य में दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षणाथिर्यो को एक वर्ष के आई.टी. आई. पाठ्यक्रम में 3–6 महीने की अवधि का और दो वर्षो के पाठ्यक्रम में 6–12 महीनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उद्योगों में प्रदान किया जाता है। विभाग के अन्तर्गत चल रहे 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 37 विभिन्न ट्रेडों हेतू सत्र 2022–23 और 2023–24 (1 वर्षीय व 2 वर्षीय कोर्स) में 290 व्यवसाय यूनिटों हेतू 189 उद्योगों के साथ दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में दाखिले के लिए समझौता ज्ञापनों किए गए।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.)

5.77 राजकीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक में पहली बार अगस्त, 2015 में कार्य आरम्भ करने पर 3 ट्रेडों में प्रवेश किए गए। इस संस्थान में कुल क्षमता 300 है। विश्व बैंक द्वारा आई.टी.ओ.टी. स्थापित करने के लिए प्रदान की गई सारी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और अब राज्य योजना के अतंर्गत संस्थान चल रहा है।

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र स्कीम)

5.78 केन्द्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय/निजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.) के अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 208 रूपये प्रति माह दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ–साथ शिक्षण शुल्क, भवन निधि, छात्र निधि, पहचान पत्र और छात्रवास शुल्क का भुगतान भी किया जा रहा है। वर्ष वार अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ का विवरण **तालिका 5.10** में दिया गया है।

तालिका–5.10 में वर्ष वार अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019–20	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – अनुसूचित जाति (केन्द्रीय स्कीम)	604.88	5,200
2020–21	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – अनुसूचित जाति (केन्द्रीय स्कीम)	558.13	11,011
2021–22	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – अनुसूचित जाति (केन्द्रीय स्कीम)	1,020.01	18,124

स्त्रोत – कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका–5.11 वर्षवार अन्य पिछडी जाति वर्ग के प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019–20	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	85.64	5,627
2020–21	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	64.39	4,311
2021–22	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	15.02	8,250

स्त्रोत – कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका–5.12 वर्षवार अध्यनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृति का लाभ

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019–20	राज्य स्कीम– एस. सी.	05.70	355
2020–21	राज्य स्कीम– एस. सी	17.06	1,640
2021–22	राज्य स्कीम– एस. सी.	09.64	689

स्त्रोत – कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

अन्य पिछडा जाति वर्ग के प्रशिक्षणर्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

5.79 केन्द्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राजकीय/निजी औद्ययोगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय/निजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.) के अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह 160 रूपये प्रति माह दिया जा रहा है। इसके साथ–साथ टयूशन फीस की अदायगी भी की जा रही है। वर्षवार पिछडा जाति वर्ग के प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया हैं।

अनुसूचित जाति के अध्ययनरत प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति योजना

5.80 इस स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा राज्य द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुसूचित जातियों के अध्ययनरत प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृति योजना वर्ष 2017–18 से चलाई जा रही है जिस हेतू प्रशिक्षणार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. में जारी किये व्यवसाय में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हो। इस योजना के तहत बिना किसी आय सीमा के अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षणर्थियों को 200 रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति व 15 रूपये ट्यूशन फीस की अदायगी की जा रही है। स्कीम के अन्तर्गत वर्षवार वितरित राशि का विवरण **तालिका–5.12** में दिया गया है

गरीबी और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती

5.81 कुल दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थियों में से 25 प्रतिशत को गरीबी और योग्यता के

आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा प्रयोजित एक अन्य छात्रवृति स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल दाखिल हुए के 25 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को (व्यवसाय वाईज) मैरिट–कम–मीन आधार पर 200 रूपये मासिक दर के अनुसार छात्रवृति का भुगतान किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी हरियाणा राज्य का होना चाहिए और वार्षिक परिवारिक आय 2.50 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिये और प्रशिक्षणार्थी एन.सी.वी.टी/एस.सी. वी.टी. स्कीम में जारी किये गये व्यवसायों में प्रशिक्षण ग्रहण करता हो। गरीबी और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों के लाभ का वर्षवार वितरित राशि का विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है।

निशुल्क टूल किट योजना

5.82 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रयोजित निशुल्क टूल किट स्कीम चलाई जा रही है। फ्री–टूल किट योजना के अर्न्तगत सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी बालिका प्रशिक्षणार्थियों और अनुसूचित जाति के लड़के प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स अवधि में एक बार 1,000 रूपये का भुगतान किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्षवार में लाभार्थियों का विवरण **तालिका–5.14** में दिया गया है।

तालिका–5.13 लाभार्थियों को दिये गये लाभ का वर्षवार विवरण

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019–20	जी. एस.–25 प्रतिशत	09.21	954
2020–21	जी. एस.–25 प्रतिशत.	01.14	130
2021–22	जी. एस.–25 प्रतिशत	0.24	19

स्त्रोत–कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका–5.13 वर्षवार लाभार्थियों का विवरण

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2018–19	फ्री–टूल कीट	56.06	5609
2019–20	फ्री–टूल कीट	20.61	2062
2020–21	फ्री–टूल कीट	05.75	575

स्त्रोत–कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय

5.83 शैक्षणिक सत्र 2022–23 में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एस.वी.एस.यू.) ने 34 पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश की, जिसके लिए 983 सीटें आवंटित की गई हैं और विभिन्न नई धाराओं में शामिल की गई है जैसे कृषि, जापानी और जर्मन भाषा, योग, एम.एल.टी., भू सूचना विज्ञान, ए.आई., एम.एल.टी. ,स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स, सोलर, किमिनल फोरेंसिक, बिजनेस एनालिटिक्स आदि। शैक्षणिक सत्र 2022–23 में, 630 छात्रों के प्रशिक्षण के लिए 23 अल्पकालिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। ये कार्यक्रम वर्ष में दो बार आयोजित किए जाएगें। एस.वी.एस.यू. ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन कर्ताओं का प्रशिक्षण (टी.ओ.ए.) और प्रशिक्षकों (टी.ओ.टी.) का कार्यक्रम आयोजित करके और 1,000 से अधिक मूल्याकन कर्ताओं का एक समूह तैयार किया है और विभिन्न परियोजनाओं में शामिल करके आजीविका प्रदान की जा रही है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा कौशल स्नातक और स्नाकोत्तर कार्यक्रम चलाने के लिए हरियाणा में 12 संस्थान/विश्वविद्यालय सत्र् 2022–23 से सम्बन्धन किया गया।

5.84 विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों के लिए परामर्श नीति विकसित की है जो अन्य शैक्षणिक संस्थानों/औद्योगिक ईकाइयों को

विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता प्रदान करने का अवसर देती है। एस.वी.एस.यू. ने विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के लिए संकाय विकास नीति तैयार और कार्यन्वित की है। एस.वी.एस.यू. ने स्थायी परिसर में जैसी सी.एन.सी. लैब, सोलर लैब, उन्नत विद्युत प्रयोगशालाएं स्थापित की है।

5.85 वर्ष 2022–23 में एस.वी.एस.यू. ने उद्योगों के सहयोग से कम्पयूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में विशेषज्ञता के साथ 60 छात्रों के प्रवेश के साथ प्रौद्योगिकी में एक नया स्नातक बी.टेक. कार्यक्रम आरम्भ किया है। एस. वी.एस.यू. ने क्रमश योग, जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ग्राफिक्स और संचार डिजाइन में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। एस.वी.एस.यू. ने 79,000 उम्मीद्वारों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा शिक्षण कौशल एन.एस.क्यू.एफ. के साथ संरेखण में व्यावसायिक शिक्षा का आंकलन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और 4 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

5.86 एस.वी.एस.यू. लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) के साथ परियोजना कार्यान्वयन संस्था (पी.आई.ए.) के रूप में 11 जिलों में 3 कार्य भूमिका पंप ऑपरेटर सहायक इलैक्ट्रिशियन और प्लंबिग पाइपलाइन के तहत 3,309 पी.एच.ई.डी. फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए काम कर रहा है। दिंसम्बर, 2022 तक 135 लोगों को पंप ऑपरेटर जॉब रोल में प्रशिक्षित किया जा चुका है। एस.वी.एस.यू. हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ काम कर रहा है और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफ.डी.पी) के तहत 2,400 वोकेशनल टीचर्स (टी.ओ.वी.टी.) का प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। 600 व्यवसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य दिसम्बर, 2022 तक किया जा चुका है और स्कील इनोवेटर फाउण्डेशन के तौर पर पंजीकृत किया गया।

5.87 इनोवेटिव फीडर स्कूल द्वारा माध्यमिक स्तर तक मार्च, 2027 तक नियमित एफीलिऐशन प्राप्त की। एस.वी.एस.यू. द्वारा चलाए जा रहे इनोवेटिव फीडर स्कूल को उपलब्ध 36 सीटों के मुकाबले 2022–23 में कक्षा–9 में दाखिले के लिए 420 आवेदन मिले हैं। बी.वोक के दो पूर्व छात्रों को मशरूम की खेती और जैविक/प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में एक उद्यमी के रूप में योगदान के लिए 05–07–2022 को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। जर्मन भाषा में डिप्लोमा के दो छात्राओं ने ईएक्सल और डयूश बैंक ऑफ इंडिया में क्रमशः 7 लाख व 4 लाख के पैकेज के साथ नौकरी पायी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दो छात्रों ने गाजियाबाद में आयोजित 'राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता' के पहले दौर में भाग लिया।

5.88 विश्वविद्यालय के बी. वोक (मेक्ट्रोनिक्स) के छात्र ने वर्ष 2022 में सल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया में आयोजित औद्योगिक नियंत्रण कौशल में विश्व कौशल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर. पी.एल) कार्यक्रम में सभी अन्य विश्वविद्यालयों में आर.पी.एल. को लागू करने का जिम्मा सौंपा है। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग ने नीति जारी कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए है। एस.वी.एस.यू ने जे.बी.एन. ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा को मान्यता देने के लिए एक बड़ी परियोजना आरंभ की है। पहले चरण में, बी. वोक.. डिग्री प्रोग्राम में जे.बी.एन. डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों के एक समूह को प्रवेश दिया गया है। एस.वी.एस.यू को एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल श्रेणी में 'गुड गर्वनेंस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा 'सुशासन दिवस' के अवसर पर 25 दिसंबर 2022 को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के उप–कुलपति को सम्मानित करते हुए अवार्ड प्रदान किया।

इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5.90 विभाग डिजिटल इण्डिया और इसके स्तम्भों के अनुरूप आईटी की विभिन्न पहल संचालित कर रहा है।

जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

5.91 सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, हरियाणा ने श्रेष्ठ कार्य पद्धतियां, विचारों के आदान–प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण की प्रतिकृति के लिए एक दूसरे को समर्थन देने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर आई.टी. विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन किया ताकि आई.टी. डोमेन में आपसी हित के क्षेत्रों में परामर्श और सलाहकार सम्बन्धी गतिविधियां की जा सकें।

ई–विधान एप्लिकेशन

5.92 ई–विधान एप्लिकेशन 08–8–2022 को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरूआत में लॉन्च के उपरान्त, माननीय सदस्य सत्र की कार्यवाही को पढ़ने और कागज पर नियमित व्यवसाय करने के बजाय आईपैड का उपयोग करेंगे। अतः सदस्यों के लिए मॉक ट्रेनिंग भी आयोजित की गई थी।

परिवार पहचान पत्र

5.93 अंत्योदय परिवारों के लिए सिरसा और कुरूक्षेत्र जिले में पायलट आधार पर बीपीएल कार्डों का स्वतः सृजन किया गया है, जिससे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की सक्रिय पहचान कर ली गई है। अंत्योदय परिवारों के लिए नए आयुष्मान भारत कार्डों का प्रो–एक्टिव निर्माण कर लिया गया है। जिन परिवारों की जाति परिवार पहचान पत्रों में सत्यापित हो चुकी है, उनके लिए एस.सी/.बी.सी प्रमाण पत्र की कांउटर पर/ऑन लाईन डिलीवरी परिवार पहचान पत्र के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत किए गए 4 लाख प्रमाण पत्र जारी किये गये।

हरियाणा मुख्यमन्त्री राहत कोष

5.94 इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाईन सेवा शुरू की गई। 1,600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 2 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण किया गया।

ऑटो अपील सिस्टम

5.95 इस स्कीम के तहत 32 विभागों की 372 सेवाएं पंजीकृत की गई है। अब तक 4.43 लाख से अधिक अपीलें दर्ज की गई और 2.75 लाख अपीलों का निस्तारण किया गया है।

सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (एस.एम.जी.टी.)

5.96 सीएम सोशल मीडिया ट्विटर निवारण की शिकायतों पर नजर रखने के लिए नया इन–हाउस सिस्टम विकसित किया गया है।

ई–खरीद

5.97 जिसका उद्देश्य खाद्यान्न खरीद प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाना है। अब तक इस प्लेटफार्म के माध्यम से लगभग 20 लाख गेट पास जारी किये जा चुके हैं और किसानों को अदायगी करने के लिए 63,000 करोड़ रुपये की अदायगी फाइलें बैंक को भेजी गई हैं।

जन सहायक एम–शासन पहल

5.98 सभी विभागों ने नागरिकों के लिए (जी2सी) सेवाओं को राज्यस्तरीय मोबाइल प्लेटफार्म के लिए हरियाणा ने गेटवे टू गवर्नमेंट की अवधारणा को नया रूप दिया है। यह नागरिकों को एक ही स्थल पर उपलब्ध करवाने की एक सरकारी पहल है तथा इसके द्वारा आपातकालीन हैल्पलाइन और अन्य सूचना सेवाएं दी गई है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान (एम.एम.ए.पी.यू.वाई.)

5.99 इस अभियान का उद्देश्य राज्य की ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। परिवार पहचान पत्र आंकड़ा आधार (पीपीपी) में उपलब्ध आय विशेषताओं के आधार पहचान की गई है। अब तक मोबाइल एप के माध्यम से 1,37,543 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

अंत्योदय सरल

5.100 सरल ने पूर्णतः डिजिटाइजेशन के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा प्रदायगी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस समय हरियाणा

में 49 विभागों/बोर्डों/निगमों के अतिरिक्त 14 शस्त्र लाईसेंस सेवाओं की 648 राज्य सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएं/स्कीमें सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

राज्य डाटा केंद्र का पुनरूद्धार

5.101 हरियाणा राज्य डेटा केन्द्र 2012 से संचालन है। राज्य स्तरीय संचालन समिति ने राज्य डाटा केन्द्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ानें के लिए 265.86 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है।

हरियाणा सिविल सचिवालय और नये सचिवालय में एल.ए.एन.एस. का नवीनीकरण

5.102 दोनों सचिवालयों में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। राज्य ने 8.40 करोड़ की लागत से स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का नवीनीकरण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

जिला मिनी सचिवालाय में एल.ए.एन.एस. का नवीनीकरण

5.103 जिला मिनी सचिवालाय में वर्ष 2007 में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को सत्यापित किया गया था। सेवा वितरण में सुधार करने के लिए राज्य ने 42.4 करोड़ रुपये की लागत से लैंस (एल.ए.एन.एस.) का नवीनीकरण शुरू कर दिया गया है।

एच.एस.वी.पी. आईटी प्रणाली का नवीनीकरण

5.104 हरियाणा के निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, 42 सेवाओं को नागरिक केन्द्रित सेवाओं का फिर से नया स्वरूप लॉन्च किया गया है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है।

मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली

5.105 मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत तबादलों में पारदर्शिता लाने के लिए 16 प्रमुख संवर्गों के लिए आनॅलाइन स्थानांतरण नीति पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों को बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के लिए जरूरतों का आंकलन करने और अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यप्रवाह आधारित प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की गई है। समयबद्व पारदर्शिता लाने के लिए कार्यप्रवाह आधारित प्रणाली के माध्यम से ए.सी.पी. मामलों का अनुमोदन अनविार्य कर दिया गया है।

उत्तम बीज पोर्टल

5.106 यह पोर्टल एक साल पहले लॉन्च किया गया था। जिसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एम.एफ.एम.बी.) पोर्टल में जोड़ा गया था। कुल 459 उत्पादक और 18,971 किसान पंजीकृत किये गये हैं। किसानों को 63,885 क्विंटल बीज जारी किया गया।

ऑनलाइन प्रवेश

5.107 यूजी, पीजी और आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन प्रवेश ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (ओसीईटी)–2022 के लिए बी–फार्मेसी में प्रवेश के लिए कार्यप्रवाह आधारित समाधान विकसित और कार्यान्वित किया गया और स्कूलों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग आई.टी.आई., विश्वविद्यालायों जैसे सभी प्रवेशों को पीपीपी से जोड़ दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों के साथ–साथ सम्बन्धित विभागों के दस्तावेज भी कम हो गए हैं।

हमारी पंचायत

5.108 राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.)–2020 के आम चुनाव कराने के लिए शुरू से अंत तक का समाधान किया गया है।

भू–अभिलेख

5.109 स्वामित्व,एच.एस.ए.एम.बी., हाउसिंग बोर्ड, शहरी स्थानीय निकायों, एच.एस.वी.पी., बिजली उपयोगिताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ वेब–हेलरिस के एकीकरण के परिणामस्वरूप संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता लाई गई है। शहरी स्थानीय निकाय व पंचायतों के लिए स्टाम्प ड्यूटी के 2 प्रतिशत हिस्से के हस्तांतरण को चालू कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)

5.110 पी.डी.एस. प्रणाली को अप्रैल, 2022 से सिरसा और कुरूक्षेत्र के लिए परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के साथ एकीकृत किया गया है। इससे परिवार में किसी सदस्य के जन्म या मृत्यु के मामले में सदस्य को स्वतः शामिल करने और हटाने की सुविधा मिलती है।

हरियाणा आवास

5.111 सरकारी आवासों के आवंटन के लिए मानव संसाधन प्रंबधन प्रणाली के साथ एकीकृत एक नया ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जोकि पारदर्शी और शीघ्र आबंटन में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। कर्मचारी घर की पसन्द दे सकते हैं। वरिष्ठता सूची, वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां, आंबटन सूची सभी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

सतर्कता सूचना प्रबन्धन प्रणाली

5.112 हरियाणा राज्य के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों से संबंधित शिकायतों, सतर्कता निकासी, छापे, स्त्रोत रिपोर्ट आदि की स्थिति की निगरानी के लिए सतर्कता सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

5.113 इलैक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए नई प्रणाली विकसित की गई। ई–ग्रास को पेटीएम के साथ एकीकृत किया गया है। कैशलेस मेडिकल और जीवन प्रमाण पोर्टल में एच.जी.पी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल., विश्वविद्यालयों के पैंशनरों के बोर्डिंग का प्रावधान किया गया है।

बेरोजगारी भत्ता

5.114 बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान रोजगार विभाग, हरियाणा (https://hrex.gov.in) विकसित और कार्यान्वित किया गया है। पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा रिक्तियों की सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन प्रकाशित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही नियोक्ता, योग्यता, अनुभव, नौकरी वरीयता आदि के आधार पर उम्मीदवार की खोज कर सकता है और नौकरी की पेशकश कर सकता है।

कैशलेस हरियाणा

5.115 हरियाणा कैशलेस समेकित पोर्टल विकसित और शुरू किया गया। राज्य सरकार का उद्धेश्य डिजिटल अदायगी को बढ़ावा देना और कम नकदी समाज का निर्माण करना है। अब तक 57,1.29 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन दर्ज किया जा चुका है।

बी1–लोअर स्कूल प्रवेश परीक्षा पोर्टल

5.116 यह अत्याधुनिक पोर्टल बिना चाबी की परीक्षा की तरह, वास्तविक समय के परिणाम, विषय स्तर पर प्रश्न बैंक रैंडमाइजेशन और कस्टम डैशबोर्ड के साथ उच्च मात्रा में सुरक्षा जैसी सुविधाओं के साथ दी गई हैं। यह परीक्षा प्रदेश भर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें 15,000 से अधिक (2018 बैच में 8,000+, 2019 बैच में 6,200+ और 2020 बैच में 5,405+) पुलिस अमले ने परीक्षा दी।

आजादी का अमृत महोत्सव पोर्टल

5.117 आजादी का अमृत महोत्सव पोर्टल आजादी के 75 साल और इस देश के लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। हरियाणा सरकार ने उसी स्तर (https://akam.haryana.gov.in/) पर एक राज्य पोर्टल भी विकसित किया है, जिसमें हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला शामिल है। भारती की स्वाधीनता जन भागीदारी की भावना से महोत्सव को जन–उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

हरियाणा संस्कृत अकादमी पोर्टल

5.118 हरियाणा संस्कृत अकादमी पोर्टल राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करने और अकादमी की गतिविधियों को नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। संस्कृत साहित्य के संरक्षण एवं विकास तथा संस्कृत लेखकों के प्रोत्साहन एवं सम्मान के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध की गई है। संस्कृत जगत से जुड़े पाठकों और लेखकों को अकादमी की गतिविधियों, योजनाओं कार्यक्रमों, अकादमी पत्रिकाओं–हरिप्रभा और हरिवक के बारे में जागरूक किया जायेगा।

हरियाणा सी.आई.डी. डैशबोर्ड पोर्टल

5.119 यह पोर्टल (crdashboard.haryana.gov.in) हरियाणा पुलिस विभाग के लिए विकसित किया गया है, जिसे केवल सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा सुरक्षित रूप से एक्सेस किया जायेगा। यह हरियाणा पुलिस के सी.आई.डी. विंग के लिए एक केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली है, जिसमें उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार मामलों को प्राथमिकता देने की सुविधा है। इसमें आवश्यकता के अनुसार वांछित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री के पास एक अलग दृष्टिकोण रखने की विशेषता भी है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग पोर्टल

5.120 यह पोर्टल (https://dmer.haryana.gov.in) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिए विकसित किया गया है, जिसको विभाग द्वारा सार्वजनिक डोमेन में भी सुरक्षित रूप से एक्सेस किया जाएगा। राज्य भर में प्रैक्टिस लाइसैंस/प्रमाण पत्र के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक मार्कशीट/डिग्री/प्रमाण पत्र आदि लाने के लिए डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। उम्मीदवार के डिजी लॉकर खाते में प्रमाण पत्र/ लाइसैंस की उपलब्धता बनाई गई है। विभाग की आवश्यकताओं के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है।

उमंग

5.121 यह वर्ष 2018–19 से उमंग प्लेटफॉर्म पर सेवाएं देने वाला पहला राज्य है। प्रारंभ में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत विकसित राजस्व और आपदा प्रंबधन की 15 सेवाएं, परिवहन विभाग की 3 सेवाएं, पी.एच.ई.डी. की 5 सेवाएं और सरल स्थिति ट्रैकिंग की 2 सेवाएं उमंग पर शामिल थी।

हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति

5.122 हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उद्यमियों को अपना स्टार्टअप शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ बुनियादी ढांचे में वृद्वि वित्तीय और गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्धेश्य से शुरू किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत 3,000 से अधिक स्टार्ट–अप को हरियाणा में इनक्यूबेट किया गया है। 14+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप (कम से कम 1 बिलियन अमेरिकी डालर के मूल्यांकन के साथ) हरियाणा में स्थित है।

हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर नीति

5.123 यह नीति उद्योग और कारोबारी माहौल मुहैया कराकर दुनिया के अग्रणी उद्यमियों को आकर्षित करने और हरियाणा में नए डाटा सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया हे।

5जी सेवाएं

5.124 माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा भारत में 5जी सेवाओं का शुभारंभ 1 अक्तूबर, 2022 को लॉन्च किया गया था। आज की तारीख में गुरूग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा राज्य में चरणबद्ध तरीके से 5जी सेवाएं शुरू की जाएंगी।

अन्य अनुप्रयोग

मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एम.एफ.एम.बी.) पोर्टल

5.125 किसानों द्वारा बोई गई फसल की सूचना सहित भूमि और बैंक खाते की जानकारी स्वयं देने के लिए एनआईसी हरियाणा द्वारा एमएफएमबी पोर्टल विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना सेवाएं (एम.एम.बी.बी.वाई.) पोर्टल

5.126 यह पोर्टल खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बागवानी किसानों द्वारा बीमा करवाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है।

अटल सेवा केन्द्र

5.127 राज्य में 22,500 अटल सेवा केन्द्र में 15,639 ग्रामीण क्षेत्रों में और 6,861 शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत किये गये है।

ई–कार्यालय

5.128 ई–कार्यालय क्रियान्वित किया गया है और आज तक 124 विभागों व क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 22 जिलों के 22,287 कर्मचारी ई–कार्यालय पर काम कर रहे हैं। 9 लाख ई फाइल और ई–रिसिपिट्स सृजित की गई हैं और 25 लाख से अधिक ई–फाइलों और ई–रिसिपट्स भेजी गई हैं।

आधार (यू.आई.डी.ए.आई.) सेवाएं

5.129 सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, हरियाणा एक नोडल अभिकरण व समस्त आधार एयूए सेवाओं का प्रबंध करता है और राज्य के 25+ उप ए.यू.ए. विभागों की सहायता करता है और यू.आई.डी.ए. आई. द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों पर चलते हुए विभागों की क्षमता का निर्माण करता है।

मोबाइल एस.एम.एस. सेवाएं

5.130 एस.ई.एम.टी. सी.डी.ए.सी. के माध्यम से प्रदत्त सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग हरियाणा एस. एम.एस. गेटवे का प्रबंधन करता है और प्रयोगकर्ता विभागों के 70+ अनुप्रयोगों की आवश्यकता की पूर्ति की गई है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30 करोड़ एस.सम.एस. इस गेटवे के माध्यम से भेजी जा चुकी हैं।

एक बार पंजीकरण पोर्टल

5.131 वैब आधारित एकीकृत कार्य प्रवाह प्रणाली जिसमें आवेदक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया के माध्यम से चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों और अराजपत्रित शिक्षक के पदों के लिए एकमुश्त पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 11.36 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

वाई–फाई हॉटस्पॉट सुविधा

5.132 ग्राम पंचायतों में 5,953 वाई–फाई हॉटस्पॉट लगाकर यह सुविधा प्रदान की गई है और 85 प्रशासनिक/ऐतिहासिक/सांस्कृतिक स्थानों को यह सुविधा प्रदान की गई है।

इन्क्यूबेशन सेंटर्स/स्टार्टअप हब

5.133 गुरुग्राम में 1,20,000 वर्ग फुट क्षेत्र पर एक नवाचार एवं स्टार्टअप हब पूर्णतः संचालित है। इसमें विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप परिस्थिति हितधारकों, जिसमें नेटकाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थींग्स (सी.ओ.ई.–आई.ओ.टी.) की सुविधाएं प्रदान करता है।

डिजिटल लॉकर

5.134 डिजिटल लॉकर को अपनाने में हरियाणा सरकार अग्रणी है। इस समय भारत सरकार की डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का डिजिटल तरीके से सत्यापन के लिए 9 विभागों के 26 दस्तावेज उपलब्ध हैं।

कार्य प्रवाह आधारित बीपीएल पात्रता पोर्टल

5.135 यह पोर्टल गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के नागरिकों को अपना आवेदन भेजने में सहायता करता है। अब तक इस पोर्टल पर 9.72 लाख बीपीएल पंजीकरण किये जा चुके हैं।

भारत नेट

5.136 भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत भारत ब्राड बैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने हरियाणा राज्य की 6,204 ग्राम पंचायतों को सेवा तैयार घोषित किया है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉक चैन

5.137 हरियाणा सरकार एस.टी.पी.आई. गुरुग्राम में 10,000 वर्ग फुट में अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त ब्लॉक चैन प्रौद्योगिकी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है। एस.टी.पी.आई. और राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है।

पैंशनभोगी सत्यापन मोबाइल ऐप

5.138 पैंशनभोगी सत्यापन मोबाइल ऐप सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता विभाग से प्राप्त अनुरोध के आधार पर लाभार्थियों को

उनके सत्यापन के बाद पैंशन के सक्रिय वितरण के लिए विकसित किया गया है।

आय सत्यापन मोबाइल ऐप

5.139 आर.आई.डी. द्वारा निष्पादित परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के सफल कार्यान्वयन के लिए आय सत्यापन ऐप विकसित किया गया है। जिसका उपयोग पारिवारिक आये के सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

कौशल विकास

5.140 भारत सरकार ने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है, जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो शिक्षार्थी के पास होना चाहिए। अग्रिम चरण में हारट्रॉन ने व्यापक स्वीकार्यता के लिए अपने देशों की एन.एस.क्यू. एफ. संरेखण के महत्व का विश्लेषण किया और इसके प्रमाणपत्रों की मान्यता में वृद्धि की और तदानुसार एन.एस.क्यू.एफ. संरेखण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी एन.एस.क्यू.एफ. को अपने पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। एन.एस.डी..ए. द्वारा जांच के बाद राष्ट्र कौशल योग्यता समिति ने हारट्रॉन पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 17 हारट्रॉन पाठ्यक्रम एन.एस.क्यू. एफ.) के साथ संरेखित है। ये पाठ्यक्रम एक राष्ट्रीय योग्यता रजिस्ट्रर में पंजीकृत है जो एन. एस.क्यू.एफ. से जुडी सभी योग्यताओं का एक अधिकारिक राष्ट्रीय सार्वजनिक रिकॉर्ड है। इन पाठ्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा की जा रही है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में हर साल लगभग 25,000–30,000 उम्मीदवार नामांकित होते है। इसके अलावा, हारट्रॉन को अब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन एजुकेशनल एंडट्रेनिंग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सरकार द्वारा अवार्डिंग बॉडी एंड असेसमेंट एजैंसी के रुप में भी मान्यता दी गई है। भारत की पुरस्कार देने और मूल्यांकन गतिविधियों को करने वाली संस्थाओं के लिए एम.एस.डी.ई. के निर्धारित दिशानिर्देश और परिचालन नियमावली है। प्रमाणन गुणवता की मान्यता व पूरे भारत के बाजार मे इसकी स्वीकार्यता की वजह से उम्मीदवारों के रोजगार की क्षमता में वृद्धि हुई है। एन.सी.वाई.ई.टी. मान्यता के लाभ इस प्रकार है कि सरकार द्वारा मान्यता, भारत की युनिफॉर्म पैन इंडिया प्रमाणन और गुणवता की मान्यता, सरकारी वित्त पोषण के लिए पात्रता, बाजार की स्वीकार्यता और मान्यता में वृद्धि।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल

5.141 हारट्रॉन ने अपनी सी.एस.आर. गतिविधि के तहत अक्टूबर, 2015 में सार्थक एजूकेशन ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है, यह गतिविधि विकलांग लोगों को कौशल और रोजगार के अवसर सृजन के माध्यम से सम्मान और समानता के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम बनाने की दिशा में निर्देशित है। दिसंबर, 2022 तक कुल 1,600 से अधिक दिव्यांगजनों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है और लगभग 1,100 से अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार मेलों और अन्य रोजगार प्लेटफार्मों के माध्यम से सफलतापूर्वक रोजगार मिल गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 243 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। 182 ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 61 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कुल 92 उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया है।

हारट्रॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप हब गुरुग्राम

5.142 हारट्रॉन ने बौद्धिक ज्ञान पर आधारित उद्यमिता और अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में हरियाणा के नवाचार और उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र को बढावा देने के लिए गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक नवाचार और स्र्टाटअप हब की स्थापना की है। पिछले चार वर्षों के संचालन में 99 स्टार्टअप्स को हब में भौतिक रुप से इनक्यूबेट किया गया है और लगभग 312 स्टार्टअप्स को वस्तुतः तैयार किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में और अब तक 53 स्टार्टअप्स को भौतिक और आभासी मोड के माध्यम से हब से इनक्यूबेट/मेंटर किया जा रहा है। स्टार्टअप नए युग की नई उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे ए.आई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ए.आर./वी.आर. ब्लॉकचेन, बिग डेटा

स्वास्थ्य, कृषि, जल, परिवहन, ऊर्जा, स्मार्ट विनिर्माण आदि के क्षेत्रों इत्यादि पर काम कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान संचालन का दूसरा चरण हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (एच.ई.ई.पी.)–2020 में प्रावधान के अनुसार शुरु किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

5.143 राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। पहले इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही थी, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। अब हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार का एक नया विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग हरियाणा में हसतात्रण, हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 120-2020/Ext. दिनांक 25 अगस्त, 2020 द्वारा किया जा चुका है। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैः–

- **विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति स्कीम–**इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर मूल विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में पढ़ाई करने वाले 250 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। स्नातक छात्रों को 4,000 रूपये प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर छात्रों को 6,000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 2,505 विद्यार्थियों को लगभग 2,956.26 लाख रुपयें की छात्रवृतियां दी गई है।
- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना–** इस योजना के अन्तर्गत उच्चतम नम्बरों के आधार पर विद्यार्थियों को 1,500 रुपये (1,250 छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तथा 250 छात्र सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्डो के) का छात्रवृति हेतू चयन किया जाता है। हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–I परीक्षा जो की 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एस.सी.ई.आर.टी. गुरूग्राम द्वारा आयोजित की जाती है, चयनित छात्रों को जो कि 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ेगें उनको 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृतियां दी जाएंगी।
- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फेलोशिप स्कीम–** फेलोशिप कार्यक्रम जुनियर रिसर्च फेलोशिप जे.आर.एफ. के लिए संयुक्त सी.एस.आई.आर–यू.जी.सी परीक्षण और एन.टी.ए. द्वारा आयोजित व्याख्यान माला की पात्रता पर आधारित है। जिन उम्मीदवरों ने जे.आर.एफ. नेट (सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी) में उर्तीण किया है उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी के समकक्ष फेलोशिप दी जाएगी, यदि वे किसी वैध कारण से सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी से फेलोशिप नहीं ले रहे है, यानि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 31,000 रूपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 35,000 रूपये प्रतिमाह। जिन उम्मीदवारों ने एल.एस–नेट क्वालिफाईड किया है, उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी दोनों के लिए मौजूदा दरों पर सी.एस.आई.आर. के लिए परैफरेंस दी जाएगी, यानि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 18,000 रूपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 21,000 रूपये प्रतिमाह। फेलोशिप में 20,000 रूपये का वार्षिक आकस्मिक अनुदान होगा जो विश्वविद्यालय/संस्थान को प्रदान किया जाएगा।

5.144 आमजन और विद्यार्थियों में खगोलशास्त्र के प्रति जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उदेश्य से, कल्पना चावला स्मारक तारामण्डल, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के

अधीन कार्य कर रहा है। तारामण्डल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डॉ. कल्पना चावला की याद में 24 जुलाई, 2007 को किया गया था। तारामण्डल का गुम्बद 12 मीटर व्यास में 120 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की क्षमता के लिए बनाया गया है। तारामण्डल में अग्रेंजी और हिंदी में खगोल विज्ञान से संबधित कार्यक्रमों को चलाया जाता है। दीर्घा व एस्ट्रोपार्क, तारामण्डल के दो अन्य आकर्षण हैं जिनमें खगोल से सम्बधित प्रादर्शनी लगाई गई हैं। वर्षवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण **तालिका 5.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15 में वर्षवार भौतिक और वितीय उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	कुल दर्शक (लाख रूपये)	कुल राजस्व (लाख रूपये)
2014-15	1,35,720	29,26,570
2015-16	1,39,845	31,92,755
2016-17	1,42,443	32,91,595
2017-18	1,35,293	30,97,405
2018-19	1,35,490	28,59,765
2019-20	1,29,361	26,17,945
2020-21	14,829	3,88,690
2021-22	44,341	5,49,685
2022-23 (upto 31.11.2022)	54,421	5,93,755

स्त्रोतः– विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा।

***

6

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, एवं दवाओं को निरंतर तरीके से उपलब्ध कराने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा प्रदेष के बीमार और आपातकालीन रोगियों के अलावा शिशुओं, बच्चों, युवाओं, माताओं, योग्य दम्पत्तियों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, संचारी व गैर–संचारी रोगों की भी सावधानीपूर्वक जांच तथा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और योजना की मजबूत प्रणाली बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

6.2 हरियाणा राज्य में वर्तमान में 22 जिला सिविल अस्पताल, 49 उप–मंडलीय अस्पताल, 120 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 33 सिविल डिस्पेंसरी, 13 पॉली क्लीनिक, 406 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 55 प्रथम रेफरल के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिसमें 2,726 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। इसके अलावा 24 विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ और 66 नवजात शिशु स्थाई इकाइयाँ हैं। हरियाणा राज्य में वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य विभाग का बजट आवंटन 4,87,721.67 लाख रूपये था जोकि वर्ष 2022–23 में बढकर 5,44,912.87 लाख रूपये हो गया है।

निरोगी हरियाणा

6.3 इस स्कीम के तहत हरियाणा राज्य में 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई। पवित्र शहर कुरुक्षेत्र का दिनांक 29 नवंबर, 2022 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा में शुभारंभ किया गया। यह योजना शुरू में 32 स्वास्थ्य सुविधाओं में शुरू की गई थी और वर्तमान में 2 मेडिकल कॉलेजों, सभी जिला नागरिक अस्पतालों और कुछ उप जिला अस्पतालों सहित 42 सुविधाओं में चल रही है। सभी आयु समूहों की जांच के लिए विस्तृत एसओपी तैयार किए गए और इस तरह की गतिविधि चलाने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 89 सुविधाओं के लैब अपग्रेडेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी और एच.एम.एस.सी.एल द्वारा ऑटो एनालाइजर और सेल काउंटर की खरीद की जा रही है और लाभार्थी के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए एक आवेदन भी एक उन्नत चरण में है। इस बीच उन सुविधाओं के लिए डेटा पर कार्य किया जा रहा है जहां ई–उपचार लाइव है। दिनांक 24–01–2023 तक कुल 1,59,870 व्यक्तियों की जांच की गई तथा कुल 15,02,542 लोगों के रक्त एवं मूत्र की जांच की गई। जांच की गई आबादी में एनीमिया, जन्म के समय कम वजन, तपेदिक, कार्सिनोमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक के विभिन्न मामलों का पता लगाया गया है और उनका इलाज किया गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

6.4 इस स्कीम के तहत दिनांक 24–01–2023 तक सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को 613.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कुल 28,89,287 कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत 24–01–2023 तक गोल्डन कॉर्ड (आयुष्मान लाभार्थी कार्ड) बन चुके हैं

हरियाणा राज्य में 24–01–2023 तक अस्पतालों की कुल संख्या (सार्वजनिक अस्पताल–176 और निजी अस्पतालों–552) को आयुष्मान भारत, हरियाणा के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

चिरायु योजना

6.5 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने 21–11–2022 को अंत्योदया इकाइयां (चिरायु) हरियाणा योजना का व्यापक स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत के लाभ को 29 लाख अंत्योदया परिवारों यानी 1.8 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना है। चिरायु योजना के तहत दिनांक 24–01–2023 तक 46,68,587 आयुष्मान कार्ड भी बनाये गये हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

6.6 हरियाणा राज्य में इस स्कीम के तहत लोगों को सीटी स्कैन, एम.आर.आई., हेमोडायलिसिस और कैथ लैब सेवाएं प्रदान करना है। सीटी स्कैन सेवाएं 17 जिला सिविल अस्पतालों में उपलब्ध हैं। एम.आर.आई. सेवाएं 5 जिला सिविल अस्पतालों में उपलब्ध हैं। हेमोडायलिसिस सेवाएं 20 सिविल अस्पतालों में चालू हैं। 4 केंद्रों में कार्डियोलॉजी सेवाएं, यानी कैथ लैब और कार्डियक केयर यूनिट काम कर रही हैं। पी.पी.पी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और हरियाणा के सभी जिलों में इन सेवाओं के प्रावधान पर काम किया जा रहा है।

6.7 हरियाणा सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) कार्यक्रम कार्यान्वयन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम रैंक हासिल किया है। सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन दिनांक 09–05–2022 को किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों को व्यापक कैंसर देखभाल की सुविधा प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक

6.8 भारत सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक विकसित किए हैं। एन.क्यू.ए.एस. एक चेकलिस्ट आधारित कार्यक्रम है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विभिन्न विभागीय चेकलिस्ट शामिल हैं। हरियाणा अपनी सुविधाओं में इन मानकों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। डी.सी.एच. पंचकुला देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होने वाला पहला जिला अस्पताल था, जबकि डी.सी. एच. फरीदाबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाल अनुकूल सेवाओं के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए मुस्कान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया। राज्य में एनक्यूएएस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित सुविधाओं का विवरण इस प्रकार के जिला नागरिक अस्पताल–9, उप–मंडलीय नागरिक अस्पताल, नागरिक अस्पताल–4, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र–3, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र–2, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र–89, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र–17 शामिल हैं।

कायाकल्प

6.9 कायाकल्प स्वच्छता बनाए रखने संक्रमण नियंत्रण, प्रथाओं को बढ़ावा देने और इन दिशानिर्देशों के तहत मूल्यांकन किए जाने पर अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाने वाली सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। हरियाणा इन सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रयासरत है और इस पहल की शुरुआत के बाद से सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में इन मानकों को प्राप्त करने में लगातार सुधार कर रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 में 335 कायाकल्प पुरस्कार कुल रुपये विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को 333.40 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। इस प्रकार वितरित राशि का उपयोग, रोगी देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने और इन सुविधाओं को कार्यक्षेत्र के वातावरण के लिए भी किया जाता है।

6.10 हरियाणा राज्य में ई–उपचार एप्लिकेशन को 22 जिला अस्पतालों, 3 मेडिकल कॉलेजों, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज, 20 एस.डी. एच/सी.एच.सी और 10 पीएचसी सहित पूरे

हरियाणा में 56 स्वास्थ्य सुविधाओं में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इसे सभी कार्यान्वित स्थलों के लिए 'मेरा अस्पताल' के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। मेरा अस्पताल 'एप्लिकेशन के साथ ई–उपचार का एकीकरण रोगियों को सम्बन्धित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के बारे में प्रतिक्रिया साझा करने का अधिकार देता है। यूनिक पेशेंट आईडी एप्लिकेशन में 2.7 करोड़ मरीजों की एंट्री की जा चुकी है। लगभग 8.2 करोड़ रोगियों ने दोबारा जाकर ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया है। 197 लैब मशीनों और 87 एक्स–रे मशीनों को ई–उपचार पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं और मरीज इन रिपोर्टों को अपने स्मार्ट–फोन के माध्यम से कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दो डैशबोर्ड/केंद्रीय डैशबोर्ड और एक प्रमुख संकेतक डैशबोर्ड विकसित किया गया है और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए प्रमुख संकेतक प्रदर्शित किए गए हैं। एप्लिकेशन 54 साइटों पर 'लाइव' है और 2 साइटों पर लाइव का निर्माण चल रहा है।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं

6.11 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं के तहत वर्तमान में 622 एम्बुलेंस (157 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 166 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 262 रोगी परिवहन एम्बुलेंस और 31 किलकारी/बैक टू होम, 6 नियोनेटल एम्बुलेंस) चालू हैं, जिनका प्रबंधन राज्य के 21 जिलों (चरखी दादरी के अलावा) में संचालित विकेंद्रीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा किया जाता है। 108 हरियाणा एम्बुलैंस सेवा को 112–आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के साथ पायलट आधार पर दो जिलों फरीदाबाद, गुरूग्राम में जुलाई, 2021 से समायोजित कर दिया गया है ।

मातृ मृत्यु अनुपात

6.12 हरियाणा राज्य में मातृ मृत्यु दर 127 (एस.आर.एस. 2011–13) से घटकर 110 (एस.आर.एस. 2018–20), नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.) 26 (एस.आर.एस. 2013) से 19 (एस.आर.एस. 2020), शिशु मृत्यु दर (आई.एम. आर.) 41 (एस.आर.एस. 2013) से 28 (एस.आर. एस. 2020), अंडर–5 मृत्यु दर 45 (एस.आर. एस. 2013) से 33 (एस.आर.एस. 2020), और जन्म के समय लिंग अनुपात 868 (सी.आर.एस. 2013) से बढ़कर 915 (दिसम्बर, 2022 तक) हो गया है। सितंबर, 2022 तक, राज्य में 97.1 प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए। हरियाणा में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 97 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल किया है।

मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना

6.13 मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना (एम.एम.आई.वाई.) के तहत 7 प्रकार की सेवाएं जैसे सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, डायग्नोस्टिक्स (एक्स–रे, ई.सी.जी. और अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओ.पी.डी/इनडोर सेवाएं, आवश्यक दवाएं, रेफरल परिवहन और दंत चिकित्सा उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं, का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करके स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक पंहुच प्रदान करना हैं। मिशन के मुख्य घटकों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, संचारी और गैर–संचारी रोगों पर नियंत्रण करना तथा प्रजजन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्चयन शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पेयजल जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों का प्रभावी एकीकरण करने का प्रयास करता है। वर्ष–वार अनुमोदित बजट और खर्च का विवरण **तालिका 6.1** में दिया गया है।

तालिका– 6.1 में वर्ष–वार अनुमोदित बजट और खर्च का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	आर.ओ.पी./ अनुमोदन	प्राप्त बजट (नगद + आई.एम.अनुदान)	खर्च (नगद + आई.एम. अनुदान)	प्राप्त बजट का % उपयोग
1	2012–13	413.80	388.60	368.00	95
2	2013–14	514.74	416.05	468.27	113
3	2014–15	531.65	379.75	486.13	128
4	2015–16	573.46	482.94	488.16	101
5	2016–17	523.65	508.49	488.17	96
6	2017–18	635.66	494.19	534.25	108
7	2018–19	815.81	743.10	659.65	89
8	2019–20	999.96	768.77	747.21	97
9	2020–21	1139.78	921.20	806.05	88
10	2021–22	1331.90	903.98	880.82	97
11	2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)	1443.27	749.62	641.84	86

स्त्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।

आपातकालीन कोविड रिलीफ फंड–II

6.15 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने "इंडिया कोविड–19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज–चरण–II के तहत कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए शेयरिंग पैटर्न में वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 304.04 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। ई.सी.आर.पी.–II की स्वीकृत राशि के मुकाबले 25.75 करोड़ रुपये की राशि जिलों को मंजूर की गई है, 169.76 करोड़ रुपए एच.एम.एस.सी.एल./पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) को हस्तांतरित की गई हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखीदादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल और हिसार जिलों में 8 मॉलिक्यूलर लैब खोलने के लिए ई.सी.आर.पी. –II के तहत धनराशि की मंजूरी दे दी गई है।

ई–संजीवनी ओ.पी.डी.

6.16 ई–संजीवनी ओ.पी.डी., भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली–परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम ओपीडी की शुरुआत हरियाणा में 01–05–2020 को की गई है। वीडियो कॉल पर घर पर रहकर लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड्रॉइड स्मार्ट फोन का उपयोग करके वीडियो कॉल/लाइव चैट के माध्यम से कोई भी डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर जांच रिपोर्ट को अपलोड किया जा सकता है, जिसे देखकर डॉक्टर ई–प्रिस्क्रिप्शन पर लैब टेस्ट या दवा लिख सकते हैं जो हरियाणा की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मान्य हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। हरियाणा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार 16–08–2021 से पूरे राज्य में ई–संजीवनी ओ.पी.डी. की सेवा 24X7 उपलब्ध है। ई–संजीवनी ओ.पी.डी. टेली परामर्श के कार्यान्वयन को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा सुशासन पुरस्कार 2020–21 से सम्मानित किया गया है साथ ही एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा डिजिटल तकनीक सभा एक्सीलैंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मातृ स्वास्थ्य

6.17 राज्य में मातृ स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। नवंबर, 2020 में जारी नवीनतम एम.एम.आर. बुलेटिन के अनुसार, हरियाणा का एम.एम.आर. 110 (एस.आर.एस.–2018–20) हो गया है। 24X7 प्रसव सुविधाओं के संचालन के माध्यम से संस्थागत प्रसव को

बढ़ावा देना। संस्थागत प्रसव बढ़कर 97.3 प्रतिशत दिसम्बर, 2022 तक हो गई हैं।

शिशु स्वास्थ्य

6.18 वर्तमान में हरियाणा की शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 28 है (एस.आर.एस. 2020 के अनुसार) जिसमें वर्ष 2013 से 13 अंकों की (2013 में आई.एम. आर.–41) उल्लेखनीय रूप से कमी हो गई है। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स (एस.एन.सी.यू.) वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के इन 24 एस. एन.सी.यू. में कुल 24,689 नवजातों को भर्ती किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 3,39,150 बच्चों के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले कुल 3,28,049 (स्रोत–एचएमआईएस) बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण करके 97: एफआईसी का कवरेज प्राप्त किया गया है।

पल्स पोलियो

6.19 उप–राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एस.एन.आई.डी.) जून, 2022 का एस.एन.आई. डी. राउंड हरियाणा के 13 जिलों में आयोजित किया गया जिसमें 25.6 लाख शिशुओं (0 से 5 वर्ष) को पोलियो की खुराक दी गई। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एन.आई.डी.)–फरवरी, 2022 में एन.आई.डी. राउंड के दौरान कुल लगभग 35.73 लाख शिशुओं (0 से 5 वर्ष) को पोलियो की खुराक दी गई।

कोविड–19 वैक्सीनेशन की स्थिति

6.20 वर्ष 2021–22 के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने "इंडिया कोविड–19 हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज–चरण–II के लिये 304.04 करोड रूपये की राशि शेयरिंग पैटर्न में 4 दिसम्बर, 2022 तक कोविड–19 वैक्सीन की पहली दूसरी, एहतियाती खुराक (लगभग 4.54 करोड़ डोजिज) हेतु प्रदान की है।

राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा

6.21 वर्तमान में 617 एम्बुलैंस (153 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 167 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलैंस, 257 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलैंस और 34 किलकारी/घर वापसी, 6 नवजात के लिए एम्बुलैंस) 22 जिलों में कार्यरत हैं, जोकि हरियाणा के 21 जिलों में विकेंद्रीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

6.22 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लक्ष्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरुआती पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप करना है ताकि 4 'डी', जन्म के समय दोष, कमियां, रोग, विकलांगता सहित विकास में देरी को कवर किया जा सके। प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। लगभग 3.95 लाख बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं की पुष्टि हुई है और 3.86 लाख बच्चों ने जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (अप्रैल से अक्टूबर, 2022 तक) सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में उपचार सेवाओं का लाभ उठाया है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)

6.23 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मई, 2013 में झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाली शहरी गरीब आबादी और अन्य सभी कमजोर आबादी (बेघर, कचरा बीनने वाले, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले, यौनकर्मी, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, सड़क पर रहने वाले बच्चे आदि) पर ध्यान देने के साथ एन.एच.एम. की प्रस्तुति के रूप में लॉन्च किया गया था। सारी सेवाएं शहरी पी.एच.सी. के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में, हरियाणा में 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, जो लगभग 2,500–3,000 की औसत मासिक ओ.पी.डी. के साथ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सामुदायिक प्रक्रिया (आशा)

6.24 राज्य में 20,676 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 20,382 (अर्थात 31–12–2022 तक 98.58 प्रतिशत) आशा ने नामांकन किया। 01–03–2021 से 31–12–2022 तक कुल 376 आशाओं की सेवानिवृत्ति/हटाया गया/काम छोड़ दिया/मृत्यु हो गई और 01–03–2021 से 31–12–2022 तक कुल 555 नई आशाओं का नामांकन किया गया।

आयुष्मान भारत

6.25 इस स्कीम के तहत आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एच.डब्ल्यू. सी.) व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वभौमिक और मुफ्त है। कल्याण पर ध्यान देने और वर्तमान में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के वितरण के साथ उप केन्द्र स्तर के स्वास्थ्य एवं कल्याणा केन्द्रों पर 1,294 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत हैं अगले फेस में 527 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती शुरू कर दी गई और उनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति पर है और अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र जल्द ही चालू हो जायेगें। दिनांक 14–02–2023 तक कुल 2,043 एच.डब्लयू.सी. (1,468 उप केन्द्र, 390 ग्रामीण पी.एच.सी., 106 शहरी पी.एच.सी. और 79 यू.एच.डब्ल्यू. सी.) चालू है।

तालिका 6.2– राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्य स्वास्थ्य संकेतक

क्रम सं.	स्रोत के साथ संकेतक	वर्ष	वर्ष
		2013–14	2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)
1	नवजात मृत्यु दर (एन.एम.आर.)	26 (एस.आर.एस. 2013)	19 (एस.आर.एस. 2020)
2	शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)	41 (एस.आर.एस. 2013)	28 (एस.आर.एस. 2020)
3	मातृ मृत्यु अनुपात	127 (एस.आर.एस. 2011–13)	110 (एस.आर.एस. 2018–20)
4	प्रथम रेफरल इकाई	40 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू. सहित)	55 (फरीदाबाद में 2 शहरी एफ.आर.यू. और आकांक्षित जिले नूह में 2 नए एफ.आर.यू. सी.एच.सी. तावरू और सी.एच.सी. एफ.पी. झिरखा सहित)
5	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर	45 (एस.आर.एस. 2013)	33 (एस.आर.एस. 2020)
6	जन्म के समय लिंग अनुपात (सी.आर.एस.)	868 (सी.आर.एस. 2013)	915 (अक्टूबर, 2022 तक)
7	संस्थागत प्रसव (एच.एम.आई.एस.)	90.37 प्रतिशत (2017)	97.3 प्रतिशत (दिसम्बर, 2022 स्रोत– एच.एम.आई.एस.)
8	पूर्ण टीकाकरण (स्रोत –एच.एम.आई.एस.)	85.7 प्रतिशत	97 प्रतिशत (दिसम्बर, 2022 तक) भारत सरकार के लक्ष्य के मुकाबले
9	आशा	16,800 93.33 प्रतिशत	20382 (98.50 प्रतिशत) (दिसम्बर, 2022 तक)
10	विशेष नवजात देखभाल इकाई (एस.एन.सी.यू.)	15	24 (2020–21)
11	नवजात स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.)	52	66 (2020–21)
12	नवजात देखभाल कॉर्नर (एन.बी.सी.सी.)	192	318 (2020–21)

स्त्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।

प्रशासन प्रभाग

6.26 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मचारियों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। प्रथम चरण में 9,068 एन.एच. एम. और एन.यू.एच.एम. कार्यकर्ताओं (जिनके पास पी.पी.पी आईडी है) को 5,000 रुपए दिए गए हैं, जिन्होंने कोविड–19 महामारी के दौरान काम किया था। दूसरे चरण में बाकी एन.एच. एम. और एन.यू.एच.एम. कार्यकर्ताओं (कोविड एचआर सहित लगभग 4,700) को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सेवा उपनियमों के लाभ का विस्तार के तहत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के सभी संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 135 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी वहन करनी होगी और इससे 13,451 कर्मचारियों को लाभ होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतंर्गत मुख्य स्वास्थ्य संकेतक **तालिका 6.2** में दिये गये है।

आयुष

6.27 आयुर्वेद, योगा तथा नेचरोपैथी, युनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथी (आयुष) औषधी प्रणाली की भारत वर्ष के सभी वर्गों में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षों तक उपयोग करके जॉची और परखी हुई पैथियाँ हैं जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगों को फैलने से बचाती है। आयुष औषधी प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत से क्रोनिक रोगों के उपचार एवं रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नहीं हैं, महत्वपुर्ण भुमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बिमारियों के बढने के कारणों को देखते हुए लोगों का रूझान आयुष पैथियों की तरफ, देश में तथा दूसरे देशों में भी होने लगा है।

6.28 आयुष विभाग, हरियाणा राज्य के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए 4 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 पचंकर्मा केन्द्र तथा 515 आयुर्वेदिक, 19 युनानी एवं 26 होम्योपैथिक औषधालय तथा एक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर–3, पंचकुला में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 33 आयुष औषधालय (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी एवं 2 होम्योपैथिक) 3 स्पैशल आयुष क्लीनिक (गुड़गाव, हिसार, अम्बाला) तथा 1 स्पैशलाईजड थैरेपी सैन्टर जींद में स्थानांतरित व अपग्रेड किये गए है। वर्ष 2009–10 में 21 आयुष विंग जिला हस्पतालों पर, 98 आयुष ओ0 पी0 डी0, सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रों पर तथा 109 आयुष ओ.पी.डी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे है तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग ले रहे है। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

6.29 ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 94.5 एकड भूमि लीज आधार पर प्रदान की गई है। 14 विषयों मे 82 सीटों पर एम.डी. कोर्स श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज/हस्पताल द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य मे आयुर्वेदिक शिक्षा को बढावा देने के लिए 1 और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राम पट्टीकरा (नारनौल) में शुरू किया गया है। वर्ष 2022–23 सत्र के लिए बी.ए.एम.एस. की 100 सीटों पर दाखिले की प्रकिया जारी है।

6.30 भारत सरकार द्वारा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान गांव देवरखाना जिला झज्जर में स्थापित किया जा चुका है। इस संस्थान को स्थापित करने के भारत सरकार को 166.11

कनाल भूमि प्रदान की गई। ओ.पी.डी. शुरू हो चुकी है। गांव अकेंडा मे 45.43 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय यूनानी कालेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा हैं और 48 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

6.31 भारत सरकार ने 250 बेड वाले आई.पी.डी. (100 आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा) और हर साल 500 से अधिक छात्रों को यू.जी., पी.जी., पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने के साथ आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुंसधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड, पंचकूला द्वारा 19.87 एकड भूमि 33 वर्ष के लिए लीज आधार पर आयुष मत्रालय, भारत सरकार को प्रदान की गई है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर–संचारी रोगों के लिए यूनानी चिकित्सा पद्वति में 120 बिस्तरों वाले राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस संस्थान की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 68 कनाल 17 मरले (लगभग 9 एकड) गांव खेड़ी गुजरा जिला फरीदाबाद की भूमि स्थानांतरित की जा चुकी है। सरकार मय्यड, हिसार में 50 बिस्तर एकीकृत सरकारी आयुष अस्पताल, स्थापित करने के लिए सहमत है। इसके लिए 15 एकड भूमि चिन्हित की गई है और एक रूपये प्रति एकड के हिसाब से 33 वर्ष के लिए आयुष विभाग के नाम स्थानातरित की गई है और 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

रोग प्रतिरोधक दवाईयां

6.32 आयुष विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाने हेतू कुल राशि 7.72 करोड रूपये की दवाईयां जैसे कि गुडुची घन वटी, संशमनी वटी, अनु तेल और जन आरोग्य क्वाथ पुलिस विभाग, नगरपालिकाओं के कार्यालय, पंचायती राज, वृद्व आश्रम, वरिष्ठ नागरिको तथा कंटोनमेन्ट जोन मे कुल 26.73 लाख व्यक्तियों को दवाईयां वितरित की गई है।

6.33 वित्त वर्ष 2021–22 में आयुष विभाग के लिए 199.48 करोड़ रूपये प्लान (नॉन रैंकरिंग/प्लान) स्कीम के लिए तथा 15.73 करोड़ रूपये की राशि (रैंकरिंग/नॉन प्लान) स्कीम के लिए खर्च की गई थी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्लान (नॉन रेकरिंग) स्कीम के लिए 310.01 करोड़ रूपये तथा प्लान (रेकरिंग/नोन प्लान) स्कीम के अन्तर्गत 10.60 करोड़ रूपये की राशि आयुष विभाग के लिए स्वीकृत की गई है।

ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण

6.34 वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार द्वारा हिसार, रोहतक, करनाल, अम्बाला, सोनीपत व पंचकुला में नए 100 बिस्तरीय ई. एस.आई.सी. हस्पताल की प्रशासनिक अनुमोदना प्राप्त हो गई है, जिसमें ई.एस.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान हिसार, रोहतक, अम्बाला व सोनीपत को सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। सरकार द्वारा 14 नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी करनाल, रोहतक, गन्नौर, मौलाना, घरौंडा, फारूखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, चरखी दादरी व उकलाना मंडी में खोलने की प्रशासनिक अनुमोदना प्रदान की गई है। 14 ई.एस.आई. डिस्पैंसरी में से रोहतक, पटौदी, चरखी दादरी और झाडली को ई.एस.आई.सी.,नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अन्य डिस्पैंसरियों की सैद्धांतिक स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी कुरूक्षेत्र, तरावडी व चरखी दादरी में खोल दी गई है, ई.एस.आई. डिस्पैंसरी कुरूक्षेत्र व तरावडी में कार्यरत है। ई.एस.आई. डिस्पैंसरी चरखी दादरी और जाडली जल्द ही स्वीकृत होगी।

6.35 बीमाकृतों के लिए जिला अम्बाला क्षेत्र में कैशलैस आधार पर द्वितिय चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए 3 अन्य प्राईवेट

हस्पतालों को सी.जी.एच.एस. भाव दर अनुसार एम्पैनल कर लिया गया है। गौण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने बारे कैशलैस आधार पर बीमाकृतों के लिए 109 प्राईवेट हस्पतालों को वर्ष 2022–23 के दौरान एम्पैनल्ड कर लिया गया है।

6.36 नई पहलें

- ई.एस.आई.सी. हस्पताल गुरूग्राम को 163 बिस्तरीय हस्पताल से 500 बिस्तरीय हस्पताल में विस्तार करवाना।
- 100 बिस्तरीय हस्पताल बहादुरगढ़ (झज्जर) व बावल (रेवाडी) का निर्माण जल्द से जल्द करवाना और जिला सोनीपत में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी बरही व राई के लिए शीघ्र भवन का निर्माण करवाना।
- करनाल, अम्बाला, रोहतक, सोनीपत और हिसार में 100 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल खोलना।
- ई.एस.आई. के नार्मस अनुसार प्रत्येक ई. एस.आई. संस्था में एम्बूलैंस उपलब्ध करवाना व प्रत्येक ई.एस.आई. संस्था में एक्स–रे मशीन, लैब सुविधा व उपकरण (सैलॅ काउंटर, ऑटोएनालईज़र व बाईनोकुलर माईक्रोस्कोप) उपलब्ध करवाना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों में दन्तक सुविधा व उपकरण उपलब्ध करवाना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी करनाल, रोहतक, झाडली, भूना, गन्नौर, मौलाना, घरौंडा, फारूखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, चरखी दादरी, उकलाना मंडी और खरखौदा में नई 2 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना।
- 4 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी पिंजौर (पंचकुला) को 30 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल में अपग्रेड करना।
- ई.एस.आई. डिस्पैंसरी अम्बाला, मुरथल, समालखा डिस्पैंसरी संख्या 1 तथा संख्या 3 बहादुरगढ, पलवल, हिसार, ई.एस. आई. डिस्पैंसरी संख्या 3 जगाधरी, रेवाडी और बहादुरगढ में 2 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी से 5 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी अपगैड किया गया।
- सभी ई.एस.आई. संस्थानों में फिजियोथैरेपी यूनिट स्थापित किया गया।
- विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के ज्ञान को अपगेड करने के लिए नये प्रशिक्षण केन्द स्थापित किये गये।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

6.37 राज्य में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की स्थापना चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन, विस्तार और नियमन हेतु की गई है। राज्य में विभिन्न चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष, नर्सिंग और पैरा मैडिकल संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर, 2014 द्वारा बनाया गया था। राज्य में मौजूदा कार्यशील संस्थानों की स्थिति का विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, कुटैल जिला करनाल

6.38 उत्कृष्टता केन्द्र के रुप मे एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना ग्राम कुटेल जिला करनाल मे की जा रही है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को 21–09–2019 को अधिसूचित किया गया था और इसके संशोधन को 02–04–2018 को अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया था।

- ग्राम पंचायत, कुटैल ने स्वास्थय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को 144 एकड 2 मरला भूमि पट्टे पर दी है। प्रोजैक्ट के लिए कियान्वयन के लिए कार्य एम./एस. ब्रिज व रूफ. को. (I) लिमिटेड 12–12–2018 को सौंपा गया है जोकि भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विस्तृत प्रोजैक्ट रिर्पोट की राशि सरकार द्वारा 761.51 करोड रुपये स्वीकृत किए गए है। यह प्रोजैक्ट

27 महीने में पूरा होगा तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है व 81.5 प्रतिशत तक कार्य पूरा कर लिया गया है।

- विश्वविद्यालय मे 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, पोस्ट ग्रेजुएट/पोस्ट डाक्टरेट शिक्षण (डी.एम/एम.सी.एच. पाठ्यक्रम) व अकादमिक ब्लाक, जैव प्रौद्योगिकी, प्रायोगिक चिकित्सा और जेनेटिकस इम्युनोलोजी और वायरोलोजी मे उन्नत अनुसंधान केंद्र जैसे अनुसंधान विभागों की सुविधायें होगी। इसमें दन्त महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालय, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और खेल चिकित्सा जैसे अन्य शैक्षणिक संस्थान भी होंगे। विश्वविद्यालय के कैम्पस में प्रीफैब तकनीक से नर्सिंग और फिजियोथैरेपी महाविद्यालय भी बनाये गये है।

पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी

6.39 राज्य सरकार स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत भिवानी मे एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की प्रकिया मे है, जो मौजुदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके बनाया जायेगा। परियोजना का निष्पादन कार्य एम./एस. ब्रिज एंड रुफ, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दिया गया है। कार्यकारी ऐजैसी द्वारा तैयार की गई ड्राईंग व संशोधित डी.पी.आर. 535.55 करोड रूपये राज्य वित समिति–सी की बैठक में स्वीकृत की जा चुकी है। इस परियोजना का कार्य 27 महीने मे पूर्ण हो जाऐगा। निमार्ण कार्य शुरू कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है व 49.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

तालिका 6.2– मौजूदा कार्यशील संस्थानों की स्थिति

संस्थान	सरकारी	निजी	कुल संस्थान	कुल सीटें	
चिकित्सा महाविद्यालय	6 1 सरकारी सहायता प्राप्त	6	13	एम.डी./एम.एस. एम. बी.बी.एस	708 1,835
दंत महाविद्यालय	1	10	11	बी. डी एस. एम. डी.एस.	950 244
फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	5	14	19	बी.पी.टी. एम्.पी.टी.	1,320 498
नर्सिंग स्कूल	11	101	112	ए.एन.एम. जी. एन.एम.	3,023 3,710
नर्सिंग कालेज	3	41	44	बी.एस.सी.	12,420
				पी.बी.बी.एस.सी. एम.एस.सी. एन.पी.सी.सी.	1,585 447 45
एम.पी.एच.डब्ल्यू.	2	24	26	एम.पी.एच.डब्लय.	1,560
पैरा–मेडिकल	4	1	5	बी.एस.सी. (एमएलटी)	35
				बी.एस.सी.(ओ.टी.)	50
				बी.एस.सी. (ऑप्टोमेट्री)	50
				बी.एस.सी.रेडियोथेरेपी)	10
				बी.एस.सी.(परफयूजन टेक्नोलॉजी)	10
				बी.स.सी.(रेडियोलॉजी और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी)	40

स्त्रोंतः– चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम हैबतपुर, जींद

6.40 राज्य सरकार द्वारा जिला जींद में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत, हैबतपुर, जिला जींद, ने इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को 24 एकड़ 3 कनाल 3 मरला जमीन दीर्घकालीन समय के लिए पट्टे पर दी है। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्थल पर चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है। यह कार्य हरियाणा राज्य सड़क व विकास निगम को दिया गया है। कार्यकारी ऐजेंसी ने कन्सेप्ट प्लान की तैयारी के के लिए डिज़ाईन सलाहकार नियुक्त कर दिया है। कन्सेप्ट प्लान तैयार किया जा चुका है तथा सरकार द्वारा दिनांक 23–10–2019 को स्वीकृति भी दे दी गई है। 663.86 करोड रूपये की डी.पी.आर्. (पहले चरण के लिए 524.23 करोड़ रूपये और दूसरे चरण के लिए 139.63 करोड़ रूपये) कार्यकारी एजेंसी द्वारा 03–03–2021 प्रस्तुत की गई जो कि मुख्यमंत्री व एस.एफ.सी.–सी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना का सिविल वर्क एम./एस. एल.एण्ड.टी. कम्पनी, चेन्नई को सौंपा गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य की कुल प्रगति 38 प्रतिशत है।

अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छायंसा, फरीदाबाद

6.41 राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के उददेश्य से गांव छायंसा में गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के बुनियादी ढांचे को खरीदने की संभावना तलाशने का फैसला किया, क्योंकि यह संस्थान मार्च, 2016 में प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था। इस संस्थान ने छांयसा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व में 6 बैंकों के एक संघ से मार्च, 2016 तक 185 करोड़ रूपये के कुल एक्सपोजर साथ विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाया है। राज्य सरकार ने गोल्ड फील्ड शिक्षा संस्थान, फरीदाबाद की संपत्ति की ई–नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया। राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने 128 करोड़ रुपये की लागत से गोल्ड फील्ड संस्था फरीदाबाद की संपत्ति 13–03–2020 को खरीद की। अब यह संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छायंसा (फरीदाबाद) के नाम से जाना जाता है और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए इसे कार्यात्मक बनाया गया है। होस्पिटल इसी कैंपस में कार्यरत है। कॉलेज को शैक्षिक वर्ष 2022–23 के लिए 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों के प्रवेश के लिए एन.एम.सी. द्वारा 29–07–2022 को एल.ओ.पी. प्रदान किया गया है, तदानुसार एम.बी.बी.एस. छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम कोरियावास, नारनौल

6.42 राज्य सरकार द्वारा जिला नारनौल में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए ग्राम पंचायत, कोरियावास ने 76 एकड 2 कनाल़ 11 मरले जमीन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को दीर्धकालीन अवधि के लिए पट्टे पर दी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. ब्रिज एंड रुफ को सौंपा गया है व 598 करोड रूपये की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एस.एफ.सी. द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसका निमार्ण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य 89 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कैथल

6.43 मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत कैथल जिले मे एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिए जिला उपायुक्त कैथल द्वारा 20 एकड, 6 मरला, जमीन गांव सम्पन खेडी मे प्रस्तावित की गई थी। जोकि निदेशक, पंचायत विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम 11–02–2021 को हस्तांतरित की जा चुकी है। जमीन का पट्टानामा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम तैयार किया जा चुका है। नीवं का पत्थर दिनांक 04–06–2022 को रखा गया। ब्रिज एंड रूफ

कम्पनी (आई.) लिमिटैड को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने 945.31 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. को मंजूरी दे दी है ओर वित्त विभाग ने भी 12–12–2022 को डी.पी.आर. को मंजूरी दे दी है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिरसा

6.44 मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सिरसा जिले मे एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिए जिला आयुक्त सिरसा द्वारा 21 एकड, 13 मरला, जमीन चौधरी चरण सिंह हरियाणा ऐग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हिसार मे प्रस्तावित की गई है। जमीन का पट्टानामा निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के नाम तैयार 12–04–2021 को हस्तांतरित की किया जा चुका है। एच.आई.टी.ई.एस.–एच.एल.एल. ईन्फ्राटैक सेवायें लिमिटैड को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है तथा 963.51 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है।

श्री गुरू तेग बहादुर साहिब, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, यमुनानगर

6.45 मुख्यमंत्री ने जिला यमुनानगर मे श्री गुरू तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की स्वीकृत दे दी है। इसके लिए ग्राम पंजुपुर जिला यमुनानगर में उपलब्ध 20 एकड़ 12 मरला भूमि का लीज डीड दिनांक 29–12–2021 को मंजूर किया गया है। ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (आई.) लिमिटेड को परियोजना के लिए कार्यकारी ऐंजसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 997.03 करोड रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29–05–2022 को मंजूर किया गया है और वित्त विभाग ने दिनांक 12–12–2022 को डी.पी.आर. को भी मंजूरी दे दी है।

दन्त महाविद्यालय शहीद हसन खान मेवाती चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हऱ, नुहं

6.46 दन्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू..डी. (बी. एडं आर.) हरियाणा को 15–02–2019 को प्रदान किया गया था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरान्त यह कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एडं आर.) से एच. एस.आर.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया है। संशोधन पश्चात रूपये 172.65 करोड की अनुमानित लागत को एस.एफ.सी.–बी. द्वारा 04–10–2021 को मंजूर कर लिया गया है। शहीद हसन खान मेवाती सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय नल्हऱ, नूंह परिसर में दंत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि का निर्धारण किया गया है। कार्यकारी संस्था ने कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की है। तकनीकी बोली दिनांक 24–05–2022 को खोली गई और कार्यकारी एजेंसी द्वारा दो नियमों और शर्तों में छूट के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को मामला भेजा गया था तथा निविदा वापिस लेने का फैसला लिया गया है।

नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना

6.47 मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में 6 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए घोषणायें की गई। इन 6 नर्सिंग कॉलेजों के लिए भूमि विभाग के नाम पर पट्टे पर दे दी गई है। इन नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी. पी.) को आंबटित किया गया है। परियोजना की ड्राईंग व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार द्वारा 194.30 करोड रूपये की स्वीकृत हो चुकी है। परियोजना का कार्य कार्यकारी ऐजेंसी का सौंपा जा चुका है जो कि 22 महीनों मे पूरा हो जाऐगा। परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सादत नगर रेवाडी (88 प्रतिशत) दयालपुर फरीदाबाद 90 प्रतिशत) और, फरीदाबाद (90 प्रतिशत), धेडदु, कैथल (87 प्रतिशत), खेडी राम नगर, कुरुक्षेत्र (79 प्रतिशत) और खेडावाली, पिंजौर, पंचकूला (90 प्रतिशत) है। यह कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सफीदों, जींद में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन

6.48 सरकार द्वारा सफीदो जिला जींद मे किराए के भवन मे नर्सिंग कालेज शुरु किया है, जिसमें बी.एस.सी. कोर्स की 60 सीटें है।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग ने सफीदों मे राजकीय नर्सिंग कालेज के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को 4 एकड भूमि निशुल्क हस्तांतरित की है। इस परियोजना के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम को दिनांक 24–05–2021 को कार्यकारी ऐजेंसी के रुप मे नियुक्त किया गया है। कार्यकारी ऐजेंसी द्वारा इस परियोजना के लिए वास्तु चित्र व परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सी.ई.सी–सी.एम.सी. की सभा दिनांक 30–06–022 को आयोजित की गई थी और डी.पी.आर. योजना पर टिप्पणी के लिए पी. डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर.) विभाग, हरियाणा को मामला भेजा गया है ।

रेवाड़ी में एम्स की स्थापना

6.49 केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 01–02–2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा में 22वें एम्स की स्थापना की घोषणा की। उसी के लिए माजरा मुस्तिल भालखी और उसके आसपास के गांव के लिए ई–भूमि पोर्टल खोला गया था, जिस पर कुल 347.49 एकड़ भूमि की पेशकश की गई है। एम्स की स्थापना के उद्देश्य से ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से रेवाड़ी के माजरा मुस्तिल भालखी गांव में कुल 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि चिन्हित की गई है। इसमें से 149 एकड़ 4 कनाल 14 मरला भूमि निजी स्वामियों की है और 60 एकड़ 6 कनाल 11 मरला भूमि ग्राम पंचायत की है। दिनांक 20–10–2022 के 189 एकड़ 6 मरला 3 सरसई भूमि का प्रतीकात्मक कब्जा भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है । मंत्रि परिषद ने दिनांक 01–12–2022 को हुई बैठक में हरियाणा राज्य में एम्स की स्थापना के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय को 99 वर्षो के लिए कुल 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 1 रूपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

गुरूग्राम में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल

6.50 नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड, गुरूग्राम के सहयोग से गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकारण को 29 एकड़ भूमि पर गांव खेड़की माजरा, गुरूग्राम में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों की नई घोषणा

6.51 बजट सत्र 2022 में मुख्यमंत्री ने जिला पंचकूला, फतेहाबाद और चरखी दादरी में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों से 50 एकड़ भार मुक्त पंचायत भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। वर्ष वार खर्चे का विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है।

तालिका 6.3 वर्ष वार खर्चे का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	खर्चा (करोड़ रूपये में)	वृद्वि प्रतिशत में
1	2014-15	701.01	-
2	2015-16	726.07	3.57
3	2016-17	879.36	21.11
4	2017-18	882.34	0.33
5	2018-19	914.17	3.60
6	2019-20	1245.38	36.23
7	2020-21	1601.52	28.59
8	2021-22	1820.24	13.65
9	2022-23 (17.01.2023)	2072.00	-

स्त्रोंतः– चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

अन्य उपलब्धियां

- **स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त काउंसलिंग**–विभाग केंद्रीयकृत संयुक्त ऑनलाइन परामर्श पोर्टल के माध्यम से सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए प्रवेश आयोजित कर रहा है।
- **हरियाणा नर्सिस और नर्स मिडवाइव्स काउंसिलः–** राज्य में नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, इस सरकार ने एक नया अधिनियम हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स एक्ट, 2017 लागू किया गया है और हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल की स्थापना की है, जिसने तत्कालीन मौजूदा हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की जगह ले ली है और अब हरियाणा नर्स और नर्स मिड वाइव्स काउंसिल हरियाणा राज्य में नर्सिंग शिक्षा का नियमन कर रही है। इससे पहले हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद ने पंजाब नर्स पंजीकरण अधिनियम, 1932 को अपनाया था और हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद के कार्यकारी निकाय/ शासी निकाय की संरचना में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था। हरियाणा नर्स पंजीकरण परिषद अपने सीमित जनादेश के साथ कार्यात्मक था और नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ती मांगों का सामना करने में सक्षम नहीं था। इसलिए, यह महसूस किया गया कि हरियाणा राज्य में एक सुसंगत और व्यापक अधिवास निकाय बनाने की आवश्यकता है।
- **आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन**–विभाग ने आयुष्मान भारत मिशन को सफलतापूर्वक सरकारी मैडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में लागू किया है। पहले चरण में, यह योजना सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मैडिकल कॉलेजों अर्थात पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के.सी.जी.एम.सी. करनाल, बी.पी. एस.जी.एम.सी. (डब्ल्यू) खानपुर कलां, सोनीपत में लागू की गई है, शहीद हसन खान मेवाती, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, नूंह और महाराजा अग्रसैन, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अग्रोहा, हिसार पूरे देश में योजना के तहत ईलाज किए गए रोगी के लिए पहला सफल दावा के.सी.जी.एम.सी., करनाल द्वारा किया गया है।
- **उपचार के लिए सस्ती दवा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण**–ए.एम.आर.आई.टी. फार्मेसी राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में खोले गए और पूर्णतः कार्यरत है।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना**– इस के तहत राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो पूर्णतः कार्यरत है।

हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद

6.53 राज्य में भौतिक–चिकित्साविद्ों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए तथा भौतिक–चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने के लिए तथा भौतिक–चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के मानकों के समन्वयन तथा अवधारण के लिए सरकार द्वारा एक नया अधिनियम हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद, अधिनियम, 2020 पारित किया गया है व हरियाणा राज्य भौतिक–चिकित्सा परिषद् का गठन किया गया है। परिषद द्वारा नियमित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया गया है तथा इस परिषद के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा चुकी है। अभी तक भौतिक परिषद् द्वारा बी. पी.टी. कोर्स 706, एम.पी.टी. कोर्स 96 व पी.एच. डी. कोर्स 2 का पंजीकृत किया गया है।

6.54 कार्यात्मक चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्धियां

- पडिंत भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक 2,000 बिस्तर और 250 वार्षिक प्रवेश की क्षमता है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक को फरवरी, 2017 में एन.ए.ए.सी.ग्रेड से सम्मानित किया गया और देश के सभी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों में दूसरे रैंक पर है।
- पी.जी.आई.एम.एस. को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप

में अनुमोदित किया गया है। स्पोर्ट्स दवाईयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे।

- सीटी स्कैन और एम.आर.आई. सुविधाओं को वर्ष 2017 में एन.ए.बी.एच से मान्यता प्राप्त हुई।
- बायो–केमिस्ट्री लैब को वर्ष 2017 में एन.ए. बी.एल से मान्यता प्राप्त हुई।
- स्टेट ऑफ द आर्ट 120 बैड का धंवन्तरी एपेक्स ट्रॉमा सेंटर जनवरी, 2018 से 5 आधुनिक ओपरेशन थियेटर, 22 बैड का आई.सी.यू, ट्राइएज एरिया में 30 बैड और एक 3 टेस्ला एम.आर.आई. के साथ चालू किया गया है। पिछले 6 मास में 50,000 से अधिक मरीजों का ईलाज किया गया है।
- 200 बिस्तर वाला मातृ और शिशु शीर्ष अस्पताल को हाल ही में चालू किया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मातृ और शिशु शीर्ष अस्पताल है ।
- कैंसर के रोगियों की सुविधा हेतू एक्सीलेटर का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
- विश्वविद्यालय में कैंसर और विकिरण ऑन्कोलॉजी पर अध्ययन के लिए इंडो जापानी सहयोग की तरह विभिन्न विदेशी संगठन हैं, जार्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्मार्ट हैल्थ एक विस्तृत प्रोजैक्ट है।
- श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए बहु–मंजिला नया आवासीय विंग व विभिन्न निर्माण परियोजनाएं जैसे मुर्दाघर, खेल चोट केंद्र आदि प्रक्रियाधीन हैं।

भगत फूल सिंह महिला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत

6.55 550 बिस्तर के लिए वार्षिक 120 प्रवेश की क्षमता है। (क) संस्थान में विभिन्न विशिष्टताओं के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।(ख) महाविद्यालय अस्पताल में 2 डायलिसिस यूनिट स्थापित की गई है।

शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहर, नूंह

6.56 652 बिस्तर के लिए वार्षिक 120 प्रवेश की क्षमता है। (क) मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए सी.बी. एन.ए.ए.टी. मशीन लगाई गई है।

कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल

6.57 550 बिस्तर के लिए वार्षिक 100 प्रवेश की क्षमता है । (क) अस्पताल दिनांक 13–04–2017 से कार्यात्मक हो गया और 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों के प्रथम बैच को शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेश दिया गया। (ख) एम. आर.आई. 1.5 टेस्ला मशीन और 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है। (ग) विस्तृत प्रोजैक्ट रिर्पोट की राशि 373.25 करोड़ रूपये महाविद्यालय के द्वितीय चरण के निर्माण हेतू दिनांक 12–07–2021 को एस.एफ.सी. (सी) द्वारा स्वीकृत की गई है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेयान कार्यकारी एजेंसी द्वारा इस परियोजना के 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय अग्रोहा, हिसार

6.58 573 बिस्तर के लिए वार्षिक 100 प्रवेश की क्षमता है। (क) चिकित्सा महाविद्यालय को एम.बी.बी.एस. सीटों में 50 से 100 की वृद्धि की अनुमति मिल गई है और कई विशिष्टताओं में संस्थान में विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। (ख) पी.पी. पी. मोड पर कैथ–लैब ने 1 अगस्त, 2018 से कार्य करना शुरू कर दिया है। (ग) ट्रामा सेंटर और कैंसर संस्थान की स्थापना पाईपलाइन में है।

वैश्विक महामारी कोरोना–19 के बारे लिए गये निर्णय

6.59 चिकित्सा शिक्षा एंवम अनुसंधान विभाग, हरियाणा ने हाल ही में कोविड–19 के मामलों की वृद्वि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों के कुल 1,393 छात्रों, जिसमें एम.बी.बी.एस. तृतीय एंव चुतर्थ वर्ष,

इंटर्न और पी.जी. छात्रों की सेवाएं अतिरिक्त सहायता के रूप में लेने का आदेश दिया है। (क) कोविड–19 महामारी को मध्यनज़र रखते हुए इस विभाग द्वारा विभाग के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एंव निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को राज्य के विभिन्न जिलों के रोगियों के प्रबन्धन/उपचार के लिए रेफरल केन्द्रों के रूप में अपग्रेड और नामित किया गया है। (ख) हरियाणा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्याालयों में कोविड–19 के रोगियो की बेहतर देखभाल व सुविधाएं प्रदान करने के लिए आक्सीजन के साथ बिस्तों की कुल संख्या, वेंटिलेटर के साथ आई. सी. यू. बैड की कुल संख्या, चिकित्सा सामग्री, दवाओं की उपलब्धता तथा कोविड–19 के मरीजों के मामलों का समय पर पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि की गई है। (ग) राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों को विभिन्न जिलों के अस्पतालों से म्यूकोर्मिकोसिस रोग के प्रबन्धन के लिए रैफरल केन्द्र के रूप में नामित किया गया है । प्रत्येक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों मे कम से कम 75 बिस्तर आरक्षित रखे गए है तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशको को उनके संस्थान में मामलों की वृद्धि को देखते हुए उन्हे बैड बढाने की शक्तियॉ भी प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक रोगी की कम से कम दो बार जांच करने के लिए संयुक्त रूप से चक्कर लगाना शुरू कर दिया गया है तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशको को एम्फोटेरिसिन–बी जैसी दवाईयों को जारी करने हेतू सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशकों को रोगियों की देखभाल के लिए आवश्यक किसी भी दवा/उपभोज्य की खरीद हेतू एक अवसर पर 5 लाख रूपये तथा अधिकतम 15 लाख रूपये तक खर्च करने की शक्तियां प्रदान की गई है। (घ) पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के वरिष्ठ फैक्लटी से स्वास्थ्य विभाग के सभी जिला अस्पतालों के डाक्टरों को वैंटीलेटर की सेवाएं आरम्भ करने हेतू प्रशिक्षण/ अप–ग्रेडेशन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

6.60 कोविड–19 के मामलों मे अचानक आई वृद्धि और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पर्याप्त आक्सीजन की आपूर्ति कराने हेतू

- राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में गैस मैनिफोल्ड का उन्नयन और बाहर निकलने वाली चिकित्सा गैस पाईप लाईन प्रणाली को उन्नत किया गया है।
- राज्य के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.एस.ए. 1000 लीटर प्रति मिनट आक्सीजन उत्पादन संयत्र स्थापित किया जा रहा है।
- तरल चिकित्सा ऑक्सीजन टैंक 10,000 लीटर की क्षमता के साथ भगत फूल सिंह मेडिकल कालेज, खानपूर कलां, सोनीपत में स्थापित किया गया हैं तथा राज्य के सभी सरकारी व सरकारी अनुसंधान प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में लगाने का कार्य प्रकिया में है।
- राज्य के विभिन्न सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर मशीन क्षमता 10 एल.पी.एम. (400 नं0) से अधिक उपलब्ध करवाए गए हैं।

कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कालेज, करनाल

6.61 373.25 करोड रूपये की परियोजना रिपोर्ट को एस.एफ.सी. द्वारा दिनांक 12–07–2021 को अनुमोदित किया गया है। हरियाणा पुलिस आवास निगम को परियोजना की कार्यकारी एजैंन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 25–10–2021 को कार्यकारी एजैन्सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किये गये है। इस परियोजना को लगभग 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। निष्पादन एजैन्सी ने सिविल ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की है। तकनीकी और वित्तीय बोली खोली गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में टेंडर वापिस लेने का निर्णय लिया गया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, पलवल की स्थापना

6.62 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला पलवल में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त पलवल से अनुरोध किया गया है कि वे पलवल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायती भूमि के एक हिस्से की पहचान करें, जो दिनांक 14–07–2022 के इस कार्यालय पत्र और दिनांक 31–10–2022 और 14–12–2022 के अनुस्मरण द्वारा है। पलवल के उपायुक्त से तीन भूमि प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो निम्नानुसार हैं राष्ट्रीय राजमार्ग–19 पर स्थित फुलवारी गांव में 200 एकड़ की पंचायती भूमि, ग्राम मीरपुर करौली में पंचायती भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग–19 पर जिला पुलिस लाइन, पलवल से सटे बामिनी खेड़ा गांव में चीनी मिल, पलवल के पास 60 एकड़ भूमि पार्सल जो सहयोग विभाग से सम्बन्धित है। सरकार ने दिनांक 18–10–2022 के आदेश के तहत पलवल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से के लिए उपयुक्त भार शुल्क की पहचान करने के लिए उपायुक्त पलवल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, चरखी दादरी की स्थापना

6.63 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला चरखी दादरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त चरखी दादरी से अनुरोध किया गया है कि वे चरखी दादरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से की पहचान करें, जो दिनांक 14–07–2022 के इस कार्यालय पत्र और दिनांक 31–10–2022 और 14–12–2022 के अनुस्मरण द्वारा है। भिवानी–महेंद्रगढ़ के माननीय सांसद धर्मबीर सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि ग्राम पंचायत बिरही कलां 102 एकड़ भूमि मुफ्त देने के लिए तैयार है और बाढड़ा (चरखी दादरी) की विधायक श्रीमती नैना सिंह चौटाला से एक और अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि ग्राम सभा घसोला इस परियोजना के लिए 102 एकड़ भूमि मुफ्त देने के लिए सहमत है। इन अभ्यावेदनों को उपायुक्त, चरखी दादरी को जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है और 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से के लिए उपयुक्त प्रभार शुल्क की पहचान की गई है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद की स्थापना

6.64 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला फतेहाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त फतेहाबाद से अनुरोध किया गया है कि वे दिनांक 14–07–2022 के इस कार्यालय पत्र और दिनांक 31–10–2022 और 14–12–2022 के अनुस्मरण द्वारा फतेहाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक ही हिस्से के उपयुक्त भार शुल्क की पहचान करें। उपायुक्त, फतेहाबाद ने दिनांक 26–08–2022 के पत्र के माध्यम से एस.डी.एम. टोहाना और तहसीलदार भूना से प्राप्त भूमि प्रस्ताव **तालिका 6.4** में दिये गये हैं।

सरकारी मेडिकल कॉलेज, पंचकूला

6.65 बजट सत्र 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने जिला पंचकूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। उपायुक्त पंचकूला से अनुरोध किया गया है कि वे पंचकूला में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 एकड़ पंचायत भूमि के एक हिस्से की पहचान करें। उपायुक्त, पंचकूला की रिपोर्ट आनी बाकी है। वर्षवार विभाग के बजट का विवरण **तालिका 6.5** में दिया गया है।

तालिका –6.4 में टोहाना और भूना से प्राप्त भूमि प्रस्ताव का विवरण

क्रसं	गांव का नाम	भूमि का विवरण	कलेक्टर रेट प्रति एकड़	भूमि मालिक का विवरण
1.	चन्दाड़ खुर्द (पहला भाग)	28 एकड़ 7 कनाल	14,50,000.	ग्राम पंचायत
2.	चन्दाड़ खुर्द (दूसरा भाग)	14 एकड 1 कनाल 11 मरला	14,50,000	ग्राम पंचायत
3.	चितान (पहला भाग)	28 एकड 1 कनाल 6 मरला	11,50,000	ग्राम पंचायत
4.	चितान (दूसरा भाग)	41 एकड 16 मरला	11,50,000	ग्राम पंचायत
5.	धारसूल खुर्द	35 एकड 4 कनाल 2 मरला	14,52,000	ग्राम पंचायत
6.	रसूलपुर	48 एकड 4 कनाल 10 मरला	14,52,000	ग्राम पंचायत
7.	भूना	40 एकड 6 कनाल 4 मरला	17,60,000	नगरपालिका समिति
	नगरपालिका समिति भूना निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।			

स्त्रोंतः– चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

तालिका–6.5 वर्षवार बजट का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	खर्चा (करोड़ रूपयें में)	वृद्वि प्रतिशत में
1	2014-15	701.01	-
2	2015-16	726.07	3.57
3	2016-17	879.36	21.11
4	2017-18	882.34	0.33
5	2018-19	914.17	3.60
6	2019-20	1245.38	36.23
7	2020-21	1601.52	28.59
8	2021-22	1820.24	13.65
9	2022-23 (31-01-2023 तक)	2072.00	

स्त्रोंतः– चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, हरियाणा।

खाद्य तथा औषधि प्रशासन

खाद्य खण्ड

खाद्य प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण

6.66 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन दो खाद्य प्रयोगशालाएं है, एक चण्डीगढ में तथा दूसरी करनाल में है, दोनों प्रयोगशालायें एन.ए.बी.एल. नोटीफाईड हो चुकी है तथा एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दोनों खाद्य प्रयोगशालाओं को खंड 43 (1) ऑफ खाद्य एंव औषधि अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया। जिला खाद्य प्रयोगशाला करनाल के नवीनकरण हेतु 90.29 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा 50 लाख रूपये अतिरिक्त अनुदान सहायता पहले से ही एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रयोगशाला करनाल का नवीनीकरण कार्य शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया जाना हैं।

खाद्य लाईसैंस और खाद्य व्यवसायियों के अनुदान का ऑनलाईन पंजीकरण

6.67 विभाग द्वारा 7,678 ऑनलाईन और 20,102 ऑनलाईन खाद्य कारोबार कर्ताओं का पंजीकरण दिनांक 1–4–2022 से 31–10–2022 तक किया गया हैं तथा एफ.ओ.एस.सी.ओ.एस. के माध्यम से प्राप्त खाद्य लाईसैंस तथा खाद्य पंजीकरण की राजस्व रिपोर्ट के अनुसार कुल 4,23,34,700 रूपये हरियाणा राज्य को फीस के तौर पर प्राप्त हुई।

खाद्य पदार्थों के नमूने

6.68 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा हरियाणा राज्य की विभिन्न दुकानों/खाद्य कारोबार स्थानों से कुल 3,121 कानूनी खाद्य नमूने एकत्रित किये गये जिनमें से 1,019 खाद्य नमूने अधोमानक/अवमानक/असुरक्षित पाये गये। कुल 565 केस माननीय सी.जे.एम कोर्ट/निणर्य अधिकारी की अदालतों में दायर किये जा चुके है और अवमानक तथा अधोमानक केसों में कुल रूपये 68,90,400 का जुर्माना दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर लगाया गया है। असुरक्षित खाद्य नमूनों के बारे में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा 52 केसों के अभियोग पक्ष की स्वीकृति माननीय सी.जे.एम कोर्ट में केस दायर करने हेतू जारी की जा चुकी है।

मोबाईल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

6.69 हरियाणा राज्य को 5 मोबाईल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराई गयी है। जिन्हें राज्य की आम जनता को जागरूक करने हेतू हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में घुमाया जाता है। जिसके लिए मामूली 20 प्रति खाद्य नमूना विश्लेषण फीस रखी गई है।

गुटका पान मसाला पर प्रतिबंध

6.70 खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3/14–2 फूड–2022/8148–8257 दिनांक 07–09–2022 द्वारा हरियाणा राज्य में गुटका पान मसाल के निर्माण/बिक्री एवं भण्डारण पर अगले एक वर्ष के लिए प्रतिबंध किया गया है।

तरल नाईट्रोजन पर प्रतिबंध

6.71 खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरियाणा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3/14–2 फूड–2017/15080 दिनांक 27–07–2017 द्वारा हरियाणा राज्य में आगामी आदेशों तक किसी भी तरल खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण पर प्रतिबंध किया गया है।

औषधि विंग

6.72 औषिधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 तथा (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, कोटपा (पैकिंग और लेबलिंग) नियम, 2008, जहर अधिनियम,1919 के विनियमों के लिए एक प्रवर्तन विभाग है। विभाग गुणवत्ता वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को सस्ती कीमतों पर उपलब्धता भी सुनिश्चित करता हैं।

6.73 इस अवधि के दौरान औषधि विगं द्वारा 6,074 सेल ईकाइयो का निरीक्षण किया गया, 1,361 सैम्पल लिए गए, 1,713 सैम्पलों का परीक्षण हुआ, 11 सब–स्टैंडरड घोषित नमूनें, 20 मुकदमें दायर किये गये, 15 निर्णीत कोर्ट केसों (11 दोषी, 4 बरी), न्यायालय में 384 लंबित मुकदमें और वर्ष के अंत में 32,414 (थोक व परचून) के जारी लाईसेंस, 192 संयुक्त छापे किये गये। विभाग द्वारा राज्य में 584 निर्माण ईकाईयों का निरीक्षण, कैमिस्ट शॉप के 206 लाईसैस निलम्बित कैमिस्ट शॉप के 1,210 लाईसेंसों रद्ध किये गये तथा 1,948 लाईसेंस (थोक व परचून) के जारी किये गये।

6.74 राज्य में इस अवधि के दौरान 11 एलौपैथिक औषधि निर्माण, 23 मैडीकल डिवाईस निर्माण, 13 सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण, 6 रक्त कोष निर्माण तथा 11 मान्यता प्राप्त चिकित्सा सस्थानों के लाईसेंस स्वीकृत किये गये।

6.75 पुलिस तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई संयुक्त छापा मारी के परिणाम स्वरूप एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पुलिस द्वारा 40 प्राथमिक सूचना रिर्पोट दर्ज की गई।

जन स्वास्थ्य

6.76 हरियाणा राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्तमान में राज्य में पानी की कमी वाले उन

गांवो में जहां पानी का स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम हो गया है उनमें पीने के पानी की आपूर्ति के स्तर में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

6.77 वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 2,299.32 करोड़ रूपये राज्य कैपिटल आउटले का प्रावधान है तथा 31 दिसंबर, 2022 तक 929.69 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.78 ग्रामीण पेयजल बढ़ौतरी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में मौजूदा (वर्तमान) पेयजल सुविधाओं को 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बढ़ाने के लिए सुधार एवं सुदृढ़ करना है। गांवों में अतिरिक्त टयूबवैल लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं में बढ़ौतरी, नए नहर आधारित जल घरों का निर्माण, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके सुधार किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 135 करोड़ रूपये कर दिया गया था तथा 31–03–2022 तक 130.96 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान 160 करोड़ रूपये का प्रावधान है तथा 31 दिसंबर, 2022 तक 73.36 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

6.79 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के कियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य वर्ष 2000–2001 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 1,274.91 करोड़ रुपये की लागत आर.आई.डी.एफ.–XXII, XXIII, XXIV, XXV,XXVI तथा XXVII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 41 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। नाबार्ड परियोजनाओं का विवरण **तालिका 6.4** पर दिया गया है।

तालिका– 6.4 नाबार्ड परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं0	परियोजना का नाम	आर. आई. डी. एफ.	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	31–12–2022 तक किया गया कुल खर्चे (लाख रुपये में)
1	जिला पलवल के पृथला और पलवल खण्डों के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों में बढ़ोतरी जल आपूर्ति योजना।	XXII	18430.62	17,824.25
2	जिला हिसार में 6 जलघरों, नामतः खेड़ी लोचब, जालब, नारा, किन्नर, राखी खास और शाहपुर, के लिए पम्पिंग द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	1026.50	846.93
3	जिला हिसार के 4 जलघरों नियाना, खरड़ अलीपुर, कुलाना तथा मयड़ के लिए पाईप लाईन द्वारा कच्चे पानी का प्रबन्ध करना।	XXII	699.88	628.07
4	जिला मेवात के 80 गांवों फिरोजपुर झिरका व नगीना बलॉक में यमुना फल्ड प्लेन मे गांव अटबा में रैनीवैल लगाकर जल आपुर्ति।	XXIII	21090.00	21,050.59
5	जिला महेन्द्रगढ के 25 गांवो मे जल आपूर्ति में बढ़ौतरी (ब्लाक सतनाली)।	XXIII	12443.00	9,211.43
6	जिला रेवाडी के 14 गांवो व 1 ढाणी, के लिए गांव खलेटा में नहर आधारित जलघर बनाकर जल आपूर्ति करना।	XXIII	4439.00	3,924.68
7	जिला महेन्द्रगढ मे तहसील अटेली मण्डी के 61 गांवों के लिए, गांव भालकी में नहर आधारित जलघर बनाकर पानी की बढोतरी करना ।	XXIV	11470.00	7,055.71
8	जिला रेवाडी के 25 गांवों व 3 ढाणियों के लिए गांव रधुनाथपुरा समूह में नहर आधारित जलघर प्रदान करना।	XXIV	6602.60	5,548.25
9	जिला रेवाडी के 23 गांवों व 4 ढाणियों के लिए गांव सांपली व कसौला में नहर आधारित जलघर प्रदान करना।	XXIV	5612.40,	4,620.81
10	नारनौल तहसील जिला महेन्द्रगढ़ के 122 गांवों के लिए नहर आधारित पेयजल योजना में बढ़ोतरी की जल वितरण योजना।	XXV	9494.25	5,492.95

क्रम सं0	परियोजना का नाम	आर. आई. डी. एफ.	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	31–12–2022 तक किया गया कुल खर्चे (लाख रुपये में)
11	गांव सिरसाली में 12 गांवों के समूह के लिए नहर आधारित जल घर बनाकर जल वितरण योजना प्रदान करना।	XXV	3622.75	3,233.15
12	तहसील एवम् जिला हिसार में चौधरीवाली माईनर की आर0 डी0–20,000 से 7 जल घरों के लिए कच्चा जल प्रदान करना।	XXV	2554.15	2,355.30
13	गांव महरा में 6 गांवों के समूह नहर आधारित जल घर बनाकर जल वितरण योजना प्रदान करना।	XXV	1772.35	1,358.98
14	सौन्दहद: जिला पलवल व तहसील होडल के गांव सौन्दहद में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	1336.70	864.61
15	सौन्दहदः जिला पलवल के गांव सौन्दहद में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1276.95	656.65
16	डिगोटः जिला पलवल के गांव डिगोट में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1118.72	1,005.56
17	बापोली :जिला पानीपत के गांव बापोली में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVI	1099.30	484.67
18	औरंगाबाद: जिला पलवल के गांव औरंगाबाद में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1074.45	923.57
19	भीदूकीः जिला पलवल के गांव भीदूकी में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	1072.05	624.29
20	चुलकाना :जिला पानीपत के गांव चुलकाना में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVI	979,35	379.87
21	खाम्बीः जिला पलवल के गांव खाम्बी में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने बारे।	XXVI	960.90	404.56
22	राणा माजराः जिला पानीपत के गांव राणा माजरा में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVI	687.25	261.17
23	डिगोटः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव डिगोट में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	623.35	406.92
24	भीदूकीः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव भीदूकी में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ौतरी।	XXVI	577.90	307.70
25	औरंगाबाद: जिला पलवल व तहसील होडल के गांव औरंगाबाद में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	477.05	260.40
26	चुलकाना: जिला पानीपत में चुलकाना गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVI	391.25	257.87
27	बापौली: जिला पानीपत में बापौली गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVI	389.60	191.32
28	खाम्बीः जिला पलवल व तहसील होडल के गांव खाम्बी में मौजूदा पेयजल योजना में बढ़ोतरी।	XXVI	324.25	241.92
29	राणा माजरा: जिला पानीपत में राणा माजरा गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVI	271.80	229.67
30	बरवाः गांव भरवा में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	2725.80	0.00
31	मडलोढाः गांव मडलोढा में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	2044.55	7.78
32	भैंसवाल कलाः गांव भैंसवाल कला में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVII	1579.40	348.49
33	बरवा: भरवा गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	1522.45	0.00
34	निंदाना: निंदाना गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVII	1279.05	295.38
35	निंदानाः गांव निंदाना में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना।	XXVII	1216.2	0.00
36	खानपुर कला: खानपुर कला गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी	XXVII	1087.85	296.71

कम सं0	परियोजना का नाम	आर. आई. डी. एफ.	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	31–12–2022 तक किया गया कुल खर्चे (लाख रुपये में)
	योजना।			
37	खानपुर कलांः खानपुर कलां गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVII	1077.60	9.57
38	मडलोढाः मडलोढा गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	985.65	68.26
39	बरसतः गांव बरसत में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना। (जिला करनाल)	XXVII	925.85	225.60
40	भैंसवाल कलांः भैंसवाल मिठन और बावला गांव के लिए भैंसवाल कलां जलघर की पेयजल बढ़ोतरी योजना।	XXVII	798.20	99.00
41	बरसतः बरसत गांव के लिए पेयजल बढ़ोतरी योजना। (जिला करनाल)	XXVII	330ण्15	40.46
	कुल योग		**1,27,491.12**	**92,043.10**

स्त्रोत : जन स्वास्थय विभाग, हरियाणा।

तालिका– 6.5 नाबार्ड के अन्तर्गत आर.आई.डी.एफ. द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनायें

क्र सं	विवरण	कुल लागत	नाबार्ड शेयरः (रूपये करोड़ में)
1	नूहं (मेवात) जिले के 52 गांवों और 5 ढाणियों को पानी की आपूर्ति में सुधार	228.45	100.79
2	3 नंबर पेयजल योजनाओं, मुसैदपुर, बिरहेरा, मेहचाना गुरूग्राम के लिए कच्चे पानी की व्यवस्था प्रदान करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	61.56	27.80
	कुल योग	290.01	128.59

स्त्रोत : जन स्वास्थय विभाग, हरियाणा।

6.80 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित वर्ष 2021–22 के दौरान 345 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिस को संशोधित कर के 140 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 146.96 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित वर्ष 2022–23 के दौरान 250 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2022 तक 86.39 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.81 स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत जिन गांवों/बस्तियों में ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति के घरों की है, उन में अतिरिक्त नलकूप लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ोतरी एवम् नए नहर आधारित जलघर बना कर, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण कर के, मौजुदा वितरण प्रणाली को मजबूत बना कर, पेयजल सुविधाएं प्रदान/अपग्रेड की जाती हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अर्न्तगत बनाई गई संरचनाओं (ढांचो) के विकास के लिए 17.25 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिस को संशोधित कर के 3 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 0.95 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे स्पैशल कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत बनाई गई सरंचनाओं (ढांचों) के विकास के लिए 7.50 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2022 तक 0.32 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.82 विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा 10,000 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मल निकासी (सीवरेज) प्रणाली प्रदान करने के लिए महाग्राम योजना के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गई है। गांवों में सीवरेज

प्रणाली को प्रदान करने तथा इसे सफलता पूर्वक चलाने के लिए, पीने के पानी के स्तर को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन +15 प्रतिशत गैर हिसाब का प्रवाह (यू. ए. एफ) तक बढ़ाना अति अनिवार्य है। योजना की विशालता और भारी संसाधनों के निवेश को देखते हुए इस योजना को 3 चरणों मे लागू किया गया है। राज्य में लगभग 200 गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है। इनमें से 132 गांवों को महाग्राम योजना के अन्तर्गत सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए चुना गया है, जिन्हें आसानी से क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कार्यों/अनुमोदनों की प्रगति के अनुसार चरणों में संशोधन किया गया है। चरण–1 में 38 गांवों का चयन किया गया है, चरण–2 के तहत 45 गांवों का चयन किया गया है। इसके अलावा, चरण–3 के तहत 49 गांवों का चयन किया गया है और 31–12–2027 तक इसे कवर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, चरण–2 और चरण–3 के अन्तर्गत 46 गांवों में कार्य संभव नहीं है/गांव शहरी क्षेत्र में सम्मलित हो गए हैं। 132 गांवों में से 36 गांवों में महाग्राम योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है तथा सोतई, नाहरपुर व क्योड़क गांव में महाग्राम योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाग्राम योजना के अर्न्तगत वित्त वर्ष 2021–22 में मल निकासी सुविधांए प्रदान करने के लिए 12 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध थी जो कि संशोधित कर के 44 करोड़ रूपये कर दी गई थी तथा पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ रूपये का प्रावधान था जो कि संशोधित करके 32 करोड़ रूपये कर दिया गया था उपरोक्त 76 करोड़ रूपये की आवंटित राशि में से 31–12–2022 तक 68.25 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे।

6.83 इस योजना के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2022–23 के दौरान मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है तथा पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 25 करोड रूपये का प्रावधान है। उपरोक्त 75 करोड़ रूपये आवंटित राशि में से 31.02 करोड़ रूपये 31–12–2022 तक खर्च किए जा चुके हैं।

जल जीवन मिशन

6.84 भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है। हरियाणा राज्य ने इस बड़े कार्य को एक चुनौती की तरह से स्वीकार किया एवं एक विस्तृत नीति और अथक निगरानी की सहायता द्वारा 06–04–2022 तक सभी 30.41 लाख घरों में जल कनैक्शन देने में सफल रहा। वर्ष 2021–22 के दौरान जल जीवन मिशन (कवरेज एवं संबंधित गतिविधियां) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के हिस्से सहित 232 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 924 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 881.14 करोड़ रूपये खर्च किये गये। वर्ष 2022–23 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 915 करोड़ रूपये (राज्य के हिस्से सहित) का प्रावधान था जिस पर 31–12–2022 तक 558.01 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

पेयजल आपूर्ति एवम् मल निकासी सेवाएं

6.85 कुल 92 शहरों में से 85 शहरों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति एवम् मल निकासी सेवाओं का रखरखाव किया जा रहा है। सभी 85 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान चुने हुए शहरों तथा शहरों की अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण तथा बढ़ोतरी के कार्यों को करने के लिए 150.36 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसको संशोधित करके 133.30 करोड़ रूप्ये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 128.11 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान इस कार्य{म के अन्तर्गत 128.82 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिस पर 31–12–2022 तक 50.34 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.86 जहां तक मल निकासी योजनाओं का सम्बन्ध है राज्य में मल निकासी की सुविधाएं 85 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है जबकि 7 शहरों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रगति पर हैं तथा हाल ही में अधिसूचित हुए एक शहर को कुण्डली में कार्य आरम्भ किया जाना है। चालू वितीय वर्ष 2022–23 के दौरान, चयनित शहरों के छूटे हुऐ क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाओं तथा अनुसूचित जाति कॉलोनियों में यह सुविधा प्रदान करने के लिए 185 करोड़ रूपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है और इसके परिव्यय के खिलाफ 31–12–2022 तक 99.27 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

6.87 राष्ट्रीय राजधानी पर जनसंख्या भार को कम करने की दृष्टि से, उपनगरों में जल आपूर्ति और सीवरेज पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करने और सेवाओं को लगभग राष्ट्रीय राजधानी में उपलब्ध सेवाओं के बराबर लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों का पलायन रोका जा सके। 2005 के बाद से सैटेलाइट कस्बों में जलापूर्ति और सीवरेज का एक विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है।

6.88 राज्य के 9 शहरों नामतः गनौर, खरखोदा, झज्जर, होडल, कलानौर, साम्पला, सोहना, बेरी तथा समालखा के लिए 72.11 करोड़ रूपये की लागत को 9 परियोजनाएं सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए 14–11–2017 स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2021–22 के दौरान 15 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिस को संशोधित कर के 6 करोड़ रूपये कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 4.02 करोड़ रूपये खर्च किए गये। चालू वित्त वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा 15 करोड़ रूपये मजूंर किए गए है तथा इस पर 31 दिसंबर, 2022 तक 2.05 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

उद्देश्य

6.89 इसका उद्देश्य आसपास के शहरों में लगभग समान सेवाएं प्रदान करना और दिल्ली की राजधानी की ओर पलायन करने के लिए जनसंख्या की बढ़ती प्रवृति को रोकना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड के द्वारा 75:25 के पैटर्न का पालन करते हुए योजनाओं को वितपोषित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड से 75 प्रतिशत ऋण के साथ 25 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होता हैं।

6.90 मानसून के दौरान विभिन्न शहरों मे कई स्थान प्राकृतिक ढलान के कारण बाढ़ के लिए अति संवेदनशील हैं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ की रोकथाम के लिए बरसाती पानी की निकासी के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचों के निर्माण की आवश्यकता होती है। वर्ष 2021–22 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसको संशोधित करके 35 करोड़ कर दिया गया था जिस पर 31–03–2022 तक 29.56 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान जो कार्य प्रगति पर हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए 40 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई है जिस पर 31 दिसंबर, 2022 तक 22.27 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है।

6.91 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा ने घग्घर और यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के लिए मल उपचार संयंत्र सहित हरियाणा राज्य में 120 (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) मल उपचार संयंत्र का निर्माण किया है। संयंत्रों के प्रदर्शन में मौजूदा कमियों की पहचान की गई है और विभाग द्वारा नए स्वीकृत कॉलोनियों में सीवर बिछाने के अलावा नए मल उपचार संयंत्र के निर्माण को पूरा करने और मौजूदा मल उपचार संयंत्र के उन्नयन को 31–12–2025 तक पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है।

उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग

6.92 हरियाणा राज्य ने तेजी से घटते जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, पानी की प्रत्येक बूंद के संरक्षण/बचतके लिए पुनः उपयोग के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर (उपचारित अपशिष्ट जल) नीति को अधिसूचित किया है। यह परिकल्पित किया गया है कि उपचारित अपशिष्ट जल की एक–एक बूंद का उपयोग ऊष्मीय संयंत्रों, उद्योगों, निर्माण, बागवानी और सिंचाई उददे्श्य आदि में विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल सैल भी उक्त नीति और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति के लिए विभिन्न हितधारकों के स्तर पर परियोजनाओं की परिकल्पना की जा रही है। नीति निम्नलिखित उददे्श्यों को संशोधित करती हैः–

- पॉलिसी के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक नगर पालिका द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत उपचारित आपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।
- 2025 तक उपचारित अपशिष्ट जल के 50 प्रतिशत का पुनः उपयोग करना।
- 2030 तक 80 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना।

6.93 हरियाणा राज्य के 92 शहरों में 1,985 मिलियन लीटर प्रति दिन की क्षमता वाले 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/कॉमन एफलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वर्तमान समय में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट/कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स से 1,346 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल के प्रवाह को उत्पन्न किया जा रहा है।

6.94 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने पहले चरण में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए 339.50 एम.एल.डी. की क्षमता वाले 27 मल उपचार संयंत्र को कवर करते हुए 500 करोड़ रूपये की परियोजनाएं तैयार की हैं। लाडवा में 7.00 एम.एल.डी. पेहवा में 8.00 एम. एल.डी. तथा शाहबाद में 11.50 एम.एल.डी. क्षमता के तीन मल उपचार संयंत्र के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पहले से ही सिंचाई/कृषि उददे्श्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।

6.95 वर्ष 2021–22 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का कैपीटल आऊटले 1,393.51 करोड़ रूपये था जिस को संशाधित कर के 1,696.96 करोड़ रूपये कर दिया गया था। रवैन्यू आऊटले 2,052.34 करोड़ रूपये था जिस को संशोधित कर के 2,246.14 करोड़ रूपये कर दिया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग का कैपीटल आऊटले 2,299.32 करोड़ रूपये है तथा रवैन्यू आऊटले 2,428.06 करोड़ रूपये है।

महिला एवं बाल विकास

6.96 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। विभाग का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य, नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सीखने की क्षमता बढ़ाना, पोषण, संस्थानिक समर्थन इत्यादि को बढ़ावा देना है। विभाग का बजट वर्ष 2014–15 में 1,113.49 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 2,079.55 करोड़ रूपये हो गया है। इस वित्त वर्ष में जनवरी, 2023 तक 1152.59 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

6.97 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी जिसका उद्धेश्य पक्षपाति लिंग जांच को रोकना, लडकियों व बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा,

शिक्षा तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के 12 जिलों को चुना गया जिनका शिशु लिंग अनुपात असंतुलित था। इसके पष्चात वर्ष 2016 में यह कार्यक्रम शेष 8 जिलों में तथा मार्च, 2018 में मेवात जिले में अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को एक सांझा मंच पर लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात दर जो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 830 था, 31 दिसम्बर, 2022 में बढ़कर 917 तक पहुँचाई गई।

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना

6.98 भारत सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2017 से इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल कर प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है। यह योजना गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और पोषण में सुधार लाने में मदद करेगी ताकि कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके, जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अन्य संबंधित समस्याएं। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रूपये की राषि तीन किष्तों में दी जाती है। वर्ष 2022–23 में अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 1,20,673 लाभपात्रों पर 59.87 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है।

वन स्टॉप केन्द्र सखी

6.99 हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र ''सखी'' की स्थापना प्रथम चरण में जिला करनाल, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी एवं नारनौल में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में शेष जिलों में 15 वन स्टॉप केन्द्र चलाए गए। इस योजना के तहत राज्य में वर्ष 2022–23 के दौरान अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 5,795 केसों का निपटान किया गया।

आपकी बेटी–हमारी बेटी

6.100 वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राषि दी जाती है। यह राषि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लगभग 1 लाख रूपये उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। हरियाणा सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत मास 31 दिसम्बर, 2022 तक 48,595 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

हरियाणा कन्या कोष

6.101 हरियाणा कन्या कोष राज्य में मार्च, 2015 को बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोष के तहत प्राप्त राषि की देखरेख की जायेगी। इस कोष के बैंक खाते में अब तक 69.88 लाख रूपये की राषि जमा की गई है। आयकर विभाग द्वारा इसमें आयकर एक्ट की धारा 12 एए के अन्तर्गत चैरिटेबल सोसाईटी का पंजीकरण तथा धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में हरियाणा कोष के खाते में 10.05 लाख रूपये की राषि है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

6.102 यह योजना दिनांक 22–01–2015 को चलाई गई थी जिसका उद्देश्य असंतुलित

लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। राज्य में 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 6,82,354 खाते डाकखाने में खुलवाये जा चुके हैं।

पोषण अभियान

6.103 पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझनु जिले में शुरू किया गया। पोषण अभियान का लक्ष्य 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने से है। पोषण अभियान राज्य के सभी जिलों में लागू हैं। पोषण अभियान के पहले चरण में 2 जिलें नूंह व पानीपत को शामिल किया गया तथा दूसरे चरण में 10 जिलों नामतः कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, गुरूग्राम, पलवल, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत को चयनित किया गया बाकी जिलों को तीसरे चरण के तहत कवर किया गया। सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों को प्रत्येक महीने के 8वें और 22वें दिन प्रत्येक आंगनवाड़ी में आयोजित करवाये गये। 31 दिसम्बर, 2022 तक के दौरान 4,57,377 सामुदायिक आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस महीने के 15 वें दिन स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत के अभिसरण में नियमित तौर पर आयोजित किए गए। 31 दिसम्बर 2022 तक के दौरान 2,26,569 ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस आयोजित किए गए। विभिन्न स्तर पर अभिसरण कार्य योजना बनाने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय कमेटियों का गठन किया गया।

समेकित बाल संरक्षण योजना

6.104 समेकित बाल संरक्षण योजना एक एम्ब्रैला योजना है जिसके तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किषोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्षन सोसायटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुर्नवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिये राज्य में 75 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। ये संस्थाएं राज्य में सभी जिलों में फैली हुई है तथा 47 खण्डों में लगभग 1,900 बच्चों को कवर कर रही है। हरियाणा में सभी जिलों में किशोर न्याय समिति और बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है।

समेकित बाल विकास सेवा

6.105 समेकित बाल विकास सेवा योजना सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। यह योजना 21 शहरी परियोजना सहित 148 खण्डों (127 ग्रामीण + 21 शहरी) खण्डों में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों, जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को 600 कैलोरी व 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चो को 500 कैलोरी व 12–15 ग्राम प्रोटीन तथा कुपोषित बच्चो को 800 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन निर्धारित माप दण्डों के अनुसार पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। पूरक पोषाहार की दरों को 7 रूपये से 9.50 रूपये प्रति माता, 6 रूपये से 8 रूपये प्रति बच्चा व 9 रूपये से 12 रूपये प्रति कुपोषित बालक प्रति दिन कर दिया गया है। 9.23 लाख बच्चों व 2.88 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के

तहत कवर किया गया है। बच्चों और महिलाओं को प्रदान किये जा रहे पूरक पोषण के मूल्य को बढ़ाने के लिए निम्न पहल की गई है।

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में राशन बनाने के लिए डबल फोर्टीफाईड नमक का प्रयोग किया जा रहा है।
- राज्य की षहरी परियोजनाओं में आपूर्ति के लिए पंजीरी प्लांट के दोनों संयत्रों गुरूग्राम व घरौण्डा द्वारा फोर्टीफाईड पंजीरी तैयार की जा रही है।
- फोर्टीफाईड गेंहू का आटा सभी जिलों में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- फोर्टीफाईड तेल सभी जिलों में व दोनों पंजीरी प्लांट में हैफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

आँगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

6.106 वित्त वर्ष 2022–23 के बजट में आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 5,605 लाख रूपये का प्रावधान है। जिसमें से पूर्व वर्षो में स्वीकृत किये गये आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को पूरा करने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की मरमम्त के लिए राशि जारी की जानी है।

***

7

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वित की देखरेख करने और पंचायत राज संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों को विनियमित और समन्वयित करने के लिए जिम्मेदार है। शहरी क्षेत्र में विकास गतिविधियों को मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों के माध्यम से चलाया जाता है।

राजस्व अर्जन योजना

7.2 यह योजना राज्य में ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों की वित्तीय स्थिति में वृद्वि करने और इस वित्तीय सहायता को ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों के लाभ के लिए अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957–58 से जारी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों को नलकूप, शामलात भूमि पर पम्पिंग सेट, बस स्टैंड पर दुकान निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण आदि के लिये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ऋण की वसूली 30 वार्षिक किश्तों में की जाती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 2 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

मैचिंग ग्रांट योजना

7.3 मैचिंग ग्रांट के तहत राज्य में लडकियों के स्कूल, लडकियों के कॉलेजों और छात्रावासों के मामले को छोडकर सार्वजनिक योगदान के रूप में उनके द्वारा जुटाई गई राशि दो बार वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस योजना ने लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण लोग स्वयं परियोजनाओं के प्रति जागरूक होते है और उत्तराधिकारी सार्वजनिक योगदान देते हैं तथा परियोजना के कार्यान्वयन से जुडे होते हैं इस योजना से लोगों को बडी अनुभूति प्राप्त होती है तथा प्रत्येक वर्ष अनुदान में वृद्वि होती है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 5 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

राज्य वित्त आयोग

7.4 इस स्कीम के अतंर्गत संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद की पी.पी.पी. (परिवार पहचान पत्र) जनसंख्या के अनुसार ही धन जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 21–22 के दौरान क्रमशः 1,340 करोड रुपये का कोष, 1,715 करोड रूपये का कोष स्वीकृत किया गया था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मात्र 254.61 करोड़ रूपये जारी किये गये थे और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पंचायती राज

संस्थाओं को कोई निधि जारी नहीं की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,630 करोड रुपये की निधि, जिसमें से प्रथम किश्त रूपये इस कार्यालय के स्वीकृति आदेश दिनांक 01–06–2022 द्वारा राज्य स्तर पर खोली गई योजना के एस.एन.ए. में 407.50 करोड रूपये जमा/जारी किए गए हैं और वर्ष 2023–24 के लिए भी 1,799 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहयाता

7.5 राज्य सरकार ने करों/शुल्कों/शुल्कों के बटवारे के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और प्रिंस को केंद्रीय अनुदानों की भी सिफारिश की है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए दिंनाक 26–05–2019 को 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2023–24 के लिए प्रावधान के रूप में 908 करोड रूपये की राशि रखी गई है।

7.6 प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 31–05–1994 को की गई थी। वित्त अयोग का अवार्ड पे 1997–98 से 2000–01 था। राज्य सरकार ने करों शुल्कों/शुल्कों को साझा करने के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और पी.आर.आई. को केंद्र अनुदान की भी सिफारिश की है। दूसरा दक्षिण वित्त आयोग 06–09–2000 को स्थापित किया गया था और तीसरा राज्य वित्त आयोग 22–12–2015 को स्थापित किया गया था। चौथा राज्य वित्त आयोग 16–04–2020 को था। 5वें राज्य वित्त आयोग 26–05–2021 को पी.आर. आई.एस. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 के लिए टोल प्रावधान के रूप में 231 करोड की राशि रखी गई है।

15वां वित्त आयोग अनुदान

7.7 यह अनुदान केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धनराशि जारी की जा रही है। निधियों को टाईड और अनटाईड घटक के रूप में जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत बजट प्रावधान 935 करोड रुपये का था, लेकिन एम.ओ. पी.आर. ने केवल 467.50 करोड रुपये ही राज्य को वितरित किये। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 968 करोड रुपये का बजट प्रावधान, पंचायती राज मंत्रालय, सरकार द्वारा किया गया है जिसमे से 187 करोड रुपये की राशि, एम.ओ. पी.आर. से इस पत्र संख्या 04–01–2023 द्वारा प्राप्त किया गया है, जोकि जारी करने की प्रक्रिया में है और वर्ष 2023–24 के लिए 979 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

दीनबन्दु ग्राम उदय योजना

7.8 यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाडी, वी.के.सी., जी.वी.एच. और जी.वी.डी. के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और 53.76 करोड रूपये चालू वित्त वर्ष यानी 2022–23 के दौरान इस योजना के तहत जारी किये गये हैं और वर्ष 2023–24 के लिए 200 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

7.9 यह योजना महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित कॉलोनी में बिजली और अन्य सुविधा बिछाने के लिए वार्षिकी राशि प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 30 करोड़ का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान

ग्राम पंचायतों के भूमि उपयोग के बदले वार्षिकी निधि के रूप में 7,44,22,300 रूपये (20–06–2022) + 4,62,30,000 रूपये (29–08–2022) राशि जारी की गई। इस कार्यालय आदेश सं. 134835, दिनांक 27–09–2022 के तहत इस योजना के तहत विकसित बस्तियों का विश्लेषण करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है. यह समिति इन बस्तियों का सर्वेक्षण भी करेगी और आवश्यक विकास की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और वर्ष 2023–24 के लिए भी 30 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना

7.10 इस योजना के तहत 10,000 या 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज सिस्टम बिछाया जाता है। निर्णय के अनुसार सीवरेज सिस्टम डालने के लिए पंचायत विभाग केवल गांव को चयनित करके प्रशासनिक स्वीकृति देता है। अब तक 131 से अधिक गांवों को महाग्राम योजना में शामिल किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2021–22 के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि महाग्राम गांवों में स्ट्रीट लाइट और कैमरे लगायें जायेंगे इस संबंध में अक्षय ऊर्जा विभाग को लिखा जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 10 करोड रुपये का बजट प्रावधान सामान्य घटक में है 10 करोड रुपये का बजट प्रावधान इस योजना के तहत एस.सी घटक में किया गया है और वर्ष 2023–24 के लिए सामान्य घटक 10 करोड रूपये व एस.सी घटक 10 करोड रूपये भी का प्रावधान रखा है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

7.11 इस स्कीम के तहत हरियाणा को वर्ष 2021–22 के दौरान उपलब्ध निधि से 24. 85 करोड रूपये में से 7.90 करोड़ रूपये खर्च किये गये और 17.89 करोड रूपये शेष है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान शेष बजट 17.89 करोड रूपये में से लगभग 2.25 करोड़ रूपये खर्च कर दिया गया है। इसके अलावा 279.51 करोड़ रूपये का बजट एमओपीआर, सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2023–24 के लिए राज्य हिस्सा 12 करोड रूपये व केन्दीय हिस्सा 18 करोड रूपये भी का प्रावधान रखा है।

स्वामित्व योजना

7.12 स्वामित्व योजना एक प्रमुख योजना है, यानी लाल डोरा मुक्त हरियाणा के लगभग 6,260 गाँव 24,54,265 संपत्ति कार्ड/संपत्ति प्रमाण पत्र हरियाणा के 6,251 गाँव 02–01–2023 तक लगभग 6,260 गाँव पहले ही इस योजना के अंतर्गत आ चुके हैं।

हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण

7.13 इस स्कीम के तहत वर्ष 2021–22 हेतु 40 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। साथ ही वर्ष 2022–23 हेतु 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। ग्राम इसराना, जिला पानीपत में मॉडल कॉलोनी विकसित करने के लिए 11.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और वर्ष 2023–24 के लिए भी 50 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार

7.14 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा 7–स्टार रेनबो योजना के तहत लगभग 86 करोड रूपये पुरस्कार धनराशि के रूप में दिया गया था। ग्राम पंचायतों को राशि एच.आर.डी.एफ.ए बोर्ड द्वारा दी गई थी, जिसकी भरपाई बोर्ड को करनी है। अब तक, 53 करोड रुपये की धनराशि पूर्वोक्त योजना और निधि से वसूल किया गया है जिसमें लगभग 33 करोड़ रूपये देय है जो संशोधित बजट में अनुरोध किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, यदि कोई नई योजना अर्थात, ब्लॉकों का प्रदर्शन विकास सूचकांक

स्वीकृत हो जाता है, तो इस मद को बरकरार रखा जा सकता है, इसलिए टोकन का प्रावधान है। योजना बजट मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 40 करोड रूपये के प्रावधान में से कुल 40 करोड रूपये खर्च किये जा चुके है ताकि स्कीम बंद न हो और वर्ष 2023–24 के लिए 1 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

7.15 इस योजना के तहत राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अनुसार किया गया है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स एसबीएम–जी और एसबीएम–यू दोनों की गतिविधियों की देखभाल करेगी। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 4 आधिकारिक सदस्य और 10 गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा दो और शिक्षाविदों/पेशेवरों को अलग से नामित किया जाना है। वर्ष 2022–23 के लिए 51 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। एस.एल.टी.एफ. का खर्च एस.बी.एम.–जी. और एस.बी.एम.–यू. द्वारा 50:50 रूपये के अनुपात में वहन किया जाएगा। और वर्ष 2023–24 के लिए 1 करोड रूपये का बजट रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन को लागू करना, विभिन्न कार्यो के लिए गैर सरकारी संगठनो को शामिल करके स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन बनाने।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

7.16 इस योजना का उद्देश्य है इसे समाज कल्याण विभाग पंचायत विभाग चौपालों को बढ़ावा देने का उद्देश्य समुदायों को अपने सामुदायिक कार्यों जैसे विवाह, त्योहारों को मनाने के लिए एक सामान्य थाली–रूप प्रदान करना और सामान्य महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना है इस योजना का उद्देश्य गांवों का विकास जैसे गलियों, जल निकासी, सामुदायिक केंद्र, श्मशान घाट तालाबों को बांधना और बनाए रखना आदि। 10,000 से कम जनसंख्या (लगभग 6,282 गाँव) होने पर 619.72 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई जिसमें से 113.07 करोड रूपये वर्ष 2022–23 के लिए खर्च किये गये और वर्ष 2023–24 के लिए 850 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

नये प्रखंड कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मुरम्मत करना

7.17 राज्य में खंडों की संख्या 126 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है। समुचित एवं कुशल कार्यप्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि किराये के भवनों में स्थित खंड कार्यालय जिला परिषद कार्यालयों को उनके अपने भवन उपलब्ध कराये जायें। इसके अतिरिक्त 28 नये खंड भवनों में से 20 का कार्य पूर्ण किया गया, 6 खंड भवनों का कार्य प्रगति पर, 2 का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया। 73 में से ग्राम सचिवालय भवनों में 63 का कार्य पूर्ण किया गया, 6 भवनों का कार्य प्रगति पर है एवं 4 का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया। 11 ग्राम पंचायत भवन में से प्रगतिरत 5 जिला परिषद भवनों में से का कार्य 3 पूर्ण किया गया और 2 का कार्य प्रगति पर हैं। 2 पंचायत भवन में से 1 मुख्यालय में का कार्य पूर्ण किया गया तथा हिसार में 1 का कार्य अभी में प्रगति पर है। वर्ष 2022–23 के लिए 100 करोड रूपये का बजट रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 100 करोड रूपये का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयंसेवकों के बीच जागरूकता

7.18 इस योजना के तहत गांवों में स्वयंसेवकों के रूप में युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक लगभग 17,000 स्वयंसेवकों का चयन किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से, समावेशी और सतत सामाजिक, मानव और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण समुदाय में बदलाव के सूत्रधार बनने की उनकी

क्षमता का निर्माण करना है। वर्ष 2022–23 के लिए 3,50 करोड रूपये का बजट रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए 3.50 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम

7.19 यह योजना गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 2017 को शुरू की गई थी। गांवों में सामान्य साफ–सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। सफाई कर्मचारियों की संख्या गांवों की जनसंख्या के आधार पर 1–6 के बीच होगी। पूरे राज्य में लगभग 11,475 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान 250 करोड रूपये का बजट रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए 250 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान–नीलोखेड़ी

7.20 यह योजना भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ 50:50 साझेदारी के आधार पर प्रायोजित है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था समुदाय की सहायता से देश भर में ग्रामीण विकास के राज्य संस्थानों की स्थापना के लिए भारत सरकार की योजना के अनुसरण में। एच.आई.आर.डी. की स्थापना 1991–92 में इस विभाग के वर्ग–1 और वर्ग–2 अधिकारियों के साथ–साथ अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। वर्ष 2022–23 के लिए 5 करोड रूपये (2 करोड रूपये राज्य का हिस्सा और 3 करोड रूपये केंद्र का हिस्सा) का बजट रखा गया है। अब राज्य स्कीम भी अगले वित्त वर्ष के लिए शुरू की गई है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 5 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण

7.21 पुर्नगठित कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि की कुल लागत 12,000 (9,000 केंद्रीय हिस्सा तथा 3,000 राज्य हिस्सा) के रूप में लाभार्थी को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण और उपयोग पर दिया जाता है। आधार–सीडड बैंक सी.एस. (व्यक्तिगत रूप से एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजना, गोबर्धन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर और सामुदायिक परियोजनायें आदि)। इस तरह की सहायता लाभार्थी/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) की पहचान करने वाले/सभी अनुसूचित जातियों, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों के घर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को प्रदान की जाती है। स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को 2 लाख रूपये की कुल लागत का 10 प्रतिशत योगदान देना है और आंगनवाड़ी शौचालयों को 02–12–2014 से क्रमशः प्राथमिक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य खुले में शौच के दुष्प्रभाव के बारे में ग्रामीण समुदाय को जागरूक करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एस.बी.एम.जी. एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। वर्ष 2022–23 के लिए सामान्य योजना के तहत 122 करोड रूपये में से (50 करोड रूपये राज्य हिस्सा और 72 करोड रूपये केंद्र हिस्सा) की राशि तथा एस.सी. एस.पी. घटक के तहत 45 करोड रूपये के बजट परिव्यय में से (25 करोड रूपये राज्य का हिस्सा और 20 करोड रूपये केंद्र का हिस्सा) रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 167 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

ग्राम पंचायत

7.22 इस योजना के तहत केन्द्रीय परिव्वय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों के लिए संयुक्त अनुदान 391.60 करोड रूपये रखा गया है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति/जिला परिषद को 75:15:10 के अनुपात में धनराशि के आधार पर

जनसंख्या को 80 प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर 20 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई। 15वें वित्त आयोग, भारत सरकार ने अनुशंसा की है कि निधियां केवल पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जानी चाहिए। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021–22 से 2023–24 तक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, संबंधित कानून के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के भीतर सेवाओं के लिए धन का उपयोग किया जा सकता है। जल आपूर्ति, स्वच्छता सहित सीपेज प्रबंधन, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर केंद्रीय वित्त आयोग 50:50 के बराबर अनुपात में मूल अनुदान और सहबद्व अनुदान के रूप में अनुदान प्रदान कर रहा है। वर्ष 2022–23 के लिए 391.60 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

7.23 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक 368.50 करोड रूपये की राशि व्यय करके 44.26 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है जिनमें से 38.81 लाख मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 44..26 लाख महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2022–23 के दौरान 125 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 450 करोड़ रूपये का परिव्यय केन्द्र (75 प्रतिशत) व राज्य (25 प्रतिशत) सरकार के हिस्से के रूप में साम्रग्री तथा प्रशासनिक व्यय के लिये किया गया है।

विधायक आदर्श ग्रम योजना

7.24 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक तक चयनित गांवों के लिए 17.76 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा 174 कार्य पूर्ण किए जा चुके है। वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 180. 20 करोड़ रूपये का परिव्यय राज्य सरकार के हिस्से के रूप में स्वीकृत किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

7.25 इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल चयनित 10 कलस्टरों में 150 गांव शामिल किये गये तथा 56 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 56.30 करोड़ रुपये (केन्द्र 41.54 करोड रूपये कृटीकल गैप फंड व राज्य 14.76 करोड रूपये कन्वर्जन्स आरडी) की राशि खर्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र व राज्य के हिस्से के रुप में राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना

7.26 प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना राज्य के 8 जिलों में लागू की जा रही है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक कुल 6.77 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वाटरशैड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 9 केन्द्रीय प्रयोजित परियोजनाएं जिनका लगभग कुल बजट 80.59 करोड रूपये है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 के लिए वाटरशैड विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत कुल 40 करोड रूपये की राशि (14.40 करोड रूपये केन्द्र एवं 25.60 करोड रूपये राज्य के हिस्से के रुप) में प्रस्तावित की गई है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

7.27 इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक 5,602 स्वयं

सहायता समूह बनाये गए हैं। कुल 4,408 स्वयं सहायता समूहों को कुल 8.15 करोड रूपये की परिक्रामी राशि दी गई है। इसी प्रकार वर्ष के दौरान 5,361 स्वयं सहायता समूहों के लिए 34.77 करोड़ रुपये की राशि सामुदायिक राशि के दी गई तथा कुल 45.77 करोड रूपये की राशि खर्च की गई है।

स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)

7.28 स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम का कुल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरु करने और सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक के दौरान 743 उद्यमों को योजना के गहन कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है तथा कुल 1.29 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय –ग्रामीण कौशल योजना

7.29 इस योजना भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। यह योजना निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल पर काम करती है और यह राशि राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के माध्यम से की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान 19–01–2023 तक कुल 23.80 करोड़ रूपये की राशि 3,945 उम्मीदवारो को प्रशिक्षित करने में खर्च की गई है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

7.30 इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 210 करोड़ रूपये की राशि केन्द (60 प्रतिशत) व राज्य (40 प्रतिशत) सरकार तथा आर.सेटी. के अंतर्गत 5 करोड रूपये की राशि 100 प्रतिशत केन्द्र के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

सांसद स्थानीय विकास योजना

7.31 इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान 19–01–2023 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 22.30 करोड रूपये की राशि खर्च की गई है व 152 कार्य पूर्ण किये गये।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

7.32 राज्य के 7 जिलो के 15 खण्डो नामतः सिरसा (ओडान, डबवाली, बारागुढा, ऐलनाबाद) मेवात (नूँह, फिरोजपुर झिरका, नगीना, पुन्हाना) यमुनानगर (छछरौली) कुरुक्षेत्र (पेहवा) कैंथल (गुहला, सिवान) फतेहाबाद (रतिया, जाखल) व पलवल (हथिन) में लागू की जा रही है, जिनमें अल्पंसख्यक आबादी 25 प्रतिशत और उससे अधिक है। इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान 19–01–2023 तक 4.22 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य (60:40) के हिस्से के रुप में 100 करोड़ रुपये का बजट वर्ष 2023–24 के लिए प्रस्तावित की गई।

शहरी स्थानीय निकाय

7.33 शहरी स्थानीय निकाय स्वशासन की महत्वपूर्ण संस्थाएँ है, जो शहरी क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना और नागरिक सुविधाए प्रदान करती है। मुख्य रुप से शहरी समाज में हरियाणा का स्थिर परिवर्तन अब एक जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता है। शहरी क्षेत्रों मे रहने वाले 35 प्रतिशत से अधिक लोगो के साथ, राज्य भारतीय संघ में उच्च शहरीकृत राज्यों में से एक है। किसी भी शहरीकृत और औघोगिक अर्थव्यवस्था के साथ, शहरी केन्द्र गतिविधियों और

विकास के केंद्र है। राज्य भर में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास पैटर्न प्रमुख शहरी गलियारों के साथ एक सत्रिहित शहरी विकास का है, जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो गया है। गलियारों के साथ इस तरह के एक क्लस्टर विकास का प्रभाव शहरी स्थानीय निकायों पर शहरी विकास और सेवा वितरण की चुनौती का जवाब देने के लिए दबाव है और आने वाले वर्षो में एक चुनौती होगी। इस प्रकार 1991 में इसकी आबादी 24.6 से बढकर वर्ष 2001 में 28.93 प्रतिशत और वर्ष 2011 में 34. 8 प्रतिशत हो गई।

7.34 शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर निगम अधिनियम 1994 नगर पालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पूरे राज्य में शहरी आबादी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में राज्य में 90 नगर पालिकांए है, जिनमें से 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 56 नगर पालिकायें शामिल हैं।

7.35 शहरी स्थानीय निकाय विभाग का बजट प्रावधान पिछले वर्षो से काफी बढ़ा है, चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान शहरों का निर्माण और उन्नयन्न पर जोर देने के लिए राज्य के बजट में 6,525.21 करोड रुपये की राशि रखी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

7.36 स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार समुदाय को विशिष्ट स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबंद्व है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा 71,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) बनाने के रिवाईज्ड लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 66,462 (93.61 प्रतिशत) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। 4,081 (100 प्रतिशत) सामुदायिक शौचालय सीटों (सी.टी.) तथा 6,313 सार्वजनिक शौचालय सीटों (पी.टी.) के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करते हुए क्रमशः 4,086 (100 प्रतिशत) सामुदायिक शौचालय सीटों (सी.टी.) तथा 6,872 (109 प्रतिशत) सार्वजनिक शौचालय (पी.टी.) सीटों का निर्माण किया जा चुका है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

7.37 हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया। नगर पालिका बावनी खेडा को 15 हजार से 25 हजार की और धारूहेडा को 25 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में नार्थ जोन में (तीव्र गति शहर) के लिये सम्मानित किया गया है। कचरा मुक्त शहर की 3 स्टार रेटिंग के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में नगर निगम गुरूग्राम और रोहतक को रखा गया है। वर्ग 1–10 लाख जनसंख्या अनुसार उच्च देश के 100 शहरों में से रेंटिग के अनुसार हरियाणा के 5 शहरी निकायों में गुरूग्राम–19, रोहतक–38, करनाल–85, पंचकूला–86 और अम्बाला–91 स्थान प्राप्त किया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

7.38 इस परियोजना का उद्देश्य पूरे राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए ठोस कचरे का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन प्रदान करना है। कुल 13 क्लस्टरों का गठन किया गया है जोकि खुली तकनीक (अपशिष्ट से खाद, आर.डी.एफ., बायो–मिथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा और कई अन्य उपयुक्त तकनीक) पर आधारित है। जिसे परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी लेते समय अनुमोदित किया जा सकता है और 22 साल की रियायत अवधि के साथ किया गया है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

7.39 अटल नवीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन (अमृत) वर्ष 2015 में शुरू किया गया था

तथा मार्च, 2020 तक पूरा किया जाना था। भारत सरकार द्वारा इस मिशन की समयावधि को बढ़ाकर मार्च, 2023 तक दिया गया है। इस परियोजना के तहत 18 स्थानीय निकायों को शामिल किया गया हैं। भारत सरकार ने इस परियोजना के तहत अमृत मिशन के तहत हरियाणा राज्य के लिए 2,565.74 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी.) को मंजूरी दी है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 2,533.91 करोड रूपये की राशि जारी की गई है। एस.एच.पी.एस.सी. एवं एस.एल.टी.सी. द्वारा 2,694.30 करोड रूपये की लागत की 45 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) को अनुमोदित किया जा चुका है।एस.एल.टी.सी. की विभिन्न बैठकों में 55 कार्यों को अनुमोदित किया जा चुका है, जिनकी पूंजीगत लागत 3,101.68 करोड रूपये है जिसमे से 22 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 85 प्रतिशत है। इन कार्यो के निष्पादन पर अब तक 2,559.33 करोड रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

सीवरेज, जल आपूर्ति, जल निकासी

7.40 जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए नालें की सेवाऐं नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 1979 से तथा नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 2013 से देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22–06–2017 को आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए नालें की सेवाऐं शेष 8 नगर निगमों को जल्द ही परंतु अमृत स्कीम के पूरा होने से पहले ही स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस निर्णय की अनुपालना में जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए पहले चरण में नगर निगम करनाल और सोनीपत द्वारा 16–09–2018 को इन सेवाओं को ले लिया गया था। नगर निगम पानीपत ने 01–09–2022 से इन सेवाओं को ग्रहण किया है तथा वित्त विभाग द्वारा नगर निगमों को सीवरेज, जल आपूर्ति, जल निकासी की सेवाएं नामक नई स्कीम शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई हैं। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत अब तक **30.22** करोड़ खर्च किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

7.41 भारत सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन शुरु किया गया। भारत सरकार द्वारा यह केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप मे संचालित है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर 5 वर्ष की अवधि के लिये 100 करोड़ रुपये की वित्तिय सहायता देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा भी समान राशि के रुप में स्मार्ट सिटी में योगदान किया जा रहा है।

अ) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी–विशेष उद्देश्य वाहन नामतः फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिनांक 20–09–2016 को स्थापित किया गया था, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 784 करोड़ रुपये, जिसमें 392 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप मे व 392 करोड़ रुपये राज्य सरकार के हिस्से के रुप में जारी किये गये है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 47 परियोजनायें है जिनकी कुल लागत 932.26 करोड़ रुपये है। 47 परियोजनाओं की कुल राशि 932.26 करोड रूपये जिसमें से 641.82 करोड रूपये की कुल राशि की 25 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है या 90–100 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के साथ पूरा कर लिया जाएगा जबकि 290.44 करोड रूपये की राशि की शेष 22 परियोजनाएं निष्पादन के अधीन हैं और दी गई मिशन की समय सीमा से

पहले या 30 जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

ब) करनाल स्मार्ट सिटी– करनाल स्मार्ट सिटी के लिए विशेष उद्देश्य वाहन का गठन दिनांक 08–12–2017 को किया गया था तथा के. एस.सी.एल कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया है। जिनकी कुल लागत 588 करोड़ रुपये है। जिनमें से 294 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप में व 294 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड कुल 93 परियोजनाऐं जिनकी कुल लागत 956.86 करोड रूपये है । 93 परियोजनाओं में से 263.16 करोड़ रूपए की 60 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जबकि 693.7 करोड रूपये की शेष 33 परियोजनाओं निष्पादन के अधीन हैं और दी गई मिशन की समय सीमा से पहले या 30 जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना

7.42 वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य के बजट भाषण के दौरान, योजना ''मेरा शहर सर्वोत्तम शहर'' की घोषणा की गई थी जिसमें 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 2022–23 में पहले ही 1 लाख़ रुपये जारी कर रखे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया तथा विचार व अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है।

ऑनलाइन नागरिक सेवाएं

अ) सरल पोर्टल

7.43 शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सरल पोर्टल पर 29 सेवाओं को ऑनलाईन शुरू किया है, प्रारम्भिक प्रमुख सेवाएं–जन्म और मृत्यु, विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण योजना, अग्रिशमन सेवाएं, जल और सीवर कनेक्शन व बिलिंग और विभिन्न व्यवसाय लाइसेस, वाहन विलेख जारी करना, सामुदायिक केंद्र की बुकिंग।

ब) कोई बकाया नही प्रमाण पत्र

7.44 नो डयूज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक पोर्टल शुरु किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी संपत्ति के लिए नो डयूज सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते है। किसी भी बकाया भुगतान के मामले में, भुगतान का विवरण पोर्टल पर दिखाई देता है और नागरिक ऑनलाईन भुगतान कर सकता है।

स) जी.आई.एस.–आधारित संपत्ति कर

7.45 राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में केद्रीकृत जी.आई.एस. आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण किया जा चुका है और आंकडों का अंतिम सत्यापन जारी है।

हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.)

7.46 हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच'ई.डब्ल्यू.पी.) को अनुमान, निविदा, प्रशासनिक और बजट अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, विक्रेता पंजीकरण, कार्य आंबटन ई–माप पुस्तिका, बिल प्रयंरूकरण और ठेकेदारों को भुगतान से सभी गतिविधियों को करने के लिये (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) का उपयोग कर रहा है।

जी.आई.एस.–डेटाबेस

7.47 जी.आई.एस. डेटाबेस के निर्माण के लिए आंतरिक विकास शुरु किया गया है। नगर सीमा, राजस्व सीमा, नियमित कलौनियों, कालोनी सीमा, वार्ड की सीमा, महत्वपूर्ण भूमि चिन्ह, सडक, सडक नेटवर्क, व्यक्तिगत संपत्तियों की मार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

केन्द्रीय वित्त आयोग

7.48 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 606 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से 362.48 करोड रुपये नगरपालिकाओं को जारी की गई। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के

दौरान 477 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से पालिकाओं को 83.65 करोड रुपये की राशि जारी की गई है।

राज्य वित्त आयोग

7.49 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1,500 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया तथा जिसमें से 1,351.51 करोड रुपये की राशि नगर पालिकाओं को जारी की गई। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,500 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया और 833.33 करोड रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की गई।

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

7.50 यह योजना मूल भूत सुवाधाओ जैसे जल आपूर्ति, सीवेज, सेप्टेज, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस और पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, सड़क व गलिया, नाइट शेल्टर, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एस.डब्ल्य.एम.), दूध डेयरी का स्थानांतरण, नगरपालिका कार्यालय के लिए भवन का निर्माण, आवारा पशुओं के पशुबाड़े का निर्माण आदि को प्रदान करने की परिकल्पना करती है। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 120 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य के बजट में किया गया है जिसमें से 118.23 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं को जारी किए गए हैं।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

7.51 इस स्कीम के तहत शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थानों में संगठित करने, कौशल विकास के लिए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाता है जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त होता है तथा आसानी से ऋण सुनिश्चित करके स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता मिलती है। मिशन का लक्ष्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहरी और समुदाय के स्तर पर एक बाहरी, कटिबद्ध और संवेदनशील सहायता ढांचे की आवश्यकता है ताकि सामाजिक संगठन, संस्थान का निर्माण और जीविका संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके।

दीन दयाल अंत्योदया योजना (एन.यू.एल.एम.)

7.52 वित्त वर्ष 2022–23 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 40 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिसमें से 23.71 करोड़ रूपय राज्य बजट में से निकलवा लिए गए हैं। योजना के शुरूआत से अर्थात वर्ष 2014 से 20–12–2022 तक 120.01 करोड़ रूपये का उपयोग स्किम को कार्यान्वयन हेतु किया जा चुका है। हरियाणा के 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे कार्य पूर्ण किया गया जिसके अन्तर्गत 1,04,680 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गई। 87 निकायों ने 83,986 सर्टिफिकेट आफ वेंडिग बांट दिये हैं। 55 निकायों ने 25,603 स्मार्ट आई. डी. कार्ड जारी कर दिये हैं तथा 2.51 करोड़ रूपये की राशी का उपयोग किया जा चुका है। विभाग द्वारा राज्य के शहरों/कस्बों में बेघर आबादी का सर्वेक्षण करवाया गया जिसके अन्तर्गत 11,543 शहरी बेघर परिवारों के 19,015 की पहचान हुई तथा 23.84 करोड़ रूपये की राशी का उपयोग करके राज्य में 32 स्थाई आश्रय, 42 अस्थाई आश्रय, 34 पोर्टा कैबिन तथा 26 प्रीफैब्रीकेटेड शैल्टर्स को स्थापित किया जा चुका है।

स्वरोजगार

7.53 स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1. 39 करोड़ रूपये की ब्याज अनुदानित राशी 4,984 लाभार्थियों तथा 72 समूहों को प्रदान की जा चुकी है। 6,674 स्वंय सहायता समूह बनाए गये तथा 4,136 समूहों को रिवाल्विंग फंड प्रदान किया जा चूका है। 29 क्षेत्रिया स्तर फैडरेशन बनाये गये हैं

जिसमें 5.95 करोड़ रूपये की राशी का उपयोग किया जा चुका है। 32.65 करोड़ की राशी का उपयोग करते हुए 32,074 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 26,618 अभ्यार्थियों को प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके है तथा 14,601 अभ्यार्थियों को रोजगार दिया जा चूका है और 8,915 अभ्यार्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि

7.54 पीएम–स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को विशेष रूप से उन पथ विक्रेताओं के लिए शुरू की गई जिनका कोरोना के दोनो दौर के अन्दर रेहड़ी फड़ी व्यवसाय प्रभावित हुआ है। रेहड़ी पटरी वालो को फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रथम चरण में 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी दी जाती है एवं इसी क्रम में समय पर ऋण राशि का भुगतान करने के उपरान्त रेहड़ी फड़ी विक्रेता द्वितीय चरण में 20,000 व तृतीय चरण में 50,000 कार्यशील पूंजी ऋण का पात्र हो जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेता को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा भी अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी दिया जाना स्वीकृत किया है।

टाउन वेंडिग समितियों का गठन

7.55 शहरी स्थानीय निकायों में टाउन वेंडिग समितियों का गठन किया जा चुका है। हरियाणा में 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेकार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 1,04,680 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गई है। 87 निकायों में 83,986 पथ विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिग वितरित किये जा चुके हैं। 55 निकायों में 25,603 स्ट्रीटवेंडर्स को स्मार्ट पहचान पत्र भी जारी कर दीये हैं। 20–12–2022 तक योजना के अन्तर्गत 69,673 ऑनलाईन ऋण आवेदन स्ट्रीटवेंडर्स द्वारा किये गए हैं जिसमें से 44,711 स्ट्रीटवेंडर्स के ऋण आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिये गए हैं। 36,752 स्ट्रीटवेंडर्स को कार्यशील पूंजी वितरित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2022–23 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिसमें से 13.09 लाख़ रूपये राज्य बजट में से निकलवा लिए गए हैं तथा 11.05 लाख रूपये की अतिरिक्त 2ः प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी वितरित कर दी गई है।

आवास बोर्ड़

7.56 हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष 1971 के दौरान हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा अधिनियम 1971, संख्या 20 अनुसरण में अस्तित्व में आया। बोर्ड़ का मुख्य उद्धेश्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों के अनुसार जनता को आवंटन के लिए घरो का निर्माण करना है। जोकि समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए घरों के निर्माण पर है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने वर्ष 1971 में अपनी स्थापना के बाद से 31–10–2022 तक विभिन्न श्रेणियों के 98,160 घरों का निर्माण किया है जिनमें से 73,310 घर बी.पी.एल./ई.डब्लयू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के समाज के लिए है हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा द्वारा अन्य विभागों के लिए भी 1048 आवासों का निर्माण किया गया है। जिनका दिनांक 31–10–2022 को श्रेणीवार आवासों का विवरण दिया गया है।

7.57 इस वित्तीय वर्ष के दौरान 01–04–2021 से 31–03–2022 तक 560 के मकानों बनाये गये और 22.88 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

7.58 वर्तमान सरकार के कार्यकाल वर्ष 2022–23 में तक 117 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और दिनांक 31–10–2022 तक 4.60 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

तालिका– 7.1 गृह निर्माण का श्रेणीवार विवरण

वर्ग	घरों की सख्या	प्रतिशत आयु
ई.डब्लयू.एस. के लिए बी.पी.एल.	26,030	26.51
ई.डब्लयू.एस.	13,181	13.42
एल.आई.जी.	34,727	35.38
एम.आई.जी.	12,143	12.37
एच.आई. जी.	4,006	4.09
अन्य	8,073	8.23
कुल	98,160	100.00

स्त्रोत– हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा।

7.59 वित्तीय वर्ष 2022–23 में अब 3,742 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानो पर प्रगति पर हैं जिनमें से 637 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 2,769 मकान बी.पी. एल. वर्ग के परिवारों के लिए तथा 336 मकान सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये वर्ष 2022–23 में 31–10–2022 तक 25.15 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

हाउसिंग फॉर ऑल

प्रधानमन्त्री आवास योजना –शहरी

7.60 आवास तथा शहरी मामलों के मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पी.एम.ए.वाई.–शहरी) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने निवास के लिए नया मकान बनाने/खरीदने/विस्तार के लिए सहायता उपलब्ध करवाना है। पी.एम.ए.वाई.–शहरी को निम्नलिखित चार घटकों में विभाजित किया गया हैः लाभार्थी द्वारा स्वंय आवास का निर्माण, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। भारत सरकार द्वारा इस घटक की समय अवधि 31 मार्च, 2022 से आगे नहीं बढ़ाई है, साझेंदारी में सस्ती हाउसिंग, इन–सीटू में स्लम पुनर्विकास। शहरी गरीबों की कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत, राज्य सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी की केन्द्रीय सहायता 40 प्रतिशत की दर से राज्य वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

7.61 प्रगति

- लाभार्थी के चयन हेतु वर्ष 2017 में सर्वे किया गया, जिसके अंर्तगत 2,48,657 आवेदकों की पहचान की गई। फिर भी विभाग द्वारा मिशन अवधि के दौरान ए.एच. पी. घटक के अंतर्गत 50,000 मकानों के निर्माण तथा बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत 67,649 लाभार्थियों को दिनांक 31.12. 2024 सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।
- 67,649 आवास निर्माण लक्ष्य के अन्तर्गत लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार (बी.एल.सी.) घटक के अंर्तगत 12,324 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 15,769 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें 482.96 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। 33,276 लाभार्थियों को मंजूरी पत्र (एल.ओ.आई.) दिए जा चुके हैं।
- ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सी.एल. एस.एस.) घटक के अंर्तगत 40,789 लाभार्थीयों को 7,915.36 करोड़ रुपये का होम लोन स्वीकृत तथा 890.54 करोड़ रुपये ही ब्याज अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध करवाई गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

7.62 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "वर्ष 2022 तक सभी को आवास" प्रदान करने के लिए 01–04–2016 से "इन्दिरा आवास योजना" को "प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण" में परिवर्तित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत लाभार्थीयो का चयन सामाजिक व आर्थिक जनगणना–2011 की सूची से किया जाता है। मंत्रालय द्वारा 1.56 लाख बेघर, शून्य, 1 व 2 कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले सभी परिवारों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। ये सूचियां ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई हैं जिनमें से ग्राम पंचायत द्वारा स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाये जाने वाले लाभार्थीयों का सत्यापन तथा प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17, 2017–2018, 2020–21 तथा 2021–22 के लिये 29,711 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.63 स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता नए मकान के निर्माण के लिए प्रदान करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, 0.18 लाख रुपये टॉप–अप के रूप में तथा 0.12 लाख रुपये शौचालय के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं। 0.26 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता (मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 90 अकुशल श्रम–दिन की मजदूरी) भी उपलब्ध करवाई जाती है। लाभभोगीयों के लिए 70,000 रुपये तक के बैंक ऋण का विकल्प भी है।

प्रगति

7.64 29,711 घरों के विरूद्व, 28,783 घर स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत घरों में से, 21,768 घरों का निर्माण हो चुका है तथा 7,015 घर निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को 343.48 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई के साथ मानव विकास है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतः वचनबद्व है तथा इनके सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनायें लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

8.3 यह योजना राज्य की बालिकाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों की विभिन्न श्रेणियों को 31,000 रूपये से 71,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जैसेः– (i) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ और निराश्रितों जिनके परिवार की आय 1.80 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम है कि बेटी के विवाह के लिए 51,000 रूपये (ii) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एस.सी./एस.टी. परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 71,000 रूपये (iii) खिलाडी महिलाओं की शादी के लिए 31,000 रूपये (किसी भी जाति/किसी भी आय वर्ग) (iv) अनुसूचित जाति के अलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी वर्गों के समाज की बेटी की शादी के लिए 31,000 रूपये तथा (अनुसूचित जाति/पिछडा वर्ग सहित) जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपये से कम है (v) दिव्यांगजन के विवाह के लिए 51,000 रूपये यदि पति या पत्नी दोनों विकलांग हैं और 31,000 रूपये दिव्यांगजन के लिए यदि पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 27,013 शदियां करवाने में 10,077.41 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान दिनांक 31–12–2022 तक कुल 18,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 25,009 विवाह के लिए 11,588.93 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

8.4 डा. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिये 80,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान 4,832.90 लाख रुपये की राशि 7,288 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी हैं। वर्ष 2022–23 के लिये 10,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 8,838 लाभार्थियों पर 7,159.90 लाख रुपये की राशि 31–12–2022 तक खर्च की जा चुकी है।

डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना

8.5 अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृत्ति के लिए 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। पिछडे

वर्ग के छात्रों तथा अन्य वर्गों के छात्रों को भी 10वीं कक्षा में प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान ही जाती है। वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत 2,510.44 लाख रुपये की राशि 31,310 छात्रों पर खर्च की जा चुकी है तथा वर्ष 2022–23 के दौरान 5,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 2,388.57 लाख रुपये की राशि, 27,270 छात्रों पर 31–12–2022 तक खर्च की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री सामाजिक–समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना

8.6 मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के साथ विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। उन सभी मामलों में जहां एक गैर–अनुसूचित जाति के व्यक्ति की शादी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा की जाती है, विवाहित जोड़े को 2.50 लाख रूपये का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें से 1.25 लाख रूपये जोडे के खाते में स्थानातंरित कर दिये जाते हैं और शेष राशि 1.25 लाख रूपये जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में 3 साल की लॉक इन अवधि के लिए जमा किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान 906 विवाहित जोड़ों पर 2,103.25 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2022–23 के लिए 3,600 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिनांक 31–12–2022 तक 1,315 विवाहित जोड़ों पर 3,187.10 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

उम्मीदवारों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना

8.7 अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सिविल सेवायें परीक्षा, बैंकिंग/रेलवे/एस.एस.सी./एच.टी.ई.टी. एवं एन.ई.ई.टी./जे.ई.ई. आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्च प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा जिनकी आय सीमा 2.50 लाख रूपये तक है। वर्ष 2021–22 व 2022–23 में 2,000 लाख रूपये की राशि के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 31–12–2022 तक कोई भी खर्चा नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.8 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 2,500 रूपये प्रतिमास से 13,500 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति के अतिरिक्त सभी नॉन–रिफण्डेबल फीसें प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत माता पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रूपये है। वर्ष 2021–22 में 9,888.50 लाख रुपये की राशि 50,735 लाभार्थियों पर खर्च की गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान 27,150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 6,094.76 लाख रुपये की राशि 49,109 छात्रों पर 31–12–2022 तक खर्च की जा चुकी है।

पिछडे वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

8.9 भारत सरकार द्वारा "अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतू पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत 160 रूपये प्रतिमास से 750 रूपये प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में 1,401.49 लाख रुपये की राशि 31,352 लाभार्थियों पर खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2022–23 के दौरान 9,400 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 616.40 लाख रुपये की राशि 16,161 छात्रों पर 31–12–2022 तक खर्च की ज चुकी है। सभी प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आनॅलाईन मोड से लाभार्थियों को फंड वितरण किया जा रहा है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.10 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों नामतः बैंक टाई–अप योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.ए.फ.डी.सी.) सहयोग योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना का परिचालन कर रहा है।

8.11 भारत सरकार की निर्देशानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 60,000 रुपये तक हो तथा उसका नाम बी.पी.एल. सर्वे लिस्ट में हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसे भैंस पालन, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरी, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, ऑटो–रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही (एच.एस. ए.एफ.डी.सी.) योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आवेदकों की, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये तथा शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रूपये से 3 लाख रुपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंक टाई–अप योजना

8.12 निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं, जिनकी योजना लागत 1.50 लाख रुपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। इस योजना की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये) है व 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस.एफ.डी. सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। हांलाकि, इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.के.एफ.डी.सी.) के सहयोग से योजना

8.14 निगम, एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एन.एस. के.एफ.डी.सी., हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एन.एस.के.एफ. डी.सी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। हालांकि इन योजनाओं के अन्तर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एन.एस.के.एफ.डी.सी. के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अन्तर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है।

वर्ष 2022–23 के लिए प्रस्ताव

8.15 निगम द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान 15,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत 14,994.30 लाख रुपये जिसमें 1,439 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है कि आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2022–23 की उपलब्धियां

8.16 निगम द्वारा वर्ष 2022–23 में 1,904 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार हेतु 1,510.42 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 118.86 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है। वर्ष 2020–21 से 2022–23 के लिए कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ **तालिका 8.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 8.1– वर्ष 2020–21 से 2022–23 के कार्यक्रम/योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

क्षेत्र/स्कीम का नाम	2020–21		2021–22		2022–23 (अक्टूबर, 2022 तक)	
	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)	भौतिक लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय (लाख रुपये)
1. कृषि एवं सहायक क्षेत्र						
क) पशुपालन	1143	651.05	1163	665.28	519	367.55
ख) मूर्गी पालन	–	–	–	–	–	–
ग) भेड़ पालन	36	28.70	60	54.60	23	21.30
घ) सुअर पालन	25	15.50	32	20.30	18	14.00
ड़) झोटा बुग्गी/ऊँट गाड़ी/रेडा खच्चर गाडी	4	2.90	3	2.70	1	0.50
च) मधुमक्खी पालन	–	–	–	–	–	–
2. औद्योगिक क्षेत्र	74	47.09	57	32.70	14	11.50
3. वाणिज्य एवं व्यापार क्षेत्र	946	700.87	915	748.69	511	473.82
4. व्यवसायिक एवं स्वरोजगार क्षेत्र			–	–	–	–
क) ब्यूटी पार्लर			1	0.50	–	–
ख) विद्युत चालित	–	–	–	–	4	5.50
ग) कानूनी पेशा	–	–	–	–	1	1.00
घ) फोटाग्राफी	–	–	–	–	–	–
5. एन.एस.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	797	513.50	800.00	603.35	799	600.75
6. एन.एस.के.एफ.डी.सी. से सहायता प्राप्त स्कीम	34	37.45	37.00	39.55	14	14.05
कुल	**3059**	**1997.06**	**3068.00**	**2167.67**	**1904.00**	**1510.42**

स्त्रोतः– अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.17 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा हरियाणा के पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु भिन्न–भिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सस्ते वार्षिक ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। पिछडे वर्गों, अल्प संख्यक समुदायों और विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थियों को वितरित ऋण के पिछले 3 वर्षों का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2– पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	पिछडे वर्ग		अल्पसंख्यक समुदाय		विकलांग व्यक्ति		कुल	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2021–22	998	7.68	523	4.86	1257	12.55	2778	25.09
2022–23 (अक्तूबर,2022 तक)	504	3.31	341	3.42	756	7.48	1601	14.21

स्त्रोत– पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना

8.18 ऐसे वृद्ध व्यक्ति, जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सरंक्षण प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रारम्भिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय 01–04–1964 से वृद्धावस्था पैंशन योजना शुरू की गई थी। पैंशन की दर, जो योजना प्रारम्भ होने के समय 15 रूपये मासिक थी, जिसमें समय–समय पर बढ़ौतरी की गई। हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 01–11–1966 से अपनाई गई और 2,382 लाभपात्रों को कुल 24,680 रुपये की राशि की पैंशन की अदायगी की गई। वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पैंशन का उदारीकरण करते हुए 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17–06–87 से 100 रुपये मासिक दर से पैंशन की अदायगी की गई थी।

8.19 राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुये ''वृद्धावस्था पैंशन योजना–1991'' प्रारम्भ की गई जिसे अब ''वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना'' का नाम दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई, 1991 से चालू की गई जिसमें आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। योजना के तहत जो व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है और सभी स्त्रोतों से उसकी/उसके पति या पत्नी की आय प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये, लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

8.20 इस योजना का उद्धेश्य जरूरतमंदों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मज़दूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के सदस्यों व लघु तथा मध्यमवर्गीय किसानों आदि को, वृद्धावस्था भत्ता का लाभ देना सुनिश्चित करना है। वर्ष 1991 से अक्तूबर, 1999 तक 100 रुपये मासिक दर से पैंशन दी जाती थी, जिसे समय–समय पर बढाया गया 01–01–2014 से 1,000 रुपये प्रतिमास पैंशन की गई थी और दिनांक 01–01–2015 से 1,200 रुपये पुनः दिनांक 01–01–2016 से 1,400 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से 1,600 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है तथा दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये 01–11–2018 से 2,000 रूपये और 01–01–2020 से 2,250 प्रतिमास तथा 01–04–2021 से 2,500 रूपये प्रतिमास लाभपात्र की गई है। वर्ष 2021–22 में 5,159.46 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्षवार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन

8.21 वर्ष 1980–81 में हरियाणा में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पैंशन योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसी महिलाओं को जोकि स्वयं अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों तथा उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दर, जोकि योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये प्रतिमास थी, जो कि समय–समय पर बढ़ाई

तालिका 8.3–विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना		विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना		दिव्यांगजन पैंशन योजना (30–11–2022 तक)	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2017–18	1512436	2965.55	666808	1305.77	151932	296.78
2018–19	1569616	3479.01	695455	1540.44	160433	352.94
2019–20	1701761	4007.17	734463	1714.69	171922	406.43
2020–21	1719939	4633.34	749736	2056.46	173566	486.77
2021–22	1262773	5159.46	804585	2261.03	184103	520.82
2022–23 (30–11–2022 तक)	1765554	3957.54	803127	1785.97	183062	404.92

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

गई। पैंशन की दर 01–01–2014 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई। दिनांक 01–01–2015 से पैंशन 1,200 रुपये प्रतिमास की गई थी। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,400 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से पैंशन 1,600 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये तथा दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को पैंशन योजना का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

दिव्यांगजन पैंशन योजना

8.22 दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981–82 में हरियाणा दिव्यांगजन पैंशन योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्धेश्य ऐसे दिव्यांग, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पैंशन की दरें, जो योजना के प्रारम्भ में 50 रुपये मासिक थी, में 01–11–1999 से बढ़ौतरी करते हुए 300 रुपये प्रतिमास की गई। सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निःशक्त की पैंशन 01–01–2006 से बढ़ाकर 300 रुपये से 600 रुपये प्रतिमास की गई तथा 01–03–2009 से पैंशन की दरों में और बढौतरी करते हुए 60 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 500 रुपये एवं 100 प्रतिशत दिव्यांग की पैंशन 750 रुपये प्रतिमास की गई है। 01–01–2014 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01–01–2015 में 1,200 प्रतिमास की दर से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई थी। दिनांक 01–11–2016 से दरों को बढाते हुए पैंशन 1,600 रुपये तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2,500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार दिव्यांगजन पैंशन योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.3** में दिया गया है।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

8.23 हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 01–01–2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। प्रारम्भ में 300 रुपये प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर जीवित माता या पिता को इस योजना का लाभ दिया जाता है। दिनांक 01–04–2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300 रुपये से 500 रुपये की वृद्धि की गई तथा दिनांक 01–04–2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1,000 रुपये प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 01–01–2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमास प्रति लाभ पात्र किया गया था। दिनांक 01–01–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए भत्ता 1,400 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। दिनांक 01–11–2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढ़ाते हुए पैंशन 1,600 तथा दिनांक 01–11–2017 से पैंशन 1,800 रुपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है दिनांक 01–11–2018 से 2,000 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 2,250 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 2,500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.4** में दिया गया है।

तालिका 8.4–विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की वर्षवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम		निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा
2017–18	32718	62.77	205023	182.99
2018–19	37350	79.11	133739	251.70
2019–20	42486	96.76	144985	310.51
2020–21	28954	111.39	145865	354.77
2021–22	33787	92.84	163210	448.50
2022–23 (30–11–2022 तक)	34151	74.68	156924	355.58

स्त्रोत– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना

8.24 यह राज्य सरकार की योजना है, इसके अन्तर्गत इस योजना के अनुसार विभिन्न कारणों से वंचित 21 वर्ष तक बच्चों को माता–पिता/सरंक्षक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के पात्रता मानदण्ड के अनुसार एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को जो 01–03–2009 से शुरू में 200 रुपये प्रतिमास प्रति बच्चा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2014 से 500 रुपये, दिनांक 01–11–2016 से 700 रुपये, दिनांक 01–11–2017 से 900 रुपये, दिनांक 01–11–2018 से 1,100 रुपये, दिनांक 01–01–2020 से 1,350 रुपये तथा दिनांक 01–04–2021 से 1,600 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्षवार निराश्रित बच्चो को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं खर्च का विवरण **तालिका 8.4** में दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

8.25 यह केन्द्र प्रायोजित योजना है इस योजना के अन्तर्गत परिवार के मुख्य रूप से कमाने वाले मुखिया (पुरूष या महिला) सदस्य की मृत्यु 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच होने पर एक मुश्त 20,000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाते हैं यानि 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम इस योजना के तहत केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2022–23 में 9 करोड़ रुपये की राशि आंबटित की गई थी जिसमें से (30–11–2022 तक) 3.41 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता

8.26 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2019 से तेजाब हमले से पीड़ित शरीर के किसी भी हिस्से की विकृति का सामना करने वाली महिलाओं तथा लड़कियों को संशक्त करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। दिनांक 22 जनवरी, 2020 को इस योजना में पुरूष व ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया। हरियाणा राज्य में रहने वाला कोई भी पीडित इस योजना में वित्तीय लाभ के लिए पात्र है। वर्ष 2022–23 में 15 लाख रुपये की राशि आंबटित की गई जिसमें से (30–11–2022 तक) 8.55 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

रक्षा कर्मियो का कल्याण

8.27 राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम त्याग के एवज़ में इनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को, जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 8.5** में दर्शाया गया है।

8.28 राज्य सरकार दिनांक 05–10–2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी प्रतिवर्ष शौर्य पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को **तालिका 8.6** में दर्शाया गया है।

8.29 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को **तालिका 8.7** में दर्शाया गया है।

8.30 राज्य सरकार द्वारा रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को एक मुश्त नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 8.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.5–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	21,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	10,00,000
शान्ति के समय शौर्य पुरस्कार		
1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	10,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	7,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.6–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

क्र.स.	शौर्य पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	50,000
8	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	30,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.7– रक्षा बल कर्मियों को वित्तीय सहायता

क्र. सं.	रक्षा बल कर्मियों के प्रकार	(राशि रूपये में)
1	भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी) द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता	5,400 10,000
2	पैरा/टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400
3	भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400
4	अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400

5	अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400
6	आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान तथा कैडेट/अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता	50,000 1,00,000
7	युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है। (हर वर्ष/प्रति वर्ष 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	5,400

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.8–रक्षा बल कर्मियों के युद्ध सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार (राशि रूपये में)
1	सर्वोतम युद्ध सेवा मैडल	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	4,00,000
3	युद्ध सेवा मैडल	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा मैडल	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा मैडल	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा मैडल	1,25,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.9–रक्षा बल के सेना पदक विजेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वर्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 31–03–2008 के बाद और 19–02–2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ काम के प्रति निष्ठा के लिए जो पुरस्कार 19–02–2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	–

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.10–आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन

क्र.स.	पुरस्कार का नाम	राशि (रूपये में)
1	विक्टोरिया क्रॉस	15,000
2	मिलीटरी क्रॉस	10,000
3	मिलीटरी मैडल	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा मैडल	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 8.11– पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के शौर्य पुरस्कार विजेताओं एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

क्र.स.	शौर्य पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि (रूपये में)
1	अशोक चक्र	17,00,000
2	कीर्ति चक्र	10,00,000
3	शौर्य चक्र	7,00,000
4	सेना मैडल (गलैंट्री)	3,50,000
5	पुलिस मैडल (गलैंट्री)	1,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.31 राज्य सरकार रक्षा बल कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेना पदक उनके विशिष्ट सेवा/कार्य के प्रति सम्पर्ण के लिए प्रदान करती है जिसे **तालिका 8.9** में दर्शाया गया है।

8.32 राज्य सरकार द्वारा आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन दी जाती है जिसे **तालिका 8.10** में दर्शाया गया है।

8.33 राज्य सरकार पैरा मिलिटरी फोरसिस और पुलिस कर्मियों के शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नगद पुरस्कार की राशि प्रदान करती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि को **तालिका 8.11** में दर्शाया गया है।

8.34 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के किसी एक आश्रित को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुगृह राशि भी प्रदान करती है।

8.35 यह अनुग्रह अनुदान राशि नीति/निर्देशों के तहत उन सभी युद्ध में घायल मामलों में जैसा कि रक्षा अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया है चाहे आपरेशन कहीं भी हो अथवा आपरेशन का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ हो जो कि 24–03–2016 को अथवा उसके बाद हुआ हो। यह अनुग्रह अनुदान की राशि 50 लाख रुपये दी जाती है तथा विकंलाग्ता की स्थिति में, विकलांग्ता की प्रतिशतता के आधार पर 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि दिनांक 08–11–2021 में उन निःशक्तों को प्रदान की जाती है जो युद्ध, आई.ई.डी., विस्फोट इत्यादि के कारण आपरेशन क्षेत्र अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपरेशन का विशेष क्षेत्र में हुई हो। यह राशि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.36 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को अनुग्रह अनुदान भी प्रदान कर रहा है जो विषम परिस्थितियों में शहीद हुए अथवा युद्व परिचालन क्षेत्र में सेवा करते हुए अथवा आंतकवादी हमलों के कारण निःशक्त हुए है। अनुग्रह अनुदान राशि 50 लाख रुपये है तथा निःशक्ता की स्थिति में यह राशि 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक है जो प्राकृतिक आपदा, चुनाव, बचाव कार्य, आन्तरिक सुरक्षा आदि के दौरान निःशक्त हो जाते है।

8.37 राज्य सरकार एक लाख रूपये की पुरस्कार राशि वित्तीय सहायता के रूप में उन सैनिक छात्र/सज्जन सैनिक छात्रों को भी प्रदान करती है जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैन्य अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी/नौ सेना और वायु सेना अकादमी या फिर किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की सैन्य अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण ग्रहण करते है।

- वर्ष 2022–23 के दौरान अनुकम्पा आधार पर सशस्त्र बलों/सी.ए.पी.एफ. कर्मिकों के शहीदों के परिजनों को कुल 8 नौकरियां दी गई हैं और अक्टूबर, 2014 से कुल 365 नौकरियां दी गई हैं।
- रक्षा/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पदक विजेताओं को विभाग नकद अनुदान की दरों में समानता लाएगा।
- विभाग 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदनों का निर्माण करेगा। एकीकृत परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लीनिक (ई.सी.एच.एस.), कैन्टीन (सी.एस.डी.), लिफ्ट और रैम्प के साथ एक कामन हाल शामिल है।
- सशस्त्र बलों (रक्षा सेवाओं और अर्ध सैनिक सेवाओं) में अधिक अधिकारियों और पुरूषों को योगदान देने की दृष्टि से सैनिक एवं अर्ध सैनिक विभाग 20 करोड़ रूपये प्रत्येक की लागत से 2 सशस्त्र तैयारी संस्थान स्थापित करेगा। ए.एफ.पी.आई. मैट्रिक के बाद सम्भावित उम्मीदवारों का नामांकन करेंगे और उन्हें एन.डी.ए. के लिए तैयार करेंगे।

इसी तरह, ए.एफ.पी.आई. स्नातकों को सी.डी.एस., शार्ट सर्विस कमिशन, सी. आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. आदि के लिए तैयार करने के लिए नामांकित करेंगे। प्रारम्भ में लगभग 100 बच्चों (मैट्रिक और स्नातक) का चयन किया जाएगा। ए.एफ.पी.आई. में प्रवेश खुली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

रोजगार

8.38 रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाकर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करता है। नौकरी चाहने वालों को बातचीत, परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगी मार्ग दर्शन प्रदान करता है। निजी क्षेत्र में समायोजित करने के लिए नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाने के लिए नौकरी मेलों का आयोजन किया जाता है।

कॉल सैन्टर

8.39 प्रासंगिक रोजगारों के अवसरों के बारे में उम्मीदवारों को डेटा संवर्धन और सूचना प्रसार तक पहुंचाने के लिए 15–07–2020 से एक समर्पित काल सैन्टर भी स्थापित किया गया। हरियाणा के युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सैंटरों की स्थापना से 31–12–2022 तक 21,96,468 कॉलें की जा चुकी हैं।

8.40 रोजगार विभाग हरियाणा एक फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन के तहत हरियाणा के 50,000 मेधावी उम्मद्वारों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कर्मचारी चयन आयोग, निजी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे के साथ–साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग प्रदान कर रहा है।

शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना

8.41 हरियाणा सरकार हमारे युवाओं को गरिमा प्रदान करने और उन्हें लाभकारी कार्यों में रचानात्मक रूप से शामिल करने के महत्व को पहचानती है। तदानुसार सरकार ने हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा के पात्र स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के रूप में बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर, 2016 को शिक्षित युवा भत्ता और मानेदय योजना–2016 शुरू की जिसे सक्षम युवा योजना के नाम से जाना जाता है। बाद में, राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इन्जीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातक, कला स्नातकों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत अगस्त, 2019 से 10+2 पास आवेदकों को भी योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्नातकोत्तर, स्नातक और 10+2 आवेदकों को क्रमशः 3,000 रूपये, 1,500 रूपये तथा 900 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये जाते हैं एवं 100 घंटे मानद कार्य के लिए 6,000 रूपये क्रमशः स्नात्कोत्तर, स्नात्तक और 10+2 पास आवेदकों को दिया जाता है। योजना के तहत वर्तमान में कुल 1,04,907 आवेदकों को अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक स्वीकृत किया जा चुका है। इसी अवधि के दौरान 17,326 सक्षम युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया और कुल 3,673 सक्ष्म युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रखा गया है। इसी अवधि में 687.62 करोड़ रूपये और 336.77 करोड़ रूपये क्रमशः बेरोजगारी भत्ते एवं मानदेय के लिए वितरित किये जा चुके हैं।

रोजगार इच्छुकों की संख्या

8.42 31–12–2022 तक रोजगार के इच्छुक 6,79,232 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट www.hrex.gov.in के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया और वर्ष अप्रैल 2021 से दिसम्बर, 2022 तक 34,554 प्रार्थियों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं।

रोजगार मेले/नियुक्ति के अवसर

8.43 रोजगार विभाग के निजी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य भर में प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलें

आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे जिला रोजगार कार्यालयों के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम दो रोजगार मेले या प्लेसमैंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य हो गया। अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2022 की अवधि के दौरान कुल 24,798 बेरोजगार युवाओं को 784 मेलों/प्लेसमेंट ड्राईव के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग ने अपनी 8 सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। विभाग अपने पोर्टलों www.hrex.gov.in और www.hreyahs.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन सेवायें प्रदान कर रहा है।

8.44 विभाग सक्षम युवा योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले 10+2 या इससे ऊपर आवेदकों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करता है। अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2022 तक 12,581 आवेदकों को उनके आधार से जुडे बैंक खातों में बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुल 24.54 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

8.45 व्यवसायिक मार्गदर्शन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षित किया जाता है। अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2022 तक 1,572 कैरियर वार्ता के माध्यम से 66,997 आवेदकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इन वार्ताओं से रोजगार के अवसरों की भी जानकारी मिलती है।

मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.)

8.46 विभाग द्वारा जिला हिसार में वर्ष 2015 में एक मॉडल कैरियर केन्द्र स्थापित किया गया है जोकि 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। मॉडल कैरियर केन्द्र, हिसार ने एन.सी.एस. पोर्टल पर 2,186 नौकरी चाहने वालों को पंजीकृत किया है, 265 मनोवैज्ञानिक परीक्षण और 89 जॉब मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 11,476 आवेदकों ने भाग लिया और उनमें से 910 आवेदक निजी क्षेत्र में समायोजित करवाये गये। मॉडल कैरियर केन्द्र, हिसार द्वारा विभिन्न कॉलेजों में 79 व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें कुल 4,088 आवेदको ने भाग लिया। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए विभाग का कुल बजट 988.26 करोड़ रूपये है।

श्रम कल्याण

8.47 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है।

न्यूनतम मजदूरी

8.48 श्रमिकों के वेतन अधिकारों की रक्षा के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्व है। न्यूनतम मजदूरी की दरें समय–समय पर संशोधित की जाती है। राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम वेतन की दर दिनांक 01–01–2015 को 7,600 रूपये प्रतिमाह थी। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01–07–2022 से श्रेणीवार अर्थात अकुशल, अर्धकुशल (ए), अर्धकुशल (बी), कुशल (ए), कुशल (बी) तथा अत्यधिक कुशल को क्रमशः 10,243.28 रुपये, 10,755.40 रुपये, 11,293.16 रुपये, 11,857.83 रुपये, 12,450.73 रुपये और 13,073.26 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किये गये हैं।

पंजाब दुकान एवं व्यवसायिक स्थापना एक्ट, 1958

8.49 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढौतरी हेतु सूचना एवं प्रोद्यौगिकी तथा इससे सम्बन्धित संस्थानों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान करता है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधनों की पूर्ण उपलब्धता करवायेगा। इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत 01–01–2022 से 31–10–2022 तक 69 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 17,559 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये पुर्नवास केन्द्र

8.50 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत तथा यमुनानगर में दो पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई थी। इन पुर्नवास केन्द्रो में प्रवासी व बेसहारा बच्चों को मुफ्त व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 90 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

8.51 आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच के किसी भी संगठित कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल किया जा सकता है। यह योजना 60 वर्ष की आयु होने पर 3 हजार रूपये की एक सुनिश्चित पैंशन प्रदान करेगी जोकि उनके कामकाजी उम्र के दौरान एक छोटी राशि के मासिक अंशदान पर होगी। जिसे दिनांक 07–02–2019 को अधिसूचित किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन

8.52 लघु उद्योगों को सुविधा देने के लिये हरियाणा सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को सरल बनाने हेतु संशोधन कर दिया है। हरियाणा कारखाना संशोधन अधिनियम, 2018 दिनांक 20–06–2020 को अधिसूचित किया गया। संशोधनानुसार विद्युत शक्ति के साथ 20 श्रमिकों से कम तथा विद्युत शक्ति के बिना 40 श्रमिकों से कम वाले कारखाने कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में नहीं आयेंगे। इस संशोधन में ओवर टाईम कार्य का समय 75 घण्टे से 150 घण्टे बढ़ाने का प्रावधान है। संशोधन उद्योगों को और भी राहत देता है जैसे कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अदालत में मुकदमा चलाने की बजाय पहली बार किये गये अपराधों/ उल्लघंनाओं को कम्पाउंडिंग करने की सुविधा प्रदान करता है।

ईज ऑफ डूविंग बिजनेस (ई.ओ.डी.बी.)

8.53 श्रम विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा "ईज ऑफ डूविंग बिजनेस" में सुधार के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाये हैः–(1) सरकार ने निर्णय लिया है कि कारखाने की अपेक्षित ड्राईंग प्लान केवल ऑटोकैड/hrylabour.gov.in पर किसी भी संगत प्रारूप में में एच.ई.पी.सी. की एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से आनलाईन जमा की जायेगी। (2) सभी श्रम नियमों के तहत किये जाने वाले निरीक्षण, शिकायत आधारित निरीक्षणों को छोडकर जो कि पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली में उल्लेखित है उनको श्रम आयुक्त–सह–मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा स्वीकृत जांच सूची के अनुसार शक्ति से संचालित करवाया जायेगा। (3) मौजूदा नियमों का सरलीकरण एवं युक्तिकरण में सूचना प्रौधोगिकी का प्रयोग करते हुए शासन को अधिक कुशल और प्रावाही बनाने पर बल दिया गया है। (4) भारत सरकार की डी.आई.पी.पी. के अर्न्तगत व्यापार सुधार योजना–2016 की अनुपालना करते हुए श्रम विभाग ने सभी श्रम कानूनों के तहत आन–लाईन एकल वार्षिक रिर्टन भरने का भी निर्णय लिया है। (5) कारखाना नियम के तहत कारखाना योजनाओं के अनुमोदन के लिए हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" की पूर्व प्राप्ति प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

अनिवार्य पंजीकरण

8.54 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण अधिनियम, 1996 की धारा–2(i) के तहत आने वाली सभी सरकारी संस्थाओं में कार्यरत निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी सरकारी विभाग जो ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाते हैं उन सभी निर्माण कार्यों एवं कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। श्रम विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं कुलपतियों को दिशा–निर्देश जारी किये है। वित्त विभाग से भी आग्रह किया गया है कि वह अपने सभी लेखा अधिकारियों को निर्देश दें कि वे सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत

पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति तथा सभी योग्य निर्माण श्रमिकों का लाभार्थी के तौर पर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होने उपरान्त ठेकेदारों के पहले बिल की अदायगी करेंगे।

नान–रैकरिंग योजना के तहत बजट

8.55 विभाग का वर्ष 2022–23 का नान–रैकरिंग स्वीकृत बजट 386.17 लाख रुपये था, जिसमें से 242.51 लाख रुपये (62.80 प्रतिशत) मार्च, 2022 तक खर्च किये जा चुके हैं। नान–रैकरिंग स्कीमों हेतू 2022–23 के लिए 13,963.80 लाख रूपये का बजट प्रावधान था जिसमें से 266.73 लाख रूपये 24–01–2023 तक खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

8.56 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों के लिए 21 कल्याणकारी योजनाएं तथा 4 गतिविधियां/ पुरस्कार चलाये जा रहे हैं **(तालिका 8.12)** दिनांक 01–04–2022 से 31–01–2023 की अवधि के दौरान 1,04,813 श्रमिकों के लिए 79. 28 करोड़ रूपये की राशि तथा 20 श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार के लिए 12.18 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए योगदानकर्ता श्रमिकों का सम्पूर्ण डाटा वेब–पोर्टल hrylabour.gov.in पर लिया जा रहा है। डी.बी.टी. के तहत आन–लाईन लाभ दिया जा रहा है। उर्पयुक्त के अतिरिक्त दिनांक 01–04–2022 से 31–01–2023 की अवधि के दौरान हरियाणा सीलिकोसिस पुर्नवास नीति के तहत 5.93 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

8.57 हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भव एवं अन्य सन्निमार्ण अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अन्तर्गत हुआ है और यह 02–11–2006 में अस्तित्व में आया। इस बोर्ड का मुख्य उद्वेश्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना है जैसे कि दुर्घटना होने पर तत्काल वित्तीय सहायता, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सन्निर्माण की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुढापा पैंशन, बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि एवं समय–समय पर तय की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना है। उपरोक्त नीति के तहत बोर्ड द्वारा 22 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। **(तालिका 8.12)** वर्ष 2021–22 के लिए अनुमानित व्यय 205.95 करोड़ रूपये है जबकि वर्ष 2022–23 के लिए कुल अनुमानित व्यय 259.18 करोड़ रूपये है।

तालिका 8.12– कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों एवं व्यय की स्थिति

क्र सं.	विवरण	2021–22		2022–23 (31–01–2023 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ रूपये में)
1	हरियाणा श्रम कल्याण द्वारा संचालित 21 कल्याणकारी योजनाएं	101765	80.20	104813	79.28
2	हरियाणा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 22 कल्याणकारी योजनाएं	243584	205.95	–	259.18

स्त्रोतः श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा।

खेल तथा युवा मामले

8.58 खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा का मुख्य दृष्टिकोण "खेल सबके लिए" है। विभाग के मूल उद्धेश्यों (1) खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना (2) खिलाडियों को प्रशिक्षण देना (3) कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान करना और उनका विकास करना (4) खिलाडियों के

लिए रोजगार के अवसर पैदा करना (5) विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों को लागू करना इत्यादि है। वर्ष 2022–23 के दौरान खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा के लिए 540.50 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

ब्राजील डेफलम्पिक्स–2021

8.59 हाल ही मे ब्राजील डेफलम्पिक्स–2021 मे भारतीय टीम में हरियाणा के 15 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था। इन खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। हरियाणा सरकार ने उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान किया इसके अलावा ब्राजील डेफलम्पिक्स–2021 के सभी पदक विजेताओं को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार जॉब आफर लेटर भी दिया गया **(तालिका 8.13)**।

बर्मिघम राष्ट्रमंडल खेल–2022

8.60 हाल ही में बर्मिघम राष्ट्रमंडल खेल–2022 में कुल 210 खिलाडियों के भारतीय दल में हरियाणा के 42 खिलाडी शामिल थे। इन खिलाडियों को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल–2022 के सभी पदक विजेताओं को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार जॉब लेटर भी दिया गया है **(तालिका 8.14)**।

पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार

8.61 हरियाणा के खिलाडियों ने अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 259 खिलाडियों को विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में उनकी उपलब्धियों के आधार पर 8.06 करोड़ रूपये के नकद पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये। दिनांक 23–06–2022 को इन्द्रधनुष सभागार, पंचकूला में आयोजित सम्मान समारोह में भीम अवार्ड के तहत 52 खिलाड़ियों को 2.60 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई। वर्ष 2022–23 के दौरान ओलम्पिक, एशियाई और राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के 7 कोचों को 84 लाख रूपये के कोच पुरस्कार के रूप में दिये गये है। खेलों इंडिया यूथ गेम्स पंचकूला–2022 के 611 खिलाड़ियों (पदक विजेताओं/प्रतिभागियों) को 2.05 करोड़ रूपयें के नकद पुरस्कार दिये गये।

खेलों इंडिया यूथ गेम्स–2021

8.62 खेलों इंडिया यूथ गेम्स–2021 का आयोजन हरियाणा द्वारा 4 से 13 जून, 2022 तक 25 खेलों (अंडर–18 लड़के और लड़कियों) के साथ पंचकूला, चण्डीगढ, अम्बाला, शाहाबाद और दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 8,500 खिलाड़ियों/अधिकारियों/सहयोगी स्टाफ ने भाग लिया था। कुल 903 पदकों में से हरियाणा राज्य ने विभिन्न खेलों में 137 पदक (52 गोल्ड, 39 रजत और 46 कांस्य) प्राप्त किये और सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता के लिए हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार द्वारा क्रमशः 70 करोड़ रूपये और 20.67 करोड़ रूपये का बजट प्रदान किया गया था।

तालिका 8.13–पुरस्कारों का श्रेणीवार विवरण

उपलब्धियां	खिलाड़ी	खेल का नाम	नकद ईनाम	कुल
स्वर्ण पदक	रोहित भाकर	बैडमिटन	1.20 करोड़	4.80 करोड़
	महेश	बैडमिंटन		
	दीक्षा डागर	गोल्फ		
	सुमित दहिया	कुश्ती		
कांस्य पदक	वीरेन्द्र सिंह	कुश्ती	40.00 लाख	80.00 लाख
	अमित			
केवल प्रतिभागिता	9 खिलाड़ी		2.50 लाख	22.50 लाख़
कुल योग				**5.82 करोड़**

स्त्रोतः निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 8.14–नकद पुरस्कारों का श्रेणीवार विवरण

उपलब्धियां	खिलाडी	खेल का नाम	नकद ईनाम	कुल
स्वर्ण पदक	अमित पंघाल	बोक्सिंग (पुरूष)	1.50 करोड़	13.50 करोड़
	नीतू	बोक्सिंग (महिला)		
	सुधीर	भारोत्तोलन		
	रवि दहिया	कुश्ती (पुरूष)		
	बजरंग पूनिया			
	नवीन			
	दीपक पूनिया			
	विनेश फोगाट	कुश्ती (महिला)		
	साक्षी मलिक			
रजत पदक	अभिषेक	हॉकी (पुरूष)	75.00 लाख	3.75 करोड़
	सुरेन्द्र कुमार			
	सागर	बॉक्सिंग (पुरूष)		
	शैफाली वर्मा	क्रिकेट (महिला)		
	अंशु मलिक	कुश्ती (महिला)		
कांस्य पदक	संदीप	एथलीट (पैदल दौड)	50.00 लाख	7.50 करोड़
	जैसमीन	बॉक्सिंग (महिला)		
	ज्योति	हॉकी (महिला)		
	मोनिका			
	नवजोत कौर			
	नवनीत कौर			
	नेहा			
	निशा			
	सविता पूनिया			
	शर्मिला देवी			
	उदिता			
	मोहित	कुश्ती (पुरूष)		
	दीपक नेहरा			
	पूजा गहलोत	कुश्ती (महिला)		
	पूजा सिहाग			
चौथा स्थान	शर्मिला	एथलैटिक्स (पैरा–शाटपुट एफ–57)	15.00 लाख	15.00 लाख
केवल प्रतिभागिता	12 खिलाड़ी		7.50 लाख	90.00 लाख
			कुल योग	25.80 करोड़

स्त्रोतः निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा।

राष्ट्रीय खेल–2022

8.63 हरियाणा ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में 115 पदक जीते। 38 स्वर्ण पदकों के साथ, इस बार हरियाणा के पदकों की संख्या किसी भी संस्करण में अब तक का सर्वाधिक है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 पदक हासिल किये थे। सेवाओं ने राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, हालांकि, सेवाओं के 80 प्रतिशत से अधिक पदक विजेता मूलरूप से हरियाणा से हैं।

खेल/योग प्रतियोगिता

8.64 वर्ष 2022 के दौरान अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता के अन्तर्गत टेबल टेनिस, वालीबॉल, भारोत्तोलक, हाकी और कैरम प्रतियोगितायें जिला झज्जर, कुरूक्षेत्र, भिवानी, कैथल और पंचकूला में क्रमशः ट्रायल का आयोजन किया गया जिसमें 1.85 लाख रूपये खर्च किये गये। मास सितम्बर, 2022 में समस्त जनपदों में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके लिए 13.64 लाख रूपये खर्च किये गये। जिला

रोहतक में दिनांक 15 से 17 एवं 20 से 22 सितम्बर, 2022 तक क्रमशः बालिकाओं एवं बालकों के लिए राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1,188 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 20.80 लाख रूपये खर्च किये गये।

खेल संरचना/उपकरण

8.65 करनाल के कर्ण स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल और बाक्सिंग हॉल के निर्माण के लिए 5 करोड, सिरसा के ग्राम सखता खेडा में स्टेडियम की चारदीवारी के निर्माण के लिए 30.26 लाख रूपये और हिसार के गांव खेड़ी जलाब में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 65.11 लाख रूपये की राशि वर्ष 2022–23 के दौरान स्वीकृत की गई है। पानीपत के ग्राम सिवाह, में नए खेल स्टेडियम के निर्माण हेतू 5 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। सर छोटूराम स्टेडियम परिसर, रोहतक में आई.पी.बी. के फुटपाथ के लिए 19.58 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर जारी की गई है। गुरूग्राम के नेहरू स्टेडियम में मौजूदा हॉकी टर्फ उपलब्ध करवाने और बढ़ाने के लिए 7.79 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में खेलो इंडियां यूथ गेम्स तथा पुर्नवास केन्द्र के लिए खेल सामान की खरीद हेतू 19.92 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

खेल नर्सरी/अकादमी

8.66 राज्य के नवोदित खिलाड़ियों को लाभ प्रदान करने के लिए खेल और युवा मामले विभाग ने राज्य भर में 1,100 खेल नर्सरी शुरू की हैं, इसमे से 500 नर्सरी विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा चलाई जा रही है और शेष 600 नर्सरी खिलाड़ियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों और निजी कोचिंग सेंटरों को आबंटित की जा रही हैं। इसके तहत 8 से 14 व 15 से 19 आयु वर्ग के इन खिलाड़ियों को क्रमशः 1,500 व 2,000 रूपये मासिक राशि दी जा रही है। प्रत्येक निजी नर्सरी के कोच को उसकी योग्यता के आधार पर 20,000 या 25,000 रूपये का मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा विभिन्न खेलों में 10 दिवसीय बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियों के सभी प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन 400 रूपये प्रति खिलाड़ी की दर से दैनिक आहार दिया जाता है। सरकार ने प्रस्तावित किया है कि ओलम्पिक और अन्य अर्न्तराष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी के लिए हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा खेल अकादमी तथा 200 बिस्तरों की क्षमता वाला एक खेल छात्रावास स्थापित किया जाना है।

युवा कार्यक्रम और साहसिक गतिविधियां

8.67 20 जून से 20 जुलाई, 2022 तक जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला के आयोजन के लिए 22 जिलों को 16.50 लाख रूपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 1,100 प्रतिभागियों ने भाग लिया है (2) 25 से 26 जुलाई, 2022 तक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला के आयोजन के लिए 22 जिलों को 4.66 लाख रूपये की राशि जारी की गई है (3) 9.05 लाख रूपये जिला/राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार और जिला/राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार के लिए 33 युवा/युवा मण्डलों को क्लब अवार्ड दिया गया (4) माह अक्टूबर, 2022 में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 41.30 लाख रूपये की राशि खर्च की गई इस प्रतियोगिता में 6,600 युवाओं ने भाग लिया था (5) युवा उत्सव का आयोजन दिनांक 20–12–2022 से 22–12–2022 को भिवानी में किया गया जिसमें वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 23 लाख रूपये खर्च हुए।

पर्यटन

8.68 पर्यटन विभाग, हरियाणा ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। पर्यटन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को

विकसित करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन विभाग, हरियाणा राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढावा देने और संचालित करने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पूरे राज्य में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर 43 पर्यटक स्थल चलाये जा रहे है, जोकि पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। हरियाणा पर्यटन के पास वर्तमान में 887 वातानुकूलित कमरें, 13 डौरमेटरी और 56 सम्मेलन केन्द्र/ समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा पर्यटन के पास 42 रेस्तरां, 5 फास्ट फूड केंद्र और 31 बार भी हैं। हरियाणा पर्यटन विभिन्न पर्यटक स्थलों पर 15 पैट्रोल पम्पों को भी चला रहा है। वित वर्ष 2022–23 में पर्यटन के विकास हेतु प्लान बजट में 125.07 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

कृष्णा सर्किट

8.69 कुरूक्षेत्र को मुख्य पर्यटन गंतव्य के रुप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आधारभूत पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत चिन्हित किया है। तदानुसार इस परियोजना के अन्तर्गत ब्रहम्सरोवर, ज्योतिसर नरकतरी, सन्नहित सरोवर आदि स्थानों पर पर्यटन सम्बन्धित आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा। स्वदेश दर्शन 1.0 योजना के तहत भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 77.87 करोड़ रूपये जारी किये हैं, जिसमें से 76.74 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

8.70 राज्य परिप्रेक्ष्य योजना के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित 5 स्थलों को पर्यटन मंत्रालय के साथ सांझा किया गया है। जिसमें से पयर्टन मंत्रालय ने राज्य संचालन समिति की बैठक में पंचकूला को प्रथम और महेन्द्रगढ को द्वितीय स्थान के रूप में प्रस्तावित किया है।

हैरिटेज सर्किट रिवाड़ी–महेन्द्रगढ़–माधोगढ़ नारनौल

8.71 महेन्द्रगढ किले, रानी महल, बावडी के बाहरी एवं आन्तरिक तथा माधोगढ किले को छोडकर किले के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए 29.61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त वर्णित कार्यों का विकास प्रगति पर है।

प्रसाद स्कीम के तहत परियोजना

8.72 तीर्थ यात्रा एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) के अन्तर्गत 54.52 करोड़ रुपये की राशि से नाडा साहिब गुरूद्वारा, पंचकूला व माता मन्सा देवी मंदिर परियोजनायें प्रगति पर हैं। भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए 49.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से अब तक 28.77 करोड़ रूपये प्राप्त हो चुके हैं।

8.73 इस योजना के तहत आदिबद्री जिला यमुनानगर के विकास के लिए 52.32 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, को भेजी गई है तथा मामला विचाराधीन है।

विशेष पर्यटन विकास योजना

8.74 गुरूग्राम और नूंह जिले में 10 हजार एकड विस्तृत भूमि के टुकडे पर एक विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। (2) फरीदाबाद में लगभग 18 होल गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण और विकास का प्रस्ताव (3) राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एयरो फेस्टिवल–दमदमा झील, होट एयर बैलून–टिक्कर ताल, पैरा सैलिंग और वाटर स्पोर्टस–मोरनी हिलस, जैसी कई साहसिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है व हथिनीकुंड और कौशल्या बांध में साहसिक खेल गतिविधियों के विकास की परिकल्पना करता है।

स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन व मानसरोवर यात्रा

8.75 हरियाणा सरकार ने सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतू 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति तीर्थ–यात्री, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतू

50,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री और गुरु दर्शन योजना–2017 के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नान्देड साहिब), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब तथा श्री पटना साहिब हेतू 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति/तीर्थ यात्री को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि प्रत्येक यात्रा के लिए 50 व्यक्तियों/तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन के रुप में दी जाएगी।

मेले और त्यौहार

8.76 सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सूरजकुण्ड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपडा, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मेला 1987 में कुशल कारीगरों के पूल को बढावा देने के लिए शुरू किया गया था जो स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करते थे, लेकिन सस्ती मशीन निर्मित नकल के कारण पीडित थे। मेले को 2013 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया। 36वां अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला–2023, दिनांक 03 से 19 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया जाना है। शंघाई सहयोग संगठन पार्टनर नेशन होगा और अपने कलाकार, कारीगरों और अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेगा। हर वर्ष विश्व प्रसिद्व यादवेन्द्रा गार्डन पिंजौर गार्डन में जुलाई के पहले सप्ताह के अन्त में "आम मेल" का वार्षिक आयोजन तथा प्रत्येक वर्ष के अक्तूबर माह में "विरासत महोत्सव" आयोजित किया जाता है।

फार्म टूरिजम स्कीम

8.77 हरियाणा के ग्रामीण इलाके में फार्म हाउस मालिकों की वितीय स्थिति में सुधार करने के लिए पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा फार्म टूरिजम स्कीम को चलाया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे राज्य में अब तक 35 फार्म हाऊस रजिस्टर्ड हुए है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

8.78 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सतत आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्व है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं को निपटाने के लिये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम बोर्ड) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा अधिनियमिताओं में सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों में सुधार किया गया और नोटिफिकेशन्ज जारी की गई तथा राज्य में जैविक चिकित्सा, ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट प्रभावी रूप से प्रयोग किये जा रहे है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग एक सुधार एजैंसी है जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य को नियंत्रित करता है।

रेफरल लैबोरेटरी

8.79 सरकार द्वारा प्राप्त कानूनी नमूनों का विश्लेषण करने के लिए जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981 के तहत रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना की गई। विश्लेषक (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, के तहत प्राप्त 17 कानूनी नमूनों का विश्लेषण कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया गया।

विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद तथा कुरूक्षेत्र

8.80 वर्तमान में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में कार्य कर रहें हैं जो विभिन्न अधिनियमों अर्थात जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981, भारतीय वन अधिनियम, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986, वन्य जीवन

तालिका 8.15 –संस्थापित तथा निपटाये गये केसों का विवरण।

विशेष पर्यावरण न्यायालय निपटाये गये	2019–20		2020–21		2021–22		2022–23	
	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये	संस्थापित	निपटाये गये
फरीदाबाद	136	236	180	128	308	332	259	201
कुरूक्षेत्र	209	198	303	27	306	275	160	169

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

अधिनियम एवं पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी.एल.पी.ए.) के मामलों को देखते है। वर्ष 2022–23 में 315 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केसों का विवरण **तालिका 8.15** में दर्शाया गया है।

स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

8.81 राज्य सरकार के पास आई.एम.टी. मानेसर, गुरूग्राम में स्वर्ण जयन्ती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान नामक प्रतिष्ठित परियोजना में से एक है जो वायु, जल, खतरनाक और ठोस अपशिष्ठ प्रदुषण जैसे औद्योगिक इकाईयों सहित समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढावा देती है। इसे राज्य सरकार द्वारा जिला गुरूग्राम में स्थित औद्योगिक इकाईयों के सहयोग से शुरू किया जाएगा।

पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

8.82 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, विभिन्न पर्यावरणीय मुददों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण आयोजित करके खतरनाक पर्यावरण प्रदुषण के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा 50 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति

8.83 राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति अधिसूचना, 2006 के तहत श्रेणी–बी परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए 21–02–2022 से 21–02–2025 तक 3 वर्षो के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। यह समिति नई परियोजनाओं/विस्तारवादी गतिविधियों/वर्तमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण अथवा ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं पर कुछ प्रतिबन्ध और निषेध लगाने के लिए गठित की गई थी। समिति का जनादेश निर्माण से लेकर खनन और औद्योगिक गतिविधियों से लेकर विभिन्न श्रेणियों के तहत पर्यावरण मंजूरी की स्थिति की निगरानी करना है। पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति का विवरण **तालिका 8.16 में** दिया गया है।

तालिका 8.16– पर्यावरण परियोजनाओं की अनुमति

वर्ष	प्राप्त परियोजना	परियोजना निपटान
2021–22	139	189 (बैकलॉग प्रोजैक्ट सहित)
2022–23 (अक्टूबर, 2022 तक)	258	128

स्त्रोतः पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा।

जलवायु परिवर्तन सैल

8.84 एन.ए.पी.सी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को विभिन्न सरकारी विभागों से परामर्श उपरान्त तैयार किया गया और जिसके लिए पर्यावरण विभाग नोडल एजैंसी है। राज्य संचालन समिति ने राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को पहले ही मन्जूरी दे दी है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का संशोधन (एस.ए.पी.सी.सी.)

8.85 जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन एंव जलवायु परिवर्तन द्वारा वांछित रूप में लक्षित राष्ट्रीय निर्धारित अशंदान (आई.एन.डी.सी.) के तहत किये गये प्रतिबद्वताओं के प्रकाश में संशोधन की प्रकिया अधीन है। एस.ए.पी.सी.सी. के संशोधन की प्रकिया शुरू की जा चुकी है। एस. ए.पी.सी.सी. के पुर्नरीक्षण का मामला जी.आई.

जैड. के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। एस.ए.पी.सी.सी., हरियाणा में संशोधन के लिए 11–08–2021 को कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हरियाणा के विभिन्न विभागों प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित चल रही गतिविधियों को सांझा किया और जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य की भेदता के आधार पर कृषि, वन और सम्बद्व क्षेत्रों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण

8.86 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम, 2017 के दिशा–निर्देशों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था ताकि उनके संरक्षण और प्रबन्धन द्वारा राज्य में आर्द्र भूमि की पहचान की जा सके।

एनविस

8.87 पर्यावरण, सूचना प्रणाली हब की स्थापना पर्यावरण से सम्बन्धित आकड़ों को एकत्रित करके प्रसारित करने हेतु की गई है। एनविस योजना जो पहले पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के तहत थी, को अब पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास की संशोधन योजना में शामिल किया गया है तथा इसे वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए अनुमोदित किया गया है। संशोधित योजना के तीन घटक हैं अर्थात (1) पर्यावरण सूचना (2) जागरूकता क्षमता निर्माण और (3) आजीविका कार्यक्रम।

ईकों क्लबों की स्थापना

8.88 राज्य सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों में 5,250 इको क्लब स्कूल और 100 ईको क्लब कॉलेज स्थापित किये गये हैं। ये इको क्लब वृक्षारोपण की तरह राज्य भर में विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना आदि। वर्ष 2022–23 में 250 लाख रुपये की राशि विभाग को प्राप्त हुई है।

अपीलकर्ता प्राधिकारण

8.89 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा में अपीलकर्ता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सेवानिवृत न्यायाधीश अपीलकर्ता प्राधिकरण के अध्यक्ष है। अपीलकर्ता प्राधिकरण एच.एस.पी.सी.बी. से सम्बन्धित कानूनी मामलों से सम्बन्धित विवादों को हल करने के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 63 मामलों (57 बैक लॉग और 6 संस्थागत मामले) में से 16 मामलों को निपटाया जा चुका है।

पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

8.90 सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण (जल और वायु), प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण, विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबन्धन, प्र्यावरण के मुददों एवं सम्बन्धित विषय पर आम जनता के मध्य जागरूकता लाने के कार्य में उत्कृष्ठता के लिए "प्रो. दर्शन लाल जैन" राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार में भाग लेने वाले पात्र वह डोमेन संगठन/संस्थान, सरकारी विभाग, व्यक्ति, गैर–सरकारी संगठन, स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थाएं होंगे जिन्होनें प्र्यावरण संरक्षण में अनुकरणीय कार्य किया है। राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष चिन्हित विजेताओं को 3 लाख और 1 लाख के दो पुरस्कार दिये जायेंगे।

सहकारिता

8.91 वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार ने सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही 27 राज्य योजनाओं (कल्याण एवं विकास योजनायें) के अन्तर्गत 1,17,861 लाख रूपये (द्वितीय अनुपूरक अनुदान सहित) एवं 7 एन.सी.डी.सी. प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 3,560 लाख रूपये का आबंटन किया है। आबंटित बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण **तालिका 8.17** में दिया गया है।

8.92 राज्य सरकार ने पिराई सीजन 2022–23 के लिए गन्ने की कीमत बढा कर 372 रुपये व 365 रुपये प्रति कि0 क्रमशः अगेती किस्मों और मध्यम एवं पछेती किस्मों के लिए निर्धारित की है। वर्तमान पिराई सीजन 2022–23 में दिनांक 08.02.2023 तक सभी सहकारी चीनी मिलों ने 791.32 करोड रुपये मूल्य के 212.76 लाख कि0 गन्ने की खरीद की, जिसके विरुद्व 433.84 करोड रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया गया है। पिराई सीजन 2021–22 की समस्त गन्ना राशि 1597.66 करोड का भुगतान सभी सहकारी चीनी मिलों ने राज्य सरकार द्वारा असुरक्षित ऋण के रुप में उपलब्ध करवाई गई 493.68 करोड़ रुपये की वित्तिय सहायता उपरान्त गन्ना किसानों को कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपये अनुदान राशि के रुप में प्रदान किए गए हैं। 08–02–2023 तक हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों द्वारा राज्य सरकार को 3,820.99 करोड़ रूपये देय है जोकि सरकार द्वारा बकाया गन्ने के भुगतान हेतु वर्ष 2007–08 से ऋण के रूप मे दिए गए।

राष्ट्रीय पुरस्कार

8.93 हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार जीते है। पिराई सीजन 2020–21 के दौरान गन्ना विकास के लिए सहकारी चीनी मिल कैथल ने गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार एंवम तकनीकी दक्षता के लिए सहकारी चीनी मिल शाहबाद मिल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। पिराई सीजन 2021–22 के लिए सहकारी चीनी मिल करनाल ने तकनीकी दक्षता के लिए प्रथम पुरस्कार और सहकारी चीनी मिल शाहबाद ने अधिकतम गन्ना पिराई के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किये है।

स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण

8.94 जींद सहकारी चीनी मिल की पिराई क्षमता 1600 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 1750 टी.सी.डी. करने के प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2020–21 के दौरान पूरा कर लिया गया है और दूसरे चरण में मिल की क्षमता 1750 टी.सी.डी से बढ़ाकर 2200 टी.सी.डी करने का कार्य उच्च शक्ति खरीद कमेटी की बैठक के निर्णय उपरांत किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 47.14 करोड़ रूपये है। कैथल और महम सहकारी चीनी मिलों की पिराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3000 टी.सी. डी. करने का कार्य उच्च शक्ति खरीद कमेटी की बैठक के निर्णय उपरांत किया जाएगा। इस परियोजना की डी.पी.आर. व डी.एन.आई.टी तैयार हो चुकी है। इस परियोजना पर अनुमानित लागत 85.79 करोड़ रूपये (प्रति मिल) आएगी। पानीपत सहकारी चीनी मिल में 90 के.एल.पी.डी क्षमता के एथनाल प्लांट की स्थापना करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है और इस परियोजना की अनुमानित लागत 150.64 करोड़ रूपये हैं। इस परियोजना की पर्यावरण मंजूरी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभी पर्याप्त होनी है। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के उपरान्त उच्च क्षमता खरीद कमेटी की बैठक में एजेण्डा रखने हेतू प्रस्ताव को आपूर्ति एंवम निपटान विभाग को विचार विमर्श एवंम अतिंम निर्णय के लिए भेजा जायेगा। सामूहिक आधार पर कैथल एवं जीन्द, रोहतक एवं महम, करनाल एंव असन्ध, सोनीपत एवं गोहाना तथा पलवल सहकारी चीनी मिलों में एथनाल प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने सैद्वांतिक रुप मे अनुमति प्रदान कर दी है। इसलिए सम्बन्धित सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशकों का तुरन्त जरुरी कार्यवाही करने हेतू जैसे कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने एंव भारत सरकार के पास निर्धारित समय सीमा में प्रार्थना पत्र भेजने के आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

8.95 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान 30–09–2022 तक 41 करोड़ रूपये तक का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 30–09–2021 तक

सरकार से अनुदान के रूप में 3,708.76 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं और यह अनुदान राशि दुग्ध संयत्रों को सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे जारी करने के लिए दी गई है।

8.96 डेयरी संरचना विकास निधि योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जीन्द मिल्क प्लांट को 1,250 लाख रूपये और सिरसा मिल्क प्लांट को 572 लाख रूपये की मंजूरी दी है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 80 प्रतिशत उधार देगा और 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा। राज्य सरकार ने 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है। अन्तिम कार्यान्वयन एजैंन्सी को ब्याज के रूप में केवल 4 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। आंगनवाडी केन्द्र के लिए पूरक पोषाहार योजना के तहत 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवति महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को फोर्टिफाईड स्वीटड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पावर की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास की आवश्यकतानुसार 10 अक्तूबर, 2022 तक 363.60 करोड रूपये की लागत से लगभग 12,125 मीट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

तालिका 8.14–राज्य योजनाओं के आबंटित बजट व व्यय का वर्षवार विवरण

(रूपये लाख में)

वर्ष	राज्य योजनाओं के आबंटित बजट	एन.सी.डी.सी. के तहत आंबटित बजट प्रायोजित योजनायें	कुल आबंटित बजट	कुल खर्च
2017–18	97805.11	837.00	98642.11	97432.98
2018–19	103718.67	1218.14	104936.81	98753.60
2019–20	139729.35	1468.00	141197.35	122680.80
2020–21	99857.05	265.00	100122.05	93761.58
2021–22	204029.22	2593.47	206622.69	128003.09

स्त्रोतः रजिस्ट्रार सहकारी समितिया विभाग, हरियाणा।

***

अनुलग्नक 1.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2011-12=100)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचकांक		
			2018-19	**2019-20**	**2020-21**
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	56.4	59.1	52.1
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	90.7	91.2	77.9
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.75	289.0	246.7	225.2
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	161.1	145.9	142.8
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	223.8	226.2	229.2
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	112.5	108.9	106.4
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रॉ और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	324.2	312.0	249.8
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	129.6	130.3	77.8
18	छपाई और रिकॉर्डेड मीडिया की प्रजनन उत्पादों का निर्माण	4.16	223.1	185.9	159.5
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	150.4	175.4	104.8
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	151.9	145.3	85.5
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.34	92.5	92.6	38.8
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	105.1	118.5	37.4
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	155.0	168.1	142.5
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.60	94.5	94.5	104.2
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	155.6	169.1	121.4
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	253.5	286.6	255.2
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	175.7	265.1	251.2
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	224.8	203.8	222.9
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	148.8	187.7	174.3
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	97.0	110.8	119.7
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	77.3	87.7	56.0
32	अन्य विनिर्माण	9.21	155.3	232.9	859.6
	विनिर्माण	**927.83**	**144.7**	**166.4**	**158.1**
	बिजली	**72.17**	**105.7**	**72.0**	**61.9**
	सामान्य सूचकांक	**1000**	**141.9**	**154.4**	**151.2**

स्त्रोतः– अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.2 औद्योगिक उत्पाद वर्गों में वृद्धि

(आधार वर्ष 2011-12=100)

उद्योग समूह कोड	समूह विवरण	भार	सूचकांक		
			2018-19	2019-20	2020-21
	निर्माण क्षेत्र	927.83	**144.7**	**166.4**	**158.1**
वर्ष 2020–21 के दौरान 10% से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
24	आधारभूत धातुओं का निर्माण	48.6	**-12.4**	**0.0**	**10.3**
10	खाद्य उत्पादों का निर्माण	83.50	**5.0**	**4.8**	**11.8**
32	अन्य विनिर्माण कार्य	9.21	**-0.4**	**49.9**	**269.2**
वर्ष 2020–21 के दौरान 5% से 10 % के बीच विकास दर वाले औद्योगिक वर्ग					
30	अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण	121.25	**11.1**	**14.2**	**8.1**
12	तंबाकू उत्पादों का निर्माण	0.75	**-17.7**	**-14.6**	**8.7**
28	मशीनरी उपकरण का निर्माण	106.63	**3.4**	**-9.3**	**9.4**
वर्ष 2020–21 के दौरान विकास दर 5% से नीचे वाले औद्योगिक वर्ग					
14	परिधान उत्पादों का निर्माण	49.68	**-7.2**	**1.1**	**1.3**
वर्ष 2020–21 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग					
29	मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों उत्पादों का निर्माण	230.72	**10.3**	**26.2**	**-7.2**
19	कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण	0.41	**5.2**	**16.6**	**-40.2**
27	बिजली के उपकरणों का निर्माण	58.22	**2.6**	**50.9**	**-5.3**
31	फर्नीचर का निर्माण	0.41	**-27.4**	**13.5**	**-36.1**
26	कंम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण	11.16	**15.8**	**13.1**	**-10.9**
22	रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण	22.53	**5.1**	**12.7**	**-68.4**
25	मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण	32.54	**24.7**	**8.7**	**-28.2**
23	अन्य गैर धातु उत्पादों का निर्माण	18.73	**16.9**	**8.5**	**-15.2**
11	पेय उत्पादों का निर्माण	12.57	**17.7**	**0.5**	**-14.6**
17	कागज एवं कागज उत्पादों का निर्माण	9.27	**-44.0**	**0.5**	**-40.3**
21	फार्मास्यूटिकल्स एवं औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण	13.34	**-30.0**	**0.2**	**-58.1**
15	चमड़े एवं इससे सम्बन्धित उत्पादों का निर्माण	27.44	**10.6**	**-3.2**	**-2.3**
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कॉर्क के उत्पादनों का निर्माण व स्ट्रॉ और प्लाटिंग सामग्री के उत्पादों का निर्माण	3.09	**22.2**	**-3.8**	**-19.9**
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	23.19	**5.7**	**-4.3**	**-41.1**
13	कपड़ा उत्पादों का निर्माण	40.43	**12.0**	**-9.4**	**-2.1**
18	छपाई और रिकॉर्डेड मीडिया की प्रजनन उत्पादों का निर्माण	4.16	**4.9**	**-16.7**	**-14.2**

स्त्रोतः– अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2019–20	2020–21	2021–22 (स.अ.)	2022–23 (ब.अ.)
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**67858.13**	**71913.01**	**92595.78**	**106424.70**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (I+ II)	**50224.69**	**53227.29**	**74218.20**	**85932.86**
I) राज्य का अपना कर राजस्व (i से ix)	**42824.95**	**46265.80**	**64991.61**	**73727.50**
i) भू –राजस्व	20.68	16.60	25.00	48.00
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	6322.70	6864.42	8710.00	12030.00
iii) बिक्री कर	8397.81	8660.17	12140.00	14099.50
iv) मोटर वाहनों पर कर	2915.76	2495.08	3302.50	4450.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	6013.30	5157.01	8100.00	9720.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	15.85	3.74	5.00	5.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	262.01	476.07	345.00	545.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3.89	4.92	5.00	5.00
ix) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	18872.95	22587.79	32359.10	32825.00
II) राज्य का अपना गैर–कर राजस्व (i से v)	**7399.74**	**6961.49**	**9226.58**	**12205.36**
i) ब्याज प्राप्तियां	1974.86	1561.73	1933.88	2122.97
ii) लाभांश तथा लाभ	87.01	163.14	259.26	260.56
iii) सामान्य सेवाएं	459.27	337.11	757.00	508.50
iv) सामाजिक सेवाएं	2719.41	2948.23	2901.50	3853.09
v) आर्थिक सेवाएं	2159.19	1951.28	3374.95	5460.24
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (III+ IV)	**17633.44**	**18685.72**	**18377.58**	**20491.84**
III) केन्द्रीय करों का भाग	7111.53	6437.59	8682.92	8925.98
IV) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	10521.91	12248.13	9694.66	11565.86
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**35965.26**	**25628.99**	**32626.89**	**35779.08**
i) कर्जे की प्राप्तियां	5392.64	431.95	892.68	766.87
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	54.01	62.97	4979.98	5393.89
iii) उधार तथा अन्य ऋण	30518.61	25134.07	26754.23	29618.32
कुल प्राप्तियां (1+2)	**103823.39**	**97542.00**	**125222.67**	**142203.78**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2019–20	2020–21	2021–22 (स.अ.)	2022–23 (ब.अ.)
1. राजस्व व्यय (क+ख)	**84848.21**	**89946.60**	**105118.91**	**116198.63**
क) विकासात्मक (i+ii)	**52964.26**	**55212.43**	**64675.89**	**72197.94**
i) सामाजिक सेवाएं	33726.48	36163.96	42126.47	47255.37
ii) आर्थिक सेवाएं	19237.78	19048.47	22549.42	24942.57
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	**31883.95**	**34734.17**	**40443.02**	**44000.69**
i) राज्य की विधाएं	1176.61	1049.84	1380.84	1608.31
ii) वित्तीय सेवाएं	530.08	610.33	700.68	948.37
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	15588.01	17114.67	19989.75	21294.48
iv) प्रशासनिक सेवाएं	5606.89	5862.75	7367.78	7978.78
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	8982.36	10096.58	11003.97	12170.75
2. पूंजीगत व्यय (ग+घ +ड़)	**18975.18**	**7595.40**	**20103.76**	**26005.15**
ग) विकासात्मक (i से ii)	**18321.76**	**6210.47**	**19340.13**	**23595.34**
i) सामाजिक सेवाएं	3235.17	2990.50	9616.62	10930.62
ii) आर्थिक सेवाएं	15086.59	3219.97	9723.51	12664.72
घ) गैर विकासात्मक (i से ii)	**653.42**	**584.93**	**763.63**	**2409.81**
i) सामान्य सेवाएं	586.16	387.61	675.29	2269.81
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	67.26	197.32	88.34	140.00
ड़) अन्य*	0.00	800.00	0.00	0.00
3. कुल व्यय (1+2)	**103823.39**	**97542.00**	**125222.67**	**142203.78**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+ग)	**71286.02**	**61422.89**	**84016.02**	**95793.28**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख+घ)	**32537.37**	**35319.10**	**41206.65**	**46410.50**
6. अन्य* (ड़)	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

* आकस्मिक निधि का विनियोग।

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2019–20	2020–21	2021–22 (स.अ.)	2022–23 (ब.अ.)
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)794.56	(-)1644.39	(-)462.93	(-)922.14
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)782.13	(-)1631.96	(-)450.50	(-)909.71
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	67858.13	71913.01	92595.78	106424.70
ख) खर्च	84848.21	89946.60	105118.91	116198.63
ग) अधिशेष/घाटा	(-)16990.08	(-)18033.59	(-)12523.13	(-)9773.93
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	54.01	62.97	4979.98	5393.89
4. पूंजीगत परिव्यय	17665.93	5869.70	14772.41	22343.56
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	44431.82	49464.73	46499.99	55063.00
ख) पुनः अदायगी	15775.51	29497.60	28161.73	35052.21
ग) निवल	28656.31	19967.13	18838.26	20010.79
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	1309.25	925.70	5331.35	3661.59
ख) वसूलियां	5392.64	431.95	892.68	766.87
ग) निवल	4083.39	(-)493.75	(-)4438.67	(-)2894.72
7. अर्न्तराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	-	800.00	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	800.00	-	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	1247.23	1034.45	1020.80	1081.20
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	(-)181.02	4474.84	6912.96	8642.28
12. प्रेषण (निवल)	(-)53.74	39.11	23.00	35.00
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(-)849.83	1181.46	(-)459.21	150.95
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(-)1644.39	(-)462.93	(-)922.14	(-)771.19
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(-)1631.96	(-)450.50	(-)909.71	(-)758.76

स.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपयें में)

मदें	2019–20	2020–21	2021–22 (स.अ.)	2022–23 (ब.अ.)
I. प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**99056.88**	**92476.59**	**113935.56**	**127303.48**
1. उपभोग व्यय (i+ii+iii)	35605.26	38095.02	42705.94	50599.28
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	30523.94	31755.64	35347.90	40611.21
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव सम्मिलित है	4731.63	5893.36	6953.46	9544.27
iii) उदार हस्तांतरण	349.69	446.02	404.58	443.80
2. चालू हस्तांतरण*	37185.96	40301.86	48708.60	49909.39
3. सकल पूंजी निर्माण	10323.36	4229.33	12393.25	18606.85
4. पूंजीगत हस्तांतरण	8709.82	8380.68	8766.92	8697.54
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	5841.13	531.74	(-)4101.31	(-)4340.02
6. कर्ज तथा अग्रिम	1309.25	925.70	5331.35	3661.58
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	82.10	12.26	130.81	168.86
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**5107.23**	**4897.31**	**6448.64**	**8152.47**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	1225.93	916.67	1578.50	1575.93
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1864.33	1844.24	2770.02	3135.75
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	43.87	43.96	40.21	40.22
4. ब्याज	780.36	831.42	680.16	680.16
5. सकल पूंजी निर्माण	1168.21	1235.64	1323.75	2645.30
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	24.53	25.38	56.00	75.11
कुल व्यय (I+II)	**104164.11**	**97373.90**	**120384.20**	**135455.95**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

स्त्रोतः राज्य बजट दस्तावेज/अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा।